अष्टम माला, खंड 51, अंक 1 Wednesday, 26th July, 1989

# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 51 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 26 जुलाई, 1989/4 श्रावण, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ | पंक्ति | शुद्धि |
|---|---|---|
| 88 | 10 | "(ग) और (ख)" के स्थान पर "(ग) और (घ)" पढ़िये। |
| 88 | नीचे से 3 | "(ल)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये। |
| 104 | 10 | "(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये। |
| 105 | नीचे से 7 | शीर्षक में "जाद्य" के स्थान पर "खाद्य" पढ़िये। |

# विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 51, चौदहवां सत्र, 1989/1911 (शक)

अंक 7, बुधवार, 26 जुलाई, 1989/4 श्रावण, 1911 (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | | 1—18 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : | 122 से 124, 126, 127, 132 और 133 | |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | | 18—162 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : | 121, 125, 131, 134 से 137 और 140 | 18—26 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : | 1245 से 1247, 1251 से 1262, 1264 से 1269, 1272, 1273, 1275 से 1278, 1280 से 1285, 1287, 1288, 1291 से 1294, 1296 से 1305, 1308, 1309, 1311 से 1332, 1336 से 1359, 1365 से 1367, 1369 से 1378, 1381 से 1385, 1388 से 1395, 1399, 1400, 1403 से 1423, 1426 से 1428, 1430 से 1432, 1434, 1437 से 1440 और 1442 | 26—162 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | | 163 |
| **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति** | | |
| 67वां प्रतिवेदन | | 164 |
| **सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति** | | 164 |
| 61वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश | | |
| **समितियों के लिए निर्वाचन** | | 164—165 व 166 |
| (एक) प्राक्कलन समिति | | 164 |
| (दो) लोक लेखा समिति | | 164 |
| (तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति | | 166 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **लोक लेखा समिति** | 165—166 |
| राज्य सभा से सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सिफारिश | |
| **सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति** | 166—167 |
| राज्य सभा से सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सिफारिश | |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण** | 167—184 |
| धागे की अट्टियों के मूल्य में हाल में हुई अत्यधिक वृद्धि से उत्पन्न स्थिति, जिससे हजारों हथकरघा और पावरलूम कर्मकार बेरोजगार हो गए हैं | |
| कुमारी ममता बनर्जी | 167 |
| श्री राम निवास मिर्धा | 167 |
| श्री पी० आर० कुमारमंगलम | 172 |
| श्री पी० कुलनदईवेलू | 175 |
| श्री के० राममूर्ति | 177 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | 184 |
| (एक) सूक्ष्म तरंग काम्पलैक्स स्थापित किए जाने के लिए पश्चिम दिनाजपुर में रायगंज में एक सूक्ष्म तरंग टॉवर के निर्माण का कार्य पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता | |
| डा० गुलाम याजदानी | 184 |
| (दो) उड़ीसा में कालाहांडी जिले को "उद्योग विहीन जिला" घोषित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री जगन्नाथ पटनायक | 184 |
| (तीन) वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए महाराष्ट्र सरकार को तुरन्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता | |
| श्री शरद दिघे | 185 |
| (चार) शहरी क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता | |
| कुमारी ममता बनर्जी | 186 |
| (पांच) राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप न करने और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनदेखी न करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों को निदेश दिए जाने की आवश्यकता | |
| श्री पी० सेलवेन्द्रन | 186 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| (छः) सर सुन्दर लाल अस्पताल और आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी का विस्तार किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री उमाकांत मिश्र | 186 |
| **देश में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा किए गए राहत उपायों के बारे में वक्तव्य** | |
| श्री भजन लाल | 187—190 |
| **नियम 193 के अधीन चर्चा** | 190—209 |
| भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 2)—संघ सरकार—रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टरियां) के पैरा 11 और 12 | |
| श्री कृष्ण चन्द्र पंत | 209 |
| **अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1989-90** | 210—242 |
| श्री बी० के० गढ़वी | 214 |
| श्री आर० एस० स्पैरो | 214 |
| श्री रघुनन्दन लाल भाटिया | 216 |
| श्री केयूर भूषण | 219 |
| श्री जगन्नाथ पटनायक | 222 |
| डा० गौरी शंकर राजहंस | 223 |
| श्री बृद्धि चन्द्र जैन | 225 |
| श्री एन० टोम्बी सिंह | 227 |
| श्री अजीज कुरेशी | 229 |
| प्रो० सैफुद्दीन सोज | 230 |
| श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) | 234 |
| श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही | 238 |
| **पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1989** | 243—244 |
| पुरःस्थापित | |
| श्री बी० के० गढ़वी | 243 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री बी० के० गढ़वी | 244 |
| खण्डवार विचार | |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री बी० के० गढ़वी | 244 |
| **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक** | 244—245 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री एडुआर्डो फैलीरो | 244 |
| **सदस्यों द्वारा त्यागपत्र** | 245 |

# लोक सभा

बुधवार, 26 जुलाई, 1989/4 श्रावण, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### दिल्ली में घटिया किस्म के गेहूं की सप्लाई

[हिन्दी]

+

*122. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**
**श्री मोहनभाई पटेल :**

**क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई किया जा रहा गेहूं घटिया किस्म का है;

(ख) क्या दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों ने हाल ही में घटिया किस्म के गेहूं की सप्लाई के बारे में शिकायत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

[अनुवाद]

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भारतीय खाद्य निगम के जरिए निर्धारित मानक गुणवत्ता का गेहूं सप्लाई किया जाता है।

प्राप्तकर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संयुक्त पूर्व निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि वे उस स्टाक को अस्वीकार कर सकें जो निर्धारित गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप नहीं होता है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि 1-1-1989 से 30-6-1989 की अवधि के

दौरान कुल 3487 उचित दर दुकानों के दुकानधारियों में से केवल 13 उचित दर के दुकानधारियों से गेहूं के 86 बोरों की क्वालिटी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। दिल्ली प्रशासन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार शिकायत प्राप्त होने पर यदि जांच करने पर क्वालिटी घटिया पाई जाती है तो ऐसे स्टाक की बिक्री तुरंत रोक दी जाती है और स्टाक को बदलने की व्यवस्था की जाती है।

**डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि प्राप्तकर्त्ता राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को संयुक्त पूर्व निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने आप को सिर्फ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों तक ही सीमित रखा है, लेकिन जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाखों दुकानदार जिलों तथा तहसील मुख्यालयों में स्थित भारत खाद्य निगम के गोदामों से अपनी सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं। इस स्थिति में मैं विशेष रूप से इस बात का उल्लेख कर सकता हूं कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले के कल्याणी शहर में स्थित भारत खाद्य निगम के गोदाम से मिलावट वाले गेहूं लाए गए थे तथा इस मुद्दे को पश्चिम बंगाल विधान सभा में भी उठाया गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि मिलावट की जा रही है। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि घटिया किस्म के गेहूं भारत खाद्य निगम या दुकानदार, किसी द्वारा सप्लाई किए गए हैं लेकिन वे सप्लाई किए गए हैं। और गरीब उपभोक्ताओं को यही मिल रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री क्या कदम उठाने का विचार कर रहे हैं अथवा गेहूं की इस मिलावट वाली किस्म के रोकथाम का उपाय उन्होंने कर लिया है, जिसका इस देश के अशिक्षित तथा गरीब लोगों द्वारा उपभोग किया जा रहा है जिनकी संख्या 30 करोड़ से भी अधिक है ?

**श्री सुख राम** : महोदय, जब खाद्यान्न के रूप में गेहूं और चावल किसानों द्वारा खरीदे जाते हैं तो गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा उनकी किस्म की जांच की जाती है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इनके स्टाक भेजने से पहले भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों के गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इसकी किस्म की जांच की जाती है। लेकिन दिल्ली के सम्बन्ध में, जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है, कि जब कभी भी खाद्यान्न के घटिया किस्म की सूचना मिलती है, उसे बदलने का प्रबंध किया जाता है।

माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि देश में पूरी जन वितरण प्रणाली में, जिसमें 15 से 18 मिलियन टन चावल और गेहूं सम्मिलित है और जिन्हें पूरे देश में हमें वितरित करना है, कुछ जगहों में घटिया किस्म के चावल और गेहूं की सप्लाई होने की संभावना से मैं इन्कार नहीं करता हूं लेकिन जब कभी भी शिकायतें हमारी जानकारी में आयी हैं हमने उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है जो कि इस प्रकार की सप्लाई के लिए जिम्मेवार पाए गए थे। माननीय सदस्य ने कल्याणी का एक उदाहरण दिया है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं इसकी जांच कर, और पता लगा कर, जानकारी माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

**डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : महोदय, उपभोक्ताओं के हितों के प्रति सरकार बहुत ही गंभीर है तथा एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां तक दिल्ली प्रशासन का सम्बन्ध है, इस वर्ष के छः महीनों में, कुल 3487 उचित दर की दुकानों में से सिर्फ 13 उचित दर दुकान दारों द्वारा घटिया किस्म के गेहूं की शिकायत की गयी है। इसका अर्थ है कि शिकायतें नगण्य हैं। खाद्यान्न के नमूने एकत्र करने तथा उनकी जांच कर यह देखने के लिए कि उनकी किस्में सभी स्तरों पर बरकरार रखी जा रही है, इसके लिए साधन सरकार के पास मौजूद हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि इन स्टाक होल्डरों के पास से इस मंत्रालय में कितनी बार नमूने लाये गए हैं तथा उनकी जांच की गयी है और इसके क्या परिणाम हुए हैं ?

**श्री सुख राम** : महोदय, उचित दर दुकानों को दिए गए प्रत्येक आबंटन में से नमूने एकत्र किए गए हैं और उचित दर दुकानदारों से इन नमूनों का प्रदर्शन उचित दर दुकानों में करने के लिए कहा गया है ताकि उपभोक्ता जो चावल गेहूं खरीद रहे हैं उन्हें वे उचित दर दुकानों में प्रदर्शित नमूनों से मिलाकर देख सकें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित खाद्यान्न की सप्लाई एक बार कर देने के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है तथा जैसा कि मैंने कहा है कि इनकी सप्लाई से पूर्व हमारे गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारियों तथा राज्य सरकार के गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाती है। अतः घटिया किस्म के खाद्यान्न पाए जाने पर दिल्ली प्रशासन अथवा राज्य सरकारों को किसी भी मात्रा में खाद्यान्नों को लौटा देने की स्वतन्त्रता है।

**श्री मोहन भाई पटेल** : महोदय, संयुक्त पूर्व निरीक्षण की सुविधा के बावजूद सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी खाद्यान्न की शिकायतें हुई हैं। संयुक्त पूर्व निरीक्षण किए जाने वाले स्थान से उचित दर दुकान में माल पहुंचने में कितना समय लगता है ? यह प्रथम प्रश्न है। दूसरा विगत तीन वर्षों में संयुक्त पूर्व निरीक्षण के स्तर पर कितनी मात्रा में चावल और गेहूं को रद्द किया गया ?

**श्री सुख राम** : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि प्रत्येक आबंटन के संयुक्त निरीक्षण में कितना समय लगता है।

**श्री मोहनभाई पटेल** : पूर्व निरीक्षण के स्तर पर रद्द कर दिए जाने वाली मात्रा के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

**श्री सुख राम** : महोदय, इसके लिए भी मुझे अलग से एक नोटिक की आवश्यकता है।

**श्री शरद दिघे** : उत्तर में यह कहा गया है कि एक निर्धारित स्तर के गेहूं की सप्लाई की जाती है। मैं जानना चाहूंगा कि इस स्तर का निर्धारण कौन करता है ? क्या यह सरकार या भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है क्योंकि बम्बई में हमें बताया गया है कि इस निर्धारित स्तर के चावल और गेहूं में 10 से 15 प्रतिशत तक धूल, और कंकर रहते हैं। जहां तक चावल का सम्बन्ध है इसमें 35 प्रतिशत टूटे चावल होते हैं। अतः मैं जानना चाहूंगा कि इन स्तरों का निर्धारण कौन करता है ?

**श्री सुख राम** : सरकार चावल और गेहूं की विशिष्टि किस्मों का निर्धारण करती है। ऐसा जान पड़ता है कि माननीय सदस्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा सप्लाई किए गए चावल की कुछ किस्मों का उल्लेख कर रहे हैं। जैसा कि इस सभा में मैं पहले ही कह चुका हूं कि गत वर्ष पंजाब और हरियाणा में बाढ़ के कारण धान की फसल की बहुत अधिक बरबादी हुई थी। अतः बाध्य होकर हमें चावल की किस्मों के स्तर में कुछ छूट देनी पड़ी थी और इस छूट के अन्तर्गत हमने जिस किस्म के चावल को प्राप्त किया उसे पूरे राज्य में सप्लाई किया गया था। लेकिन, मानव उपभोग के लिए यह चावल बिल्कुल सही है। यह पी० एफ० ए० सीमा के अन्तर्गत है। लेकिन यदि आप इस चावल की तुलना बहुत अच्छी किस्म के चावल के साथ करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह घटिया साबित होगा। कुछ हद तक यह कम साफ है। इसमें सिर्फ यही एक समस्या है। चावल में टूट की प्रतिशत में भी छूट दी गई है। मुझे याद

नहीं है लेकिन यह 20 से 25 प्रतिशत हो सकती है। सिर्फ यही एक समस्या है, अन्यथा हम अच्छे किस्म के चावल और गेहूं की सप्लाई कर रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि एफ० सी० आई० जो जनजातियों, अनुसूचित जातियों के लिए गेहूं देता है उसको वह नहीं खा सकते हैं, क्या मंत्री जी इसके बारे में इंक्वायरी करायेंगे ? इसके बारे में बहुत सारी कम्पलेंट्स हैं। आप इनके बारे में जानकारी मंगा कर के सस्ता गेहूं और चावल दीजिए।

**श्री सुख राम** : जैसाकि मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज करने से पहले हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं और उसको स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी भी देखते हैं। यदि कोई शिकायत आपके क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में हो तो बताएं और जैसाकि मैंने कहा कि मैं उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को लिखूंगा कि वहां किस तरह से असंशल क्वालिटी का गेहूं देना है।

**स्वदेशी पालीटैक्स लिमिटेड का प्रबन्ध**

[अनुवाद]

*123. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी पालीटैक्स लिमिटेड, गाजियाबाद के प्रबन्ध में राष्ट्रीय कपड़ा निगम भागीदार रहा है तथा सक्षम प्राधिकारी की समुचित स्वीकृति लिए बिना एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कम्पनी में कार्य कर रहा है;

(ख) क्या सरकार अथवा राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड कम्पनी की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कम्पनी को सहायता प्रदान करती रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) कम्पनी के प्रभावी प्रबन्ध के लिए आगे क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) स्वदेशी पौलीटैक्स लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी नहीं है। स्वदेशी पौलीटैक्स लिमिटेड के निदेशक-मण्डल ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम (नियंत्रक कम्पनी), नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्षक-सह-प्रबन्ध निदेशक को तब तक के लिए स्वदेशी पौलीटैक्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है जब तक कि किसी नियमित प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति न हो। भारत सरकार ने यह व्यवस्था कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 269 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुमोदित की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कम्पनी के निदेशक मण्डल ने दिनांक 31 मार्च, 1989 की अपने संकल्प जिसे दिनांक 15 मई, 1989 के संकल्प द्वारा यथासंशोधित किया गया, द्वारा कम्पनी के लिए प्रबन्ध निदेशक के चयन हेतु एक समिति का गठन किया है।

**श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : महोदय, मैं माननीय मंत्री से उस तिथि को जानना चाहूंगा जब से राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध निदेशक स्वदेशी पालीटैक्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। 'कम्पनी ला बोर्ड' की स्वीकृति कब प्राप्त की गयी थी ? यदि इन दोनों के बीच कोई अन्तर है तो इसका क्या कारण है ?

**कुमारी सरोज खापर्डे** : महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति स्वदेशी पालीटैक्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के रूप में 29 मार्च, 1988 से एक वर्ष के लिए की गयी थी। कम्पनी कार्य विभाग ने बिना कोई पारिश्रमिक दिए 29 मार्च, 1988 से 8-9 महीनों की अवधि के लिए प्रबन्ध निदेशक के रूप में श्री अजीत सिंह की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार इसका अर्थ यह होगा कि स्वदेशी पालीटैक्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के रूप में श्री अजित सिंह के बढ़ाये गये कार्यकाल की अवधि 28 दिसम्बर, 1989 तक होगी।

**श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : मैं समझता हूं कि एक विशेष प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध एक सी० बी० आई० इन्क्वारी नम्बर पी० ई० 158-88 लम्बित पड़ी है। इसके अतिरिक्त, अन्य कई शिकायतें भी उनके विरुद्ध की गयी है। इसके बावजूद उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध निदेशक के रूप में बनाये रखा गया है बल्कि स्वदेशी पालीटैक्स लिमिटेड का प्रभार भी उन्हें दे दिया गया है जोकि अभी भी लाभ देने वाली एक संस्था है। लेकिन, यदि उन्हें प्रबन्ध निदेशक बने रहने दिया गया तो शीघ्र ही यह भी एक रुग्ण इकाई बन जायेगी।

मैं यह जानना चाहूंगा कि कब सी० बी० आई० की जांच पूरी होगी और स्वदेशी पालीटैक्स लिमिटेड के लिए एक अलग प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की जायेगी।

**कुमारी सरोज खापर्डे** : मैं माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर देना चाहूंगी। अभी-अभी उन्होंने सी० बी० आई० जांच का उल्लेख किया है। मैं इस सभा में यह कहना चाहूंगी कि कम से कम मेरी जानकारी में यह बात नहीं है कि इस प्रकार की कोई छानबीन की जा रही है।

दूसरे, माननीय सदस्य ने मुझसे स्वदेशी पालीटैक्स लिमिटेड के कार्य-निष्पादन के सम्बन्ध में पूछा है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत किए जाने से इसके कार्य-निष्पादन में कमी आती जा रही है। जैसाकि मैंने अभी-अभी कहा गया है कि यह आशंका कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध के अन्तर्गत स्वदेशी पालीटैक्स लिमिटेड के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगी कि इसके विपरीत अनेक रुकावटों के बावजूद इसके कार्य-निष्पादन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है।

अप्रैल से जून 1988 की तिमाही में कुल 30.38 लाख रुपए का लाभ हुआ है। इस वर्ष हम 4.5 से 5 करोड़ रुपए के कुल लाभ की आशा कर रहे हैं।

**श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : प्रश्न का अन्तिम भाग है :

विशेष रूप से उस मिल के लिए वहां पर प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति कब तक की जा रही है ?

**श्री पी० कुलनदईवेलू** : श्री अजीत सिंह को स्वदेशी पौलीटैक्स लिमिटेड का कार्यभार दिया गया है। क्या सरकार को श्री अजीत सिंह द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात्, श्रमिकों में फैले असंतोष के कारण, श्री अजीत सिंह को उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटाने के लिए अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ? उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के पश्चात् क्या स्वदेशी पौलीटैक्स लिमिटेड घाटे में चल रही है ? क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलायी जाने वाली अधिकतर मिलें घाटे में चल रही हैं ? अगर निजी प्रबन्ध इसका कार्यभार संभाल लेता है तो क्या उसे इसमें फायदा होगा। परन्तु निश्चित रूप से, देश के विभिन्न स्थानों पर चलने वाली राष्ट्रीय कपड़ा निगम की अधिकतर मिलें घाटे में चल रही हैं।

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन मिलों का कार्यभार निजी प्रबन्ध को, बेहतर प्रशासन और मुनाफा अर्जन के लिए, देने पर विचार कर रही है ?

**कुमारी सरोज खापर्डे** : महोदय, सरकार ने पहले ही एक बोर्ड का गठन किया है तथा वह माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच-पड़ताल कर रहा है। अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में, जिसका मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है, इन 18 महीनों के अन्दर ही काफी सुधार हुआ है। ये प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा अक्सर उठाए जाते हैं क्योंकि वहां दो दल हैं और वे दोनों दल ही हमेशा कुछेक मुद्दे उठाते हैं।

**श्री पी० कुलनदईवेलू** : महोदया, यह 30 लाख रुपए का लाभ कुछ भी नहीं है जबकि प्रत्येक मिल करोड़ों रुपये बना रही है क्योंकि धागे का मूल्य बढ़ गया है। प्रत्येक कताई मिल पैसा बना रही है और स्वदेशी पौलीटैक्स लिमिटेड के लिए 30 लाख रुपए का यह लाभ कुछ भी नहीं है।

**वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : स्वदेशी पौलीटैक्स लिमिटेड धागा नहीं बना रही है। अतः धागे का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं पुनः अपने सहयोगी द्वारा कही गई बात को दोहराना चाहूंगा। निदेशक मण्डल द्वारा 28 जून, 1989 को मंजूर किए गए स्वदेशी पौलीटैक्स लिमिटेड के 18 महीनों के लेखाओं के लेखा-परीक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कम्पनी ने 7.04 करोड़ रुपये (9.33 करोड़ रुपए का कुल लाभ) का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। अतः कार्य-निष्पादन में, उत्पादन में, बिक्री और लाभ में बढ़ोत्तरी एवं सुधार हुआ है। माननीय सदस्य इससे अधिक और क्या चाहते हैं ? राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत आ जाने से इसमें काफी-कुछ सुधार हुआ है।

**डा० कृपासिंधु भोई** : तलचेर उर्वरक संयन्त्र के महाप्रबन्धक श्री अजीत सिंह ने समय से पहले ही संयन्त्र पूरा कर लिया था। दूसरे दल ने उनके खिलाफ शिकायत केन्द्रीय जांच ब्यूरो में दर्ज करवाई है। इसी प्रकार श्री अजीत सिंह, जो एफ० सी० आई० तथा अन्य कई निगमों के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया है। क्या इन्हीं कारणोंवश यह मंत्रालय उनकी सेवाओं का उपयोग कोरेमाइन और क्लोरोक्वीन जैसी जीवन-रक्षक-औषधियों को रुग्ण संयन्त्रों को देकर, इन्हें पुनः चलाने योग्य बनाना चाहता है ?

**श्री राम निवास मिर्धा** : मुझे माननीय सदस्य का प्रश्न समझ में नहीं आया है। परन्तु मैं यह

कह सकता हूं कि अपनी सभी कठिनाईयों के बावजूद भी राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्य-निष्पादन में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

**भारतीय वन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन**

+

*124. **डा० गौरी शंकर राजहंस :**
**श्री एस० डी० सिवनाल :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री भारतीय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन के बारे में 29 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु समिति इस बीच गठित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति कब तक गठित कर दी जायेगी ?

[हिन्दी]

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) जी, हां।

(ख) समिति के गठन और विचारणीय विषयों के ब्यौरे सभा पटल पर रखे गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

इस समिति का गठन भारत सरकार की दिनांक 6-4-1989 की अधिसूचना संख्या एफ० 6-5-89-एफ० पी० के तहत किया गया था। समिति के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(क) **समिति का गठन** :

| | |
|---|---|
| 1. श्री दलीप मथाई | अध्यक्ष |
| 2. श्री अरविन्द नेताम | सदस्य |
| 3. श्री साइमन टिग्गा | सदस्य |
| 4. श्री पी० के० थुंगन | सदस्य |
| 5. श्री माणिक राव होडल्या गावित | सदस्य |
| 6. श्री स्वेत हेम्बराम | सदस्य |
| 7. श्री बी० डी० शर्मा | सदस्य |

| | |
|---|---|
| 8. श्री बृजेन्द्र सिंह | सदस्य |
| 9. श्री नरेश बेदी | सदस्य |
| 10. श्रीमती राधा भट्ट | सदस्य |
| 11. श्री लाला बिया | सदस्य |
| 12. वन महानिरीक्षक, पर्यावरण और वन मंत्रालय | सदस्य-सचिव |

**(ख) समिति के विचारणीय विषय :**

(1) राष्ट्रीय संदर्भ में वनों की पारिस्थितिकीय भूमिका की जांच तथा व्याख्या करना और यह बताना कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।

(2) देश में वन सुरक्षा और संरक्षण के लिए संरचनात्मक ढांचा तैयार करना।

(3) संरक्षण की आवश्यकता और साथ ही लोगों की विशेषकर वनों में तथा वनों के आसपास रहने वाले लोगों की विकासीय आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के कार्यान्वयन के पहलुओं की जांच करना।

(4) कार्यान्वयन नीति तथा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक लोक सहायता प्रणाली सहित संस्थागत प्रबन्धों का प्रस्ताव रखना।

**डा० गौरी शंकर राजहंस** : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट कब तक मिलेगी ?

**श्रीमती सुमति उरांव** : मुझे आशा है कि इसकी रिपोर्ट आपको 6 अगस्त तक मिल जाएगी।

**डा० गौरी शंकर राजहंस** : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह कमेटी सामाजिक वानिकी के बारे में भी विचार करेगी ?

**श्रीमती सुमति उरांव** : यह कमेटी इसी के लिए गठित हुई है। यह सामाजिक वानिकी को बढ़ाने के लिए काम करेगी। किस तरह से अच्छी तरह से वनों की सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं इसके लिए हमारी सरकार ने काफी कोशिश की है और हमने काफी काम किया है।

**श्री डी० पी० यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वृक्षारोपण अभियान के तहत गांवों में प्रायः सामाजिक वानिकी को लेकर ऐसा अनुभव किया जा रहा है जहां पर सामाजिक वानिकी की नर्सरी है, उसी नर्सरी से आम किसान और नागरिक फलदार पौधों की भी मांग करता है, अर्थात् वे पौधे जो सामाजिक वानिकी में प्रयोग करते हैं जैसे कायल टिम्बर इत्यादि, उसी नर्सरी में लोग फलदार पौधों की भी मांग करते हैं। क्या आप ऐसी नीति बनायेंगे जिससे कृषि मन्त्रालय और राज्य सरकार के हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आपके फारेस्टरी डिपार्टमेंट का सहयोग लेकर एक योजना बने जिससे फलदार पौधे और सामाजिक वानिकी के पौधे एक साथ उपलब्ध हो सकें ?

**पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इस सवाल से

ती नहीं उठती है, लेकिन लैंड वेस्ट डवलपमेंट के सिलसिले में जिसके तहत सामाजिक वानिकी वगैरह आती हैं उसके ऊपर नये सिरे से विचार हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वेस्ट लैंड का डवलपमेंट है उसमें हम स्थानीय आबादी, जो आसपास के लोग हैं, उनको भी शामिल करें और उनकी जरूरतों को पेशेनजर रखते हुए कि कितनी उसको फ्यूअल वुड के लिए लकड़ी चाहिए, कितनी फारेस्ट के लिए विकसित करनी है और कितनी टिम्बर की आवश्यकता है, कितने फलदार दरख्त लगायें किससे उनकी पूर्ति हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए उस पर विचार हो रहा है। फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और जो फारेस्ट पालिसी है उसकी घोषणा होने के बाद शुरू हो गया। इसीलिए प्रधान मन्त्री जी ने मुनासिब समझा कि ऐसी कमेटी बना दी जाए जिससे फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और उसकी फारेस्ट की पालिसी के इम्प्लीमेंटेशन पर विचार हो और कंजर्वेशन और इकोलौजिकल बैलेंस की दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे।

**श्री मानकू राम सोडी** : यह वन अधिनियम के अन्तर्गत जो पिछड़ा हुआ आदिवासी एरिया है उसमें ज्यादा इफेक्ट हुआ है। इसमें सिंचाई का तालाब नहीं बना पायें, रोड बनाने के लिए कहीं कार्यक्रम बना तो मिट्टी व पत्थर नहीं निकालने देते हैं। 10-15 सालों से आदिवासी लोग वन भूमि में बैठे हैं, उनको पट्टे नहीं मिले हैं। उन क्षेत्रों में जहां पर विकास के लिए कुछ स्कूल बनाने हैं, कालेज बनाने हैं या खेल के मैदान हैं, तमाम एरिया वन के अन्तर्गत आने से खेल के मैदान नहीं बनाने दे रहे हैं···इन तमाम चीजों को देखते हुए, जो कमेटी गठित की गयी है, क्या वह उन प्रौब्लम्स को हल करने का निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालेगी जिससे कि पिछड़े हुए क्षेत्रों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, उनमें विकास की गति तेज हो सके।

**श्री जियाउर्रहमान अंसारी** : अध्यक्ष जी, मुख्तसर तौर पर इस कमेटी के गठित किए जाने का यही परपज है क्योंकि फौरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के तहत कुछ सैक्शन्स में यह महसूस किया गया कि डैवलपमैंटल प्रौजैक्ट्स के इम्पलीमेंटेशन में कुछ बाधाएं आ रही हैं। यह बात भी खसूसियत के साथ महसूस की गयी कि वे बाधाएं उन लोगों के सामने आ रही हैं जिनका फौरेस्ट एरियाज से बहुत करीब का ताल्लुक है, जो ट्राइबल्स हैं, या हमारी अनेक बैकवर्ड कम्यूनिटीज हैं, जो फौरेस्ट एरियाज के बिल्कुल नजदीक रहती हैं, आसपास रहती हैं। इसी नुक्ते-नजर से इस कमेटी का गठन किया गया था कि वह पूरी चीजें देखते हुए यह निश्चित करे कि फौरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के इम्पलीमेंटेशन में जो बाधाएं आ रही हैं, उन्हें दूर किया जा सके और साथ-साथ इकौलौजिकल बैलेंस का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि इकौलौजिकल बैलेंस कायम रखना और फौरेस्ट कन्जर्वेशन दोनों ही राष्ट्र हित में है, किसी को भी हम नैगलैक्ट नहीं कर सकते।

**श्री मोहम्मद अयूब खां** (ऊधमपुर) : जनाबेवाला, मैं पूछना चाहता हूं कि ऑनरेबल फौरेस्ट मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी गठित की है, उसमें कौन-कौन लोग हैं, वह कमेटी अब तक किस-किस एरिया में विजिट कर चुकी है और क्या-क्या काम मोटे तौर पर उसने अब तक किया है। जरा तफसील में बताने की कृपा करें।

**श्रीमती सुमति उरांव** : समिति का गठन इस प्रकार है : श्री दलीप मथाई इसके अध्यक्ष हैं, श्री अरविन्द नेताम, एम० पी०, श्री साइमन टिग्गा, एम० पी०, श्री पी० के० थुंगन, एम० पी०, श्री माणिक राव हौडल्या गावित, एम० पी०, श्री स्वेत हेम्बराम, श्री बी० डी० शर्मा, श्री बृजेन्द्र सिंह, श्री नरेश बेदी, श्रीमती राधा भट्ट और श्री लाला चिया, इसके सदस्य हैं तथा वन महानिरीक्षक, पर्यावरण

और वन मन्त्रालय, इसके सदस्य सचिव हैं। इस समिति का काम राष्ट्रीय संदर्भ में वनों की पारिस्थितिकीय भूमिका की जांच करके व्याख्या करना है और यह बताना है कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। यह कमेटी अब तक कहां-कहां गयी है, उसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में वैसा कुछ पूछा नहीं गया। दूसरे, इन्होंने जो पूछा है, इस कमेटी को हमने दो-चार महीने तक देखा और इसकी अवधि दो महीने और बढ़ा दी गयी है।

**श्री मोहम्मद अयूब खां** : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि यह कमेटी अब तक कहां-कहां विजिट कर चुकी है और इसने अब तक क्या-क्या काम किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कृष्ण सिंह।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी।

## उड़ीसा में सहकारी कताई मिलों को लाइसेंस

[अनुवाद]

*126. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी कताई मिलों को नए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा में सहकारी कताई मिलों को ऐसे लाइसेंस प्रदान करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) विद्यमान लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत कताई एककों को कुछ स्थानिक प्रतिबन्धों के अध्यधीन लाइसेंस प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। इसमें सहकारी क्षेत्र के वे एकक भी शामिल हैं जिनकी स्थायी परिसम्पत्तियों में 15 करोड़ रु० से कम निवेश पूंजी लगी है।

(ख) दिनांक 31-5-1989 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में सहकारी कताई मिल स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

**श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने अभी स्पष्ट किया है कि 31 मई, 1989 को कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या उस तारीख के पश्चात् भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। मैं जानना चाहूंगा कि 31-5-89 तक उड़ीसा सरकार से आपको कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और कितनों को अस्वीकृत किया गया है।

**कुमारी सरोज खापर्डे** : महोदय, मैं नहीं समझती कि मेरे मन्त्रालय द्वारा किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया है। वस्त्र मन्त्रालय को उड़ीसा सरकार द्वारा जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए उन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। आज प्रातः ही मेरे मन्त्रालय के एक जिम्मेवार अधिकारी ने मुझे बताया कि मन्त्रालय द्वारा जिस प्रस्ताव को स्वीकृति दी जानी थी, उसे अभी कल शाम को ही स्वीकृत किया गया है।

**श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : उड़ीसा में इन सहकारी कताई मिलों को छोड़कर, कितनी इकाइयों को आपने लाइसेंस जारी किए हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि आपको उड़ीसा सरकार से कताई इकाइयों और सहकारी कताई मिलों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? क्या आपने उन्हें कोई लाइसेंस प्रदान किया है ?

**वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न उड़ीसा में सहकारी मिलों के सम्बन्ध में है।

**श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : उत्तर के भाग (क) में आपने इन कताई इकाइयों के बारे में भी उल्लेख किया है।

**श्री राम निवास मिर्धा** : महोदय, इस समय, वहां 6 सहकारी इकाइयां हैं, जो सहकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। अन्य चार और हैं जो निर्माणाधीन हैं। उन इकाइयों में आशय-पत्र की अवधि बढ़ाने से सम्बन्धित समस्या थी, जिसे सुलझा लिया गया है। वह मिल भी निर्माणाधीन है।

**श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : वह कौन-सी मिल है ?

**श्री राम निवास मिर्धा** : वह इकाई बालासोर में है। अतः निर्माण-कार्य चल रहा है। आई० डी० बी० आई० ने उस इकाई को कर्जा दिया है। जो भी राज-सहायता उन्हें दी जानी है, वह उन्हें दे दी गई है।

जहां तक इसके कार्य करने का सम्बन्ध है, यह अगले अक्टूबर से कार्य करना आरम्भ कर देगी। अतः गोपीनाथ सहकारी बुनाई मिल की कोई समस्या नहीं है। मैं माननीय सदस्य को इसका विश्वास दिलाता हूं।

**श्री हथभाई नेहता** : गुजरात और अन्य स्थानों में अनेक 'कम्पोजिट' मिलें बन्द पड़ी हैं। कुछ बन्द मिलों में कुछ मजदूरों ने इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए अपनी समितियां बना ली हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की नीति है कि वह बन्द पड़ी मिलों के मजदूरों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दे रही है, जिससे वे स्वयं इन कपड़ा मिलों को चालू कर सकें।

**श्री राम निवास मिर्धा** : हमने सहकारी मिलों के मजदूरों के बारे में काफी सुना है कि वे बन्द पड़ी मिलों को या तो चालू कर देते हैं अथवा उनका कार्यभार अपने हाथ में ले लेते हैं। मैंने सम्बद्ध राज्य की सरकारों, मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों से चर्चा की है और कहा है कि वे इस सम्बन्ध में भारत सरकार से क्या चाहते हैं, इस बारे में वे कुछ ठोस प्रस्ताव भेज सकते हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इस सम्बन्ध में कि मिलों को सहकारी समितियों को कैसे दिया जा सकता है तथा यह

सहकारी समितियां किस प्रकार की होंगी इस बारे में हमें राज्य-सरकारों से कोई विशेष प्रस्ताव नहीं मिले हैं।

परन्तु मैं यह बहुत साफ-साफ कह सकता हूं कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर जो राज्य-सरकारों से प्राप्त होता है, जहां तक एक नई इकाई शुरू करने अथवा वर्तमान मिल का कार्यभार सम्भालने में सहकारी मिलों का सम्बन्ध है, ऐसे प्रस्ताव पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे जिले भीलवाड़ा से आसीन और शाहपुरा की कोआपरेटिव स्पीनिंग मिलों के बारे में राजस्थान सरकार से काफी अरसे पहले सुझाव आए हैं और वे आपके यहां काफी अरसे से पेंडिंग हैं, तो क्या मन्त्री महोदय ने उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है कि उन मिलों को कब से शुरू करने की व्यवस्था मन्त्री महोदय कर रहे हैं?

**श्री राम निवास मिर्धा** : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान और महाराष्ट्र तथा कई और राज्यों से इस तरह के सुझाव आए हुए हैं कि सहकारी क्षेत्र में मिलें लगाई जाएं। हमारे मन्त्रालय ने भी कई ऐसे सुझावों का समर्थन किया है, लेकिन एन० सी० डी० सी० जोकि सहकारी क्षेत्र में इन मिलों को मदद करता है और जो अन्य फायनेंशयल इंस्टीट्यूशन्स हैं, जो आखिर में उनको मदद करेंगे, वे इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो भी ऐसे सुझाव आए हैं उनमें राज्य सरकारों को यह समझना चाहिए कि वे किस तरह से वाएबल हैं, किस तरह से वे चल सकते हैं क्योंकि संस्थान यह कहते हैं कि ये जो सुझाव आए हैं, वे वाएबल नहीं होंगे। इसलिए हम उनके साथ सम्पर्क में हैं कि आप इनका मूल्यांकन कीजिए और अगर राज्य सरकारें अपने सुझाव इस प्रकार से भेजती हैं कि कितनी और कितने प्रकार की रूई वहां बनती है, वह सरकारी क्षेत्र में चल सकेंगी और कामयाब हो सकेंगी या नहीं। हमारा मन्त्रालय चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मिलें कोआपरेटिव सेक्टर में आएं। लेकिन उनको वित्तीय सहायता देने के लिए एन० सी० डी० सी० और आई० डी० वी० आई० जैसी संस्थाओं को देखना पड़ेगा।

[अनुवाद]

**श्री जगन्नाथ पटनायक** : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या कालाहांडी जिले में और दूसरे, क्योंझर जिले में, कताई मिलों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। यदि हां, तो इन मिलों के लिए क्या वित्तीय व्यवस्थाएं की गयी हैं?

[हिन्दी]

**श्री राम निवास मिर्धा** : मैं आपको नाम बता दूं जिसमें यह चार मिलें चल रही हैं—कालाहांडी जिले में और क्योंझर में।

दो मिलें वास्तव में निर्माणाधीन हैं।

**श्री जगन्नाथ पटनायक** : जी नहीं महोदय; मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से हूं। वे अभी तक शुरू नहीं की गयी हैं।

[हिन्दी]

भूमि पूजन हो गया है, वह एक डिफरेंट चीज है।

[अनुवाद]

मैं वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी चाहता हूं।

**श्री राम निवास मिर्धा** : वित्तीय व्यवस्थाओं से मेरे मन्त्रालय का सरोकार नहीं है।

**श्री जगन्नाथ पटनायक** : यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बद्ध है। मैं वहां से चुनकर आया हूं। मैं जानता हूं। इसी वजह से मैं यह जानना चाहता हूं।

**श्री राम निवास मिर्धा** : वहां माननीय सदस्य द्वारा जिक्र की गई उन दो मिलों के सहित 4 मिलें हैं। वे कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं और वित्तीय व्यवस्था करना तथा उनका खर्च देना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। जहां तक हमारा सवाल है हमने उनकी स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी करने की सिफारिश की है।

**परिवार नियोजन के लिए नसबंदी/नलबंदी तरीके अपनाने के लिए नई योजनाएं**

[हिन्दी]

*127. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों के लिए कोई पेंशन योजना लागू करने का है जिन्होंने नसबंदी अथवा नलबंदी आपरेशन कराए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को आजीवन अविवाहित रहने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसी ही कोई योजना है अथवा इस आशय की कोई मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के लिए किसी नई योजना के बारे में विचार कर रही है, जिन्होंने एक लड़की के जन्म के बाद नसबंदी/नलबंदी आपरेशन करा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। कोई भी ऐसी मांग विशेष रूप से सरकार के विचारार्थ तैयार नहीं की गई है अथवा प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सरकार समय-समय पर ऐसी योजनाओं पर विचार करती रही है, लेकिन ऐसी किसी भी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

**श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मन्त्री जी ने प्रश्न "क" और "ख" का उत्तर नहीं दिया और उसके जवाब में "जी नहीं" कह दिया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए वह किन नई योजनाओं पर विचार कर रहे हैं? क्या कुटुम्ब नियोजन को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी माना गया है कि 60 वर्ष की आयु से ऊपर के नागरिकों को पेंशन दी जानी चाहिए जिससे दो लड़की वाले माता-पिता लड़के की आशा में बस्ती बढ़ाना जारी न रखें। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि आपने "ग" और "घ" के उत्तर में कहा है कि "सरकार समय-समय पर ऐसी योजनाओं पर विचार करती रहती है लेकिन ऐसी किसी भी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।" इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ऐसी योजनाओं को दिसम्बर, 1989 तक अन्तिम रूप देना चाहती है ताकि परिवार नियोजन के प्रति अपने आप लोगों में जागृति पैदा हो।

**श्री रफीक आलम** : महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामला वाकई बड़ा गम्भीर है। 1947 में मुल्क की आबादी 34 करोड़ थी जो अब बढ़कर 80 करोड़ हो गई है। कहने का मतलब यह है कि 42 सालों में 46 करोड़ आबादी बढ़ गई। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम कोई ऐसी स्कीमें लायें जिससे यह आबादी रुक सके। अब तक इस पर मोर दैन फाइव थाऊजेंड करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना इससे फायदा होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। हम कई नई स्कीमें शुरू करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय कठिनाइयों की वजह से उनको लागू नहीं कर पा रहे हैं।

**श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने बताया कि इतना खर्चा किया लेकिन फायदा ज्यादा नहीं हुआ। आप कोई ऐसा ठोस कदम क्यों नहीं उठाते जिससे लोगों में इसके प्रति ज्यादा विश्वास पैदा हो। हम यह चाहते हैं कि इन स्कीमों का फायदा लोग पूरी तरह से उठाएं। क्या सरकार की तरफ से इन स्कीमों को सख्ती से लागू करने की कोशिश की गई है? मैं मन्त्री जी से यह भी जानना चाहूंगी कि इस दिशा में क्या-क्या किया गया है?

**श्री रफीक आलम** : सर, दहेज का सवाल इस क्वश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन यह बात जरूर है कि इससे फायदा हुआ है और इससे फर्टिलिटी कम हुई है। डैथ रेट भी कम हुई है और बर्थ रेट भी पहले से कम हुई है तो इसका मतलब फायदा तो हुआ है लेकिन लाईफ एयसपैक्टेंसी बहुत बढ़ गई है। डैथ रेट 27 पर थाउजेंड हो गई है और मौजूदा लाइफ स्पैन 58 साल होने वाला है। लाइफ स्पैन बढ़ने की वजह से और डेथ रेट कम होने की वजह से आबादी बढ़ती जा रही है इसलिए जब तक एजुकेटिव वैल्यूज नहीं होंगी, चाहे रेडियो के जरिए हों, चाहे टेलीविजन के जरिए हों हम सब लोग इसको मिल जुल कर नहीं करेंगे तब तक यह होना बड़ा मुश्किल है। इसमें हमने कहा है कि दो चाइल्ड एक फैमिली रखे। आप जानते हैं कि इंग्लैण्ड, अमेरिका और फ्रांस, आल प्रोग्रेसिव कण्ट्रीज ने कण्ट्रोल किया और जब तक हम भी एजुकेशन के जरिए कण्ट्रोल नहीं करेंगे तो केवल गवर्नमेंट के स्तर पर ही नहीं होगा।

[अनुवाद]

**श्री के० एस० राव** : महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले चार वर्षों में विपक्ष के किए

प्रयासों के कारण, जिन्होंने कभी भी आम आदमी और देश के विकास पर ध्यान नहीं दिया, जनसंख्या के मुद्दे पर कभी भी ठोस रूप से चर्चा नहीं की गई। वस्तुतः यह तो जनसंख्या वृद्धि ही है जिसकी वजह से लोग इस देश में विकास को महसूस नहीं कर रहे हैं जबकि यह काफी हो रहा है···(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री को सुझाव दिया था कि उन लोगों को, जो एक ही बच्चे तक अपने परिवार को सीमित रखते हैं, कुछ प्रोत्साहन जैसे एक लाख रुपये की धनराशि दें या ऐसा आश्वासन देने की बात करें तथा यह राशि उन्हें तब दी जाए जब बच्चा बड़ा हो जाए या उसके विवाह के समय दी जाये अर्थात उनके जन्म के 25 वर्ष के पश्चात् दी जाये जिससे जनसंख्या वृद्धि आज नहीं तो कम से कम एक या दो दशकों में शून्य पर लाई जा सके। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या उनको कुछ प्रोत्साहन देगी जो अपने परिवार को एक ही बच्चे तक अथवा ज्यादा से ज्यादा दो तक ही सीमित रखते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या उनके लिए कोई प्रोत्साहन है जो इससे अधिक पैदा करते हैं ?

[हिन्दी]

**श्री रफीक आलम** : सर, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि "आंख जो कुछ देखती है, लब पर आ सकता नहीं," मुझे हैरत हूं कि यह बढ़ती हुई आबादी कहां तक पहुंच जाएगी।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या बात है, आपने कमाल कर दिया।

## फास्फोजिप्सम का भवन निर्माण सामग्री के रूप में परिवर्तित किया जाना

[अनुवाद]

*132. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उर्वरक उद्योग में एसिड का अपशिष्ट उत्पाद, "फास्फोजिप्सम" जिसका प्रत्येक वर्ष लगभग 20 लाख टन का उत्पादन होता है, भवन निर्माण सामग्री के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तथा इसका प्रयोग विशेष रूप से भवन निर्माण उद्योग के लिए प्लास्टर तथा बने-बनाए घटकों के उत्पादन में किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का फास्फोजिप्सम को भवन निर्माण सामग्री के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) क्या इसकी उपयोगिता वाणिज्यिक लाभप्रदता तथा उपयुक्तता का पता करने के लिए कोई तकनीकि आर्थिक अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई)** : (क) से (ग) फास्फोजिप्सम को, जो अपनी प्रक्रिया तथा शुद्ध स्वरूप में एक उपोत्पाद है, प्लास्टर उत्पादन में अथवा योगजों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। केन्द्रीय भवन अनुसंधान ने फास्फोजिप्सम के शुद्धिकरण और प्रवर्धन का विकास किया है।

फास्फोजिप्सम से भवन निर्माण सामग्रियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए आर्थिक लाभप्रदता का मूल्यांकन करना आवश्यक होगा।।

**श्री वाई० एस० महाजन** : महोदय, पश्चिम जर्मनी के सालजीटर में निगम के चेयरमैन ने घोषणा की कि उन्होंने विभिन्न भवन निर्माण सामग्रियों जैसे छत की टाइलें, कृत्रिम संगमरमर और विशेष प्लास्टिकों के निर्माण के लिए जिप्सम या फास्फोजिप्सम को प्रयोग करने की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को सिद्ध किया है। हमारी आवश्यकता और भवन निर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के मध्य बढ़ते हुए अन्तर को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री पश्चिम जर्मनी में इस निगम द्वारा उपयोग किए गए तरीकों की जांच करेंगे।

**श्रीमती मोहसिना किदवई** : यह फास्फोजिप्सम उर्वरक उद्योग में फास्फोरिक एसिड के निर्माण का एक उपोत्पाद है। यह सच है कि इसका उपयोग भवन निर्माण में किया जा सकता है। परन्तु इसका कुछ अशुद्धियों के कारण एकदम उपयोग नहीं किया जा सकता है।

इन अशुद्धियों को दूर किए बगैर इसे भवन निर्माण में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की और त्रिवेन्द्रम में एक अन्य संस्थान ने कुछ अनुसंधान किया है। यह बिल्कुल सच है कि इसे भवन निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इस वक्त इस पहलू पर बहुत थोड़ा अनुसंधान किया गया है। केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, बम्बई को फोस्फोरिक बन्ध के उत्पादन के लिए एक व्यवहार्यता सम्बन्धी रिपोर्ट भेजी है क्योंकि यह सामग्री पर्यावरणीय समस्यायें पैदा करती है क्योंकि यह भूमिगत जल को प्रदूषित करती है। यह उन उर्वरक संयंत्रों के लिए बहुत बड़ी समस्या है जो इसे अपने ही इर्दगिर्द डाल देते हैं। इसलिए हमने इस पर कुछ अनुसंधान करने के लिए उर्वरक-संयंत्रों और संस्थानों को लिया है। हमें आशा है कि निकट भविष्य में कुछ अनुसंधान किया जाएगा। इस वक्त इस फास्फोजिप्सम का प्रयोग सीमेंट उद्योग, क्षारीय भूमि उद्धार, अमोनिया सल्फेट और अन्य कई चीजों में मन्दक के रूप में किया जा रहा है। जिप्सम प्लास्टर के उत्पादन की अनुज्ञा कुछ लघु उद्योगों को ही दी गई है।

**श्री वाई० एस० महाजन** : ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में हमारा अनुसंधान पर्याप्त नहीं है। निगम का दावा है कि उनके पास एक परियोजना है जिससे इस जिप्सम को भवन निर्माण के लिए इसके प्राकृतिक रूप में प्रयोग में लाने से आर्थिक फायदे हैं जैसे कि यह इस्पात के प्रयोग और पूर्वनिर्मित घटकों के खर्च को कम करने में और कम विशिष्ट ऊर्जा खपत वाली भवन सामग्री के निर्माण में लाभप्रद है। क्या माननीय मंत्री निगम द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए कार्यों की जानकारी तथा अनुसंधान कार्य के परिणामों की जानकारी मांगेंगी ?

**श्रीमती मोहसिना किदवई** : यह सच है कि इस क्षेत्र में किए अनुसंधान में कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ है क्योंकि हम इस जानकारी को सीधे भवन निर्माण में उपयोग नहीं कर सकते हैं। विभिन्न तकनीकी और वाणिज्यिक अड़चनों को देखते हुए अब तक फोस्फोजिप्सम का भवन निर्माण की सामग्री के बड़े पैमाने पर उत्पादन के वास्ते वाणिज्यिक उपयोग में कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। परन्तु एक फर्म ने इस संयंत्र को लगाने हेतु मशीनों को आयात करने के लिए आवेदन दिया है। हमने इस मशीन के लिए उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए कहा है। इसलिए हम भी इसका इन्तजार कर रहे हैं। एक जर्मन फर्म ने किसी भारतीय फर्म के साथ सहयोग से इसके लिए आवेदन किया है। हम इस उपकरण को उत्पाद शुल्क से छूट देने की मांग कर रहे है।

**श्री कल्प प्रकाश नारायण सिंह** : महोदय, भारत में भवन सामग्रियों की कमी इस देश में आवास के मामले में बहुत बड़ी अड़चन है। माननीय मंत्री के विभिन्न विभागों और विभिन्न ऐजेन्सियों

द्वारा वैकल्पिक सामग्रियों पर भी गौर किया गया लेकिन दुर्भाग्य से अब यह नयी प्रौद्योगिकी, जिसके बारे में माननीय मंत्री स्वयं इस बात से सहमत हैं कि यह व्यवहार्य और फायदेमंद है, को नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां हैं। यह बात विश्वभर में विदित है कि एस्बेस्टास, पर्यावरण के लिए खतरनाक है और यह फेफड़े के कैंसर के लिए बहुत हानिकारक है तथा यह वह बीमारी है जो एस्बेस्टास के द्वारा लग जाती है। फोस्फेट जिप्सम वह सामग्री है जो शहरीकरण और भारत की आवासीय समस्या को हल करने में सहायक होगा। इसलिए क्यों न इसके उपयोग की अनुमति दी जाये? यदि इसमें अशुद्धियां हैं तो इसे रद्द कर दीजिए। लेकिन मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि इसका उपयोग हो रहा है तथा हम इसके परिणामों के बारे में निश्चित नहीं है। जैसेकि माननीय सदस्य ने कहा है इसका परिणाम पश्चिमी जर्मनी में मिला है। इसलिए सरकार इस सामग्री को उपयोग की अनुमति क्यों नहीं देती है?

[हिन्दी]

**श्रीमती मोहसिना किदवई** : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, हम सब यह चाहते हैं कि इस किस्म की रिसर्च हो, नई-नई टैक्नोलाजी और नए-नए रा-मैटिरियल्स हाउसिंग के लिए आयें। इसमें कोई शक नहीं है कि हरसाल, फासफेट जिप्सम तकरीबन 4.5 मिलियन टन्स एवेलेबिल है। जैसा मैंने पहले कहा कि इसको इस रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जब तक इसकी इम्प्योरिटीज को अलग न किया जाए और इसके लिए रिसर्च जरूरी है। इम्प्योरिटीज को निकाल कर कामयाबी हुई है। वह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उसकी कार्मशियल वायबिलिटी क्या होगी, इकोनोमिक्स क्या होगी, उसके ऊपर पूरी तरह से कोई चीज सामने नहीं आई है। पिछले साल आपको मालूम है, पूरा सैमीनार इसके ऊपर किया गया है कि इन्डस्ट्रियल वेस्ट या एग्रीकल्चर वेस्ट को हम हाउसिंग मैटिरियल के लिए कैसे इस्तेमाल करें। सरकार ने और खासतौर से मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर बल दिया है। जितने रिसर्च इन्स्टीयूशन्स हैं, वे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वह अभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। सारी चीजें सामने नहीं आ सकी हैं। यह मैंने कहीं नहीं कहा है कि इसके रिजल्ट नहीं आए हैं, रिजल्ट अच्छे हैं और आगे इसकी उम्मीद है कि अच्छे नतीजे निकलेंगे।

**होमियोपैथिक फार्माकोपिया आफ इण्डिया के सम्बन्ध में जनमत**

[अनुवाद]

*133. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार अधिसूचना को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले होमियोपैथिक फार्माकोपिया आफ इण्डिया, खंड-पांच के मोनोग्राम का प्रारूप जनमत का पता लगाने हेतु प्रकाशित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत सरकार को लोगों के विचार जानने के लिए मोनोग्राफ परिचालित करने की आवश्यकता पड़े।

**डा० कृपासिंधु भोई** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सीनेरेरिया मेरीटीमा सूकस होमियोपैथी की आंख में डालने वाली दवाई जोकि नैदानिक रूप से मोतियाबिन्द के लिए असरकारक सिद्ध हुई है। ये नैदानिक परिक्षण भारत में पश्चिम जर्मनी के उत्पाद पर 1970 में किए गए थे। अतः मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जब होमियोपैथिक फार्माकोपिया आफ इंडिया के खंड-पांच में सीनेरेरिया मेरीटीमा सूकस के मोनोग्राफ विश्व के किसी मान्यता-प्राप्त होमियोपैथिक फार्माकोपिया पर आधारित नहीं हैं तो सरकार ने स्वयं को कैसे इस बात से सन्तुष्ट कर लिया है कि इसमें विद्यमान एल्केलायड 'कारसीनोजीनिक' तथा 'हाइपीटोक्सिक' नहीं हैं और यदि होमियोपैथिक फार्माकोपिया के मुताबिक बनाई जायें तो कैंसर पैदा नहीं करेंगी ? दूसरे, नियमान्तर्गत, होमियोपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला के निदेशक ने जो कि एक केन्द्र सरकार का संगठन है, ने दिल्ली के औषध नियंत्रक को दिसम्बर, 1988, में पश्चिम जर्मनी के सीनेरेरिया मेरीटीमा सूकस के नमूने इस प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण हेतु लेने के लिए तथा इस उत्पाद पर रोक लगाने के लिए लिखा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी कार्यवाही सभी आयातित सीनेरेरिया से सम्बद्ध थी या यह किसी एक फर्म को दूसरे के मुकाबले पक्षपाती ढंग से सहायता करने के लिए थी।

**श्री रफीक आलम** : महोदय, मुख्य बात यह है कि जिक्र किये गये मापदण्ड द्वारा (**व्यवधान**)

**डा० कृपासिन्धु भोई** : महोदय, मैं उत्तर नहीं चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से इस पर जांच करने का अनुरोध करना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण पर नियन्त्रण

**[अनुवाद]**

*121. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं, और उनका क्या परिणाम निकला है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं नए उपायों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियन्त्रण के बारे में हाल ही में जो कदम उठाए गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) मोटर गाड़ी अधिनियम में 1988 में संशोधन होने से पूर्व बहुत सी राज्य सरकारें

स्वयं नियम निर्धारित करके वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ मानकों को कार्यान्वित कर रही थीं। अब मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए मोटर गाड़ी नियम, 1989 में समूचे देश के लिए एक समान मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(2) मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए मोटर गाड़ी नियम, 1989 के तहत सभी प्रकार के वाहनों के लिए भी व्यापक उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

बहुत-सी राज्य सरकारों द्वारा पहले के नियमों के तहत मानकों के कार्यान्वयन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जनजागरूकता पैदा किए जाने और कुछ नए वाहनों में नए इंजन लगाए जाने के परिणामस्वरूप प्रदूषण के स्तर प्रतिपादन कुछ हद तक कम हो गए हैं। तथापि, वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हो जाने के कारण प्रदूषण भार बढ़ रहा है।

(ख) और (ग) विचाराधीन नए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पेट्रोल में सीसे की मात्रा कम करना; और

(2) इंजिनों सहित वाहनों का सुधार और रख-रखाव, आदि।

**वन क्षेत्र अनुपात**

*125. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल भूमि क्षेत्र और कुल वन क्षेत्र का अनुपात क्या है;

(ख) पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाए रखने के लिए इनके बीच कितना अनुपात अपेक्षित है; और

(ग) वन क्षेत्र में अपेक्षित स्तर तक कब तक वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)** : (क) 1981-83 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार देश में अनुमानित वन क्षेत्र और देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुपात लगभग 1 : 5 है।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह व्यवस्था है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम एक तिहाई भाग में वन अथवा वृक्ष लगाने का राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए।

(ग) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वन लगाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

**ओखला के निकट भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया जाना**

*131. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओखला के निकट यमुना नदी के साथ-साथ कितने अवैध मकानों और अन्य संरचनाओं का निर्माण हो चुका है और कितने प्लाट अभी वहां खाली पड़े हैं;

(ख) भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की यह गतिविधि, जो घोटाले का रूप ले चुकी है, कितने वर्षों से चल रही है; और

(ग) इस गतिविधि को रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

**शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई)** : (क) इस क्षेत्र में कमरों, झुग्गियों तथा गोदामों के रूप में 281 संरचनाओं के निर्माण की सूचना मिली है। बताया जाता है कि चाहरदीवारी बनाकर 164 प्लाटों के तार की बाड़ लगाई गई है।

(ख) निजी भूमि पर अनधिकृत निर्माण कई वर्षों से चलता रहा है।

(ग) (i) 29-3-1989 से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत ओखला के समीप तथा यमुना नदी के साथ-साथ 3500 हैक्टेयर का क्षेत्र "विकास क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित किया गया है। दिल्ली प्रशासन ने 23-6-1989 को इस क्षेत्र के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की है।

(ii) अनधिकृत संरचनाओं को गिराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम कार्रवाई करते रहे हैं।

(iii) आगे और अतिक्रमण से बचने के लिए इन नाजुक क्षेत्रों में तार की बाड़ लगाने के लिए भी कदम उठा लिए गए हैं।

**ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों के लिए समिति**

*134. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने राजधानी में कोआपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों के लिए आधार सुविधाओं के सम्बन्ध में निगरानी रखने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उच्च शक्ति प्राप्त समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति किस प्रकार कार्य करेगी और इससे कोआपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों को किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

**शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई)** : (क) जी, हां।

(ख) उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन और उसके विचारणीय विषय सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं।

(ग) यह समिति आधारभूत सुविधाओं (जैसे जल आपूर्ति, मलनिर्यास व्यवस्था, विद्युत, सड़कें, सामुदायिक सुविधाओं इत्यादि) के प्रावधानों का प्रबोधन और सहकारी सामूहिक आवास समितियों के लिए नियमित व यथासमय वित्त व्यवस्था करेगी।

**विवरण**

पंजीयक कार्यालय; कोआपरेटिव सोसाइटीज; दिल्ली प्रशासन; ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग; संसद मार्ग; नई दिल्ली-110001.

संख्या एफ० 6(6)/89-स्था०/कोओप०/4685-4712 दिनांक 23-6-1989

**अधिसूचना**

दिल्ली के उपराज्यपाल सहकारी समूह आवास समितियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार करने हेतु निम्न प्रकार से एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति का गठन करते हैं :—

| | |
|---|---|
| 1. श्री जगप्रवेश चन्द्र,<br>मुख्य कार्यकारी पार्षद,<br>दिल्ली | अध्यक्ष |
| 2. श्री बंसी लाल चौहान,<br>कार्यकारी पार्षद् (स्वास्थ्य) | सदस्य |
| 3. चौ० प्रेम सिंह,<br>कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) | सदस्य |
| 4. श्री कुलानन्द भारती<br>कार्यकारी पार्षद (विकास) | सदस्य |
| 5. श्री एम० एस० साथी<br>दिल्ली के मेयर | सदस्य |
| 6. श्री रामलाल<br>अध्यक्ष, दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति सीमित | सदस्य |
| 7. श्री दीपचन्द शर्मा<br>अध्यक्ष, दिल्ली राज्य सहकारी संघ | सदस्य |
| 8. श्री विजय कपूर<br>मुख्य सचिव,<br>दिल्ली प्रशासन | सदस्य |
| 9. शहरी विकास मंत्रालय,<br>भारत सरकार के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 10. अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन निगम,<br>नई दिल्ली | सदस्य |
| 11. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण | सदस्य |

| | |
|---|---|
| 12. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम | सदस्य |
| 13. मुख्य प्रबन्धक, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान | सदस्य |
| 14. सचिव (वित्त), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली | सदस्य |
| 15. सचिव (भूमि तथा भवन निर्माण) दिल्ली प्रशासन | सदस्य |
| 16. विकास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन | सदस्य |
| 17. मुख्य इन्जीनियर, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन | सदस्य |
| 18. मुख्य प्रबन्धक, दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम लि० | सदस्य |
| 19. आयुक्त, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, दिल्ली प्रशासन | सदस्य |
| 20. उप-आयुक्त, दिल्ली जल आपूर्ति तथा मलनिर्यास संस्थान, दिल्ली नगर निगम | सदस्य |
| 21. सदस्य, इन्जीनियरिंग, दिल्ली विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 22. आयुक्त (भूमि), दिल्ली विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 23. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली प्रशासन | सदस्य |
| 24. दिल्ली सहकारी सामूहिक आवास संघ (पुराना) के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 25. दिल्ली सहकारी सामूहिक आवास संघ (नया) के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 26 पंजीयक, सहकारी समिति, दिल्ली प्रशासन | सदस्य सचिव |

इस उच्च स्तरीय समन्वय समिति के विचारणीय विषय निम्न होंगे :—

(i) अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय करके सहकारी सामूहिक आवास काम्प्लेक्सों में आधारभूत सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, मल-निर्यास व्यवस्था, विद्युत सब-स्टेशन, सड़क, सामुदायिक सुविधाओं इत्यादि की शीघ्र व्यवस्था करना ताकि सहकारी सामूहिक आवास समितियों के सदस्य जल्दी ही अपने फ्लैटों का कब्जा पा सकें;

(ii) विलम्ब को रोकने हेतु सभी कार्यान्वयन अभिकरणों की कार्य-प्रणाली का सरलीकरण तथा समयबद्ध तरीके से मामलों को निपटाने हेतु एक व्यवस्था आरम्भ करना; और

(iii) सहकारी सामूहिक आवास समितियों के लिए नियमित रूप से तथा यथासमय वित्त की व्यवस्था को सुनिश्चित करना।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षर/-
(के० एस० मेहरा)
विशेष सचिव (कोओपरेटिव)

## दिल्ली में प्रदूषण

[हिन्दी]

*135. श्री मदन पांडे :
श्रीमती मनोरमा सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जनसंख्या और गन्दी बस्तियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली को प्रदूषण से बचाने हेतु कोई ठोस योजना तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को कुम्हारों के भट्टियों से तिलकनगर और दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में फैलने वाले प्रदूषण की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इन स्कीमों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) दिल्ली नगर निगम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मलजल का शोधन करने सहित सीवरेज और जल निकास सुविधा के सुधार के लिए 140.23 करोड़ रुपए के परिव्यय से अनेक स्कीमें आरम्भ की हैं। 130 नियमित कालोनियों और 69 गांवों में सीवर की सुविधाएं मुहैय्या की गयी हैं। दिल्ली नगर निगम ने कुछ नियमित कालोनियों में कम लागत पर सफाई मुहैय्या कराने के लिए कुछ स्कीमें बनाई हैं।

(2) दिल्ली प्रशासन ने 140 अतिरिक्त कालोनियों में मलजल सुविधाएं मुहैय्या कराने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

(3) दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम इन्द्रप्रस्थ और राजघाट विद्युत स्टेशनों में उपयुक्त शोधन प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम चला रहा है।

(4) मोटर वाहन संशोधन नियम, 1989 में वाहनों के उत्सर्जन के लिए मानकों को अधिसूचित किया गया है जो 1 जुलाई, 1989 से लागू हो गए हैं। इन नियमों में निर्धारित स्तर से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मालिकों पर अधिक जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था है। दिल्ली प्रशासन ने पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में कार्बन मोनो-आक्साइड के नियंत्रण के लिए एक बड़ा कार्यक्रम चलाया है।

(5) दिल्ली प्रशासन ने ताप बिजली-घरों से निकलने वाली फ्लाईएश को रीसाइकल करके उससे ईंट बनाने का एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस उद्देश्य के लिए सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया ने फ्लाईएश को उपयोग में लाने का एक संयंत्र लगाया है।

(6) दिल्ली प्रशासन ने बिजली तैयार करने के लिए कूड़े-करकट को उपयोग में लाने की सम्भावना का अध्ययन करने के लिए तिमारपुर में एक संयंत्र की स्थापना भी की है।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों को उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण पद्धति अपनाने के निदेश दिए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उड़ने वाली गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए भट्टियों के साथ साइक्लोन की व्यवस्था।

(2) प्रदूषकों का अच्छी तरह से छितराव करने के लिए भट्टियों की चिमनी की ऊंचाई को बढ़ाना।

(3) कोयले के स्थान पर तरल ईंधन या बिजली का उपयोग।

**घटक औषधियों के अयुक्तिसंगत मिश्रण से बनी औषधियों के निर्माण/बिक्री पर रोक लगाने के लिए समिति**

[अनुवाद]

*136. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घटक औषधियों के अयुक्तिसंगत मिश्रण से बनी औषधियों के निर्माण/बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति का उद्देश्य क्या है और उसके द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) क्या तैयार औषधियों के मिश्रण की जांच करने के मामले में सभी चिकित्सा पद्धतियों में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत एक ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) से (घ) औषधि परामर्शी समिति, जो औषध और प्रशाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक

निकाय है, ने अयुक्तिसंगत/हानिकारक एलोपैथिक औषधि-योगों जिनमें औषधों के सम्मिश्रण शामिल हैं, को समाप्त करने के बारे में सलाह देने के लिए विशेषज्ञों की एक उप-समिति का गठन किया है। औषध योगों की जांच करने के पीछे प्रमुख बात बाजार में बेचे जाने वाले औषध योगों के बारे में यह सुनिश्चित करना है कि वे सुरक्षित हों और वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में उनमें एक अच्छी यौक्तिकता हो। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे औषध योगों की निरापदता के साथ-साथ यौक्तिकता सम्बन्धी आंकड़े, उपलब्ध साहित्य का अनुशीलन करके अथवा जहां आवश्यक समझा जाए, देश में क्लीनिकल परीक्षणों के माध्यम से तैयार किए जाते हैं।

उसी क्रियाविधि का पालन अन्य चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी इत्यादि के अन्तर्गत आने वाले औषध-योगों की जांच के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस तरह से ये औषधियां शरीर में कार्य करती हैं, उस रूप में ये अव-धारणा और प्रैक्टिस दोनों में एलोपैथिक औषध से भिन्न हैं। हो सकता है कि एक एलोपैथिक औषध-योग को अयुक्तिसंगत/हानिकारण बताने की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनाये जाने वाले मानदण्ड अन्य पद्धतियों के अंतर्गत आने वाली औषधियों के लिए उपयुक्त न हों।

## उड़ीसा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता

*137. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार को वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उपयोग में लाई गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किस सीमा तक प्रदूषण को नियंत्रित किया गया ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) उड़ीसा सरकार के पर्यावरण विभाग तथा उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1986-87 में 3.17 लाख रुपए, 1987-88 में 8 लाख रुपए और 1988-89 में 6.2 लाख रुपए दिए गए थे।

(ख) 1987-87 में जो राशि दी गई थी उसका पूरा उपयोग कर लिया गया। 1987-88 के दौरान 4 लाख रुपए उपयोग में लाए गए।

(ग) इन कार्यक्रमों—(1) पर्यावरण के लिए पर्यावरणीय नीति और कानून; और (2) पर्यावरण पर केन्द्र-राज्य समन्वित कार्यक्रम के लिए 1989-90 में 21.25 लाख रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव है। लेकिन यह अब तक बंटित राशि के उपयोग तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रस्ताव पर निर्भर करेगा।

(घ) (1) उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 236 बड़े और मझौले उद्योगों का पता लगाया है तथा निर्धारित समय में प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(2) पिछले तीन वर्षों में महानदी, ब्राह्मणी, ईब और वैतरणी नदियों पर जल गुणवत्ता की जांच की गई। इन नदियों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को निर्धारित समय में पर्याप्त नियंत्रण प्रणालियां लगाने के निदेश दिए गए हैं।

(3) अंगुल, राउरकेला और तलचर में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। वायु में प्रदूषण फैलाने वाले सभी बड़े उद्योग राज्य बोर्ड के निर्देशों के अनुसार अपने संयंत्रों से निकलने वाले उत्सर्जनों की निगरानी कर रहे हैं।

(4) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को राज्य में इसके कार्यान्वियन के लिए शक्तियां दी गई हैं।

(5) लोगों में तथा विद्यार्थियों में पर्यावरणीय शिक्षा और जागरुकता लाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

**पटसन उद्योग में कर्मचारी भविष्य निधि की दोषपूर्ण अदायगी**

*140. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग में कर्मचारी भविष्य निधि की दोषपूर्ण अदायगी के मामलों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे)** : (क) और (ख) जी, हां। पटसन मिलों से भविष्य निधि की बकाया राशि में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है जो मार्च, 1986 में 64 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 1989 में लगभग 87 करोड़ रुपए हो गई।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी, दोषी पटसन मिलों से बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर रहे है :—

(i) क० भ० नि० अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामले दायर करना;

(ii) ऐसे मामलों में, जब नियोजक कर्मचारियों की मजदूरी से वसूल की गई कर्मचारी अंशदान के हिस्से को जमा नहीं कराते, भा० दं० सं० की धारा 406/409 के अधीन पुलिस के पास शिकायतें दायर करना; और

(iii) छूट न प्राप्त मिलों से बकाया राशि की वसूली के लिए राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करना।

**हिमाचल प्रदेश में कीकर के वृक्ष काटना**

1245. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कथित 4,000 से अधिक कीकर (मस्मर) के वृक्ष काटने की ओर दिलाया गया है, जिसके कारण सुखना झील, चंडीगढ़ की हरियाली नष्ट हो गई है;

(ख) यदि हां, तो किसके आदेश से ये वृक्ष काटे गए और वहां से ले जाए गए हैं;

(ग) क्या इससे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध का उल्लंघन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) सुखना झील क्षेत्र से 4,356 वृक्ष काटे गए हैं। काटे गए अधिकांश वृक्षों की मोटाई 30 सेन्टीमीटर से कम थी।

(ख) इन वृक्षों को चण्डीगढ़ प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से काटा और हटाया गया।

(ग) और (घ) इससे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है क्योंकि उस क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबंधों के तहत वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। चण्डीगढ़ प्रशासन भी वनस्पति व हरित पट्टी के संरक्षण के प्रति चिन्तित है। अकेले 1988 में ही सुखना क्षेत्र में 25,000 पौधे लगाए गए। शिवालिक की पहाड़ियों में 15 क्विंटल बीजों का हवाई जहाज द्वारा छिड़काव किया गया था। सुखना झील एवं निचली शिवालिक की पहाड़ियों में 80 मीट्रिक टन उर्वरक का प्रयोग किया गया। इन सभी कार्रवाइयों का लक्ष्य हरित पट्टी मुहैय्या करना और सुखना झील में गाद के अंत: प्रवाह को रोकना था।

## रोजगार कार्यालयों में टंकण परीक्षा

[हिन्दी]

1246. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों द्वारा की जाने वाली और कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य कार्यालयों द्वारा ली जाने वाली हिन्दी और अंग्रेजी की टंकण परीक्षाओं के स्तर में भिन्नता है; और

(ख) यदि हां, तो एक समान परीक्षा प्रणाली लागू करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय)** : (क) टंककों के रूप में पंजीकरण के लिए रोजगार कार्यालयों की और अवर श्रेणी लिपिकों के लिए टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कर्मचारी चयन आयोग की टंकण गति की अपेक्षाएं समान हैं। (अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट)

(ख) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## रेपसीड ऑयल और पामोलिन के आयात पर प्रतिबंध

[अनुवाद]

1247. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग और व्यापार के केन्द्रीय संगठन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि देश में इस वर्ष सरसों के तेल के भारी उत्पादन को देखते हुए रेपसीड ऑयल और पामोलीन के और आयात पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाए;

(ख) क्या वनस्पति उद्योग ने सरसों/रेपसीड तेल के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध को हटाने की भी मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) जी, हां। हाल में खाद्य तेलों का कोई आयात नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने वनस्पति तैयार करने में 20% तक एक्सपेलर सरसों/रेपसीड तेल के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है।

## पुरानी दिल्ली में शुष्क शौचालयों की सफाई

1251. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कुछ निवासी केन्द्रीय सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों से पुराने शुष्क शौचालयों को फलश शौचालयों में परिवर्तित करने सम्बन्धी अनुरोध करते रहे हैं;

(ख) क्या पुरानी दिल्ली में अभी तक भारी संख्या में अनुसूचित जातियों के लोग शुष्क शौचालयों की सफाई के लिए नियुक्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन पुराने किस्म के शौचालयों को समाप्त करने तथा सफाई वालों को इस सेवा से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण का मलिन बस्ती स्कंध मलिन बस्ती क्षेत्रों में तथा दिल्ली नगर निगम पुरानी दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों में बदलने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं और वे शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों में बदलने के लिए लोगों को साधनों के माध्यम से शिक्षित भी करते हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान 708 शौचालयों को इस प्रकार से परिवर्तित किया गया था।

## रिबोफ्लेविन (विटामिन बी-2) की कमी

1252. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोगों में रिबोफ्लेविन (विटामिन बी-2) की कमी एक आम बात है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) जी, हां। लाक्षणिक कमी (सूक्कणोथ एवं जिह्वाशोथ) 10 से 25 प्रतिशत तक होती है। इसकी सर्वाधिक घटनाएं गर्भवती महिलाओं में तथा उसके बाद स्कूली बच्चों में होती हैं। उप-लाक्षणिक कमी कम आय वर्ग के बच्चों और प्रौढ़ों में 80 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

(ग) इस रुग्णता से विकलांगता नहीं होती है तथापि, पौषणिक शिक्षा देते समय जोकि अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का घटक है; एक संतुलित आहार का समर्थन किया जाता है जिसमें रिबोफ्लेबिन की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा।

**खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के कार्यान्वयन का आकलन**

1253. **श्री शांताराम नायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 में वर्ष 1986 में इसमें किए गए संशोधनों के लागू किए जाने के बाद विभिन्न राज्यों द्वारा इसके कार्यान्वयन का कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आकलन के निष्कर्ष क्या हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने 1986 में यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों, जो मुख्य रूप से उपभोक्ता/उपभोक्ता संगठन को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत खाद्य नमूने का विश्लेषण कराने के लिए दिए गए अधिकार से सम्बन्धित हैं, के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। इससे एक ऐसी सरलीकृत नमूना परीक्षण क्रियाविधि तैयार करने की आवश्यकता सामने आई है, जो उपभोक्ताओं के लिए व्यावहारिक हो।

**विद्युत करघा क्षेत्र के लिये कृतिक बल की सिफारिश**

1254. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वस्त्र मंत्री विद्युत करघा क्षेत्र के लिए कृतिक बल की सिफारिश के बारे में 8 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1751 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकेन्द्रित विद्युत करघा क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में विचार किया है;

(ख) कौन-कौन सी सिफारिशें अस्वीकृत की गईं और कौन-कौन सी स्वीकार की गईं और कौन-कौन सी विचाराधीन हैं; और

(ग) इन सिफारिशों के संबंध में विद्युत करघा उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कृतिक बल की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जो इन बातों से सम्बन्धित हैं : विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र की (फिलहाल शटल रहित करघों को छोड़कर) कार्यशील पूंजी और आधुनिकीकरण सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए संस्थागत वित्त के जरिए धनराशि की व्यवस्था और ऋण सम्बन्धी सुविधाओं के प्रावधान में सहूलियत के लिए सहकारीकरण को प्रोत्साहन। सरकार ने सीधी विपणन सहायता तथा राज्य सरकारों द्वारा सेवा समितियों के गठन के सम्बन्ध में कृतिक बल की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि अपेक्षित सहायता विद्युतकरघा सहकारी समितियों के माध्यम से दी जा सकती है, अत्याधुनिक (शटल रहित) करघों के लिए अवधिक ऋण/कार्यशील पूंजी वित्त सम्बन्धी मुद्दे पर आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

(ग) कृतिक बल की सिफारिशों में कुल मिलाकर वे विभिन्न मुद्दे कवर किए गए हैं जो समय-समय पर विद्युतकरघा संघों आदि ने उठाए हैं।

**कर्नाटक में कर्मचारी भविष्य निधि में अपना अंशदान न देने वाले उद्योग और संस्थान**

1255. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कर्मचारी भविष्य निधि में अपना अंशदान जमा न करने वाले उद्योगों और प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है : और

(ग) राज्य में ऐसे उद्योगों और प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं जिन्होंने यह राशि जमा नहीं की है तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा देय राशि का ब्यौरा क्या है तथा इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार है :—

| वर्ष | चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या | बकाया राशि (लाख रु० में) |
|---|---|---|
| 31-3-88 को | 326 | 249.13 |
| 31-3-89 को | 338 | 348.20 |

(ग) एक लाख या उससे अधिक की बकाया राशि वाले प्रतिष्ठानों के नाम और 31-3-89 को उनसे बकाया राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशि की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी सामान्यतः निम्नलिखित कार्रवाई कर रहे हैं :—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करना।

(ii) क० भ० नि० अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामले दायर करना ।

(iii) कर्मचारियों की मजदूरी से कटौती किए गए अंशदान के कर्मचारी हिस्से की अदायगी न किए जाने पर भा० द० सं० की धारा 406/409 के अधीन शिकायतें दर्ज करना ।

(iv) देरी से किए गए भुगतान के लिए क० भ० नि० अधिनियम की धारा 14ख के अधीन हर्जाना लगाना ।

**विवरण**

| क्रमांक | प्रतिष्ठान का नाम | बकाया राशि (रु० लाखों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **छूट न प्राप्त** | |
| 1. | मेट्रो मेल्लाबल्स, बंगलौर | 2.21 |
| 2. | मैसूर मशीनरीज, बंगलौर | 3.36 |
| 3. | मद्रास सैपर्स, एक्स सर्विसमैन एण्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर, बंगलौर | 3.30 |
| 4. | अरविन्दस पारीमाला वर्क्स, बंगलौर | 2.72 |
| 5. | दीपक इन्सूलेटिड केबल्स कारपोरेशन, बंगलौर | 5.50 |
| 6. | मैसूर चिप बोर्ड्स, बंगलौर | 1.08 |
| 7. | चामून्दी मोपेड्स, टुम्कुर | 1.84 |
| 8. | दी टाइम शॉप, बंगलौर | 1.50 |
| 9. | आटोमेटिव एक्सल्स लि० | 2.14 |
| 10. | सेंट्रल एग्रीकल्चरल मल्बरी नर्सरी फार्म, मैसूर | 1.12 |
| 11. | के० टी० आर० सिउरी प्लेन, मैसूर | 2.25 |
| 12. | जी० एस० राजू बीडीज | 3.92 |
| 13. | मैसूर क्रोम ट्रेनिंग कं० लि०, बंगलौर | 2.16 |
| 14. | जी० एस० राजू बीडीज | 6.08 |
| 15. | वैंकटेश बीडी वर्क्स, टुम्कुर | 1.76 |
| 16. | संकरा टैक्सटाइल्स | 15.01 |
| 17. | यथेसर टैक्सटाइल्स | 23.20 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18. | बेलरी स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स | 8.64 |
| 19. | विगाटेरी मिल्स डीगेरे | 7.18 |
| 20. | मुनीराबाद कैमिकल्स | 1.72 |
| 21. | सिद्देश्वरा टैक्सटाइल्स | 26.27 |
| 22. | महादेवा टैक्सटाइल्स, हुबली | 5.58 |
| 23. | ए० सी० सी० कॉक सीमेंट, शाहबाद | 11.84 |
| 24. | बजाज ब्रादर्स, हुबली | 1.45 |
| 25. | आर० नरसिंगसा, हबीब | 3.64 |
| 26. | आर० नरसिंगसा, हबीब | 2.23 |
| 27. | फैज बीडी वर्क्स, रानीबेनूर | 1.00 |
| 28. | सिन्दूर बीडी, वर्क्स | 5.06 |
| 29. | आजाद इंडस्टीज, बंगलौर | 1.32 |
| 30. | कैम्पको लि०, ई० एम० जी० ई० | 1.54 |
| 31. | कूर्ग-ओरेंज ग्रोवर्स कोपरेटिव सोसाइटी | 1.54 |
| 32. | साउथ बीडी कनारा होम इंडस्ट्रीज परंगीपेट, मंगलूर | 2.45 |
| 33. | साउथ बीडी कनारा होम इंडस्ट्रीज, मुक्लोबिद्री | 2.07 |
| 34. | भारत बीडीज, मंगलूर | 6.65 |
| 35. | वतपुरीश बीडीज, बंतवाल | 2.55 |
| 36. | गुरूकरूप्पा बीडीज, वेलाड | 1.48 |
| 37. | दीपक इंटरप्राइजिज | 2.08 |
| 38. | पी० वी० एस० बीडीज, मंगलूर | 11.71 |
| 39. | सेंट अलायसिस कालेज | 1.38 |
| **छूट प्राप्त** | | |
| 1. | श्री कृष्णाराजेन्द्रा मिल्स, मैसूर | 1.75 |
| 2. | सलारजंग शूगर मिल्स, मुनिरादोद | 15.37 |

**आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम**

1256. **श्री एस० फ्लाकोंड्रायुडू** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्त वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त गोदाम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये गोदाम कहां-कहां बनाए जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए कितनी धन-राशि आबंटित की गई है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में काजीपेट में 10,000 मीटरी टन की क्षमता को पूरा कर लिया है। काजीपेट केन्द्र के लिए 1989-90 में 62.00 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई थी। भारतीय खाद्य निगम राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि० के जरिये आंध्र प्रदेश में स्थित गुडीवाडा में 30,000 मीटरी टन क्षमता का निर्माण कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के बीच विवाद हो जाने के कारण इस समय गुडीवाडा में निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है। यह विवाद विवाचन के लिए भेज दिया गया है। अतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा फिलहाल 1989-90 के दौरान गुडीवाडा केन्द्र के लिए किसी अलग धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है।

**दिल्ली में वाहन प्रदूषण केन्द्र**

1257. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु प्रदूषण परीक्षणों में दिल्ली में अत्यधिक वायु प्रदूषण पाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने पूरी दिल्ली में वाहन प्रदूषण केन्द्र स्थापित किए थे और यदि हां, तो वाहनों की आयु की तुलना में उनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के संदर्भ में उनके क्या निष्कर्ष थे; और

(ग) इन वाहन प्रदूषण केन्द्रों को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा किए गए वायु प्रदूषण परीक्षणों से दिल्ली के वायुमण्डल में प्रदूषकों की उच्चतर सांद्रता का पता चलता है।

(ख) जी, हां। जहां तक वाहनों की आयु की तुलना में उनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण का संबंध है, हालांकि नए वाहनों से आमतौर पर कम प्रदूषण होता है लेकिन यदि पुराने वाहनों का रख-रखाव ठीक से किया जाए तो, उनसे भी प्रदूषण कम होता है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के परिवहन निदेशालय के वाहन प्रदूषण केन्द्रों को बन्द नहीं किया गया है लेकिन उन्हें दिल्ली में अपने कार्यालय स्थानों में ले जाया गया है। इसके अलावा, दो चलते-फिरते जांच दल भी कार्य कर रहे हैं।

## परिवार नियोजन के कार्यान्वयन आंकड़े

1258. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल राज्य में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु राज्यों तथा आम जनता को कौन-कौन से नए प्रोत्साहन दिए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) 1988-89 की परिवार नियोजन के राज्यवार और विधि-वार लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाने वाले चार विवरण (विवरण-दो, विवरण-से, विवरण-तीन और विवरण-चार) संलग्न हैं ।

(ग) कार्य निष्पादन के आधार पर राज्यों को नकद पुरस्कारों और नसबन्दी तथा आई० यू० डी० तरीकों और अन्य सतत योजनाओं के स्वीकारकर्ताओं को मुआवजे की धनराशि को छोड़कर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई नए प्रोत्साहन प्रदान नहीं किए जा रहे हैं ।

### विवरण-एक

### राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां—1988-89

### नसबंदी

| क्रम सं० | राज्य | लक्ष्य | उपलब्धि* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **बड़े राज्य (एक करोड़ जनसंख्या या इससे अधिक)** | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 600000 | 475316 |
| 2. | असम | 149000 | 58119 |
| 3. | बिहार | 513000 | 514498 |
| 4. | गुजरात | 293000 | 240733 |
| 5. | हरियाणा | 100000 | 80968 |
| 6. | कर्नाटक | 325000 | 300757 |
| 7. | केरल | 200000 | 207457 |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 8. मध्य प्रदेश | 400000 | 272877 |
| 9. महाराष्ट्र | 500000 | 488876 |
| 10. उड़ीसा | 200000 | 160815 |
| 11. पंजाब | 120000 | 96594 |
| 12. राजस्थान | 225000 | 107039 |
| 13. तमिलनाडु | 450000 | 407530 |
| 14. उत्तर प्रदेश | 650000 | 727631 |
| 15. पश्चिमी बंगाल | 437000 | 355504 |
| **2. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | | |
| 1. हिमाचल प्रदेश | 30000 | 35142 |
| 2. जम्मू व कश्मीर | 36600 | 22412 |
| 3. मणिपुर | 7000 | 5740 |
| 4. मेघालय | 1000 | 470 |
| 5. नागालैंड | 1000 | 715 |
| 6. सिक्किम | 1100 | 973 |
| 7. त्रिपुरा | 10000 | 6704 |
| 8. अण्डमान व निकोबार दीपसमूह | 2000 | 2061 |
| 9. अरुणाचल प्रदेश | 1800 | 1404 |
| 10. चंडीगढ़ | 3500 | 2956 |
| 11. दादर और नगर हवेली | 1100 | 1163 |
| 12. दिल्ली | 36000 | 31456 |
| 13. गोवा | 4500 | 4368 |
| 14. दमन और द्वीव | 450 | 367 |
| 15. लक्षद्वीप | 60 | 40 |
| 16. मिजोरम | 3000 | 3154 |
| 17. पांडिचेरी | 5300 | 6074 |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| **3. अन्य अभिकरण** | | |
| 1. रक्षा मन्त्रालय | 28800 | 18477 |
| 2. रेल मन्त्रालय | 38400 | 26519 |
| अखिल भारत | 5374000† | 4644909 |

*आंकड़े अनन्तिम है ।

†अंकों को पूरा बनाने के कारण अखिल भारतीय आंकड़ों को राज्यवार योग में नहीं जोड़ा जाए ।

**विवरण-दो**

**राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां—1988-89**

**आई० यू० डी० निवेशन**

| क्रम सं० राज्य | लक्ष्य | उपलब्धि* |
|---|---|---|
| 1 2 | 3 | 4 |
| **1. बड़े राज्य (एक करोड़ जनसंख्या या इससे अधिक)** | | |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 321000 | 212008 |
| 2. असम | 68400 | 23512 |
| 3. बिहार | 355000 | 337869 |
| 4. गुजरात | 317000 | 359870 |
| 5. हरियाणा | 187000 | 193852 |
| 6. कर्नाटक | 210000 | 202996 |
| 7. केरल | 115000 | 115535 |
| 8. मध्य प्रदेश | 251000 | 304791 |
| 9. महाराष्ट्र | 475000 | 378029 |
| 10. उड़ीसा | 148000 | 144304 |
| 11. पंजाब | 270000 | 314310 |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 12. राजस्थान | 210000 | 170696 |
| 13. तमिलनाडु | 453000 | 458650 |
| 14. उत्तर प्रदेश | 1151000 | 1309532 |
| 15. पश्चिम बंगाल | 168000 | 116628 |
| **2. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | | |
| 1. हिमाचल प्रदेश | 43200 | 35289 |
| 2. जम्मू कश्मीर | 25700 | 13487 |
| 3. मणिपुर | 7000 | 8026 |
| 4. मेघालय | 5300 | 1454 |
| 5. नागालैंड | 4100 | 646 |
| 6. सिक्किम | 1700 | 1384 |
| 7. त्रिपुरा | 4000 | 1830 |
| 8. अण्डमान निकोबार दीपसमूह | 1700 | 1889 |
| 9. अरुणाचल प्रदेश | 4200 | 2009 |
| 10. चण्डीगढ़ | 10000 | 6020 |
| 11. दादरा व नगर हवेली | 180 | 200 |
| 12. दिल्ली | 110000 | 69402 |
| 13. गोवा | 3050 | 3056 |
| 14. दमन और दीव | 250 | 124 |
| 15. लक्षद्वीप | 100 | 41 |
| 16. मिजोरम | 2700 | 2100 |
| 17. पांडिचेरी | 3300 | 3924 |
| **3. अन्य संस्थायें** | | |
| 1. रक्षा मंत्रालय | 18200 | 11742 |
| 2. रेल मंत्रालय | 26100 | 13070 |
| अखिल भारत | 4970000† | 4818275 |

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

†अंकों को पूरा बनाने के कारण अखिल भारतीय आंकड़ों को राज्यवार योग में नहीं जोड़ा गया ।

विवरण-तीन

राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां—1988-89

प्रचलित गर्भ-निरोधकों के उपयोगकर्ता

| क्रम सं० | राज्य | लक्ष्य | उपलब्धि* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. बड़े राज्य (एक करोड़ जनसंख्या या इससे अधिक)** | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 773000 | 631457 |
| 2. | असम | 119000 | 61120 |
| 2. | बिहार | 202000 | 205670 |
| 4. | गुजरात | 650000 | 670270 |
| 5. | हरियाणा | 628000 | 655541 |
| 6. | कर्नाटक | 222000 | 217251 |
| 7. | केरल | 271000 | 238830 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 961000 | 977557 |
| 9. | महाराष्ट्र | 849000 | 803665 |
| 10. | उड़ीसा | 268000 | 264823 |
| 11. | पंजाब | 462000 | 521685 |
| 12. | राजस्थान | 527990 | 426953 |
| 13. | तमिलनाडु | 320000 | 326525 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 1183000 | 1157787 |
| 15. | पश्चिमी बंगाल | 412000 | 206205 |
| **2. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | | | |
| 1. | हिमाचल प्रदेश | 69300 | 58112 |
| 2. | जम्मू व कश्मीर | 21200 | 12227 |
| 3. | मणिपुर | 3900 | 2862 |
| 4. | मेघालय | 13600 | 1556 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 5. नागालैंड | 640 | 15 |
| | 6. सिक्किम | 600 | 327 |
| | 7. त्रिपुरा | 8100 | 2936 |
| | 8. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह | 1300 | 1402 |
| | 9. अरुणाचल प्रदेश | 1700 | 524 |
| | 10. चण्डीगढ़ | 14200 | 10071 |
| | 11. दादर व नगर हवेली | 600 | 497 |
| | 12. दिल्ली | 345000 | 372113 |
| | 13. गोवा | 17700 | 15441 |
| | 14. दमन और द्वीव | 1400 | 281 |
| | 15. लक्षद्वीप | 790 | 275 |
| | 16. मिजोरम | 2200 | 1091 |
| | 17. पांडिचेरी | 8400 | 10194 |
| 3. | **अन्य अभिकरण** | | |
| | 1. रक्षा मंत्रालय | 82700 | 45487 |
| | 2. रेल मंत्रालय | 402000 | 315842 |
| | 3. वाणिज्यिक वितरण | 4200000 | 4184167 |
| | अखिल भारत | 13043320 | 12400759 |

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

**विवरण-चार**

**राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां—1988-89**

**खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक गोलियों के उपयोगकर्ता**

| क्रम सं० | राज्य | लक्ष्य | उपलब्धि* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **बड़े राज्य (एक करोड़ जनसंख्या या इससे अधिक)** | | |
| | 1. आन्ध्र प्रदेश | 151000 | 133021 |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 2. असम | 12900 | 7804 |
| 3. बिहार | 20012 | 20164 |
| 4. गुजरात | 78000 | 113603 |
| 5. हरियाणा | 25000 | 40916 |
| 6. कर्नाटक | 65000 | 74935 |
| 7. केरल | 34500 | 37557 |
| 8. मध्य प्रदेश | 137000 | 192041 |
| 9. महाराष्ट्र | 181000 | 250893 |
| 10. उड़ीसा | 37700 | 54922 |
| 11. पंजाब | 31000 | 53837 |
| 12. राजस्थान | 45990 | 45805 |
| 13. तमिलनाडु | 82100 | 164128 |
| 14. उत्तर प्रदेश | 112000 | 173432 |
| 15. पश्चिमी बंगाल | 44700 | 72232 |
| **2. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | | |
| 1. हिमाचल प्रदेश | 9500 | 9000 |
| 2. जम्मू कश्मीर | 2600 | 2667 |
| 3. मणिपुर | 190 | 556 |
| 4. मेघालय | 2500 | 1282 |
| 5. नागालैंड | 980 | 99 |
| 6. सिक्किम | 2100 | 1383 |
| 7. त्रिपुरा | 2900 | 2469 |
| 8. अण्डेमान व निकोबार द्वीपसमूह | 280 | 407 |
| 9. अरुणाचल प्रदेश | 1600 | 868 |
| 10. चंडीगढ़ | 420 | 363 |
| 11. दादर व नगर हवेली | 40 | 80 |
| 12. दिल्ली | 2000 | 3272 |
| 13. गोवा | 1950 | 1686 |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 14. दमन और द्वीप | 150 | 78 |
| 15. लक्षद्वीप | 50 | 48 |
| 16. मिजोरम | 934 | 1181 |
| 17. पांडिचेरी | 990 | 1000 |
| **3. अन्य अभिकरण** | | |
| 1. रक्षा मंत्रालय | 3800 | 2982 |
| 2. रेल मंत्रालय | 3700 | 4012 |
| 3. वाणिज्यिक वितरण | 1050000 | 781308 |
| अखिल भारत | 2139586 | 2250030 |

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

**दादर और नागर हवेली के० एम० बी० बी० एस० चिकित्सकों के लिए पदोन्नति के अवसर**

1259. **श्री कमल नाथ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादर और नागर हवेली प्रशासन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर अपनी सेवा में भर्ती किए गए एम० बी० बी० एस० योग्यता प्राप्त चिकित्सकों के लिए पदोन्नति के उपलब्ध अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चिकित्सकों को उनके सेवा काल में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**मृतक खान श्रमिकों के परिवारों को सहायता**

[हिन्दी]

1260. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1989 से 30 जून, 1989 के दौरान विभिन्न खानों में कार्य करते समय कितने खान श्रमिक मरे;

(ख) क्या सरकार ने मृतकों के परिवार के सदस्यों को कोई सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) से (घ) पहली फरवरी, 1989 से 30 जून, 1989 तक विभिन्न खानों में 84 खान कर्मकारों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई। मृतकों के निकट सम्बन्धी को प्रबन्धतन्त्र द्वारा मुआवजे की अदायगी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन विनियमित की जाती है जिसे सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। कुछ खान प्रबन्धकों द्वारा, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में, मृतकों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर नौकरी दी जाती है। इन पहलुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

**दिल्ली में दुकानें पट्टे पर देना**

[अनुवाद]

1261. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली प्रशासन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और जून, 1989 तक कितनी दुकानें पट्टे पर दी गयी हैं;

(ख) इनमें से कितनी दुकानें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पट्टे पर दी गयी है; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली प्रशासन दोनों ने सूचित किया है कि वे दुकानें पट्टे पर नहीं देते हैं, बल्कि केवल लाइसेंस शुल्क के आधार पर देते हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान जून, 1989 तक नई दिल्ली नगर पालिका ने 190 दुकानें लाइसेंस शुल्क के आधार पर दीं, जिनमें से 12.8 प्रतिशत निर्धारित कोटा के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 27 दुकानें लाइसेंस पर दी गई। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन ने किसी दुकान का आबंटन नहीं किया।

**माप और तोल (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 1977 को लागू करना**

1262. **डा० बी० एल० शेलेश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माप और तोल (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 1977 के मानकों के उल्लंघन, विशेषत: डिटरजेंट के पैकिटों, वाशिंग पाउडर, नहाने का साबुन, पीसे हुए मसाले, खिलौने और अधिकांशत: दिन-प्रतिदिन की अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मामलों में इन नियमों का उल्लंघन करने की सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या निर्माता रेपर और पैकिंग के सामान पर वस्तु के उत्पादन और पैकिंग करने की तारीख/महीना मुद्रित न करके इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए किस तन्त्र की स्थापना की गई है; और

(घ) उपरोक्त नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । तथापि, बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 का उल्लंघन किए जाने के मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा, जो उक्त नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, कार्यवाही की जाती है । उन्हें इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए समुचित उपाय करने हेतु समय-समय पर सलाह दी गई है ।

**दक्षिण दिल्ली कालोनियों में सरकारी आवास को आगे किराए पर देना**

1264. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान सरोजनी नगर, नई दिल्ली सहित दक्षिण दिल्ली कालोनियों में सरकारी आवास को आगे किराए पर देने सम्बन्धी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) वर्ष 1989 के दौरान दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में सरकारी आवास जिसमें सरोजनी नगर, नई दिल्ली भी शामिल है, के उप-किरायेदारों के बारे में कुल 85 शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) दक्षिण दिल्ली की कालोनियों, जिसमें सरोजनी नगर, नई दिल्ली भी शामिल है, में उप-किरायेदारों का पता लगाने के लिए मौके पर निरीक्षण किया गया है, जिसमें लगभग सभी क्वाटर शामिल हैं । 53 मामलों में, आवास का आबंटन रद्द कर दिया गया है, जहां यह साबित हो गया कि पूरा क्वाटर उप-किरायेदारी पर उठाया हुआ है ।

**जंखारी सिंचाई परियोजना, सूरत (गुजरात) को पर्यावरणीय मंजूरी**

[हिन्दी]

1265. **श्री सी० डी० गामित** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत जिले (गुजरात) में जंखारी सिंचाई परियोजना को आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)** : (क) से (ग) जंखारी सिंचाई परियोजना को जुलाई, 1982 में पर्यावरण की दृष्टि से पहले ही मंजूर किया जा चुका था बशर्ते कि निम्नलिखित सुरक्षा उपायों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित किया जाए :

— क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम तैयार करना व उसका कार्यान्वयन;

— विशेष रूप से गम्भीर रूप से अवक्रमित क्षेत्रों में व्यापक वनरोपण एवं गहन भू-संरक्षण उपायों के साथ जल-ग्रहण क्षेत्र का सुधार;

— जलाशय के चारों ओर 500 मीटर चौड़ी हरी पट्टी उगाना;

— पुनर्वास बृहद योजना तैयार करना; और

— लगाई गई शर्तों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए निगरानी समिति का गठन ।

## खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिक

[अनुवाद]

1266. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रमिकों के खाड़ी के देशों में चले जाने के कारण स्वदेशी उद्योगों को कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह बताया गया हो कि भारतीय कर्मकारों के खाड़ी के देशों में चले जाने से स्वदेशी उद्योगों के लिए समस्या हो रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## नौएडा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी खोलना

1267. **श्री कमल चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** नौएडा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी खोलने के बारे में 22-2-1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 168 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौएडा में केन्द्रीय सरकार सेवा की डिस्पेंसरी खोलने के लिए अब तक समुचित स्थान का अधिग्रहण कर लिया है, जिसके लिए 1988-89 की वार्षिक योजना में प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किस अनुमानित तारीख तक डिस्पेंसरी खोल दी जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और किस समय तक समुचित स्थान अथवा भूखण का अधिग्रहण कर लिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरी खोल दी जाएगी और

(घ) उस निकटतम डिस्पेंसरी का ब्यौरा क्या है, जहां से नौएडा में रहने वाले पेंशन भोगं सरकारी कर्मचारी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) से (घ नौएडा ने एक औषधालय के भवन का निर्माण करने के लिए 556 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड दिया है इस भूखण्ड का निरीक्षण करने पर यह देखा गया है कि यह स्थान उपयुक्त तो है, पर आबंटित भूमि आवश्यकता को देखते हुए काफी कम है। इसलिए नौएडा प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि इस प्लाट के साथ का प्लाट भी आबंटित कर दिया जाए, जिससे यह भूखण्ड आधे एकड़ का हो जाए जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय के भवन की मानक आवश्यकता है। नौएडा में उपर्युक्त स्थान उपलब्ध होने पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोला जाएगा। नौएडा में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगी, मयूर विहार में कार्य कर रहे मौजूदा औषधालय से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

**रोहणी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण का हस्तांतरण**

1268. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण रोहणी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नि के नाम पंजीकरण हस्तांतरण करने की अनुमति प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे हस्तांतरण के लिए कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) मृतक पंजीकृत की विधवाओं/कानूनी वारिस के नाम में पंजीकरण अन्तरित करने के लगभग 200 आवेदन-पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में लम्बित पड़े हुए हैं।

(ग) आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने पर।

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पुनर्गठन का प्रस्ताव**

1269. **श्री हरिहर सोरन** :
**श्रीमती जयन्ती पटनायक** :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसकी सेवाओं का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को कोई मार्गनिदेश भेजे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की निरन्तर समीक्षा की जाती है और इसमें सुधार किए जाते हैं तथा जब कभी आवश्यक होता है इस बारे में दिशानिदेश जारी किए जाते हैं। इस दिशा में किए गए कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) विशिष्ट उपचार के लिए प्रतिष्ठित प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता देना। इनमें अपोलो अस्पताल, मद्रास, बत्रा अस्पताल, दिल्ली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, दिल्ली, टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, बम्बई अस्पताल, बम्बई शामिल हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों द्वारा विशेषज्ञ परामर्श पाने के लिए पॉलिक्लिनिक खोलना।

(ग) केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशनभोगियों (रेलवे और रक्षा को छोड़कर) को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं देना)।

(घ) केन्द्रीय सरकार के और अधिक कर्मचारियों को कवर करने के लिए नये शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान करना।

(ङ) इस योजना के अधीन पहले से कवर शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलना।

**"विलेज हैल्थ गाइडों" की परिलब्धियों में वृद्धि का प्रस्ताव**

1272. **श्री बृजमोहन महंती** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में "विलेज हैल्थ गाइडों" की परिलब्धियों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या किसी समिति ने इस विषय पर जांच की है तथा "विलेज हैल्थ गाइडों" द्वारा वितरित की जा रही दवाइयों के लिए प्रावधानों सहित इन सेवाओं को जारी रखने तथा इनकी परिलब्धियों में वृद्धि करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) विभिन्न राज्यों में, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को दी जा रही परिलब्धियों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ग्राम स्वास्थ्य योजना के ब्यौरे तथा इस योजना के कार्यकरण का आकलन करने के लिए इस मंत्रालय ने हाल ही में एक कार्यदल का गठन किया है।

**कर्नाटक में बागान श्रमिकों द्वारा हड़ताल**

1273. **श्री जी० एस० बासवराजु :**
**श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बागान श्रमिक हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये मांगें कब तक स्वीकार और कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) से (घ) कर्नाटक सरकार से एकत्र की जा रही सूचना यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**चम्बल प्रभाग में परती भूमि का विकास**

[हिन्दी]

1275. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के चम्बल प्रभाग में लाखों हैक्टेयर भूमि के बिना उपयोग के पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार इस परती भूमि के विकास की कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो योजना कब तक तैयार हो जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)** : (क) मध्य प्रदेश का चम्बल क्षेत्र बीहड़ और खड्डों से युक्त है, यहां खराब मिट्टी पाई जाती है, सूखे की स्थिति बनी रहती हैं और यहां की भूमि अत्यधिक भू-क्षरण की समस्याओं से ग्रस्त है।

(ख) इस क्षेत्र के लिए अनेक कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनमें विशेषकर बीहड़ पुनरुद्धार कार्यक्रम और कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली, मद्रास और बंगलौर में "मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम"**

[अनुवाद]

1276. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकॉनामिक सेवा को दिल्ली में "मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम" के लिए संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने और मद्रास तथा बंगलौर में यातायात तथा परिवहन का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज (राइट्स) को दिल्ली में तीव्र जन परिवहन प्रणाली के लिए एक व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। बंगलौर में रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज को दिया गया अध्ययन यातायात इंजीनियरी तथा प्रबन्ध उपाय, सड़क सुधार कार्यक्रम, सड़क सुधार तथा अनुरक्षण और कम्प्यूटर रेल सेवाओं से सम्बन्धित है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज को मद्रास शहर के लिए अभी तक इस प्रकार का कोई अध्ययन कार्य नहीं सौंपा है।

(ख) दिल्ली के सम्बन्ध में रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज का व्यवहारिक अध्ययन कार्य प्रगति पर है। बंगलौर को शहरी परिवहन परियोजना पर अन्तिम रिपोर्ट रेल इण्डिया टैक्कीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज द्वारा कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

**खाद्यान्नों का आयात एवं निर्यात**

1277. **श्री के० प्रधानी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान आयात किए गए खाद्यान्नों की मात्रा एवं मूल्य का वर्षवार एवं खाद्यान्नवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन खाद्यान्नों का किन-किन देशों से आयात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा एवं मूल्य के खाद्यान्नों का निर्यात किया गया तथा यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) और (ख) 1987-88 के दौरान गेहूं और चावल का कोई आयात नहीं किया गया था। तथापि, 1987-88 के दौरान यूगोस्लाविया से लगभग 3.44 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का 31,000 मीटरी टन मक्का का आयात किया गया था। 1988-89 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से जहाज तक निष्प्रभार लगभग 243.36 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का 20.11 लाख मीटरी टन गेहूं, थाइलैंड से जहाज तक निष्प्रभार लगभग 166.76 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का 6.84 लाख मीटरी टन चावल और अर्जेन्टीना से लगभग 10.15 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का 78189 मीटरी टन मक्का आयात किया गया था। वर्ष 1988-89 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता के रूप में लगभग 2 लाख मीटरी टन मक्का भी प्राप्त हुआ था।

(ग) 1987-88 के दौरान उत्तरी कोरिया, वियतनाम, नेपाल, ईरान और अफ्रीकी देशों को ऋण और उपहार स्वरूप सहित लगभग 75.42 करोड़ रुपये के मूल्य का लगभग 4.90 लाख मीटरी टन गेहूं निर्यात किया गया। 1988-89 के दौरान सेकालेस को 23 लाख रुपये के मूल्य का 1000 मीटरी टन गेहूं उपहार रूप में और वियतनाम को लगभग 270 करोड़ रुपए के मूल्य का 13,234 मीटरी टन गेहूं ऋण के रूप में दिया गया था।

1987-88 और 1988-89 के दौरान निर्यात की गई अन्य वस्तुओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| वस्तु | 1987-88 | | 1988-89 (अनन्तिम) | | उन देशों के नाम जहां निर्यात किया गया |
|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा (मीटरी टन में) | मूल्य (लाख रुपए में) | मात्रा (मीटरी टन में) | मूल्य (लाख रुपए में) | |
| बासमती चावल | 3,66,119 | 33,998 | 3,49,687 | 33,353 | बहराइन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरब, यू० ए० ई०, यमन, पी० टी० आर०, बेल्जियम, फ्रांस, एफ० आर० जी०, नीदरलैंड, नार्वे, यू० के०, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, सोवियत रूस, सेकालेस, सेनेगाल, मारिशस। |
| अन्य चावल | 22,808 | 1,237 | 35,753 | 2,023 | बहराइन, कुवैत, यू० ए० ई०, ओमान, सऊदी अरब, कतार, फ्रांस, नार्वे, यू० के०, संयुक्त राज्य अमेरिका, सेनेगाल, चैकोस्लवाकिया। |

इन वर्षों के दौरान मोटे अनाजों की कुछ मामूली मात्रा का भी निर्यात किया गया था।

**राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवम् परती भूमि विकास परिषद**

1278. **श्री भद्रेश्वर तांती :**
**श्री अब्दुल हमीद :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवम् परती भूमि विकास परिषद की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी संरचना, कृत्य और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक, यदि कोई प्रगति हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय उपयोग में आ रही भूमि का ब्यौरा क्या है और भारत में इस समय कुल कितना परती भूमि क्षेत्र है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) प्रयोग में लाई जा रही भूमि का कुल अनुमानित क्षेत्र 244 मिलियन हैक्टेयर है और 129 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र परती भूमि है ।

**विवरण**

(ख) और (ग) राष्ट्रीय भूमि उपयोग और परती भूमि विकास परिषद के वर्तमान गठन में प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, राज्य/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य मंत्री और सम्बन्धित आठ केन्द्रीय मंत्रालयों के मंत्री/राज्य मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवम् संरक्षण बोर्ड तथा राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष इसके सदस्य हैं ।

परिषद् का कार्य देश के भूमि संसाधनों के प्रबंध से सम्बन्धित नीतियां तैयार करना और उसका समन्वय करना है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड और राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड के कार्य को भी परिषद् देखती है ।

परिषद् ने बैठक का आयोजन किया जिसमें भूमि उपयोग और परती भूमि विकास की नीति सम्बन्धी निर्णय लिए गए ।

**नई दिल्ली नगर पालिका की दुकानों का अंतरण**

1280. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका की कितनी दुकानें एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम में अन्तरित की गई है;

(ख) किन-किन परिस्थितियों में अंतरण की अनुमति प्रदान की जाती है;

(ग) क्या दुकानों के अंतरण में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सम्पदा निदेशालय दिल्ली नगर निगम और छावनी बोर्ड के अधिकार वाली दुकानों के लिए अपनाई जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में समान प्रक्रिया न अपनाने के क्या कारण है; और

(ङ) नई दिल्ली नगर पालिका के पास बेरोजगार स्नातकों से प्राप्त अपनी जीविका अर्जित करने के लिए दुकानों के आवंटन हेतु कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) 185।

(ख) समिति द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार कुल बकाया उपकिरायादारी दरों के भुगतान करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उपकिरायेदार के अनुरोध पर।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) बेरोजगार स्नातकों को दुकान आवंटित करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका में कोई योजना नहीं है।

**भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के बारे में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट**

1281. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की वर्ष 1986-87 की सांविधिक लेखा-परीक्षण रिपोर्ट तथा कर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट से संघ के कार्यकरण में अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) से (ग) नियमों के तहत अपेक्षित भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि० की सांविधिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, लोक सभा तथा राज्य सभा के पटलों पर क्रमशः 28-3-88 तथा 30-3-88 को रख दी गई थी। बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अंतर्गत दिए गए उपबन्धों के अनुसार, 1986-87 के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि० की सांविधिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर अनुपालन रिपोर्ट में भी उक्त संघ में, अपनी वार्षिक महासभा द्वारा विचार विचार किए जाने के उपरांत, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को प्रस्तुत कर दी गई थी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के वास्ते 1986-87 के लिए कर सम्बन्धी लेखा-परीक्षा भी जा चुकी है।

**सहकारी कताई मिलों को विश्व बैंक द्वारा सहायता**

1282. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र में निर्माणाधीन चार सहकारी कताई मिलों के लिए विश्व बैंक सहायता लेने के बारे में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस बारे में अंतिम निर्णय क्या है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) से इन्दिरा सहकारी सूत गिरनी लि०, वर्धा, जलना विभाग सहकारी सूत गिरनी लि०, जलना, दरियापुर अन्जनगांव ब्लाक सहकारी सूत गिरनी लि०, दरियापुर, जिला अमरावती और अकोट तालुका सहकारी सूत गिरनी लि०, जिला अकोट के मामले एन० सी० डी० सी-31 विश्व बैंक परियोजना में शामिल करने की सिफारिश की है।

(ग) मामले पर निर्णय एन० सी० डी० सी० को लेना है।

**इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में बंजर भूमि विकास परियोजना के लिए सहायता**

1283. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में एक बंजरभूमि विकास परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में 25000 हैक्टेयर भूमि पर 12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वनरोपण, चरागाह भूमि के विकास तथा रेत के टीलों को जमाए रखने के लिए कोई परियोजना भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते !

**उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को लागू करना**

1284. **श्री शरद दिघे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कितने राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में राज्य आयोग गठित किए गए हैं;

(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य-वार कितने जिलों में मंच (फोरम) स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या इस अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट देने को कहा गया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को सभी राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़ और पांडिचेरी, ने उच्च न्यायाधीश की अध्यक्षता में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन कर लिया है।

(ख) 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् आंध्र प्रदेश (राज्य में सभी जिलों के लिए 23 जिला मंच), बिहार (1 जिला मंच), उड़ीसा (1 जिला मंच), राजस्थान (राज्य में सभी जिलों के लिए 6 जिला मंच), उत्तर प्रदेश (राज्य में सभी जिलों के लिए 12 जिला मंच), अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह (2 जिला मंच), चंडीगढ़ (1 जिला मंच), दिल्ली (1 जिला मंच) और पांडिचेरी (1 जिला मंच), ने जिला प्रतितोष मंचों का गठन कर लिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन पर ध्यानपूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, ताल-मेल रखा जाता है और उसकी परिवीक्षा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की गई हैं। इस मामले पर विभिन्न पत्रों, टेलेक्स संदेशों, तारों आदि के जरिए अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

**"माला-डी" के साथ में मेडिकल रिपोर्ट**

[हिन्दी]

1285. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान ब्रिटेन में प्रकाशित एक मेडिकल रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि गर्भ-निरोधक गोली "माला-डी" के अत्यधिक उपभोग से महिलाओं में कैंसर हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का लोगों को उसके विज्ञापन करते समय माला-डी के अत्यधिक उपयोग के खतरों के बारे में चेतावनी देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) :** (क) सरकार को माला-डी के बारे में ब्रिटेन में प्रकाशित मेडिकल रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि, विश्व के विभिन्न भागों में किए गए अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि खाये जाने वाले गर्भनिरोधक महिलाओं को डिम्बग्रंथियों और गर्भाशय के कैंसरों से बचा सकते हैं।

हाल ही में खाए जाने वाले निरोधकों के उपयोग और स्तन कैंसर के सम्बन्ध के बारे में ब्रिटेन द्वारा "नेशनल केस कन्ट्रोल स्टडी ग्रुप" नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस अध्ययन से पता चलता है कि यदि इसे चार वर्षों से अधिक समय तक उपयोग किया जाता है तो स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन खाए जाने वाले गर्भ निरोधक के उपयोग और स्तन कैंसर के बीच सह-सम्बन्ध का अभी पूरी तरह खण्डन नहीं किया गया है।

भारत में खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोली का स्तन-कैंसर के साथ सम्बन्ध होने का कोई

निर्णायक प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त भारतीय महिलाओं में खाई जाने वाली गोलियों के उपयोग से सम्बन्धित खतरे और लाभों के कोई आंकड़े नहीं हैं।

(ख) भारतीय स्थिति में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोली के उपयोग का स्तन कैंसर के साथ सम्बन्ध सिद्ध होता हो जैसा कि ब्रिटेन में किए गए अध्ययन से पता चला है।

हमारे देश के चोटी के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का यह विचार है कि खाई जाने वाली गोली बच्चों के जन्म में अन्तर रखने की एक आदर्श विधि है और इस विधि को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोली का उपयोग मुख्यतया बच्चों के जन्म में अन्तर रखने के उद्देश्य से किया जाता है और सामान्यतः इस गोली को प्रथमतः अथवा 4 वर्षों की अवधि तक खाने की सलाह दी जाती है।

**खाद्य तेलों के मूल्य में कमी**

1287. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ही खाद्य तेलों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन की घोषणा की थी जिसके फलस्वरूप लोकप्रिय ब्रांडों के खाद्य तेलों के न्यूनतम मूल्य और कम हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) खाद्य तेलों के मूल्य निर्धारित सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने का औचित्य क्या है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) से (ग) खाद्य तेलों के मूल्यों के बारे में जो मांग व पूर्ति द्वारा शासित होते है, कोई नीति नहीं है। तथापि माननीय खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री की अपील के उत्तर में मार्च, 1989 के दौरान खाद्य तेलों के कुछ लोकप्रिय ब्रांडों के निर्माता तथा पैकर स्वेच्छा से खाद्य तेलों के मूल्य घटाने के लिए सहमत हो गए हैं।

**बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास**

[अनुवाद]

1288. **श्री प्रकाश चन्द्र** :
**श्री राधाकांत डिगाल** :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य-वार कितने बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया और कितने मजदूरों का पुनर्वास किया गया;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) राज्य-वार पता लगाए गए ऐसे बंधुआ मजदूरों की संख्या कितनी है जिनका अभी पुनर्वास किया जाना शेष है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) से (ग) बंधुआ श्रमिकों का पता लगाना तथा उन्हें पुनर्वासित करना एक सतत प्रक्रिया है तथा पुनर्वास के लिए वार्षिक लक्ष्य केन्द्रीय सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित किए जा रहे हैं। पुनर्वास के लक्ष्य पता लगाए गए उन शेष बंधुआ श्रमिकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किए जा रहे हैं जिन्हें पुनर्वासित किया जाना बाकी है। पता लगाए गए तथा पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या और वर्ष 1988-89 के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय हिस्से की राशि एवं वर्ष 1989-90 के लिए पुनर्वास के लिए निर्धारित लक्ष्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| क्रम सं० | राज्य का नाम | वर्ष 1988-89 के दौरान पता लगाए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या | वर्ष 1988-89 के दौरान पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या | वर्ष 88-89 दौरान रिलिज किए गए केन्द्रीय हिस्से की राशि (लाख रु० में) | वर्ष 89-90 के लिए निर्धारित लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | सूचना नहीं दी गई | 710 | शून्य | 2290 |
| 2. | बिहार | 50 | 494 | 6.19 | 88* |
| 3. | कर्नाटक | शून्य | 6313 | 203.97 | 5632 |
| 4. | मध्य प्रदेश | 3409 | 2065 | शून्य | 2782 |
| 5. | महाराष्ट्र | 343 | 76 | शून्य | 299 |
| 6. | उड़ीसा | 833 | 3260 | 18.50 | 1706 |
| 7. | राजस्थान | 90 | 127 | 0.75 | 78 |
| 8. | तमिलनाडु | 1145 | 453 | शून्य | 711 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 944 | 843 | शून्य | 101 |
| 10. | हरियाणा | 48 | शून्य | शून्य | शून्य |
| | जोड़ : | 6862 | 14,341 | 229.41 | 13,687 |

*=उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़े मामले में न्यायालय निदेशों के अनुसार इसे 2662 तक संशोधित किया जा सकता है।

**पटसन विकास निर्माता परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय**

1291. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
**श्री जी० एस० बासवराजु :**

**क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन विकास निर्माता परिषद का सभी महानगरों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परिषद द्वारा अब तक कितने क्षेत्रीय कार्यालय खोले जा चुके हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने से परिषद के कार्य-निष्पादन में किस हद तक सुधार आएगा ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) जी, हां। कुछ शहरों में चरणबद्ध रूप से क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) अभी तक कोई कार्यालय नहीं खोला गया है।

(ग) इन कार्यालयों को निम्नलिखित कार्य सौंपे जाने का प्रस्ताव है :—

(1) पटसन आयुक्त के कार्यालय की ओर से अपने-अपने क्षेत्रों में निर्यात पंजीकरण करना।

(2) स्वदेशी बाजार सहायता और विदेशी बाजार सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता का संवितरण।

(3) विविधीकृत जूट उत्पादों के लिए बाजार विकास क्रियाकलाप।

**पटसन के लिए विदेश व्यापार नीति**

1292. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उत्पादों के सम्बन्ध में कोई विदेश व्यापार नीति तैयार की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) और (ख) पटसन की वस्तुओं का निर्यात, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है :—

(1) उत्तरी अमरीका को पटसन कालीन अस्तर का निर्यात स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के द्वारा सरणीकृत और कीमत नियन्त्रण प्रतिबन्धों के अधीन है।

(2) रुपया संदाय देशों अर्थात सोवित संघ, रोमानिया, पौलैंड, पूर्वी जर्मनी और

चैकोस्लोवाकिया को निर्यात वार्षिक व्यापार योजना प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

(3) प्रतिबन्धित देशों को छोड़कर अन्य सभी गन्तव्यों को, ऊपर (1) और (2) में उल्लिखित पटसन वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति अनियन्त्रित आधार पर दी जाती है।

(4) हैसिज और सैंकिंग के लिए विश्वव्यापी निविदाओं में भाग लेने के मामले में एस० टी० सी० को नोडल अभिकरण नियुक्त किया गया है।

(5) पटसन वस्तुओं के निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण पटसन आयुक्त का कार्यालय हैं।

**राज्यों में कृषि वानिकी**

1293. **श्री राधाकान्त डिगाल :**
**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि वानिकी के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा कृषि-वानिकी के क्षेत्र में अभी तक कितना कार्य किया गया है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी कृषि-वानिकी का कार्य जारी रहेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय में अलग से कोई केन्द्रीय कृषि वानिकी परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि फार्म वानिकी कार्यक्रम, जो कि सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है, के अन्तर्गत कृषि वानिकी कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जाता है।

(ख) कृषि वानिकी कार्यों में की गयी प्रगति विभिन्न राज्यों द्वारा सूचित नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

**सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों को लाइसेंस देना**

1294. **श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने सम्बन्धी कितने आवेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) कितने नए लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) लाइसेंस प्राप्त करने सम्बन्धी ऐसे कितने प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में कितने लाइसेंस दिए जाने का विचार है और इन चीनी मिलों का ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) 15-7-1989 को स्थिति के अनुसार, सातवीं योजनावधि के दौरान सहकारी क्षेत्र में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए 95 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) नई सहकारी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए 15-7-89 तक 41 आशय पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) 95 आवेदन पत्रों में से गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, दूरी की कसौटी को पूरा न करने आदि जैसे कारणों से 15 आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया है।

(घ) चालू वर्ष (मौसम 1988-89) के दौरान अब तक महाराष्ट्र राज्य में प्रत्येक 2500 टी० सी० डी० के नए सहकारी चीनी यूनिट स्थापित करने के लिए 15 आशय पत्र जारी किए गए हैं। इन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

**उन चीनी फैक्ट्रियों के ब्यौरे बताने वाला विवरण जिन्हें चालू मौसम अर्थात् 1988-89 में 15-7-1989 तक सहकारी क्षेत्र में 2500 टी० सी० डी० के संयंत्रों की स्थापना करने के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं**

| क्रम सं० | फैक्ट्री का नाम | आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस की तारीख | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री नामदेवराव बी० गाडेकर देवगिरि एस० एस० के० लि०, एट पोस्ट फूलमबरी, तालुक और जिला औरंगाबाद (स्थान—सावंगी जिला औरंगाबाद) | 1-12-88 | सहकारी |
| 2. | मै० जरन्देश्वर एस० एस० के० लि०, कोरेगांव, एट पौस्ट तालुक कोरेगांव, जिला सतारा (स्थान—बोम्बले-सतेवाडी तह० खटाव, जिला सितारा) | 17-1-89 | सहकारी |
| 3. | मै० सुरेश ए० वारपुडकर नरसिंह एस० एस० के० लि०, (प्रस्तावित) न्यू मोधे रोड, तालुक और | 8-2-89 | सहकारी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | जिला परभनी (स्थान—लोहगांव, तालुक और जिला परभनी) | | |
| 4. | मै० जयकिसान एस० एस० के० लि०, बरबाड़ी (प्रस्तावित) तालुक दरवाह, जिला यवतमाल (स्थान—बरबाडी, तह० दरवाह, जिला यवतमाल) | 20-3-89 | सहकारी |
| 5. | श्री बापुराव एम० देशमुख, मै० सेतकारी एस० एस० के० लि०, (प्रस्तावित) बुटीवाडा, महादेव-पुरा वर्धा, जिला वर्धा (स्थान—नन्दगांव, तह० हिन्गनघाट, जिला वर्धा) | 20-3-89 | सहकारी |
| 6. | मै० श्री चोपाड़ा एस० ए० के० लि०, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, चोपाडा तालुक, जिला जलगांव (स्थान—माचले, तह० चोपाडा, जिला जलगांव) | 20-3-89 | सहकारी |
| 7. | मै० आदिनाथ एस० एस० के० लि०, एट एण्ड पोस्ट करमाला-413203, जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) (स्थान—लावे-भटवानी, तह० करमाला, जिला शोलापुर) | 20-3-89 | सहकारी |
| 8. | मै० श्री सन्त दामजी एस० एस० के० लि०, शरणनदागी, तालुक मंगलवेधे, जिला शोलापुर (एम० एस०) | 3-4-89 | सहकारी |
| 9. | मै० रामगणेश गडकारी एस० एस० के० लि०, (नियोजित) सावनेर राजकोठी टेम्पल रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 (स्थान—सावनेर, जिला नागपुर) | 3-4-89 | सहकारी |
| 10. | प्रो० राम मेघ, श्री कोंडेश्वर, एस० एस० के० लि०, निकट अम्बेडकर कालेज रिजर्व लाइन, वार्ड नं० 4, अमरावती कैम्प (स्थान—बडनेरा, जिला अमरावती) | 3-4-89 | सहकारी |
| 11. | डा० वामनराव रामकृष्ण अकोला जिला एस० एस० के० (प्रस्तावित) मार्फत अकोला जिला सेन्ट्रल कोआप० बैंक लि० सिविल लाइन्स एट पोस्ट, जिला अकोला (स्थान—ग्राम सुकाले, जिला अकोला) | 3-4-89 | सहकारी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. | दि विदर्भ शेतकारी एस० ए० के० लि०, मोधाओं (बुत्तीबोरी) सुरेन्द्र विलास, प्लाट नं० 763, साउथ अम्बाजारी रोड, श्रद्धानन्द पेठ, नागपुर (स्थान—मोहगांव, जिला नागपुर) | 3-4-89 | सहकारी |
| 13. | श्री शंकर शेतकारी एस० एस० के लि०, एट एण्ड पोस्ट लोनी/महागांव (कस्बा) जिला यवतमाल (स्थान—ग्राम मंगरूल, जिला यवतमाल) | 26-4-89 | सहकारी |
| 14. | मै० श्री सिदखेद सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मार्फ़्त डी० आर० पाटिल, 75, शिवनेर, जय हिन्द कालोनी, देवपुर, धुले (स्थान—देगांव, तहसील सिदखेद, जिला धुले) | 23-6-89 | सहकारी |
| 15. | मै० अजरा शेतकारी एस० एस० के० लि०, एट एण्ड पोस्ट अम्बोली, तालुक : सवन्तवाडी, जिला सिन्धुदुर्ग (स्थान—अम्बोली, तह० सवन्तवाडी, जिला सिन्धुदुर्ग) | 10-7-89 | सहकारी |

**विषाक्त भोजन के मामले**

1296. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान, महीनेवार और राज्यवार, विषाक्त भोजन के कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) प्रत्येक राज्य में इससे कितने लोग प्रभावित हुए;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या दाण्डिक कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार ने प्रभावित लोगों को कोई मुआवजा दिया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**दिल्ली में पुरानी इमारतों का ध्वस्त होना**

1297. **श्री परशराम भारद्वाज** :
**श्री लक्ष्मण मलिक** :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राजधानी में ठेकेदारों/कब्जाधारियों द्वारा इमारतों के निर्माण में घटिया किस्म का इमारती समान लगाने अथवा उनका रख-रखाव सही न करने के कारण पुरानी इमारतें ध्वस्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जान-माल की कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या उन सभी इमारतों का, जो देश के विभाजन से पहले बनाई गई थीं और जो अब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, निरीक्षण करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों तथा "स्ट्रक्चरल इन्जीनियरों" और गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की कोई सीमित नियुक्ति की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) रीगल बिल्डिंग के सबसे ऊपरी तल पर स्थित फ्लेट नं० 50-51 की छत 21-6-1989 को गिर गई थी। इससे न तो कोई व्यक्ति मरा और न ही सम्पत्ति का नुकसान हुआ। दिल्ली छावनी बोर्ड के नियन्त्रणाधीन क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। दिल्ली नगर निगम के नियन्त्रणाधीन क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने क्षेत्रों में भवनों की जांच करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है :—

1. श्री एस० डी० सतपुते, मुख्य वास्तुक।
2. श्री एस० एस० के० भगत, मुख्य इन्जीनियर (सिविल)।
3. श्री जे० एन० रोहतगी, मुख्य इन्जीनियर (विद्युत)।
4. श्री वाई० के मलहोत्रा, संरचनात्मक इन्जीनियर।

**गर्भ में शिशु के लिंग का पता लगाने के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाना**

1298. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आगामी सत्र में गर्भ में शिशु के लिंग का पता लगाने के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाने का है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : भारत सरकार का विचार है कि लिंग निर्धारण परीक्षणों के इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए एक केन्द्रीय अधिनियम आवश्यक है। ऐसा केन्द्रीय अधिनियम केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

**दिल्ली के अस्पतालों को नकली दवाओं की सप्लाई करने वाली कम्पनियां और ऐसी दवाओं से हुई मौतें**

1299. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाओं के इस्तेमाल के कारण पिछले वर्ष के दौरान कई मौतें हुई और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) नकली दवाओं की सप्लाईकर्ता कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में नकली औषधों के इस्तेमाल से हुई किसी मौत के बारे में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा सूचना नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**डाक्टरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से सेवा करना**

1300. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल डाक्टर सामान्यतः सदूर पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सर्वाधिक चिकित्सा-देखभाख की आवश्यकता वाले इन क्षेत्रों के प्रति प्रशिक्षित मैडिकल डाक्टरों को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का हमारे मेडिकल कालेजों से निकलने वाले प्रत्येक डाक्टर के लिए इन क्षेत्रों में एक न्यूनतम अवधि के लिए कार्य करना अनिवार्य बनाने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1989 तक स्थापित किए गए 18939 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना डाक्टरों के कार्य कर रहे हैं। इस संख्या में वे केन्द्र भी सम्मिलित हैं जो आदिवासी तथा दूरदराज क्षेत्रों में खोले गए हैं।

(ख) ग्रामीण इलाकों में डाक्टरों को आकर्षित करने हेतु आठवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सुझाव पर ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रहे डाक्टरों को निम्नलिखित प्रोत्साहन देने हेतु राज्यों को विशेष धन उपलब्ध किया है और प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी है :—

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों को प्रति माह मूल वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर ग्रामीण भत्ता जिसकी अधिकतम सीमा 250/- रु० होगी; और

(ii) 150/- रु० प्रति माह के हिसाब से मकान किराया भत्ता देना जहां डाक्टरों को रहने के लिए आवास नहीं प्रदान किया गया हो।

इसके अतिरिक्त वित्त आयोग ने डाक्टरों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए 53.52 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है। पर्वतीय क्षेत्रों को निर्माण लागत में 30 प्रतिशत अधिक

राशि प्रदान की गई हैं। 9वें वित्त आयोग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों के लिए अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण के लिए 946.36 लाख रुपये के परिव्यय की भी सिफारिश की है।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने हाल ही में हुई अपनी बैठक में सिफारिश की है कि यह उपयुक्त ही है कि केन्द्र और राज्य सरकारों ने सरकारी सेवा में आने वाले सभी डाक्टरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे बिना किसी अपवाद के 2 वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करेंगे। इन सिफारिशों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

**बंजर भूमि के विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी**

1301. **श्री शांतिलाल पटेल :**
**श्री एस० बी० सिदनाल :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बंजर भूमि के विकास के लिए एक नई प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इसे किस हद तक कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) इससे बंजर भूमि को किस हद तक उपजाऊ बनाया जा सकेगा?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) से (घ) 1985 में परती भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए जाने के साथ ही एक बड़ी शुरूआत की गई थी। जन-भागीदारी के द्वारा वनीकरण और वृक्षारोपण किए जाने पर प्रमुख बल दिया गया है। सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करते हुए सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान की गई प्रगति नीचे दी गई है :—

| वर्ष | सम्मिलित किया गया क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर में) | |
|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1985-86 | 1.45 | 1.51 |
| 1986-87 | 1.71 | 1.76 |
| 1987-88 | 1.79 | 1.77 |
| 1988-89 | 2.00 | 2.12 |

**अल्मोड़ा में सौनी-बयोड़खाल-चमड़खान मोटर मार्ग को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी**

[हिन्दी]

1302. **श्री हरीश रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में सौनी-दयोड़खाल-चमड़खान मोटर मार्ग का आगे निर्माण का कोई प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी हेतु सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या इस बीच इसे आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में सौनी-दयोड़खाल-चमड़खान मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

## औद्योगिक दुर्घटनायें

[अनुवाद]

1303. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान हुई प्राण-घातक, गंभीर और मामूली औद्योगिक दुर्घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्राण-घातक दुर्घटनाएं हर वर्ष बढ़ रही हैं; और

(ग) औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या मार्ग-निर्देश जारी किये गये हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) घातक चोटों तथा उन औद्योगिक दुर्घटनाओं से लगी चोटों के आंकड़े जिनके कारण घायल व्यक्तियों को दुर्घटना होने के तत्काल 48 घण्टे बाद या इससे अधिक समय तक कार्य से रोक दिया जाता है, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन एकत्र किए जाते हैं। जनवरी से जून, 1988 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक चोटों के राज्यवार उपलब्ध ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1985 से जून, 1988 तक घातक औद्योगिक चोटों के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

| वर्ष | औद्योगिक चोटें (घातक) |
|---|---|
| 1985 | 807 |
| 1986 | 924 |
| 1987 | 895 |
| 1988 (जनवरी-जून) | 378 |

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सुरक्षा उपबन्धों के प्रवर्तन तथा आपात स्थितियों से

निपटने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करती है। "आन साइट" तथा "आफ साइट" आपात योजनाओं के लिए प्रारूप तैयार किया गया था, तथा उसे राज्य सरकारों को परिचालित किया गया। विषैले रसायनों की मानिटरिंग तथा मूल्यांकन सम्बन्धी पुस्तिका राज्य सरकारों को भेजी गई है ताकि उन्हें जोखिमपूर्ण कार्य पर्यावरण में सहायता मिल सके। आदर्श नियम बनाए गए तथा राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेजे गए कि वे उन्हें कारखाना अधिनियम के संशोधित उपबन्धों के अधीन बनाए जाने वाले अपने कारखाना नियमों में समाविष्ट कर लें। इन आदर्श नियमों में जोखिमपूर्ण प्रक्रिया करने वाले कारखानों के अधिष्ठाताओं के कर्तव्यों में सामग्री सुरक्षा आंकड़ा शीट्स तैयार करना, जोखिमों के बारे में सूचना देना तथा कर्मकारों, आम जनता, स्थानीय प्राधिकारी, जिला आपातकालीन प्राधिकारी एवं मुख्य निरीक्षक पर नियंत्रण करने के साधनों तथा आन साइट आपातकालीन योजना और दुर्घटना नियंत्रण तथा प्रबन्धकीय योजना तैयार करने के बारे में बताया गया है।

**विवरण**

**राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कारखानों में जनवरी से जून, 1989 तक हुई घातक तथा अघातक चोटें**

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | औद्योगिक चोटें | |
|---|---|---|---|
| | | घातक | अघातक |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 37 | 4700 |
| 2. | असम | 5 | 341 |
| 3. | बिहार | 30 | 1866 |
| 4. | गुजरात | 28 | 10924 |
| 5. | हरियाणा | 9 | 391 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | — | 70 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 1 | 57 |
| 8. | कर्नाटक | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 9. | केरल | 2 | 1990 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 44 | 4836 |
| 11. | महाराष्ट्र | 82 | 24182 |
| 12. | मणिपुर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 13. | मेघालय | — | — |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 14. उड़ीसा | 13 | 1270 |
| 15. पंजाब | 29 | 730 |
| 16. राजस्थान | 10 | 1635 |
| 17. तमिलनाडु | 25 | 5337 |
| 18. त्रिपुरा | — | 8 |
| 19. उत्तर प्रदेश | 49 | 3577 |
| 20. पश्चिम बंगाल | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 21. अण्डमान और निकोबार | 2 | 41 |
| 22. चंडीगढ़ | — | 68 |
| 23. दादरा और नागर हवेली | 1 | 1 |
| 24. दिल्ली | 8 | 581 |
| 25. गोआ | 2 | 93 |
| 26. पाण्डिचेरी | 1 | 689 |
| योग : | 378 | 63387 |

**"75 मिलियन चाइल्ड लेबर इन फाइव एशियन कंट्रीज" शीर्षक से समाचार**

1304. **श्री पी० एम० सईद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1989 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "75 मिलियन चाइल्ड लेबर इन फाइव एशियन कंट्रीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 75 मिलियन बाल श्रमिकों में से 44 मिलियन बाल श्रमिक केवल भारत में ही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सामाजिक बुराई से कारगर ढंग से निपटने के लिए पर्याप्त कानूनी व्यवस्था की है तथा अन्य प्रतिबन्ध लगाये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । यद्यपि, समाचारों में यह बताया गया है कि भारत में 440 लाख बाल श्रमिक

हैं, लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (38वें चरण) तथा जनसंख्या अनुमानों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1986 में देश में 5-14 वर्ष के आयु समूह के बाल कर्मकारों की अनुमानित संख्या 167 लाख थी ।

(ग) जी, हां । बाल श्रम की प्रतिषिद्ध करने तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाल श्रम (प्रतिषिद्ध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 और अन्य अधिनियमों के अधीन पर्याप्त उपबन्ध हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**दिल्ली में प्रोपर्टी डीलरों द्वारा ठगी**

[हिन्दी]

1305. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय :**
**श्री कमला प्रसाद सिंह :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** दिल्ली में कालोनाइजरों की अवैध गतिविधियों के बारे में 9 मई, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10179 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन प्रोपर्टी डीलरों/गैर-सरकारी भवन निर्माताओं की संख्या क्या है, जिनके विरुद्ध अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में लगे रहने के कारण जनवरी, 1989 से अब तक कार्यवाही की गयी है और की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं और जांच चल रही है; और

(ग) इन मामलों में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक निपटा दिए जाने की सम्भावना है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) से (ग) एम० आर० टी० पी० एक्ट की धारा 36ए के अभिप्राय से अनुचित व्यापारिक व्यवहार में लगे रहने के लिए नौ प्रकरणों में एम० आर० टी० पी० एक्ट के उपबन्धों के तहत जांच के आदेश दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त एक प्रकरण में जांच की गई है । सभी दस प्रकरण लम्बित पड़े हुए हैं । जांच अधिकारी को प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः 60 दिन का समय दिया जाता है । तथापि, यदि जांच करने वाले अधिकारी के नियन्त्रण से बाहर कारण हेतु निर्धारित अवधि में पूरी नहीं की जाती है तो समय वृद्धि दी जाती है । जहां तक जांच के परिणामों का सम्बन्ध है, इसकी प्रगति आवेदक/प्रतिवादी के लिए सलाहकार की उपलब्धता गवाहों और प्रकरण की व्यापक प्रकृति जैसे कारणों पर निर्भर करती है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाही की है :—

1. मैसर्स जैना प्रोपर्टी (प्रा०) लिमिटेड, कनाट प्लेस ।
2. सर्वश्री टेक चन्द जैन और राकेश जैन, निवासी ई-17 डिफैन्स कालोनी, नई दिल्ली ।

3. श्री राजेन्द्र जैन, सुपुत्र श्री टी० सी० जैन, निवासी प्रथम तल, सागर अपार्टमेंट, नई दिल्ली।

दिल्ली पुलिस द्वारा 13 मामले दर्ज किए गये तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाही की गई। इन मामलों की जांच-पड़ताल चल रही है।

**गुजरात में बन्द पड़ी कपड़ा मिल**

[अनुवाद]

1308. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कुल कितनी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी थीं और राज्य में कपड़ा मिलों के बन्द किए जाने के फलस्वरूप कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हुए; और

(ख) गुजरात में कपड़ा उद्योग को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) 31-5-1989 तक की स्थिति के अनुसार गुजरात में ऐसी 36 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें बन्द पड़ी थीं जिनमें श्रमिकों की संख्या 59807 थी।

(ख) सरकार ने गुजरात की वस्त्र मिलों सहित वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम मिलों के लिए पुर्नस्थापना पैकेज तैयार करने और उसकी व्यवस्था करने के लिए नोडल एजेंसी का गठन और वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना शामिल हैं। गुजरात को इस निधि के अन्तर्गत अधिकतम सहायता प्राप्त की है। सरकार ने रुग्ण एककों के मामलों की देखभाल के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत एक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की भी स्थापना की है। नोडल एजेंसी ने अब तक गुजरात में 24 रुग्ण/बन्द पड़ी वस्त्र मिलों की जांच की है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वस्त्र मिलों के पुनर्जीवन के लिए कुछ रियायतें भी दी हैं।

**खाड़ी के देशों से लौटने वाले भारतीयों के पुनर्वास के लिए धनराशि की व्यवस्था**

1309. **श्री टी० बशीर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों से लौटने वाले श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केरल सरकार के साथ समन्वय से सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाड़ी के देशों से लौटने वाले उन भारतीयों को, जो उद्योग स्थापित करने और स्वरोजगार के इच्छुक हैं, ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) खाड़ी के देशों से वापस आने वाले श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार की कोई ऐसी योजना लागू नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) लागू नहीं होता ।

**केरल में बहु-औषधि-चिकित्सा हेतु चयन किए गए जिले**

1311. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बहु-औषधि-चिकित्सा शुरू करने के लिए कुछ और जिलों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु राज्य को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) क्या आबंटित राशि में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) जी, हां ।

त्रिवेन्द्रम और क्विलोन नामक दो अतिरिक्त जिलों को जब जिला कुष्ठ सोसाइटियां बनाई गई हैं, वर्ष 1989-90 के दौरान बहु-औषधि उपचार के अधीन लाने का प्रस्ताव है । इन जिलों में प्रत्येक जिला कुष्ठ सोसाइटी को 10 लाख रुपये का सहायता अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है ।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान 60 लाख रुपए (50 लाख रुपए नकद तथा 10 लाख रुपए सामग्री के रूप में) आबंटित किए गए हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

**केरल में सामाजिक वानिकी**

1312. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सामाजिक वानिकी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को सही तरीके से कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके कारणों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उक्त राज्य में इस योजना को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) से (घ) केरल राज्य में ईंधन

लकड़ी चारा और ईमारती लकड़ी के उत्पादन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में सार्वजनिक और निजी भूमि पर 288, 104 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। सार्वजनिक भूमि पर पौदरोपण की जीवितता दर 60% और निजी भूमि पर पौदरोपण की जीवितता दर 30% सूचित की गई है। निजी भूमि पर घटिया परिणामों का मुख्य कारण विस्तार सेवाओं और अनुवर्ती सहयोग की कमी होना है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा फार्म वानिकी उपचारात्मक सर्वेक्षण किया गया। राज्य सरकार ने अब कार्यक्रम को लागू करने में पंचायतों को शामिल करने का निर्णय किया। आदिवासी क्षेत्रों में, समाज के लिए उपयोगी औषधीय पौधों के पौदरोपण पर भी बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार को प्रगति का और अधिक निकटता से तथा नियमित अनुवीक्षण करने की सलाह दी गई है।

**रोजगार केन्द्रों में दर्ज अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार**

[हिन्दी]

1313. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार, रोजगार केन्द्रों में दर्ज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुरुष और महिला उम्मीदवारों की राज्यवार वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिनके पास उच्च शैक्षिणिक योग्यताएं हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले सभी अ० जा० तथा अ० ज० जा० के व्यक्तियों से सम्बन्धित है 31-12-88 से सम्बन्धित कुल नौकरी चाहने वाले अ० जा० एवं अ० ज० जा० व्यक्तियों की तथा 30-6-88 से सम्बन्धित स्नातक स्नातकोत्तरों सहित) नौकरी वाले व्यक्तियों की अद्यतन उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में राज्य-वार दी गई है।

**विवरण**

**चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले अ०जा० तथा अ०ज०जा० के व्यक्तियों की संख्या**

(हजारों में)

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित प्रदेश | कुल | | स्नातक तथा स्नातकोत्तर | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-12-1989 की स्थिति के अनुसार | | 30-6-88 की स्थिति के अनुसार | |
| | | अ०जा० | अ०ज०जा० | अ०जा० | अ०ज०जा० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 303.5 | 70.8 | 9.5 | 0.1 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2. अरुणाचल प्रदेश | ● | ● | ● | ● |
| 3. असम | 49.2 | 76.6 | 2.8 | 0.4 |
| 4. बिहार | 263.5 | 165.6 | 12.8 | 1.6 |
| 5. गोवा | 1.3 | ● | ● | — |
| 6. गुजरात | 140.5 | 60.5 | 2.8 | 0.4 |
| 7. हरियाणा | 106.6 | ● | 1.6 | ● |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 64.9 | 10.4 | 1.3 | 0.1 |
| 9. जम्मू व कश्मीर | 7.8 | ● | 1.6 | — |
| 10. कर्नाटक | 114.7 | 12.5 | 7.1 | 0.1 |
| 11. केरल | 259.9 | 13.9 | 2.3 | ● |
| 12. मध्य प्रदेश | 201.3 | 126.3 | 9.2 | 0.7 |
| 13. महाराष्ट्र | 408.6 | 76.4 | 19.3 | 0.4 |
| 14. मणिपुर | 1.2 | 69.3 | 0.1 | 0.1 |
| 15. मेघालय | 0.1 | 13.9 | ● | 0.2 |
| 16. मिजोरम | — | 38.4 | — | 0.5 |
| 17. नागालैंड | 0.1 | 21.5 | 0.1 | 0.1 |
| 18. उड़ीसा | 81.1 | 55.1 | 2.7 | 0.2 |
| 19. पंजाब | 153.5 | ● | 6.8 | — |
| 20. राजस्थान | 113.7 | 51.5 | 5.7 | 0.6 |
| 21. सिक्किम* | — | — | — | — |
| 22. तमिलनाडु | 461.9 | 9.5 | 19.5 | ● |
| 23. त्रिपुरा | 10.0 | 11.2 | 0.4 | — |
| 24. उत्तर प्रदेश | 499.8 | 6.5 | 47.4 | 0.8 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 356.3 | 59.8 | 28.0 | 0.2 |
| 26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | — | 0.2 | — | — |
| 27. चण्डीगढ़ | 37.5 | ● | 1.9 | — |
| 28. दादर व नागर हवेली | 0.2 | 0.9 | ● | ● |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. | दिल्ली | 99.1 | 5.2 | 8.5 | 0.1 |
| 30. | दमन व दीव** | | | | |
| 31. | लक्षद्वीप | — | 5.7 | — | — |
| 32. | पाण्डीचेरी | 7.1 | 0.1 | 0.4 | — |
| | अखिल भारत योग | 3743.2 | 961.8 | 191.8 | 6.5 |

टिप्पणी:—1. *कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. **आंकड़े नहीं रखे जाते।

3. यह अनिवार्य नहीं कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर सभी नौकरी चाहने वाले बेरोजगार हों।

4. 50 से कम आंकड़े।

5—शून्य आंकड़े।

6. पूर्णांकों के कारण आंकड़े जोड़ से मेल नहीं भी खा सकते।

**उड़ीसा में छोटे और मध्यम कस्बों का विकास**

[अनुवाद]

1314. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और मध्यम कस्बों के समन्वित विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रायोजित योजना के अंतर्गत छोटे और मध्यम कस्बों को ऋण सहायता उपलब्ध कराए जाने के अलावा व्यय को राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार वहन करती है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य सरकार से कटक जिले के जाजपुर टाऊन, जयपुर रोड़ एन० ए० सी०, धर्मशाला/जरका, बर चला/छतियां दशरथपुर, बिन्जारपुर, मंगलपुर और कुआखिया कस्बों को भी शामिल करने के बारे में कोई प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) केवल केन्द्रीय ऋण सहायता राज्यों को छोटे तथा माध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत समानाधार पर दी जाती है।

(ख) और (ग) राज्यों को कस्बे का नियतन योजनावार आधार पर किया जाता है। मूलत: सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा के लिए तीन कस्बों का नियतन किया गया था, चार कस्बों अर्थात् बारीपाड़ा, बोलंगीर, क्योंझार और जगतसिंहपुर के लिए परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त

हुई थीं और प्रथम तीन कस्बों को इस योजना में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा प्राथमिक विकास के लिए सूचीबद्ध किए गए कस्बों में से दो और कस्बों को शामिल करने के हाल ही के निर्णय के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने पारादीप और कोरापुट कस्बों के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट भेजी थी और इन कस्बों को योजना में शामिल कर लिया गया था।

**बम्बई समुद्र तट पर तेल के टैंकर का रिसना**

[हिन्दी]

1315. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के एक टैंकर से रिसा हुआ फर्नेस तेल, जिससे हाल ही में एक दुर्घटना हो गई थी, बम्बई समुद्र तट तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो यह टैंकर किस देश का है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण के लिए किस प्रकार का खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या रक्षोपाय किए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जब टैंकर को मरम्मत के लिए लाया गया तो इसमें केवल दो टन का रिसाव हुआ जिसका पता लगाकर उस पर काबू पा लिया था। अरब सागर में पश्चिमी तट से 725 किलोमीटर दूर दुर्घटना के स्थान पर हुए 5500 टन का बड़ा रिसाव अभी तट तक नहीं पहुंचा है।

(ख) एम० वी० पप्पी नामक इस टैंकर पर माल्टा का झंडा लहरा रहा था।

(ग) इससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। फिर भी इसके प्रभावों, यदि कोई हों, का अध्ययन करने के लिए नमूने लिए गए हैं।

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता से भारतीय तटरक्षक दल ने शीघ्र कार्रवाई की;

(2) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनाई जाने वाली योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए बम्बई में एक उच्चस्तरीय बैठक की;

(3) रीजिनल कंटिनजैंसी कमेटी, जो भारतीय तटरक्षक दल के अधीन पहले ही कार्य कर रही है, को रिसे हुए तेल का पता लगाने तथा उनके साथ कार्य योजना कार्यान्वित करने के निदेश दिए गए थे;

(4) राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी एजेंसी, हैदराबाद को भी उपग्रह के जरिए, तेल, रिसाव का पता लगाने का काम सौंपा गया; और

(5) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के जलयान ने भी समुद्री जीवन पर प्रभावों का अध्ययन करने के लिए नमूने एकत्र किए।

## स्लम योजना के अन्तर्गत डी० डी० ए० फ्लैट

[अनुवाद]

1316. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग ने अपनी स्लम योजना 1980 और 1981 के अन्तर्गत जून, 1989 तक कुछ फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका, श्रेणीवार और स्थान-वार, ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन फ्लैटों के आवंटन का कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित फ्लैटों का अलग-अलग तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्लम विंग ने भी प्रत्येक वर्ष फ्लैटों के निर्माण का कोई कोटा निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) और (ख) 1980-87 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत संलग्न विवरण के अनुसार विभिन्न कालोनियों में 6474 मलिन बस्ती पुनर्वास फ्लैटों/टेनिमेंटों का निर्माण किया गया है।

(ग) और (घ) ये मलिन बस्ती फ्लैट/टेनिमेंट मलिन बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभावित सभी परिवारों को आवंटित किये जाते हैं और इस प्रकार किसी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कोटे का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, नहीं। चूंकि मलिन बस्ती उन्मूलन की योजना 11 जून, 1984 से बन्द कर दी गई है।

### विवरण

विभिन्न वर्षों के दौरान मलिन बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित मलिन बस्ती पुनर्वास फ्लैटों की संख्या :

| क्रम सं० | कालोनी | निर्मित किये गये पुनर्वास फ्लैटों/टेनिमेंटों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मादीपुर चरण-I | 144 |
| 2. | जहांगीरपुरी चरण-I | 456 |
| | उप योग : | 600 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1. मादीपुर चरण-II | | 496 |
| 2. माता सुन्दरी रोड चरण-II | | 96 |
| | उप योग : | 592 |
| 1. जहांगीरपुरी चरण-II | | 444 |
| 2. रघुबीर नगर, होलीचाइल्ड स्कूल के समीप | | 256 |
| 3. सराय फूल चरण-II | | 80 |
| 4. इन्द्रकोक चरण-V | | 128 |
| 5. गढ़ी | | 200 |
| 6. तुर्कमान गेट | | 450 |
| | उप योग : | 1558 |
| 1. संगम पार्क | | 200 |
| 2. तिलक बिहार | | 1184 |
| 3. कटरा करीम | | 32 |
| | उप योग : | 1416 |
| 1. बस्ती नारनौल, अजमेरी गेट | | 88 |
| 1. एन० जी० रोड | | 768 |
| 2. सराय बस्ती | | 256 |
| 3. रणजीत नगर | | 128 |
| 4. रघुबीर नगर, होली चाइल्ड स्कूल के समीप | | 48 |
| | उप योग : | 1200 |
| 1. तिलक बिहार | | 240 |
| 2. जहांगीरपुरी | | 288 |
| 3. एन० जी० रोड, ग्रुप-III | | 272 |
| 4. सराय काले-खां चरण-I | | 240 |
| | उप योग : | 1040 |
| | कुल योग : | 6474 |

**अशुद्ध जल शोधन संयंत्र**

1317. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा सफाई योजना और केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने अभी तक पर्याप्त संख्या में अशुद्ध जल शोधन संयंत्र विकसित नहीं किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने समूची नदी के किनारे इन संयंत्रों के लिए स्थानों का चयन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(घ) गंगा नदी के जल को विभिन्न स्रोतों के गन्दे पानी से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए आगे क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे बसे 27 श्रेणी-1 के नगरों में प्रदूषण में कमी लाने की स्कीमें हाथ में ली जानी थीं। अतः इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश से पश्चिम बंगाल में गार्डन रीच, कलकत्ता तक नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में 35 सीवेज उपचार संयंत्र अभिनिर्धारित किए गए जिनमें कुछ नए स्थापित किए जाने थे या वर्तमान संयंत्रों की क्षमता में बढ़ोत्तरी की जानी थी या उनका नवीकरण किया जाना और उन्हें फिर से चालू किया जाना था। एक विवरण संलग्न है। इन स्कीमों का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) अपशिष्ट जल के अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन की 88 स्कीमों को यथाशीघ्र पूरा करने का भी प्रस्ताव है, जिससे गंगा नदी में प्रतिदिन लगभग 843.83 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल गिरने से रोका जा सकेगा।

**विवरण**

**सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले सीवेज उपचार संयंत्रों का ब्यौरा**

| क्रम सं० | स्थान | क्षमता (एम० एल० डी) | परियोजना की प्रकृति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **(क) पश्चिम बंगाल** | | | |
| 1. | हावड़ा | 45.0 | नवीकरण |
| 2. | सेरामपुर | 18.9 | नवीकरण |
| 3. | कल्याणी | 16.9 | नवीकरण एवं क्षमता-विस्तार |
| 4. | चन्दननगर | 22.5 | नवीकरण एवं क्षमता-विस्तार |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 5. भाटपारा ग्रेड बी | 23.0 | नवीकरण एवं क्षमता-विस्तार |
| | 6. -वही-ग्रेड ई | 7.0 | नया |
| | 7. टीटागढ़ | 23.18 | नवीकरण एवं क्षमता-विस्तार |
| | 8. बारानगर कामरहाटी | 40.0 | नया |
| | 9. गार्डन रीच, कलकत्ता | 47.5 | नया |
| | 10. कोसीपुर चितपुर, कलकत्ता | 45.0 | नया |
| | 11. दक्षिणी उपनगरीय (पूर्व), कलकत्ता | 35.0 | नया |
| | 12. पानीहाटी | 12.0 | नया |
| | 13. बाली, कलकत्ता | 30.0 | नया |
| | 14. बहरामपुर | 4.0 | नया |
| | 15. नवद्वीप | 4.0 | नया |
| (ख) | बिहार | | |
| | 16. छपरा | 8.0 | नया |
| | 17. सैदपुर, पटना | 45.0 | नवीकरण |
| | 18. बेउर, पटना | 35.0 | नवीकरण एवं क्षमता-विस्तार |
| | 19. दक्षिण क्षेत्र, पटना | 25.0 | नया |
| | 20. पूर्वी क्षेत्र, पटना | 4.0 | नया |
| | 21. मुंगेर | 13.5 | नया |
| | 22. भागलपुर | 11.0 | नया |
| (ग) | उत्तर प्रदेश | | |
| | 23. कनखल, हरिद्वार | 18.0 | नया |
| | 24. लक्कड़ घाट, हरिद्वार | 6.0 | नवीकरण एवं क्षमता-विस्तार |
| | 25. स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश | 0.33 | नया |
| | 26. फरुखाबाद | बाद में निर्णय किया जाएगा | नया |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 27. | क्रोमियम उपलब्धि (रिकवरी) मार्गदर्शी (पायलट) संयंत्र, जाजमाऊ, कानपुर | नगण्य | नया |
| 28. | अपशिष्ट जल के उपचार के लिए मार्गदर्शी संयंत्र, जाजमाऊ, कानपुर | 10 एम$^3$ | नया |
| 29. | जाजमाऊ, कानपुर | 25.0 | नया |
| 30. | जाजमाऊ, कानपुर | 130.0 | नया |
| 31. | नैनी, इलाहाबाद | 60.0 | नया |
| 32. | मिर्जापुर | 20.00 | नया |
| 33. | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 9.8 | नवीकरण एवं क्षमता-विस्तार |
| 34. | डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी | 12.0 | नया |
| 35. | दीनापुर, वाराणसी | 80.0 | नया |

(एम० एल० डी०)=मिलियन (10 लाख) लीटर प्रतिदिन

सारांश

| राज्य | पूर्ण क्षमता तक नवीकरण किया जाना है | नवीकरण और क्षमता-विस्तार किया जाना है | नया |
|---|---|---|---|
| 1. उत्तर प्रदेश | — | 2 | 11 |
| 2. बिहार | 1 | 1 | 5 |
| 3. पश्चिम बंगाल | 2 | 4 | 9 |
| कुल : | 3 | 7 | 25 |

**डी० पी० टी० का टीका लगाने के बाद किसी भी प्रकार के अनर्थ से बचाव के सुरक्षोपाय**

1318. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त सरकार के जन प्रतिरक्षण के कार्यक्रम के अन्तर्गत डी० पी० टी० के टीके लगाने के बाद किसी भी प्रकार के अनर्थ की घटना से बचाव के लिए कोई सुरक्षोपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और क्या भविष्य में अपेक्षित सुरक्षोपाय किए जायेंगे ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) से (ग) डी० पी० टी० टीके लगाने के बाद होने वाली प्रतिक्रियाएं सामान्यतः मामूली और थोड़ी अवधि के लिए होती हैं। डी० पी० टी० टीके को लगाने के बाद होने वाली गम्भीर किस्म की प्रतिक्रियाएं बहुत ही कम होती हैं। डी० पी० टी० और अन्य टीके लगाने के बाद होने वाली दुर्घटनाओं को न होने देने के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी श्रेणियों के कार्मिकों के प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि उच्च किस्म की सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे टीकों की खुली शीशियों का उपयोग केवल एक सेशन के लिए करें। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या में सिरिंजें और सुइयां प्रदान की गई हैं ताकि प्रत्येक इंजेक्शन के लिए एक-एक विसंक्रमित सिरिंज और सुई के उपयोग को संभव बनाया जा सके। राज्य सरकारों को भी यह परामर्श दिया गया है कि वे सेवाओं की फील्ड मानीटरिंग को तेज करें।

**धागा मूल्य स्थिरीकरण समिति की रिपोर्ट**

1319. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा और हस्तकला बोर्ड की हथकरघा सम्बन्धी स्थायी समिति द्वारा गठित धागा मूल्य स्थिरीकरण समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण-संलग्न है।

(ग) इन सिफारिशों को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु नीति तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।

विवरण

यार्न कीमत स्थिरीकरण समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) सहकारी तथा राज्य क्षेत्र की कताई मिलों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए ताकि हथकरघा क्षेत्र की यार्न की जरूरत के लिए गैर-सरकारी मिलों पर निर्भरता को उत्तरोत्तर कम किया जा सके।

(2) हैंक यार्न दायित्व योजना कड़ाई से लागू की जाए।

(3) हैंक यार्न पर लगाया गया बिक्री कर समाप्त किया जाए।

(4) क्रास रील हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दी जाए।

(5) सभी हथकरघा संगठनों को चाहिए कि वे यार्न के लिए एक दीर्घकालीन क्रय नीति तैयार करें और कताई मिलों/एन० एच० डी० सी० को पक्के अग्रिम मांग-पत्र प्रस्तुत करें।

(6) रूई की कीमतें स्थिर रखने हेतु उपाय किए जाएं।

(7) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन० एच० डी० सी०) को चाहिए कि रूई को हैंक यार्न में बदलने और उसे हथकरघा एजेंसियों को सप्लाई करने के उद्देश्य से रूई की बातचीत तथा खरीद रूई सीजन के आरम्भ में कर लें। ऐसी खरीद से प्राप्त होने वाले परिणामी लाभ प्रयोक्ताओं को दिए जाएं।

(8) एन० एच० डी० सी० द्वारा सप्लाई किए गए यार्न की कीमत निर्धारित करने के लिए एक यार्न कीमत निर्धारण समिति गठित की जाए।

(9) जनता कपड़े पर मिलने वाली आर्थिक सहायता की दर को यार्न के मूल्य सूचकांक से संयोजित किया जाए और दर में संशोधन स्वतः हो।

(10) एन० एच० डी० सी० को यार्न सप्लाई करने के प्रयोजन हेतु, एक आवर्ती निधि बनाने के लिए ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त, रियायती ब्याज दर पर बैंक वित्त की व्यवस्था की जाए।

(11) भारतीय रूई निगमों को चाहिए कि वे हथकरघा केन्द्रों वाले निर्धारित राज्यों में बफर स्टाकों से क्षेत्रीय डिपो खोलें।

(12) रूई तथा सूती यार्न के निर्यात के समय हथकरघा क्षेत्र के लिए यार्न की जरूरतों और घरेलू यार्न कीमत सम्बन्धी स्थिति को ध्यान में रखा जाए।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यकरण में सुधार**

1320. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो अथवा तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान कुल कितने आवास स्थल विकसित किए गए और आबंटित किए गए और वर्ष 1989-90 के दौरान कितने आवास स्थल विकसित करने और आबंटित करने का विचार है;

(घ) वर्ष 1988-89 के दौरान कुल कितने मकान निर्मित किए गए और आबंटित किये गये और वर्ष 1989-90 के दौरान कितने मकान निर्मित करने और आबंटित करने की सम्भावना है;

(ङ) वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी अनधिकृत आवास कालोनियां नियमित की गई और वर्ष 1989-90 के दौरान ऐसी कितनी कालोनियों को नियमित करने का विचार है; और

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान मकान बनाने तथा आवास स्थलों का विकास करने को छोड़कर दिल्ली के समग्र विकास पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई और इसके लिए वर्ष 1989-90 के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**"होम्योपैथिक फारमेकोपीआ आफ इण्डिया" के विभिन्न प्रावधानों को लागू करना**

1321. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होम्योपैथिक फारमेकोपीआ आफ इण्डिया, खण्ड-5 के विभिन्न प्रावधानों को अगस्त, 1988 से लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो जारी की गई अधिसूचना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अधिसूचना को किस कानून के सम्बद्ध प्रावधानों के पूर्व भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) होम्योपैथिक फार्मेकोपिया आफ इण्डिया, खण्ड-5 पहली अगस्त, 1988 से लागू किया गया है। भारत के औषध नियंत्रक द्वारा 2-5-89 को एक परिपत्र सभी सम्बन्धितों को यह बताते हुए जारी किया गया है कि उक्त प्रकाशन अर्थात् होम्योपैथिक फार्मेकोपिया आफ इण्डिया, खण्ड-5 पहली अगस्त, 1988 (जब इस प्रकाशन की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी) से प्रभावी हुआ है। इस सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुजरात में घटिया किस्म के गेहूं की सप्लाई**

[हिन्दी]

1322. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावनि** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राजकोट के लोगों से पिछले तीन महीनों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया किस्म के गेहूं की सप्लाई करने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस गेहूं को खाने के बाद पेट की गड़बड़ी के कारण अब तक कितने व्यक्ति बीमार हुए हैं; और

(घ) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में मिली शिकायतों की जांच करने तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) से (ग) घटिया किस्म के गेहूं की आपूर्ति करने अथवा पेट की गड़बड़ी के कारण व्यक्तियों के बीमार होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## कोयला खानों में दुर्घटनाएं

[अनुवाद]

1323. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई तथा प्रत्येक वर्ष कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) मृत व्यक्तियों के सगे सम्बन्धियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं की संख्या और उनमें मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

| वर्ष | घातक दुर्घटनाओं की संख्या | मारे गए व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1986 | 180 | 214 |
| 1987 | 162 | 176 |
| 1988* | 159 | 175 |

*(अनन्तिम)

(ख) खान प्रबन्धमण्डलों द्वारा मृतक के वारिसं को प्रतिकर की अदायगी की कर्मकार प्रतिकर

अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है जिसको सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग) जी, नहीं,। प्रश्न नहीं उठता।

**कलकत्ता और अन्य शहरों में भूमिगत रेल लाइन**

1324. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सरकार का कलकत्ता के अतिरिक्त अन्य शहरों" में भी भूमिगत रेल लाइन बिछाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) और (ख) इस प्रकार के प्रस्ताव समय-समय पर विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए गए हैं। तथापि कलकत्ता के अलावा अन्य शहरों में भूमिगत रेलवे लाइन के निर्माण की इस समय कोई स्वीकृत योजना नहीं है।

**वनों के विकास के लिए धन का आबंटन**

1325. **श्री के० प्रधानी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनों के विकास के लिए राज्यवार विशेषकर उड़ीसा के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा को वर्ष 1989-90 के लिए कार्यक्रमवार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) सातवीं योजना के दौरान वानिकी के विकास के लिए राज्य-वार आबंटित निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उड़ीसा राज्य को 4500 लाख रुपए की निधियां आबंटित की गई।

(ख) उड़ीसा को वर्ष 1989-90 के लिए कार्यक्रम-वार आबंटित निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

| | |
|---|---|
| **1. केन्द्रीय योजना** | **लाख रुपयों में** |
| (1) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी की पौधरोपण | 150.00 |
| (2) विकेन्द्रित जन नर्सरियां | 50.00 |
| **2. राज्य योजना** | 2255.00 |

1989-90 के दौरान राज्य को अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए वंटित निधियों के स्कीम-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

| | |
|---|---|
| (1) बाघ परियोजना | 14.66 |

| | |
|---|---|
| (2) वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार करने और अवैध व्यापार को रोकना | 1.25 |
| (3) प्रकृति शिक्षा और व्याख्यात्मक कार्यक्रम | 2.00 |

केन्द्रीय सहायता का अतिरिक्त वंटन विशिष्ट स्कीमों के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों, केन्द्रीय बजट में उपलब्ध आवंटनों तथा राज्य बजट में मुहैय्या बराबर के अंश की मात्रा पर निर्भर करता है।

**विवरण**

**सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वानिकी के विकास के लिए निधियों का राज्यवार आवंटन**

(लाख रुपयों में)

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित प्रदेश | आवंटन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 6570 |
| 2. | असम | 7000 |
| 3. | बिहार | 4500 |
| 4. | गुजरात | 12964 |
| 5. | हरियाणा | 6700 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 11684 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 3492 |
| 8. | कर्नाटक | 6200 |
| 9. | केरल | 7000 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 7877 |
| 11. | महाराष्ट्र | 10600 |
| 12. | मणिपुर | 1441 |
| 13. | मेघालय | 2900 |
| 14. | नागालैण्ड | 1800 |
| 15. | उड़ीसा | 4500 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16. | पंजाब | 3200 |
| 17. | राजस्थान | 4985 |
| 18. | सिक्किम | 950 |
| 19. | तमिलनाडु | 7000 |
| 20. | त्रिपुरा | 1500 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 16200 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 5045 |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 1200 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 3000 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 161.85 |
| 26. | दादर व नगर हवेली | 429 |
| 27. | दिल्ली | 210 |
| 28. | गोवा, दमन और दीव | 600 |
| 29. | लक्षद्वीप | — |
| 30. | मिजोरम | 1500 |
| 31. | पाण्डिचेरी | 130 |

**महाराष्ट्र में कताई मिलों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता**

1326. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से महाराष्ट्र में 10 कताई मिलें स्थापित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से मियादी ऋण दिलवाए जाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) और (ख) अन्यों के साथ-साथ, महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र राज्य सहकारी मिल परिसंघ लि० ने मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वह संस्थानों द्वारा वित्त पोषण के लिए महाराष्ट्र की 11 गैर-क्रियान्वित सहकारी कताई मिलों के मामलों की सिफारिश करे ।

(ग) इनमें से, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संस्थानों ने दो एककों को पहले ही सहायता की स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-III/विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सहायता के लिए चार मिलों के मामलों पर विचार किया जाना है। संस्थानों द्वारा अभी भी एक अन्य एकक के आवेदन पत्र पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बाकी एककों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

**गैस रिसने सम्बन्धी घटना**

1327. **श्री जी० एस० वासवराजु :**
**श्री शांतिलाल पटेल :**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 (30 जून, 1989 तक) के दौरान देश के विभिन्न भागों में गैस रिसने की हुई घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) देश में गैस के रिसाव की घटनाओं के बारे में वर्ष 88 के अंत तक की जानकारी उपलब्ध है। वर्ष 1987 और 1988 के दौरान राज्य-वार गैस रिसाव की घटनाओं की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार कारखानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रावधानों को प्रबंधतंत्र द्वारा लागू किया जाना अपेक्षित है। कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करके "जोखिमपूर्ण संक्रियाओं" पर एक अलग अध्याय समाविष्ट किया गया था जिसमें उन मौजूदा कारखानों के प्रारम्भिक स्थान और विस्तार के लिए अनुमति देने हेतु कार्यस्थल मूल्यांकन समितियों के गठन की व्यवस्था है जिनमें जोखिमपूर्ण प्रक्रिया, अधिष्ठाता द्वारा अनिवार्य रूप से सूचना देना, जोखिमपूर्ण संक्रियाओं के सम्बन्ध में अधिष्ठाता का विशिष्ट उत्तरदायित्व, कार्य स्थल पर और कार्य स्थल से दूर आपातकाल योजना बनाना, सुरक्षा प्रबंध में श्रमिक भागीदारी आदि शामिल हैं। इस अधिनियम में रसायनों और विषैले पदार्थों के प्रयोग की अनुज्ञेय सीमा भी बताई गई है। यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है।

सुरक्षा प्रबन्ध की क्षमताओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए श्रम मंत्रालय "भारत में बड़ी दुर्घटना जोखिम नियंत्रण पद्धति की स्थापना और प्रारम्भ" सम्बन्धी एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन परियोजना और औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम सम्बन्धी यू० एस० ए० आई० डी० परियोजना लागू कर रहा है।

विवरण

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | गैस रिसाव की दुर्घटनाओं की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | 1987 | 1988 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2 | 1 |
| 2. | गुजरात | 15 | 13 |
| 3. | पंजाब | 1 | 2 |
| 4. | उड़ीसा | 5 | 3 |
| 5. | केरल | 5 | 3 |
| 6. | गोआ | 2 | 2 |
| 7. | पश्चिमी बंगाल | 2 | 6 |
| 8. | महाराष्ट्र | 9 | 6 |
| 9. | बिहार | — | 1 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 1 | — |
| 11. | *राजस्थान | 5 | |
| 12. | *मध्य प्रदेश | 6 | |

*1987 और 1988 के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी एक साथ संकलित की गई है।

वर्ष 1987 और 1988 के दौरान शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से गैस रिसाव का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

**दिल्ली में गेंहूं और चीनी का स्टाक रखने की मात्रा**

[हिन्दी]

1328. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में व्यापारियों के लिए गेहूं और चीनी का स्टॉक रखने की मात्रा कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है तथा यह मात्रा कब से कम कर दी गई है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में गेहूं की कालाबाजारी कम हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बुरी प्रथा को रोकने के लिए आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) और (ख) दिल्ली में गेहूं के व्यापारियों के लिए स्टाक सीमा जोकि 21-4-49 से थोक विक्रेताओं के मामले से 1000 क्विंटल से घटाकर 250 क्विंटल और खुदरा विक्रेताओं के लिए 100 क्विंटल से घटाकर 50 क्विंटल कर दी गई थी, को 27-6-89 से उसी स्तर पर बहाल कर दी गई है जो 21-4-89 से पूर्व चल रही थी।

दिल्ली में चीनी के व्यापारियों के लिए स्टाक सीमा 15-5-89 से 500 क्विंटल से घटाकर 250 क्विंटल कर दी गई है।

(ग) और (ख) 21-4-89 से 26-6-89 तक की अवधि के लिए गेहूं के व्यापारियों की स्टाक सीमा घटा देने से जमाखोरी, कालाबाजारी आदि जैसे कदाचारों को रोकने में मदद मिली थी।

**दिल्ली में हैजा फैलना और इसके कारण होने वाली मौतें**

1329. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**
**डा० कृपा सिन्धु भोई :**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गत दो-तीन महीनों से हैजा फैला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग का प्रकोप दिल्ली के किन-किन क्षेत्रों में रहा;

(ग) इस रोग से कितने लोग बीमार हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोगों को इससे बचाया जा सका;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली में हैजा फैलने के कारणों का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस रोग की रोकथाम हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस कार्यवाही का मुख्य ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम के अधीन केवल नरेला जाने से ही हैजे के केन्द्रीय प्रकोप की सूचना मिली थी।

(ग) चालू वर्ष के दौरान 15 जुलाई, 89 तक हैजे के 35 मामलों की सूचना मिली है, जिनमें मृत्यु का कोई मामला नहीं है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के एक दल ने दिल्ली से प्रभावित क्षेत्रों का

दौरा किया, इस दल की कुछेक मुख्य टिप्पणियां इस प्रकार हैं :—

1. नरेला जोन से जून, 89 के महीने के दौरान हैजे के मामलों की सूचना प्राप्त हुई। इस दल ने उस क्षेत्र में हैजा रोधी टीके लगाने शुरू किए थे और इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली को 10 जेट गनें जारी की गई थीं।

2. नरेला जोन से एकत्र किए गए पानी के तीन नमूनों में से 2 नमूने असंतोषजनक पाए गए। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ने पानी की शुद्धि के लिए हैलोजन गोलियों का वितरण शुरू किया था।

3. क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री वितरित करके, दीवारा पेंटिंग, बैनर और होर्डिंग लगाकर लोगों में जागरुकता पैदा करके भोजन स्वच्छता और मल व्ययन तथा पर्यावरणिक सफाई पर विशेष जोर दिया गया।

**छोटे और मध्यम शहरों के समन्वित विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को सहायता**

[अनुवाद]

1330. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ब्रम्हपुर के विकास के लिए छोटे और मध्यम शहरों के समन्वित विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत बरहमपुर कस्बे के लिए छठी योजना के अन्त तक केन्द्रीय सहायता के रूप में 24.02 लाख रुपये दिए जाने के अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित निधियां दी गई हैं :—

| वर्ष | लाख रुपयों में |
|---|---|
| 1986-87 | 11.55 |
| 1987-88 | 8.00 |
| 1988-89 | 2.50 |
| योग : | 22.05 |

**सर्विस डाक्टर्स एसोसियेशन की मांगें**

1331. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रेलवे, दिल्ली प्रशासन और

कर्मचारी, राज्य बीमा आदि के अन्तर्गत कार्यरत सर्विस डाक्टर्स एसोसियेशन से कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मांग के सम्बन्ध क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करके उन्हें 15 अगस्त, 1989 तक पूरा करने का आश्वासन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन मांगों को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है और अभी तक किन-किन मांगों को पूरा किया गया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) सर्विस डाक्टर संगठनों की संयुक्त कार्रवाई परिषद ने अप्रैल, 89 में मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(ख) उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—उच्च वेतनमान, समयबद्ध पदोन्नतियां, प्राइवेट प्रेक्टिस की अनुमति या मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर प्रैक्टिस-बंदी भत्ता दिया जाना जिसकी अधिकतम सीमा निर्धारित न हो, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 62-65 वर्ष करना, चिकित्सा अधिकारियों को पूर्व तारीख से रिस्क भत्ता, वाहन भत्ता, आकस्मिक भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता शिक्षण भत्ता, प्रशासनिक भत्ता, ग्रामीण/कठिन क्षेत्र भत्ता जैसे विभिन्न प्रकार के भत्ते देना/उनमें वृद्धि करना। सेवा सम्बन्धी सभी मामलों में सभी राज्यों की सेवा की गणना करना, सभी सेवा डाक्टरों के लिए समान वेतनमान और प्रोन्नति के अवसर प्रदान करना, पदोन्नति/पद-समंजन का लाभ 1-1-1986 से दिया जाना। एस० ए० जी० स्तर पर पदों की तदर्थ संख्या, हड़ताल की अवधि का वेतन देना, सभी, भागीदारों लाभ प्रदान करना आदि।

(ग) उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) संयुक्त कार्रवाही परिषद को सूचित किया गया है कि उनके अप्रैल, 1989 के ज्ञापन में निर्दिष्ट उनकी मांगों के सम्बन्ध में एक निर्णय की घोषणा की जाएगी और जहां तक संभव होगा आदेश 15-8-89 तक जारी कर दिए जाएंगे।

**केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को वेतन और पदोन्नति में समानता**

1332. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल विभाग और दिल्ली प्रशासन आदि के अधीन कार्यरत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के वेतन और पदोन्नति में समानता लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के लिए समान वेतन और समान पदोन्नति के अवसर होते हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का कोई भी डाक्टर रेल मंत्रालय के अधीन तैनात नहीं किया जाता है।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का निर्माण**

1336. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1989 में अब तक कितने फ्लैटों को निर्मित किया गया है/पूरा किया गया है; और

(ख) गत् तीन वर्षों, की उपलब्धी की तुलना में, इसकी स्थिति क्या है;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों की संख्या 23,931 थी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1-4-1989 से 15-7-1989 तक की अवधि के दौरान 648 मकानों का निर्माण किया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित मकानों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

| | |
|---|---|
| 1985-86 | 16,519 |
| 1986-87 | 8,828 |
| 1987-88 | 18,758 |

**घटिया किस्म के स्टेनलैस स्टील बर्तनों के निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही**

1337. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :
**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया किस्म के स्टेनलैस स्टील के बर्तनों को प्रयोग करने से शरीर में जहर फैल सकता है;

(ख) क्या सेलम स्टेनलैस स्टील प्लांट ने इस सम्बन्ध में गहन प्रयोगशाला परीक्षण किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उन स्टेनलैस स्टील बर्तन निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है जो घटिया धातु का प्रयोग करते हैं और बर्तन बनाने के लिए घटिया धातु के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) से (घ) सामान्यतया स्टेनलैस स्टील के इस्तेमाल से मानव शरीर को कोई हानि नहीं होती

है। घटिया किस्म का स्टील जिसमें आयरन, निक्कल और क्रोमियम जैसे संघटक धातु विभिन्न मात्राओं में हो सकते हैं, भोजन तैयार करने और उसे भंडारित करने के दौरान घुल सकती है। इनमें से लोहे और निक्कल का मुखीय अन्तर्ग्रहण हानिकारक नहीं है। लेकिन क्रोमियम हानिकारक हो सकता है यदि इसकी मात्रा रोज की अन्तर्ग्रहण मात्रा के स्तर से अधिक हो जाती है। भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड के अनुसार, सालेम स्टील संयंत्र ने कुछ घटिया किस्म के स्टेनलैस स्टील की रासायनिक संरचना और भौतिकीय गुणों का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला जांचें की थीं। मानक निर्धारित करके बर्तनों के प्रमाणीकरण के प्रश्न पर भारतीय मानक ब्यूरो के परामर्श से विचार किया जाएगा।

**सरकारी क्षेत्र में जनशक्ति निर्यात निगम**

1338. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सरकारी क्षेत्र में जनशक्ति निर्यात निगम गठित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रस्ताव को लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे लोगों को खाड़ी के देशों को जाने से किस सीमा तक रोका जा सकेगा ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) जी नहीं। अ० श्र० सं० ने जनशक्ति निर्यात निगम गठित करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में पार्कों का रख-रखाव**

1339. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में जनता फ्लैटों के पाकेट-दो में पार्कों के रख-रखाव के बारे में 26 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7033 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पार्कों के विकास का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) कूड़ा करकट हटा दिया गया है, ग्रिल के क्षतिग्रस्त भाग पर कांटेदार तार/ढीली ग्रिल लगाई जा रही है तथा मुरमुट तैयार कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**उड़ीसा में वनरोपण कार्य के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता**

1340. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में स्वयंसेवी संगठनों ने वनरोपण कार्य शुरू करने के लिए सहायता हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा में कई स्वैच्छिक संगठनों ने वनीकरण कार्य आरम्भ करने के लिए सहायता हेतु अनुरोध किया है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने अब तक राज्य में विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों की ग्यारह (11) प्रयोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| | प्रायोजनाओं की संख्या | स्वीकृत धनराशि (रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1985-86 | 2 | 588500 |
| 1986-87 | 4 | 3015336 |
| 1987-88 | 4 | 1474175 |
| 1988-89 | 1 | 325530 |

इन प्रायोजनाओं में परती भूमि विकास से सम्बन्धित कार्यकलाप जैसे पौधशाला उगाना, वृक्ष लगाना, प्रशिक्षण और जागरुकता पैदा करना, शामिल हैं। प्रत्येक प्रायोजना प्रस्ताव पर स्वीकृत क्रिया-विधि के अनुसार गुणों के आधार पर विचार किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए निधि का राज्यवार निर्धारण नहीं किया गया है।

**बन्धुवा मजदूरों के पुनर्वास के लिए उड़ीसा को सहायता**

1341. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार को बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है और सातवीं योजनावधि के दौरान अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन, राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर धनराशि प्रदान की जाती है, बशर्ते कि विगत में प्रदान की गई राशि के बारे में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने और पुनर्वास के लिए विशेष योजना को अनुमोदित

करने के लिए जिला/राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग समिति के कार्यक्रम प्रस्तुत करने जैसे कतिपय दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया हो। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान उड़ीसा को प्रदान की गई राशि नीचे दी गई है :

| वर्ष | प्रदान की गई राशि (रु० लाखों) |
|---|---|
| 1985-86 | 70.03 |
| 1986-87 | 66.98 |
| 1987-88 | 84.02 |
| 1988-89 | 18.50 |

उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने 30-11-1988 तक केन्द्रीय हिस्से की बाबत 711.09 लाख रुपए के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं। यह स्थिति 1981-82 तथा उसके बाद के वर्षों की है तथा वर्ष-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) धनराशि प्रदान किया जाना दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा।

**उड़ीसा में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम**

1342. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) कितने कुष्ठ रोगियों का उपचार किया गया है और राज्य में उक्त अवधि के दौरान शुरू किए गए विशिष्ट पुनर्वास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्न-लिखित धनराशि व्यय की गई :

(लाख रुपए)

| वर्ष | नकद | सामग्री | कुल |
|---|---|---|---|
| 1986-87 | 30.00 | 25.00 | 55.00 |
| 1987-88 | 82.50 | 20.00 | 102.50 |
| 1988-89 | 100.00 | 25.00 | 125.00 |

इसके अतिरिक्त, इस राज्य के नौ बहु औषध उपचार जिलों को अलग से धनराशि आबंटित की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई धनराशि इस प्रकार है :

| | (लाख रुपए) |
|---|---|
| 1986-87 | 10.00 |
| 1987-88 | 33.00 |
| 1988-89 | 35.00 |

(ख) अब तक 2,19,334 कुष्ठ रोगियों का उपचार करके उन्हें छुट्टी दी गई है। विरूपताओं में शल्य चिकित्सा द्वारा सुधार करने के लिए राज्य में 2 पुनर्निर्माणकारी शल्य चिकित्सा यूनिटें और 2 कुष्ठ रोग पुनर्वास संवर्धन यूनिटें स्थापित की गई हैं। कुष्ठ रोग पुनर्वास संवर्धन यूनिटें कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

**रुग्ण चीनी मिलों को पुनः चालू करने के लिए धनराशि का उपयोग**

1343. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रुग्ण चीनी मिलों को पुनः चालू करने तथा उनके आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) अब तक, राज्य-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) किन-किन चीनी एककों के लिए धनराशि जारी की गई है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) कमजोर चीनी मिलों का पुनर्वासन और आधुनिकीकरण करने के लिए चीनी विकास निधि के अधीन सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 1989-90 के लिए बजट में 75.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यूनिटों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा उनका तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करने पर चीनी यूनिटों का पुनर्वासन और आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय संस्थान भी ऋण सहायता सुलभ करते हैं।

(ख) और (ग) 30-6-89 को स्थिति के अनुसार, चीनी विकास निधि से 39 चीनी मिलों के लिए 60.23 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है जिसमें से 37 चीनी मिलों के लिए 56.57 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चीनी फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण/पुनर्वासन के लिए मंजूर किए गए और वितरित किए गए ऋण की राज्यवार स्थिति

| क्र० सं० | राज्य और चीनी फैक्ट्री का नाम | मंजूर किया गया ऋण | वितरित किया गया ऋण (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **आन्ध्र प्रदेश** | | | |
| 1. | मै० सर्वराया शुगर्ज लि०, चेल्लूरू जिला ईस्ट गोदावरी, आं० प्र० (1986-87) | 40.00 | 40.00 |
| | उप-जोड़ : | 40.00 | 40.00 |
| **बिहार** | | | |
| 1. | मै० चम्पारन शुगर मिल्स, चनपतिया (1985-86) | 55.02 | 55.02 |
| 2. | मै० बाघ चीनी मिल्स लि०, (1986-87) | 17.00 | 17.00 |
| 3. | मै० रिघा शुगर कं० लि०, जिला सीतामढ़ी (1987-88) | 50.00 | 50.00 |
| 4. | मै० विष्णु शुगर मिल्स, गोपालगंज (1989-90) | 94.00 | 94.00 |
| | उप-जोड़ : | 216.02 | 216.02 |
| **कर्नाटक** | | | |
| 1. | मै० उग्र शुगर वर्क्स लि०, उग्र खुर्द, जिला बेलगांव (1988-89) | 42.00 | 42.00 |
| | उप-जोड़ : | 42.00 | 42.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **तमिलनाडु** | | | |
| 1. | मै० कावेरी शुगर्ज एण्ड केमिकल्स लि०, पेटायवेतलाई, जिला त्रिची (1987-88) | 50.00 | 50.00 |
| 2. | मै० पेराम्बलूर शुगर मिल्स लि०, अन्नासलाई, मद्रास (1988-89) | 224.00 | 224.00 |
| 3. | मै० अरुणा शुगर्ज एण्ड इन्टरप्राइजेज लि०, साउथ अरकाट (1988-89) | 150.00 | — |
| | उप-जोड़ : | 424.00 | 274.00 |
| **पंजाब** | | | |
| 1. | मै० माल्वा शुगर मिल्स लि०, धुरी, जिला संगरूर (1987-88) | 88.00 | 88.00 |
| 2. | मै० मोरिन्डा कोआप० शुगर मिल्स लि०, मोरिन्डा, जिला रोपड़ (1988-89) | 177.00 | 177.00 |
| 3. | मै० दोआबा कोआप० शुगर मिल्स लि०, नवांशहर, जिला जालन्धर (1988-89) | 164.00 | 164.00 |
| | उप-जोड़ : | 429.00 | 429.00 |
| **महाराष्ट्र** | | | |
| 1. | मै० परवरा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, परवरानगर जिला अहमदनगर (1986-87) | 210 00 | 210.00 |
| 2. | मै० गंगापुर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, जिला औरंगाबाद (1987-88) | 189.00 | 189.00 |
| 3. | मै० श्री सोमेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, जिला पुणे (1988-89) | 250.00 | 250.00 |
| 4. | मै० श्री दत्ता शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शिरोल, जिला कोल्हापुर (1988-89) | 176.00 | 176.00 |
| 5. | मै० श्रीराम सहकारी शक्कर कारखाना लि०, फाल्टन, जिला सतारा (1988-89) | 153.00 | 153.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | मै० बेलगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि० (1988-89) | 151.00 | 151.00 |
| 7. | मै० गिरना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भानसाहेब हिरायनगर, डाभडी, जिला नासिक (1988-89) | 56.00 | 56.00 |
| 8. | मै० भीमा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मधुकरनगर, पटास, जिला पुणे (1988-89) | 216.00 | — |
| | उप-जोड़ : | 1401.00 | 1185.00 |
| **उत्तर प्रदेश** | | | |
| **1985-86** | | | |
| 1. | मै० कानपुर शुगर वर्क्स लि०, (कठकुईयां और पढरौना) | 123.92 | 123.92 |
| **1986-87** | | | |
| 2. | मै० बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, जिला गोंडा | 54.00 | 54.00 |
| 3. | मै० सिम्भावली शुगर मिल्स लि०, सिम्भावली, जिला गाजियाबाद | 125.00 | 125.00 |
| **1987-88** | | | |
| 4. | मै० सर शादी लाल इन्टरप्राइजेज लि०, अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली, जिला मुजफ्फरनगर | 56.00 | 56.00 |
| 5. | मै० बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, जिला गोंडा | 26.00 | 26.00 |
| 6. | मै० धामपुर शुगर मिल्स लि०, जिला बिजनौर | 80.00 | 80.00 |
| 7. | मै० यूनाइटेड प्रोविन्सेज शुगर कं० लि० | 50.00 | 50.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **1988-89** | | | |
| 8. | मै० स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, गोरखपुर, उ० प्र० | 35.00 | 35.00 |
| 9. | मै० मराया शुगर मिल्स लि० सरदार नगर, जिला गोरखपुर | 158.00 | 158.00 |
| 10. | मै० त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, खतौली, मुजफ्फरनगर, उ० प्र० | 150.00 | 150.00 |
| 11. | मै० किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, ननौटा, जिला सहारनपुर, उ० प्र० | 298.00 | 298.00 |
| 12. | मै० रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि०, रमाला, जिला मेरठ | 280.00 | 280.00 |
| 13. | मै० सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि०, बिलरायां, जिला खीरी, उ० प्र० | 269.00 | 269.00 |
| 14. | मै० किसान कोआप० शुगर फैक्ट्री लि०, सरसावा, जिला सहारनपुर | 200.00 | 200.00 |
| 15. | मै० केसर इन्टरप्राइजेज लि०, बेहड़ी, जिला बरेली | 115.00 | 115.00 |
| 16. | मै० शेरवानी शुगर सिंडिकेट लि०, नेवली, जिला एटा, उ० प्र० | 19.00 | 19.00 |
| 17. | मै० के० एम० शुगर मिल्स लि०, मोतीनगर, जिला फैजाबाद, उ० प्र० | 232.00 | 232.00 |
| 18. | मै० यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर, उ० प्र० | 800.00 | 800.00 |
| **1989-90** | | | |
| 19. | मै० सेकसराय बिस्वान शुगर फैक्ट्री, सीतापुर, उ० प्र० | 400.00 | 400.00 |
| | उप-जोड़ : | 3470.92 | 3470.92 |
| | जोड़ : | 6022.92 | 5656.94 |

**इमारती लकड़ी वाले वृक्षों की कटाई पर रोक**

1344. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इमारती लकड़ी वाले वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने और इस प्रकार वनों की कटाई कम करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) और (ख) इमारती लकड़ी के वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने और इस प्रकार वनों की कटाई कम करने के लिए सचिवों और राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के वन विभागाध्यक्षों की 30 और 31 मई, 1988 को हुई बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :—

(1) पांच वर्ष की अवधि के भीतर अनिवार्य कानूनी परिवर्तन लागू करके प्राकृतिक वनों की कटाई पर चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाना, जैसा कि नीचे दिया गया है :—

निम्नलिखित क्षेत्रों में इमारती लकड़ी के दोहन पर तत्काल रोक लगा दी जाए :

(1) सभी महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों के जलसंभर (वाटरशेड);

(2) 30 डिग्री ढाल से ऊपर सभी वन;

(3) 40 प्रतिशत से कम घने वन;

(4) जो वन जैविक विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के वन; और

(5) वे वन जिनके लिए कोई प्रबन्ध योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं।

(2) सभी कार्य योजनाओं को तेजी से संशोधन करना और सम्पूर्ण अथवा अधिकांश प्राकृतिक वनों को शामिल करने के लिए सुरक्षा कार्य के दायरे में वृद्धि करना।

(ग) कई राज्यों ने चुने हुए जलसंभरों (वाटरशेड), पर्वतीय क्षेत्रों और जैविक विविधता वाले क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने की कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

**भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद**

1345. **श्री भद्रेश्वर तांती** :
**श्री अब्दुल हमीद** :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष भारतीय कपास निगम द्वारा राज्य-वार कितनी कपास खरीदी गई और देश में कपास के कुल उत्पादन का यह कितने प्रतिशत है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक कपास की खरीद का यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो वह कितना है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) रूई वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय कपास निगम ने देश में रूई के उत्पादन की लगभग 5.5% मात्रा की खरीद की है, उसके राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

| राज्य | मात्रा (गांठों में) |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 88,847 |
| गुजरात | 99,459 |
| हरियाणा | 65,238 |
| कर्नाटक | 29,309 |
| मध्य प्रदेश | 88,780 |
| महाराष्ट्र | राज्य एकाधिकार |
| पंजाब | 1,43,060 |
| राजस्थान | 51,044 |
| तमिलनाडु | 6,185 |
| अन्य | 190 |
| योग : | 5,72,132 |

(ख) ऐसे लक्ष्य का निर्धारण इस समय व्यवहार्य नहीं है।

**हथकरघा क्षेत्र के लिए लक्ष्य का निर्धारण**

1346. **श्री अब्दुल हमीद :**
**श्री भद्रेश्वर तांती :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के लिए हथकरघा क्षेत्र हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) लक्ष्य प्राप्ति कहां तक हुई; और

(ग) यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो उसके क्या कारण हैं ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) वर्ष 1988-89 के लिए हथकरघा क्षेत्र में वस्त्रों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य 4250 मिलियन मीटर था।

(ख) हैंक यार्न की सिविल सुपुर्दगियों के आधार पर वर्ष 1988-89 के दौरान हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन का अनुमान 3949 मिलियन मीटर है।

(ग) उत्पादन लक्ष्य में कमी के मुख्य कारण हैं :—

(i) मिलों और विद्युत करघा क्षेत्रों की तुलना में हथकरघा क्षेत्र में अधिक लागत; और

(ii) यार्न की कीमतों में वृद्धि।

**असम में छोटे और मझौले कस्बों को केन्द्रीय सहायता**

1347. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे और मझौले कस्बों के समन्वित विकास की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता हेतु असम में किन छोटे और मझौले कस्बों को चुना गया है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) और (ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

| क्रम सं० | कस्बे का नाम | 31-3-89 तक दी गई केन्द्रीय सहायता |
|---|---|---|
| | | (रुपये लाखों में) |
| 1. | करीमगंज | 43.00 |
| 2. | दिपू | 20.00 |
| 3. | नौगांव | 24.00 |
| | योग : | 87.00 लाख |

**श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण**

1348. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों के कार्यकरण के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के किसी भी औद्योगिक अधिकरण और श्रम न्यायालय के कार्यकरण के बारे में इस समय कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में शिकायतों की प्राप्ति पर उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।

**भारतीय रुई निगम लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप**

1349. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय रुई निगम लिमिटेड के अधिकारियों तथा मुख्य अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अपकरण के आरोपों के बारे में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि नहीं, तो जांच-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) क्या जांच कार्य में विलम्ब से इस सरकारी उपक्रम को और अधिक नुकसान होगा;

(घ) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) अगली कार्रवाई जांच की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। इन्हें तेजी से पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

**राष्ट्रीय रेशम कीटपालन परियोजना**

1350. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :
**श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेशम उत्पादन तथा इसके निर्यात में सुधार लाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से 550 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रेशम कीटपालन परियोजना प्रारम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वित होने के परिणामस्वरूप रेशम उत्पादन का कितना लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) से (ग) 555.30 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। विश्व बैंक और स्विस सहायता से कार्यान्वित की जा रही यह परियोजना 5 वर्ष तक चलेगी और इसमें परियोजना अवधि के अन्त तक रेशम उत्पादन 6000 मी० टन तक

बढ़ाने का प्रावधान है। उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए परियोजना के अन्तिम वर्ष तक प्राकृतिक रेशम निर्यात का लक्ष्य 850 करोड़ रुपए रखा गया है।

**दिल्ली में विषाक्त भोजन और मिलावट के मामले**

1351. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
**श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में विषाक्त भोजन के कितने मामले हुए;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(ग) जांच के लिए नमूना लेने वाली कौन-कौन सी एजेंन्सियां हैं और नमूना-परीक्षण में उनके द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) क्या उनके द्वारा नमूना-परीक्षण सम्बन्धी कार्य पूरा किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ताकि दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्रता से कार्यवाही की जा सके; और

(ङ) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें व्यक्तियों को मिलावट करने के लिए दोषी पाया गया और अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए दोषी पाए गए कितने सरकारी कर्मचारियों को दण्डित किया गया ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) 1-1-1987 से 30-6-89 की अवधि के दौरान योजना विषाक्तता की चार घटनाएं दिल्ली प्रशासन के खाद्य अपमिश्रण निवरण विभाग के ध्यान में आई हैं जिनमें 106 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 व्यक्तियों का उपचार प्राइवेट क्लिनिकों में किया गया। इससे कोई नई मौत नहीं हुई।

(ग) और (घ) खाद्य नमूने उठाना खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग की मुख्य जिम्मेदारी है। भोजन विषाक्तता से सम्बन्धित अन्य एजेंसियां पुलिस और स्थानीय निकाय हैं। इस सम्बन्ध में कार्रवाई सम्बन्धित कानून के उपबन्धों के अनुसार की जाती है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) खाद्य विषाक्तता की एक घटना में जिसमें "आलू की टिक्की" खाने से 94 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया गया था, विक्रेता को पुलिस द्वारा धारा 328—भारतीय पुलिस संहिता के अधीन गिरफ्तार किया गया है। किसी भी सरकारी अधिकारी को अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने का दोषी नहीं पाया गया है।

## पंजाब में गेहूं का उत्पादन

[हिन्दी]

1352. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों ने इस वर्ष भी पहले की भांति पंजाब में किसानों से गेहूं की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद गत वर्ष की तुलना में कम हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी सरकारी संस्थाओं द्वारा जून, 1989 तक समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

| (घ) राज्य | वसूल की गई मात्रा (लाख मीटरी टन में) |
|---|---|
| हरियाणा | 39.79 |
| पंजाब | 56.04 |
| राजस्थान | 1.06 |
| उत्तर प्रदेश | 10.71 |
| जोड़ : | 87.60 |

## खाद्य तेलों का आयात

1353. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्य तेलों की देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के बावजूद खाद्य तेलों का आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया जाएगा; इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाएगी तथा किन-किन देशों से आयात किया जाएगा ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) और (ख) बाजार में देशीय तेल की उपलभ्यता में काफी सुधार हुआ है। तथापि, तेल के देशीय उत्पादन से देश की तेल की समूची मांग के पूरा होने की सम्भावना नहीं है। तेल वर्ष 1988-89 के दौरान आयात किए जाने वाले तेल जी मात्रा की पुनरीक्षा, विभिन्न बातों, जैसे मांग व आपूर्ति के बीच अन्तर, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तथा अन्य सम्बन्धित घटकों को ध्यान में रखते हुए लगातार की जा रही है।

## सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा की जाने वाली सेवाओं पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करना

[अनुवाद]

1354. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा की जाने वाली सेवाओं पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू नहीं होने देते और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को इस महत्वपूर्ण विधान के लागू होने का लाभ नहीं मिल पाता;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की जाने वाली सभी सेवाओं के मामलों में भी इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाए; और

(ग) किन-किन मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण के राष्ट्रीय/राज्य आयोगों/परिषदों को शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) और (ख) दूर संचार विभाग ने हाल ही में अपने क्षेत्रीय एककों को अनुदेश जारी किए हैं जिनमें कहा गया है कि टेलीफोन सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की परिसीमा से छूट दी गई है। यह मामला विधि एवं न्याय मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ग) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग तथा जिला मन्चों में, मंत्रालयों/विभागों तथा रेलवे, बैंकों, बिजली बोर्डों, टेलीफोन, नगर निगमों आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध दोषपूर्ण सेवाओं के बारे में कई शिकायतें दर्ज कराई गई है।

टेलीफोन विभाग के खिलाफ सामान्यत: दोषयुक्त टेलीफोन, अत्यधिक बिल बनाने, टेलीफोन न लगाने आदि की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। रेलवे के विरुद्ध विश्राम कक्षों की अस्वास्थ्यकर स्थिति रेल के डिब्बों में बिजली तथा पंखों की खराब व्यवस्था आदि मामलों के बारे में शिकायतें दर्ज कराई गई है। इसी प्रकार नगर निगम के विरुद्ध सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने, गड्ढे न भरे जाने आदि मामलों की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत नए औषधालय खोलना**

1355. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत अब तक कोई नया औषधालय खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और 30 जून, 1989 को स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में पृथक-पृथक कुल कितने औषधालय चलाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान इस प्रकार का कोई और औषधालय खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एलोपैथिक औषधालय की स्वीकृति देने का प्रस्ताव है इसके अलावा सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके छह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोले जाने की सम्भावना है।

(घ) मंजूर किए जाने वाले—

1. आंध्र प्रदेश—1

पहले ही मंजूर किए जा चुके—1. बिहार-1

2. दिल्ली-5

**विवरण**

| राज्य | सातवीं पंजवर्षीय योजना में खोले गए के० स० स्वा० यो० औषधालयों की संख्या | 30-6-89 की स्थिति के अनुसार कार्यरत औषधालयों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| आंध्र प्रदेश | 2 | 13 |
| बिहार | — | 5 |
| गुजरात | — | 3 |
| कर्नाटक | 2 | 10 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 4 | 45 |
| उड़ीसा | 1 | 1 |
| राजस्थान | 1 | 5 |
| तमिलनाडु | 2 | 14 |
| उत्तर प्रदेश | 5 | 28 |
| पश्चिम बंगाल | 2 | 17 |
| दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र | 3 | 80 |
| जोड़ : | 22 | 221 |

**दिल्ली में निजी क्षेत्र के नर्सिंग होम/अस्पताल**

1356. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** दिल्ली में निजी क्षेत्र के नर्सिंग होम/अस्पतालों के बारे में 1 अगस्त, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत दिल्ली में जनवरी, 1988 की तुलना में जून, 1989 की निजी क्षेत्र के नर्सिंग होम/अस्पतालों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1989 को इनकी संख्या कितनी थी, इनमें से गैर-पंजीकृत की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या गैर-पंजीकृत नर्सिंग होम चलाने वालों को कड़ी सजा देने के बारे में दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्तमान कानून पर पुनर्विचार अब तक पूरा कर लिया गया है और इसमें किस प्रकार के क्या-क्या संशोधन किए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**बंजर भूमि के विकास हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन**

1357. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बंजर भूमि के विकास हेतु एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन गठित करने पर विचार कर रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मिशन का गठन कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मिशन के सदस्यों, इसके क्षेत्राधिकार एवं कार्यों इत्यादि का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऊपर "ख" के उत्तर को देखते हुए अभी ब्यौरा देना सम्भव नहीं है ।

### भारतीय रूई निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

1358. **श्री टी० बाल गौड** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिनौले की बिक्री के मामले में भारतीय रूई निगम के कर्मचारियों में व्याप्त कदाचार के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के कदाचारों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) और (ख) यद्यपि सरकार को हाल में कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है, परन्तु नार्दन इण्डिया स्माल स्केल काटन फैक्टरी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ अपेक्षाकृत कम दरों पर बिनौले की बिक्री के बारे में शिकायत की थी। निगम के सतर्कता अधिकारियों ने इसकी जांच की थी, परन्तु प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बना। फिर भी, निगम ने ऐसे कदाचारों से बचने के लिए बिनौले की बिक्री की पद्धति को सरल और कारगर बना दिया है ।

### बच्चों को काम पर लगाने वाले खतरनाक उद्योगों पर विशेष कर

1359. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बच्चों को काम पर लगाने वाले कुछ खतरनाक उद्योगों पर विशेष कर लगाने और इस धनराशि से कार्यरत बच्चों के लिए शैक्षिक तथा अन्य सेवाओं की व्यवस्था करके उनकी स्थिति में सुधार लाने का विचार है, जैसाकि 29 अप्रैल, 1989 को राष्ट्रीय बाल बोर्ड की बैठक में प्रधानमन्त्री ने सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) और (ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

### उड़ीसा को खाद्य तेलों की सप्लाई

1365. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां तिलहनों का उत्पादन कम होता है, जहां खाद्य तेलों की कमी है तथा वे केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहते हैं;

(ख) उड़ीसा की खाद्य तेल की वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) उनकी मांग की तुलना में उड़ीसा को खाद्य तेल की प्रत्येक वर्ष कितनी सप्लाई की जाती है;

(घ) क्या यह सच है कि खाद्य तेल की सप्लाई अपर्याप्त है तथा लोगों को खुले बाजार से उच्च दरों पर खाद्य तेल खरीदना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो आने वाले वर्षों में खाद्य तेल की मांग को पूरा करने के लिए उड़ीसा राज्य को खाद्य तेलों की सप्लाई में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मोटे तौर पर निम्नलिखित राज्यों को तेल की कमी वाला राज्य माना जाता है : पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर-पूर्वी राज्य, केरल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर।

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1988-89 के लिए राज्य को आयातित खाद्य तेलों की वार्षिक आवश्यकता 1.44 लाख मी० टन की है।

(ग) से (ङ) खाद्य तेल का आयात देश में कुल मिलाकर तेल की मांग व आपूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, देश में खाद्य तिलहनों व खाद्य तेलों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस पर विचार करते हुए राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने के वास्ते आयातित तेल मुख्यतया सरकार के पास उपलब्ध आयातित खाद्य तेलों के आधार पर आबंटित किए जाते हैं। राज्यों को आयातित तेल आबंटित करते समय जिन अन्य बातों को ध्यान में रखा जाता है, वे हैं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, बाजार में देशीय तेलों की उपलब्धता और उनके मूल्य तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसमें पूर्व किए गए खाद्य तेलों के आबंटन को उठाने की गति आदि। उपर्युक्त बातों के आधार पर उड़ीसा को तेल वर्ष 1987-88 के दौरान खाद्य तेलों की 27800 मी० टन मात्रा आबंटित की गई थी। चूंकि देशीय तेलों की उपलब्धता में सुधार हुआ है अतः चालू तेल वर्ष में नवम्बर, 1988 से जून, 1989 की अवधि के दौरान 4580 मी० टन मात्रा आबंटित की गई है।

**सैक्स सम्बन्धी विकारों के निदान के लिए नया मॉडल**

1366. **श्रीमती वसवराजेश्वरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सैक्स विज्ञान विशेषज्ञों ने सैक्स सम्बन्धी विकारों के निदान के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नए मॉडल की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, एमीनोसेंटेसिस एक तकनीक है जो भारत सहित सारे विश्व में अपनाई जा रही है जिसमें लोकल एनिस्थेसिया द्वारा पेट में सुई लगाकर तरल एमनाइ की अल्प मात्रा ले ली जाती है। यह परीक्षण सामान्यतया गर्भावस्था के 16-18 सप्ताहों के बीच किया जाता है। इस तरल एमनाइ में भ्रूण कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं के गुणसूत्र गठन से आनुवंशिक विकारों के निदान में सहायता मिलती है। एमीनोसेंटेसिस तकनीक से कुल जोखिम 0.5 प्रतिशत है जिसमें भ्रूण और अपरा को अभिघात संक्रमण और गर्भसमापन शामिल हैं।

**केरल सरकार द्वारा हाथी दांतों को नष्ट करना**

1367. **श्रीमती वसवराजेश्वरी :**
**श्री के० एस० राव :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भण्डारण क्षमता की कमी के कारण केरल सरकार लगभग तीन टन हाथी दांत नष्ट करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य में बिक्री न करने योग्य एक करोड़ रुपए से अधिक की हाथी दांत की वस्तुएं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं अथवा जारी किए जाने का विचार है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) केरल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में वन विभाग द्वारा हाथी दांत जलाए जाने की खबर सही नहीं है।

(ख) केरल सरकार के भण्डार में 2.0 मीट्रिक टन भारतीय हाथी दांत है जिसका मूल्य 0.40 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है।

(ग) भारतीय हाथियों की सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय हाथी दांत और उससे बनी वस्तुओं के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध है।

(घ) राज्य सरकारों को निदेश दिए गए हैं कि वे संचित हाथी दांत के मौजूदा स्टॉक को सेना को देने पर विचार करें ताकि उसको सेना के मेसों में रखा जा सके।

**वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा वनरोपण का अधिक लक्ष्य निर्धारित करना**

1369. **श्री एस० बी० सिदनाल :**
**श्री जी० एस० वासवराजू :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए वनरोपण का अधिक लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार औसतन कितने वृक्ष लगाए जाएंगे, और इस प्रयोजनार्थ किए जाने वाले उपायों तथा आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार वनीकरण लक्ष्य और आबंटन संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसमें पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही नई जवाहर रोजगार योजना, जिसके लिए आबंटन का निर्धारण नहीं किया गया है, के अधीन सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया गया क्षेत्र शामिल नहीं है।

**विवरण**

**वर्ष 1989-90 के लिए राज्यवार वनीकरण लक्ष्य और आबंटन**

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | वास्तविक लक्ष्य (पौद संख्या लाखों में) | आबंटन (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 3,200.00 | 1580.70 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 140.00 | 699.00 |
| 3. | असम | 300.00 | 1655.00 |
| 4. | बिहार | 2,800.00 | 1997.00 |
| 5. | गोवा | 75.00 | 129.00 |
| 6. | गुजरात | 2,200.00 | 3355.00 |
| 7. | हरियाणा | 550.00 | 1735.00 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 700.00 | 2396.00 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 350.00 | 1060.00 |
| 10. | कर्नाटक | 2,300.00 | 1667.30 |
| 11. | केरल | 500.00 | 1290.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 3,900.00 | 3457.00 |
| 13. | महाराष्ट्र | 3,100.00 | 3135.50 |
| 14. | मणिपुर | 200.00 | 464.00 |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 15. मेघालय | 275.00 | 942.00 |
| 16. मिजोरम | 300.00 | 570.00 |
| 17. नागालैंड | 350.00 | 482.50 |
| 18. उड़ीसा | 2,200.00 | 1939.50 |
| 19. पंजाब | 400.00 | 725.00 |
| 20. राजस्थान | 900.00 | 1616.50 |
| 21. सिक्किम | 140.00 | 276.00 |
| 22. तमिलनाडु | 1,400.00 | 1991.00 |
| 23. त्रिपुरा | 260.00 | 476.00 |
| 24. उत्तर प्रदेश | 5,500.00 | 4254.30 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 1,000.00 | 1612.50 |
| 26. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 100.00 | 245.00 |
| 27. चण्डीगढ़ | 2.50 | 26.25 |
| 28. दादरा एवं नगर हवेली | 30.00 | 108.50 |
| 29. दमन एवं द्वीव | 2.00 | 14.17 |
| 30. दिल्ली | 50.00 | 97.50 |
| 31. लक्ष्यद्वीप | 2.50 | — |
| 32. पांडिचेरी | 8.00 | 14.17 |
| योग : | 33,235.00 | 40012.19 |

टिप्पणी—उपर्युक्त लक्ष्यों में पंचायतों के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना के अधीन सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वनीकृत क्षेत्र सम्मिलित नहीं है जिसके लिए आवंटन का निर्धारण नहीं किया गया है ।

**केरल में वानिकी परियोजनाएं**

1370. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1989-90 के दौरान वानिकी के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) केरल में कुल वन-क्षेत्र का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) केरल में 1989-90 के दौरान राज्य योजना के तहत वानिकी के लिए 1740 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई। केन्द्रीय योजना के तहत अब तक 45.55 लाख रुपए आबंटित किए जा चुके हैं। आगे की केन्द्रीय सहायता का आबंटन विशिष्ट स्कीमों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों, केन्द्रीय बजट में उपलब्ध आबंटनों तथा राज्य बजट में दिए गए बराबर के अंश की मात्रा पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेन्सी, हैदराबाद द्वारा 1985-86 में केरल में कुल वन आवरण को निश्चित करने के लिए मूल्यांकन किया गया। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 19.59% भाग में वन आवरण है।

**विकासीय परियोजनाओं के लिए केरल को धनराशि देना**

1371. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को सातवीं योजना अवधि में अब तक विभिन्न जिलों की विकास परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है और इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत केरल सरकार को दी गई सहायता संलग्न विवरण में दी गई है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत एर्नाकुलम तथा एलेपी जिलों में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को 14.5275 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं।

**विवरण**

**छठी पंचवर्षीय योजना तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना, 31-3-89 तक (अर्थात सातवीं पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों के लिए) के दौरान केरल राज्य को रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता**

| क्र०सं० | शहर का नाम | छठी पंचवषय योजना | | | सातवीं पंचवर्षी योजना | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आई०डी० एस०एम०टी० | एल०सी० एस० | योग | आई०डी० एस०एम०टी० | एल०सी० एस० | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5तथा8 |
| 1. | गुरुवयूर | 35.00 | 3.89 | 38.89 | 4.00 | — | 4.00 | 42.89 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5तथा8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. कोट्टायम | 34.40 | — | 34.40 | 4.60 | 6.80 | 11.40 | 45.80 |
| 3. त्रिचूर | 40.00 | 7.00 | 47.00 | — | — | — | 47.00 |
| 4. कायमकुलम | 9.90 | 4.30 | 14.20 | 20.00 | — | 20.00 | 34.20 |
| 5. तिलचेरा | 22.50 | 8.88 | 31.38 | 16.50 | — | 16.50 | 47.88 |
| 6. तिरूर | 40.00 | 1.87 | 41.87 | — | — | — | 41.87 |
| 7. चनगनचेरी | 24.00 | 6.36 | 30.36 | 16.00 | — | 16.00 | 46.36 |
| 8. बडागरा | 30.00 | 8.45 | 38.45 | 9.00 | — | — | 47.45 |
| 9. मालापुरम | 35.00 | — | 35.00 | 5.00 | 9.80 | 14.80 | 49.80 |
| 10. थोडूपुजा | — | — | — | 45.00 | 6.50 | 51.50 | 51.50 |
| 11. गौजेरी | — | — | — | 40.00 | 5.33 | 45.33 | 45.33 |
| 12. पालघाट | — | — | — | 43.50 | — | 43.50 | 43.50 |
| 13. चेननूर (एन० सी० यू० शहर) | — | — | — | 24.00 | 2.25 | 26.25 | 26.25 |
| योग : | 270.30 | 41.25 | 311.55 | 227.60 | 33.68 | 258.28 | 569.85 |

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम की पूंजी-सम्बन्धी पुनर्व्यवस्था**

1372. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की पूंजी-सम्बन्धी पुनर्व्यवस्था करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने ऋण इक्विटी को 1 : 1 के अनुपात में सन्तुलित करने और विगत संचित हानियों को बट्टे-खाते में डालने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत पूंजी-पुनर्व्यवस्था प्रस्तावों पर विचार किया है। ऐसा निश्चय किया गया कि एन० टी० सी० मिलों के वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिए इन प्रस्तावों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे ।

**काला-आजार से उत्पन्न संकट पर रिपोर्ट**

1373. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 2 जुलाई, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित काला-आजार से उत्पन्न संकट सम्बन्धी समाचार की जानकारी है, और यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्वास्थ्य विभागों एवं राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान आदि जैसे अनुसंधान और विकास संस्थानों द्वारा इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या भारतीय स्वयंसेवी संगठन ने एक रिपोर्ट तैयार करके इसके खतरे के बारे में सरकार को सचेत कर दिया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 2 जुलाई, 1989 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी काला-आजार सम्बन्धी रिपोर्ट को देखा है। सरकार पहले ही निम्नलिखित उपाय कर रही है:—

— रोगियों का बाकायदा पता लगाना तथा सभी रोगियों का सोडियम एंटिमनी ग्लुकोनेट, पेंटामिडाइन आदि जैसी औषधों से उपचार ।

— डी० डी० टी० जैसे अवशिष्ट क्रिया वाले कीटनाशकों का आवधिक प्रयोग ।

— घरों के अन्दर तथा आसपास सामान्य सफाई व्यवस्था में सुधार ताकि मरूपशिकाओं के प्रजनन के स्थानों को नष्ट किया जा सके।

— रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिक्षा ।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार काला-आजार के नियंत्रण के लिए स्थानिकमारी वाले राज्यों को विशिष्ट नकद सहायता दे रही है।

वर्ष 1988 के दौरान बिहार सरकार को लगभग 91.38 लाख रुपए की कीमत के कीटनाशक सप्लाई करने के साथ-साथ 150 लाख रुपए का नकद अनुदान जारी किया गया है ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए 150.00 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं ।

बिहार में वर्ष 1989 के लिए औषध प्रतिरोधी/अप्रतिक्रियाशील रोगियों के उपचार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए पैंटामिडाइन के बीस हजार एम्प्यूल प्राप्त किए जा रहे हैं ।

— भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपने राजेन्द्र स्मारक अनुसंधान संस्थान, पटना और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के जरिए बिहार में काला-आजार नियन्त्रण के क्षेत्र में अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलाप चला रही है।

भारत सरकार, बिहार और पश्चिम बंगाल में काला-आजार रोग के पुनः फैलने के सम्बन्ध में भारतीय स्वयं सेवी स्वास्थ्य संघ की रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पहले से ही इस स्थिति के बारे में चिन्तित है ।

**परिष्कृत खाद्य तेल पर पौद्योगिक अध्ययन**

1374. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति का उपयोग जन-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का, इससे होने वाली हानि तथा उपभोक्ताओं को इसकी बजाय कच्चे खाद्य तेलों या परिष्कृत तेलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जनता को शिक्षित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार पहले की भांति आयातित और स्वदेशी, दोनों प्रकार के खाद्य तेलों को परिष्कृत और अपरिष्कृत के रूप में डिब्बाबन्द और खुला, दोनों ही तरह से उपभोक्ताओं को वितरित करने का है; और

(घ) क्या परिष्कृत और गैर-परिष्कृत खाद्य तेलों का कोई पौष्टिक अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। इस समय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित परिष्कृत तेल सप्लाई कर रही है।

(घ) जी, नहीं।

**खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत नमूनों की जांच**

1375. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण के प्राधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों और औषधियों के वर्षवार और राज्यवार कितने नमूने लिए गए;

(ख) इनमें से कितने नमूने निर्धारित मानक से कम मानक के पाए गए; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य अपमिश्रण निवारण प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा जांचे गए खाद्य पदार्थों के नमूनों और मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों की वर्षवार और राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। खाद्य अपमिश्रण निवारण प्राधिकारी औषध पदार्थों के नमूने नहीं लेते हैं।

(ग) मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए खाद्य नमूनों (अपमिश्रित/नकली ब्रांड के) के मामलों में सम्बन्धित खाद्य अपमिश्रण निवारण प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अन्तर्गत इस तरह के खाद्य पदार्थों के विक्रय/भंडारण/सप्लाई या विनिर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

विवरण

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1986 | | 1987 | | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जांचे गए नमूनों की संख्या | अपमिश्रित नकली ब्रांड के नमूनों की संख्या | जांचे गए नमूनों की संख्या | अपमिश्रित नकली ब्रांड के नमूनों की संख्या | जांचे गए नमूनों की संख्या | अपमिश्रित/ नकली ब्रांड के नमूनों का संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 8474 | 837 | 7737 | 772 | सू० प्र० | सू० प्र० |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | — | — | — | — | " | " |
| 3. | असम | 1448 | 184 | 1949 | 287 | " | " |
| 4. | बिहार | 2199 | 433 | 2494 | 471 | 2867 | 470 |
| 5. | गोवा | 248 | 15 | 321 | 25 | 313 | 36 |
| 6. | गुजरात | 12,091 | 1186 | 11,023 | 781 | 10,701 | 880 |
| 7. | हरियाणा | अ० प्र० | अ० प्र० | 2310 | 330 | सू० प्र० | सू० प्र० |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 894 | 277 | 829 | 195 | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 859 | 106 | 1660 | 404 | 2351 | 589 |
| 10. | कर्नाटक | 4065 | 530 | 4320 | 422 | 3260 | 354 |
| 11. | केरल | 13,710 | 445 | 10,932 | 373 | सू० प्र० | सू० प्र० |
| 12. | मध्य प्रदेश | 6296 | 1548 | 7463 | 1300 | " | " |
| 13. | महाराष्ट्र | 18,421 | 1159 | 21835 | 1176 | 20,664 | 1294 |
| 14. | मणिपुर | 89 | 7 | 53 | 9 | सू० प्र० | सू० प्र० |
| 15. | मेघालय | 150 | 41 | 165 | 44 | " | " |
| 16. | मिजोरम | — | — | — | — | — | — |
| 17. | नागालैण्ड | 148 | 29 | 218 | 7 | 110 | — |
| 18. | उड़ीसा | 1342 | 346 | 1469 | 364 | सू० प्र० | सू० प्र० |
| 19. | पंजाब | 3472 | 314 | 3217 | 301 | " | " |
| 20. | राजस्थान | 1510 | 475 | 2509 | 794 | " | " |
| 21. | सिक्किम | — | — | — | — | 6 | 3 |
| 22. | तमिलनाडु | 20,636 | 2265 | 20,040 | 1885 | 19,298 | 1867 |
| 23. | त्रिपुरा | 250 | 34 | 229 | 30 | सू० प्र० | सू० प्र० |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 22,517 | 2996 | 25,434 | 3429 | " | " |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 1037 | 155 | 1170 | 195 | 2260 | 390 |
| 26. | अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | — | — | — | — | 118 | 7 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. अण्डीयढ़ | 675 | 105 | 510 | 97 | 520 | 103 |
| 28. दादरा व नागर हवेली | 55 | 9 | 39 | — | सू० प्र० | सू० प्र० |
| 29. दमन व द्वीव | — | — | — | — | " | " |
| 30. दिल्ली | 1383 | 235 | 1660 | 262 | 1542 | 312 |
| 31. लक्षद्वीप | — | — | — | — | — | — |
| 32. पांडिचेरी | सू० अ० प्र० | सू० अ० प्र० | 1805 | 138 | सू० प्र० | सू० प्र० |

इन्डेक्स : सू० प्र० =सूचना प्रतीक्षित
सू०अ०प्र० =सूचना अप्राप्त

**राजधानी में आंत्रशोथ बीमारी को फैलने से रोकने सम्बन्धी निवारक उपाय**

1376. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में चालू मौसम के दौरान आंत्रशोथ बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई निवारक उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका ने ऐसी महामारियों को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं—

1. सुरक्षित पेय जल आपूर्ति।

2. मानव मलमूत्र, कूड़ा-करकट तथा रद्दी आदि का सुरक्षित निपटान।

3. नालियों में जमी गाद की सफाई, सेप्टिक टैंकों आदि की सफाई।

4. असुरक्षित पानी में क्लोरीन डालना।

5. ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी को बढ़ाना।

6. अस्पतालों, औषधालयों आदि के माध्यम से पर्याप्त उपचार सुविधाएं।

7. पानी का नियमित रूप से जीवाणु सम्बन्धी विश्लेषण।

8. स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृढ़ करना।

(ग) केन्द्रीय सरकार मांग किए जाने पर जांच कार्य और रोगियों के निदान के लिए तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान करती है।

**वर्तमान औषधालयों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में दर्जा बढ़ाना**

1377. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को वर्तमान औषधालयों का दर्जा बढ़ाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के कोई निर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने औषधालयों का दर्जा बढ़ाया जायेगा ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) सन् 2000 इसवी तक सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करने के लिए छठी योजना में औषधालयों

को उनका दर्जा बढ़ाकर उन्हें सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बदलने की योजना आरम्भ की गई थी। सातवीं योजना में सामान्य क्षेत्रों में प्रत्येक 30,000 ग्रामीण आबादी तथा आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 आबादी पर मौजूदा ग्रामीण औषधालय को बदलकर या एक नई यूनिट की स्थापना करके एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की परिकल्पना की गई थी। वर्ष 1989-90 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

**वर्तमान वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान खोले जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या लक्ष्य—1989-90**

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 200 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4 |
| 3. | असम | 55 |
| 4. | बिहार | 302 |
| 5. | गोवा | 1 |
| 6. | गुजरात | 200 |
| 7. | हरियाणा | 61 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 27 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 56 |
| 10. | कर्नाटक | 294 |
| 11. | केरल | 241 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 276 |
| 13. | महाराष्ट्र | 261 |
| 14. | मणिपुर | 6 |
| 15. | मेघालय | 6 |
| 16. | मिजोरम | 3 |
| 17. | नागालैंड | 4 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18. | उड़ीसा | 168 |
| 19. | पंजाब | — |
| 20. | राजस्थान | 318 |
| 21. | सिक्किम | — |
| 22. | तमिलनाडु | 270 |
| 23. | त्रिपुरा | 20 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 676 |
| 25. | पश्चिमी बंगाल | 124 |
| 26. | अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 2 |
| 27. | चण्डीगढ़ | — |
| 28. | दादरा व नगर हवेली | 1 |
| 29. | दिल्ली | — |
| 30. | दमण व द्वीव | 2 |
| 31. | लक्षद्वीप | — |
| 32. | पांडिचेरी | — |
| | योग : | 3578 |

**गोआ में उपभोक्ता सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता**

1378. **श्री शांताराम नायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं;

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत गोआ में स्थित इन सहकारी समितियों को पिछले दो वर्षों के दौरान और गोआ के राज्य बनने से तीन वर्ष पूर्व गोआ, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र को कितनी आर्थिक सहायता दी गई; और

(ग) इस आर्थिक सहायता के उपयोग सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) गोवा में 30-6-1989

को उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या निम्नवत थीं :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ | — | 1 |
| 2. प्राथमिक उपभोक्ता भंडारों की संख्या | — | 61 |

(ख) और (ग) गोवा ने केवल 1988-89 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मार्जिन धन के रूप में 2.40 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की। 1984-85 से 1987-88 के वर्षों के दौरान गोवा, दमण और दीव में समितियों द्वारा किसी वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाया गया। ग्रामीण उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत 1988-89 के दौरान गोवा को निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार द्वारा समितियों को निर्मुक्त की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने के आधार पर प्रदान की गई थी।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण के त्रिलोकपुरी, दिल्ली स्थित फ्लैटों में सिले-सिलाए वस्त्र बनाने वाले एकक**

1381. **श्री राम भगत पासवान** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिलोक पुरी, दिल्ली स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में बड़ी संख्या में सिले-सिलाए वस्त्र बनाने के एकक चलाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सर्वेक्षण करने पर त्रिलोक पुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में सिले-सिलाए वस्त्र बनाने के किसी फैब्रीकेशन यूनिट का पता नहीं चला।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**विस्कोस-फाइबर का आयात**

1382. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विस्कोस फाइबर का उपयोग करने वालों को विस्कोस का सीधे आयात करने की अनुमति देने और देश में विस्कोस के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए विस्कोस का मूल्य निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) से (ग) विस्कोस स्टेपल फाइबर की घरेलू कीमत पर नियंत्रण रखने तथा स्वदेशी सप्लाई को पूरा करने के लिए वास्तविक प्रयोक्ताओं को खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत फाइबर का आयात करने की अनुमति है। फाइबर की कीमत निर्धारित करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

**भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद और भण्डार**

1383. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेन्सियों द्वारा कितनी मात्रा में गेहूं की खरीद की गई है;

(ख) 1 अप्रैल, 1989 और 1 जुलाई, 1989 को भारतीय खाद्य निगम का कितना भण्डार था;

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनुमानत: कितने गेहूं की आवश्यकता होगी; और

(घ) इस समय गेहूं का प्रति इकाई खरीद मूल्य क्या है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा इसकी प्रति इकाई किस मूल्य पर बिक्री की जा रही है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) 21-7-1989 तक की रिपोर्टों के अनुसार 8.82 मिलियन मीटरी टन ।

| (ख) निम्न तारीख को स्थिति के अनुसार | मात्रा (मिलियन मीटरी टन में) |
|---|---|
| 1-4-89 | 2.3 |
| 1-7-89 | 5.82 |

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता का हिसाब राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग, केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, उठान की पिछली प्रवृत्ति, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सापेक्ष आवश्यकताओं और बाजार उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्रत्येक मास के आधार पर लगाया जाता है ।

| (घ) | (रु० प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| वसूली मूल्य | 183/- रु० |
| केन्द्रीय निर्गम मूल्य | 204/- रु० |

**खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध**

1384. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय/राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत देश के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्यान्नों के लाने-ले जाने पर विद्यमान प्रतिबन्धों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान अधिक कृषि उत्पादन को देखते हुए यदि कोई प्रतिबन्ध लगाए गए हैं, तो इसका मूलाधार क्या है; और

(ग) क्या सरकार का यह प्रतिबन्ध समाप्त करने का विचार है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) और (ख) सरकारी स्टाक, जोकि 1987 में सूखे की वजह से कम हो गया था, के लिए चावल की वसूली को बढ़ाने की आवश्यकता की दृष्टि में आन्ध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश की सरकारों और चण्डीगढ़ प्रशासन ने धान के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दिए हैं। राजस्थान और पांडिचेरी ने धान पर क्रमशः 25% और 30% निर्यात लेवी लगा दी है।

(ग) जी, नहीं।

## नई चीनी मिलें

1385. **श्री मोहन भाई पटेल :**
**श्री जगन्नाथ पटनायक :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से देश में और अधिक चीनी मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में क्षेत्रवार एवं राज्यवार कितनी नई चीनी मिलें लगाई जाएंगी ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) और (ख) सैक्टरवार और राज्यवार स्थापित की जाने वाली नई चीनी मिलों की सम्भावित संख्या दूरी की कसौटी के लिहाज से स्थान की उपयुक्तता, कच्चे माल अर्थात् गन्ने की उपलब्धता, उसके विकास की सम्भाव्यता आदि जैसी कई बातों पर निर्भर करती है। सातवीं योजना के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों और वर्तमान फैक्ट्रियों के विस्तार के लिए दिए जाने वाले लाइसेंसों हेतु मूलतः कुल 35.00 लाख मीटरी टन चीनी के उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके प्रति 38.61 लाख मीटरी टन के लिए लाइसेंस दे दिए गए हैं।

सातवीं योजनावधि के दौरान अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा करने के बाद देश में प्रत्येक 2500 टी० सी० डी० की नई चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए अब तक 50 आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। इन फैक्ट्रियों का सैक्टर-वार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

**2500 टी० सी० डी० की नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए राज्यवार, क्षेत्रवार जारी किए गए आशय पत्रों के ब्यौरे**

| क्रम सं० | राज्य | क्षेत्र | | | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सरकारी | सहकारी | संयुक्त | |
| 1. | तमिलनाडु | — | 4 | 5 | 9 |
| 2. | पंजाब | — | 4 | — | 4 |
| 3. | महाराष्ट्र | — | 17 | — | 17 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | — | 5 | 1 | 6 |
| 5. | दादर नगर हवेली | — | 1 | — | 1 |
| 6. | हरियाणा | — | 3 | — | 3 |
| 7. | उड़ीसा | — | — | 4 | 4 |
| 8. | कर्नाटक | — | 3 | — | 3 |
| 9. | आन्ध्र प्रदेश | 1 | — | 1 | 2 |
| 10. | गुजरात | — | 1 | — | 1 |
| | | | | जोड़ : | 50 |

**उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में बलुआकोट-पायापोरी मोटर मार्ग का निर्माण**

[हिन्दी]

1388. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में बलुआकोट-पायापोरी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव को आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में बलुआकोट-पायापोरी मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

**चीनी उद्योग मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट**

[अनुवाद]

1389. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री चीनी उद्योग मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में 22 फरवरी, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग मजदूरी बोर्ड ने न्यूनतम मजदूरी, महंगाई भत्ते की दर, प्रत्याभूत न्यूनतम लाभ, प्रतिधारण भत्ता और अनुषंगी लाभों आदि के सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन सिफारिशों को अन्तिम रूप दिए जाने तक श्रमिकों को अन्तरिम राहत देने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजा किशन मालवीय)** : (क) और (ख) चीनी उद्योग के लिए तीसरे मजदूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें और उन्हें स्वीकार करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(ग) कोई और अन्तरिम राहत प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है ।

**वेतनमानों में संशोधन सम्बन्धी मिश्रा रिपोर्ट**

1390. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री भारतीय खाद्य निगम में वेतनमानों में संशोधन के बारे में 22 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिश्रा समिति की रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) रिपोर्ट संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(ख) और (ग) सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं ।

**डाक्टरों को पेशकश की गई सुविधाओं का कार्यान्वयन न किया जाना**

1391. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डाक्टरों को पेशकश की गई सुविधाओं को क्रियान्वित न किए जाने के बारे में 22 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1987 में सरकार द्वारा डाक्टरों की पेशकशें की गई सुविधाएं अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या डाक्टरों की विभिन्न एसोसिएशनों ने इस बारे में शिकायत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) डाक्टरों को पेशकश की गई सुविधाओं के सभी प्रावधानों को क्रियान्वित कर दिया गया है। परन्तु निम्न विषयों के सम्बन्ध में अभी आदेश जारी होने हैं :—(1) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर 2 वर्ष सहित ग्रुप "क" में 12 वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति, (2) सामान्य पूल आवास के आबंटन के लिए प्रैक्टिसबन्दी भत्ते को वेतन का हिस्सा मानना, तथा (3) सामान्य ड्यूटी उपसंवर्ग के लिए सुपर-टाइम ग्रेड पदों का प्रावधान। सेवा निवर्तन की आयु को बढ़ाने के विषय पर सरकार अभी विचार कर रही है। इस प्रक्रिया में विहित प्रशासनिक औपचारिकताओं के लिए अन्तर-मंत्रालयीन विचार-विमर्श जरूरी होने के कारण विलम्ब हो रहा है।

(ख) डाक्टरों के विभिन्न संघों ने सरकार द्वारा जुलाई, 1987 में घोषित पैकेज सुविधाओं के बकाया प्रावधानों को शीघ्र लागू करने के लिए अभ्यावेदन दिया है।

(ग) सरकार को उम्मीद है कि बकाया मदों को शीघ्र ही कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

**महाराष्ट्र में झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को नागरिक सुविधाएं**

1392. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर निर्मित झुग्गी-झोंपड़ी के निवासियों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) बम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर स्थित गन्दी बस्तियों को मूलभूत जनसुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रश्न विचाराधीन रहा है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से, उन्होंने उपयुक्त मामलों में, बम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर मलिन बस्तियों को शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की राज्य क्षेत्र योजना के तहत मूलभूत जनसुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार अलग से कोई धनराशि नहीं दे रही है।

**भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निर्माण**

1393. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले दो वर्षों में खाद्यान्नों के भण्डारण के नए गोदाम निर्मित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदामों का निर्माण करने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) गोदामों के निर्माण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम के नए गोदामों का निर्माण करते समय क्षेत्रीय सन्तुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा आगामी दो वर्षों अर्थात् 1990-91 और 1991-92 में खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए नए गोदामों का निर्माण करने की योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) भारतीय खाद्य निगम और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन कुछेक नोडल स्थलों पर खाद्यान्न भण्डारण क्षमता का निर्माण करते हैं। नोडल स्थलों का चयन आवश्यकता और परिचालन सम्बन्धी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(घ) यद्यपि देश में माइक्रो स्तर पर खाद्यान्नों के लिए उपलब्ध समूची भण्डारण क्षमता आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है लेकिन क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने और पहाड़ी क्षेत्रों सहित दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में पर्याप्त क्षमता का सृजन करने हेतु माइक्रो स्तरीय परिचालन तथ्यों के आधार पर अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाई जाएगी।

**पश्चिमपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा**

1394. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** पश्चिमपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर कब्जे के बारे में 26 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7085 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर तथा मादीपुर के स्लम क्वार्टरों पर अवैध कब्जा किए जाने के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हलधर सिंह)** : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि एक सर्वेक्षण किया गया है और फ्लैटों के उन आबंटियों जिन्होंने पश्चिमपुरी में उनकी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

उन व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज किए गए हैं जिन्होंने मादीपुर में अनधिकृत निर्माण किया है अथवा स्लम क्वार्टर्स पर अतिक्रमण किया हैं। लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्रवाई भी की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पश्चिमपुरी का विकसित क्षेत्र दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित किया जा चुका है। दिल्ली नगर निगम से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**नशीले पदार्थों के सेवन करने के आदी व्यक्तियों की लत छुड़ाने की सुविधाओं वाले अस्पताल**

1395. **श्री पी० एम० सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थित ऐसे सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जो परामर्श और उपचार केन्द्रों को चला रहे हैं और जहां से नशीले पदार्थों के सेवन करने के आदी व्यक्ति उपचार सहायता प्राप्त कर सकते हैं;

(ख) क्या इस समय दिल्ली में नशीले पदार्थों के सेवन की लत छुड़ाने सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) से (ग) दिल्ली के निम्नलिखित अस्पतालों में नशीली औषधों के आदी व्यक्तियों के लिए उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

1. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली ।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।
3. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (केवल बाह्य रोगी विभाग) ।
4. मानसिक अस्पताल, शाहदरा (केवल बाह्य रोगी विभाग) ।

इसके अलावा, निम्नलिखित अस्पतालों में नशीली औषधों के आदी व्यक्तियों के उपचार के लिए पलंग आरक्षित किए गए हैं :—

1. डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली ।
2. गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली ।
3. श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली ।
4. हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली ।

संलग्न विवरण के अनुसार, कल्याण मंत्रालय के अधीन दिल्ली में 13 परामर्शी केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

सरकार ने दिल्ली के निम्नलिखित अस्पतालों में 30 पलंगों वाले चार पृथक ड्रग-डी-एडिक्शन यूनिटों को स्थापित करने की योजना बनाई है ।

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

(2) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली ।

(3) श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली ।

(4) गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली ।

**विवरण**

**परामर्शी केन्द्रों की सूची**

1. अभय जनरल विलियम्स मोसोनिक, पॉलिक्लिनिक,
फ्री मेसन हाल, जनपथ, नई दिल्ली ।

2. जागृति काउन्सिलिंग सेन्टर,
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, राऊज एवेन्यु,
नई दिल्ली ।

3. काउन्सिलिंग सेन्टर,
जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट,
जामिया नगर ।

4. रोशिनी,
ओ ब्लाक, साऊथ एक्सटेंशन (पार्ट-I) नई दिल्ली ।

5. काउन्सिलिंग सेन्टर,
होली फेमिली हास्पिटल, दिल्ली ।

6. अंकुश काउन्सिलिंग सेंटर,
डी-1/121, जनकपुरी, नई दिल्ली ।

7. जागृति काउन्सिलिंग सेंटर,
परवांसी रोड, 47 बी, न्यू गोविन्द पुरा,
दिल्ली-51 ।

8. काउन्सिलिंग सेंटर,
70 वैशाली, दिल्ली ।

9. जागृति काउन्सिलिंग सेंटर,
पार्क एण्ड, विकास मार्ग, दिल्ली-92 ।

10. जागृति काउन्सिलिंग सेंटर,
दिल्ली प्रशासन डिस्पेंसरी प्रिमिसेस,
एस० टी० डी० क्लिनिक, कैमोलिम रोड,
यात्री निवास, दिल्ली-6 ।

11. जागृति काउन्सिलिंग सेंटर,
एम० सी० डिस्पेंसरी प्रिमिसेस,
गोयन्का रोड, दिल्ली ।

12. काउन्सिलिंग सेंटर्स,
मिरांडा हाऊस, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैम्पस, दिल्ली ।

13. जागृति काउन्सिलिंग सेंटर,
इन्द्र लोक, बी-9/65, डी० डी० ए० फ्लैट,
इन्द्रलोक, नई दिल्ली-52।

**कालाजार की रोकथाम के लिए बिहार को दवाओं और टीकों की सप्लाई**

[हिन्दी]

1399. **श्री राम भगत पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 से जून, 1989 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को कालाजार की रोकथाम के लिए भेजी गयी औषधियों, लेवोडीन, टीकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को इस संक्रामक रोग का सामना करने के लिए क्या सहायता दी जा रही है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) कालाजार की रोकथाम के लिए 1986 से 89 तक बिहार सरकार को पेंटामिडाइन इंजेक्शन की 2130 शीशियां और सर्वीप्रिनोल की 1000 गोलियां सप्लाई की गई हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

**इन्जेक्शन पेंटामिडाइन**

| | | |
|---|---|---|
| 19-12-86 | — | 800 शीशियां |
| 30-1-87 | — | 430 " |
| 16-4-87 | — | 500 " |
| 5-6-89 | — | 200 " |
| 6-7-89 | — | 2000 " |

**सर्वीप्रिनोल गोलियां (एल्लाप्युरिनोल)**

| | | |
|---|---|---|
| 19-12-86 | — | 1000 गोलियां |

इसके अतिरिक्त बिहार में उपयोग के लिए पेंटामिडाइन के 20,000 एम्प्युल्स 1989 की विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता के माध्यम से खरीदे जा रहे हैं।

(ख) केन्द्र सरकार कालाजार के नियन्त्रण के लिए बिहार सरकार को नकद अनुदान और सामग्री के रूप में (कीटनाशक) सहायता प्रदान कर रही है।

1988 के दौरान बिहार सरकार को लगभग 91.38 लाख रुपए के कीटनाशकों की सप्लाई के अतिरिक्त 150.00 लाख रुपए का नकद अनुदान रिलीज किया गया।

चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए 150.00 लाख रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है।

**शहरी स्थानीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन**

1400. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 7 जुलाई, 1989 को शहरी स्थानीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किन-किन राज्यों ने भाग नहीं लिया;

(ख) इस सम्मेलन में भाग न लेने के क्या कारण हैं और इसमें किए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में और कब से इन निर्णयों को लागू किया जा रहा है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) निम्नलिखित राज्यों ने 7-7-1989 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भाग नहीं लिया :—

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. हरियाणा
4. केरल
5. तमिलनाडु
6. पश्चिम बंगाल

(ख) इस मन्त्रालय को लिखित रूप से कोई विशेष कारण नहीं बताए गए हैं ।

(ग) सम्मेलन में शहरी स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने तथा उसकी उचित कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित मुख्य विषयों के निम्नलिखित छः मुद्दों पर विचार किया गया :—

(i) नगरपालिका निकायों की संरचना;

(ii) नगरपालिका निकायों के चुनाव;

(iii) नगरपालिका निकायों के कार्य;

(iv) नगरपालिका निकायों के संसाधन;

(v) नगरपालिका निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य सम्बन्ध; और

(vi) नगरपालिका क्षमताओं को सुदृढ़ करना ।

इन मामलों की अखिल भारतीय व्यवहार्यता तथा उपयुक्तता है और राज्यों द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी ।

**डी० डी० ए० फ्लैट्स, जनकपुरी में दुकानों का अनधिकृत निर्माण**

[अनुवाद]

1403. **श्री डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय समूह के फ्लैटों में अनधिकृत रूप से अनेक दुकानों का निर्माण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षण से पता चला है कि निम्न आय वर्ग के फ्लैट के 205 आबंटिती फ्लैटों के कुछ भाग का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण का उनके पट्टों को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रस्ताव है ।

**कपड़ा मिलों की स्थापना हेतु सोवियत संघ के साथ सहयोग**

1404. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ सरकार ने अपने देश में कुछ कपड़ा मिलों की स्थापना करने के लिए उनके मन्त्रालय से सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) और (ख) ऐसा समझा जाता है कि टैक्सटाइल्स मशीनरी मेन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन, बम्बई ने सोवियत संघ को लगभग 600 करोड़ रु० मूल्य की टैक्सटाइल मशीनरी तथा उपस्कर सप्लाई करने के लिए सम्बन्धित सोवियत संघ प्राधिकारियों के साथ एक संलेख पर हस्ताक्षर किए हैं ।

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों के आधुनिकीकरण हेतु जापान से ऋण**

1405. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने आधुनिकीकरण योजना लागू करने हेतु जापान से ऋण लेने के सम्बन्ध में सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम को जापान से कुल कितना ऋण प्राप्त होगा;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) जी, हां ।

(ख) एन० टी० सी० (टी० एन० एण्ड पी०) लि०, कोयम्बटूर के अन्तर्गत एक एकक में 164 एयर जेट करघे संस्थापित करने के लिए एन० टी० सी० द्वारा जापान से लिए जाने वाले ऋण की प्रस्तावित राशि 8.28 करोड़ रुपए थी ।

(ग) और (घ) सरकार ने मई, 1989 में एन० टी० सी० को सूचित किया कि जापान सरकार ने विदेशी आर्थिक सहयोग निधि सहायता के अन्तर्गत एन० टी० सी० के उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है ।

**पंजाब में विद्युत करघे**

1406. **श्री कमल चौधरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार पंजाब में पंजीकृत कुल कितने करघे चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या पंजाब में चल रहे गैर-पंजीकृत विद्युत करघों के सम्बन्ध में कोई आंकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गैर-पंजीकृत करघों को पंजीकृत करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 को पंजाब में 18086 पंजीकृत विद्युत करघे थे ।

(ख) से (घ) आवश्यक पंजीकरण के लिए अनाधिकृत विद्युत करघों के मालिकों को 31 जनवरी, 1987 को या उससे पूर्व राज्य प्राधिकरणों को आवेदन प्रस्तुत करने थे । आशा है कि गैर पंजीकृत करघों के मालिकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया होगा ।

**"स्टीमुलेटर डेवेलप्ड फार बोन हीलिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

1407. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1989 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "स्टीमुलेटर डेवेलप्ड फार बोन हीलिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या अब तक इस यन्त्र का परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस यन्त्र की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इसे सरकारी अस्पतालों में उपयोग के लिए प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस यन्त्र का कुछ रोगियों पर परीक्षण किया गया था और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे थे ।

(ग) इस यन्त्र की अनुमानित लागत 3000 रुपए से 10,000/- रुपए के बीच हो सकती है ।

(घ) इस यन्त्र को प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि रोगियों पर और परीक्षण किए जाने हैं ।

## गेहूं और चावल का खरीद मूल्य

1408. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान गेहूं तथा चावल का खरीद मूल्य कितना है;

(ख) उक्त खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य वसूल करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) केन्द्रीय पूल के लिए चावल की वसूली मिल-मालिकों और व्यापारियों पर सांविधिक लेवी के अधीन की जाती है, और गेहूं तथा धान की वसूली सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों द्वारा स्वेच्छा से की गई पेशकश के अधीन की जाती है । तथापि, रबी विपणन मौसम 1989-90 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने 7-6-1989 से गेहूं पर व्यापारी लेवी भी लगाई है । गेहूं और धान (साधारण) का वसूली मूल्य इसके सम्बन्धित विपणन मौसम 1988-89 के दौरान क्रमशः 173/- रुपए और 160/- रुपए प्रति क्विंटल था ।

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 204/- रुपए और 244/- रुपए प्रति क्विंटल हैं । केन्द्रीय निर्गम मूल्य समूचे देश में एक-समान रूप से लागू होते हैं । खुदरा उपभोक्ता मूल्य राज्य सरकारों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं । ये मूल्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य और राज्यों की अपनी वितरण लागत को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं ।

## एड्स रोग के राज्य-वार मामले तथा निवारक उपाय

1409. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार, भारत में, राज्य-वार, एड्स रोग से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कितने व्यक्तियों का उपचार किया जा रहा है तथा इस रोग से अधिक प्रभावित होने वाले वर्ग में फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने एड्स रोगियों की वृद्धि-दर के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) 30 जून, 1989 को राज्य-वार सीरम पाजिटिव व्यक्तियों की संख्या 1290 थी, इनमें से 107 विदेशी और 1183 भारतीय थे । 30 जून, 1989 तक केवल 29 व्यक्तियों का पता लगाया गया जिनमें एड्स पूरी तरह से विकसित था । इनमें से 18 भारतीय थे और वे सभी मर चुके हैं :—

**एड्स के भारतीय रोगी (राज्यवार)**

| राज्य | सीरो-पाजिटिव | एड्स-रोगी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| आंध्र प्रदेश | 8 | 1 |
| असम | 0 | 0 |
| बिहार | 0 | 0 |
| चण्डीगढ़ | 22 | 0 |
| दिल्ली | 45 | 2 (एक अप्रवासी भारतीय सहित) |
| गोवा | 16 | 0 |
| गुजरात | 5 | 1 |
| हरियाणा | 2 | 0 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 | 0 |
| जम्मू व कश्मीर | 2 | 1 |
| कर्नाटक | 15 | 0 |
| केरल | 9 | 1 |
| मध्य प्रदेश | 19 | 0 |
| महाराष्ट्र | 326 | 4 |
| मणिपुर | 0 | 0 |
| उड़ीसा | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| पांडिचेरी | 54 | 1 |
| राजस्थान | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 531 | 1 |
| उत्तर प्रदेश | 3 | 1 |
| पश्चिम बंगाल | 4 | 1 |
| पंजाब | 0 | 4 |
| विदेशी | — | 11 |
| योग : | 1062 | 29 |

121 व्यक्तियों के ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है। भारत में एड्स को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कार्यकलापों की योजना बनाई है :—

— एच० आई० वी० संक्रमण का पता लगाने के लिए निगरानी।

— रक्ताधान के लिए उपयोग किए जाने वाले रक्त का परीक्षण और रक्त उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

— स्वास्थ्य की जांच और परामर्श के लिए महानगरों में क्लिनिकों की स्थापना करना।

— मेडिकल कालेजों/जिला अस्पतालों में एस० टी० डी० क्लीनिकों को सुदृढ़ करना।

— निर्धारित बड़े अस्पतालों में एड्स रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सा परिचर्या सुविधाओं का विकास करना।

— चिकित्सा/अर्द्ध-चिकित्सा कार्मिकों को रोगी के उपचार के बारे में प्रशिक्षित करना।

— स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों को तेज करना।

(ख) और (ग) एड्स के बढ़ने की दर के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, 40 निगरानी केन्द्र हैं जहां उच्च खतरे वाले वर्गों के व्यक्तियों की जांच की जा रही है और इन निगरानी केन्द्रों के माध्यम से एच० आई० वी० से संक्रमित व्यक्तियों और एड्स के रोगियों की मानीटरिंग की जाती है।

**वेतनमान और पदोन्नति के मामले में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के साथ बराबरी**

1410. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षा के आधार पर सीधे प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल विभाग, दिल्ली प्रशासन आदि के अधीन कार्यरत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तथा अधिकारियों को ऐसी अन्य श्रेणियों के बराबर वेतनमान और पदोन्नति के अवसर प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन 2200-4000 रुपए के वेतनमान में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षा के आधार पर सीधे श्रेणी-1 अधिकारियों के रूप में की जाती है ।

(ख) यद्यपि सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी वेतन और प्रोन्नति के अवसरों में सुधार के लिए सर्विस डाक्टरों के संघों से कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

## सरकारी भवनों में सुरक्षित पेयजल

1411. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी भवनों के रखरखाव और उनमें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की है;

(ख) यदि हां, तो अधिकांश सरकारी भवनों में पेयजल की अत्याधिक कमी होने के क्या कारण हैं, जिसके फलस्वरूप इन भवनों में कार्य करने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है;

(ग) वायु भवन सहित सरकारी भवनों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों के पास शिकायतें दर्ज कराई गई थीं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

## उड़ीसा में कताई मिलें

1412. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उड़ीसा में कुछ कताई मिलें स्थापित करने का था;

(ख) यदि हां, तो उक्त कताई मिलों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये कताई मिलें स्थापित की जा चुकी हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) केन्द्रीय सरकार कताई मिलें स्थापित नहीं करती ।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

**न्यू पैटर्न हुडको योजना, 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों का निर्माण**

1413. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न्यू पैटर्न हुडको योजना, 1979 के अन्तर्गत जून, 1989 तक कुछ फ्लैटों का निर्माण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी श्रेणी-वार और स्थल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष फ्लैटों के निर्माण का कोटा निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी विशेष योजना के लिए कोई मकान नहीं बना रहा है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों का 60% से अधिक नवीन पद्धति योजना 1979 के पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित किए जाते हैं । 1-4-88 से 31-3-89 की अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, 23,931 मकानों का निर्माण किया है तथा 1-4-89 से 15-7-89 की अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 648 मकानों का निर्माण किया है । इस प्रकार मकानों का कुल योग 24,579 हो जाता है ।

**हुसैन सागर झील की सफाई के लिए आर्थिक सहायता**

1414. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि हैदराबाद स्थित हुसैन सागर झील में

"नोटोप्टेरस" जोकि इस झील में पर्याप्त मात्रा में पाये जाने वाले 27 किस्म के जीवों में से एक जीव है, की हाल ही में भारी संख्या में मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस झील की सफाई और सौन्दर्यकरण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को आर्थिक सहायता और प्रौद्योगिकी सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी, हां। भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, हैदराबाद के फ्रेश वाटर बायोलॉजीकल स्टेशन ने गत दो वर्षों में अप्रैल और मई के दौरान प्रत्येक वर्ष नोटोप्टेरस मछली की भारी संख्या में मृत्यु होना दर्ज किया है।

(ख) प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से जो इसके लिए उत्तरदायी है, राज्य सरकार ने किसी भी भारी धातु के जमाव के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी औद्योगिक बहिस्रावों को जीडीमेटला में स्थापित किए गए सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र में मोड़ने के लिए कदम उठाए हैं। राज्य सरकार घरेलू मलजल के लिए भी शोधन संयंत्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार द्वारा कोई सहायता मुहैय्या नहीं की जाती है क्योंकि यह उन 16 नम भूमियों में से नहीं है जिनकी राष्ट्रीय नम भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा संरक्षण तथा प्रबन्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए शिनाख्त की गई।

**मेडिकल कालेज**

1415. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने होम्योपैथी मेडिकल कालेज काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में कहीं किसी अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति के मेडिकल कालेज स्थापित किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) इस समय देश में कुल 94 होम्योपैथी मेडिकल कालेज कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने जयपुर, हैदराबाद एवं पुणे में प्रत्येक के लिए क्रमशः आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा हेतु एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की है। मंत्रालय के पास उपलब्ध सांख्यिकीय सूचना के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए देश में कुल सरकारी मेडिकल कालेजों की संख्या नीचे दी गई है :

आयुर्वेद : 44
यूनानी : 6
सिद्ध : 2

**गोवा मेडिकल कालेज में सुधार के लिए वित्तीय सहायता**

1416. **श्री शांताराम नायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा सरकार ने गोवा मेडिकल कालेज के किसी यूनिट का दर्जा बढ़ाने अथवा कालेज में उन्नत मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी वित्तीय सहायता की मांग की है अथवा क्या कोई ऐसी वित्तीय सहायता, पहले से ही दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) मंत्रालय को गोवा सरकार से मेडिकल कालेज में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने या इसकी किसी यूनिट का दर्जा बढ़ाने हेतु कोई वित्तीय सहायता के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

**अस्पताल में लोक शिकायत कक्ष**

1417. **श्री शांताराम नायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के अधीन अस्पतालों और संस्थाओं में लोक शिकायत कक्ष स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इन कक्षों के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**गोवा में "एड्स" के मामले**

1418. **श्री शांताराम नायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में गोवा में "एड्स" के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस मामले में कोई मार्गदर्शन मांगा था; और

(घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गोवा एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र है, इस सम्बन्ध में यदि कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं, तो वे क्या हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) गोवा में

पिछले दो वर्षों में एक रोगी सूचित किया गया था जिसमें एड्स पूर्ण रूप से विकसित था और उस रोगी की मृत्यु हो गई है ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गोवा सहित सभी राज्यों को इस रोग को फैलने से रोकने के लिए तकनीकी दिशानिर्देश और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ।

गोवा राज्य सरकार को वर्ष 1988-89 के दौरान मेडिकल कालेज, गोवा में एड्स नियंत्रण यूनिट खोलने के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

(घ) एड्स को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं :—

—गोवा मेडिकल कालेज, गोवा के निगरानी केन्द्र में एच० आई० बी० संक्रमण के लिए रक्त और रक्त उत्पादों की जांच ।

—पॉजीटिव सीरम वाले रोगियों को परामर्शी सेवाएं ।

—स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों को तेज करना ।

**बाबा खड़क सिंह मार्ग पर संसद सदस्यों के फ्लैटों के सर्वेन्ट क्वाटरों पर अनधिकृत कब्जा**

[हिन्दी]

1419. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाबा खड़क सिंह मार्ग पर संसद सदस्यों के फ्लैटों के कुछ सर्वेन्ट क्वार्टरों पर कुछ लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सर्वेन्ट क्वार्टरों को कब तक खाली करा लिया जायेगा ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**उड़ीसा में ब्रिटेन की सहायता से चलाई जा रही विशेष स्वास्थ्य परियोजनाओं का बन्द होना**

[अनुवाद]

1420. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वर्ष 1980-81 में ब्रिटेन की सहायता से चलाई गई कुछ विशेष स्वास्थ्य परियोजनाएं वर्ष 1987 में बन्द कर दी गई थीं/निलम्बित की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ब्रिटेन से सहायता प्राप्त इन परियोजनाओं को पुनः चलाए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत एक क्षेत्र परियोजना उड़ीसा के पांच जिलों में समुद्र-पार विकास एजेंसी (ओ० डी० ए०) यूनाइटेड किंगडम की सहायता से कार्यान्वित की गई थी। यह परियोजना 1980-81 में आरम्भ हुई और इस परियोजना की स्वीकृत अवधि के समाप्त हो जाने के बाद यह 31-3-87 को समाप्त हो गई।

(ग) और (घ) समुद्रपार विकास एजेंसी (ओ० डी० ए०) यूनाइटेड किंगडम की सहायता से उड़ीसा में चरण-II क्षेत्र परियोजना आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया है। चरण-II क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव को परियोजनाओं के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति तथा अन्य एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की आगे जांच की जा रही है।

**दिल्ली में "हुडको" द्वारा निर्मित मकान**

1421. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में "हुडको" द्वारा अब तक कितने मकानों का निर्माण किया गया है;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कितने मकान आबंटित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित आबंटन कोटा पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) से (ग) किसी भी मकान का निर्माण किसी योजना विशेष के लिए नहीं किया जाता। तथापि, न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत 70,881 व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित किए गए हैं। मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिए पंजीकृत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित कर दिए गए हैं। जनता श्रेणी के लिए, पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 1920 व्यक्तियों को अभी फ्लैट आबंटित किए जाने हैं। जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का सम्बन्ध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक उपयुक्त योजना बनाने की सलाह दी गई है।

**औद्योगिक क्षेत्र द्वारा वनों की कटाई**

1422. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वन नीति में औद्योगिक उन्मुखता तथा निगमित क्षेत्र द्वारा पुनः वनरोपण

के सम्बन्ध में कम महत्व दिए जाने के कारण प्रति वर्ष लगभग 15 लाख हेक्टेयर भू-क्षेत्र में वन नष्ट हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से कागज और लकड़ी का उपयोग करने वाले उद्योगों द्वारा इस प्रकार से वनों की कटाई को रोकने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) :** (क) इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि भारत में उद्योगों द्वारा वनों के अत्यधिक दोहन और निगमित क्षेत्र द्वारा पुनर्वनरोपण पर कम महत्व दिए जाने के कारण प्रति वर्ष 1·5 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं।

(ख) वनों पर आधारित उद्योगों के बारे में राष्ट्रीय वन नीति में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

(1) वन पर आधारित उद्योग को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक कच्चा माल स्वयं पैदा करना चाहिए।

(2) वनों पर आधारित ग्राम अथवा ब्लाक स्तर के उद्यमों को छोड़कर, भविष्य में वनों पर आधारित किसी भी उद्यम को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में उसकी स्थिति स्पष्ट न कर दी गई हो।

(3) छोटे और सीमान्त किसानों को अपनी सीमान्त/अवक्रमित भूमि पर उद्योगों की आवश्यकता की लकड़ी की प्रजातियों को उगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।

(4) उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पाद की आपूर्ति की पद्धति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(5) उद्योगों को वैकल्पिक कच्चे माल का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों के आयात को उदार बना दिया जाना चाहिए।

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की प्रगति**

1423. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसके विभिन्न चरणों को पूरा करने में अनुमानतः कुल कितना धन लगेगा; और

(ख) इससे प्रभावित होने वाले पड़ोसी राज्य सरकारों द्वारा अगर इसके विकास और कार्यान्वयन में कोई सहायता दी गई है तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

**विवरण**

(क) 1974-75 से 31-3-89 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में अब तक हुई प्रगति इस प्रकार है :—

| | सम्पूरित योजनाएं | चालू योजनाएं | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **हरियाणा उप-क्षेत्र :** | | | |
| 1. योजनाओं की संख्या | 4 | 6 | चालू योजनाओं के विषय में अधिकांश मामलों में भूमि अर्जन पूरा कर लिया है और भूमि के विकास कार्य प्रगति में है। |
| 2. अनुमानिम लागत | 1256.31 लाख रुपये | 3621.51 लाख रुपये | |
| 3. 3/89 तक वास्तविक व्यय | 1094.07 लाख रुपए | 3259.91 लाख रुपए | |
| **राजस्थान उप-क्षेत्र :** | | | |
| 1. योजनाओं की संख्या | 5 | 4 | चालू चार योजनाओं में से दो योजनाएं हाल ही में मार्च, 1989 में आरंभ में गई थीं। शेष दो योजनाओं के विषय में भूमि अर्जन को पूरा कर लिया है और विकास कार्य चल रहे हैं। |
| 2. अनुमानित लागत | 601.93 लाख रुपए | 1201.42 लाख रुपए | |
| 3. 3/89 तक वास्तविक व्यय | 731.28 लाख रुपए | 316.24 लाख रुपए | |
| **उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र :** | | | |
| 1. योजनाओं की संख्या | 2 | 7 | चालू सात योजनाओं में से छः योजनाओं के विषय में भूमि-अर्जन को पूरा कर लिया है और शेष एक योजना के विषय में भूमि- |
| 2. अनुमानित लागत | 529.08 लाख रुपए | 5949.24 लाख रुपए | |
| 3. 3/89 तक वास्तविक व्यय | 434.63 लाख रुपए | 4966.95 लाख रुपए | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | अर्जन की कार्रवाईयां प्रगति पर हैं। भूमि का विकास संतोषजनक रूप से चल रहा है। |

**अनुमानित पूंजीगत परिव्यय :**

8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निवेश योजना में प्रस्तावित पूंजीगत परिव्यय इस प्रकार है :

**(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र :**

| | | |
|---|---|---|
| केन्द्रीय क्षेत्र | — | 1750.00 करोड़ रुपए |
| राज्य क्षेत्र | — | 1150.00 करोड़ रुपए |
| योग : | | 2900.00 करोड़ रुपए |

**(ii) काउंटर मैग्नेट क्षेत्र :**

| | | |
|---|---|---|
| केन्द्रीय क्षेत्र | — | 728.00 करोड़ रुपए |
| राज्य क्षेत्र | — | 50.00 मरोड़ रुपए |
| योग : | | 778.00 करोड़ रुपए |

(ख) मार्च, 1989 तक विभिन्न राज्यों द्वारा सम्पूरित और चालू योजनाओं पर किया गया कुल व्यय इस प्रकार है :—

| राज्य | 1974-75 से 1988-89 के दौरान केन्द्र द्वारा ऋण सहायता | 1974-75 से 1988-89 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी निधियों से पूरा किया गया व्यय |
|---|---|---|
| हरियाणा | 1306.85 लाख रुपए | 3047.13 लाख रुपए |
| राजस्थान | 650.75 लाख रुपए | 396.77 लाख रुपए |
| उत्तर प्रदेश | 1845.00 लाख रुपए | 3556.58 लाख रुपए |
| योग : | 3802.60 लाख रुपए | 7000.48 लाख रुपए |

**परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाए जाने सम्बन्धी मूल्यांकन**

1426. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक मजदूरों और ग्रामीण जनता, द्वारा विशेषकर कर्नाटक राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाए जाने के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) कर्नाटक राज्य में कुल मिलाकर ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, इस समय बंगलौर शहर में राजाजीनगर और पीन्या के चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए एक परिवार कल्याण परियोजना फेडरेशन आफ कर्नाटक चैम्बर्स आफ कामर्स एवं इंडस्ट्री (एफ० के० सी० सी० आई०), बंगलौर द्वारा जून, 1988 से कार्यान्वित की जा रही है। इस विस्तारित परियोजना की अवधि 31 अक्तूबर, 1989 को समाप्त हो रही है। इस परियोजना के प्रारम्भ होने के समय एफ० के० सी० सी० आई० ने जुलाई-सितम्बर, 1988 में इस परियोजना क्षेत्र की औद्योगिक कर्मचारियों की आबादी को कवर करते हुए एक बैंच मार्क सर्वे (बेस लाइन सर्वे) किया था।

(ख) इस बैंच मार्क सर्वे के महत्वपूर्ण निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

**बंगलौर शहर में औद्योगिक कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों हेतु परिवार कल्याण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए फेडरेशन आफ कर्नाटक चैम्बर्स आफ कामर्स एवं इण्डस्ट्री, बंगलौर द्वारा किए गए बैंच मार्क सर्वे के महत्वपूर्ण निष्कर्ष**

1. नमूने के तौर पर ली आबादी में मुख्यतः हिन्दू (90.9%) उसके बाद ईसाई (6.1%) तथा मुस्लिम (2.2%) एवं अन्य (0.2%) शामिल हैं।

2. औद्योगिक कर्मचारियों का एक बड़ा अनुपात पिछड़े समुदायों (46.3%) से सम्बन्धित है। उसके बाद वोकालिगस (20.2%), ब्राह्मण (13.3%) और लिंगादत (4.72%) आते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी क्रमशः 6.9 एवं 1.5% हैं।

3. औद्योगिक कर्मचारियों के परिवार का औसत आकार 4.8 बैठता है जो बंगलौर शहर (1981 जनगणना) में 5.6 के आकार से कम है।

4. औद्योगिक कर्मचारियों की जनसंख्या में लिंग अनुपात 937 निकलता है जो बंगलौर की घनी आबादी (1981 जनगणना) में 896 के मुकाबले अधिक है।

5. औद्योगिक कर्मचारियों के अधिकांश 49%.परिवारों की वार्षिक आय 24,000/- रु० से कम है। लगभग 33 प्रतिशत परिवार 24,000 रु० से 36,000/- रु० वार्षिक आय कमाते हैं तथा केवल 7% परिवार 36,000/- रु० से अधिक कमाते हैं।

6. नमूने के तौर पर सर्वेक्षित कुल जनसंख्या में से लगभग 32.1 प्रतिशत 14 वर्ष से कम आयु के, लगभग 53.0% 15 से 44 वर्ष के आयु समूह के, और 14.9% 45 वर्ष की आयु के ऊपर के हैं। इसके अतिरिक्त, 14 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं का अनुपात पुरुषों से अधिक है जबकि 15 से 44 वर्ष की आयु-वर्ग की महिलाओं का अनुपात पुरुषों के अपेक्षा कम है।

7. परियोजना क्षेत्र में 15 से 44 वर्ष की आयु-वर्ग की महिलाओं का अनुपात लगभग 50.8% है जोकि राज्य स्तर के 43.8% की तुलना में अधिक है।

8. महिला जनसंख्या में 45.4% ने शादी नहीं की। 48% की हाल ही में शादी हुई है। 6.5% विधवा हैं एवं 0.1% ने तलाक लिया। इसके मुकाबले पुरुषों के मामले में यह प्रतिशत 55%, 44%, 1% और 0.02% है।

9. पुरुषों में देर से शादी होना सामान्य बात है और 25-44 वर्ष के आयुवर्ग की 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएं इस समय शादीशुदा हैं।

10. 15-19 आयु-वर्ग की महिलाओं में लगभग एक चौथाई महिलाएं अपनी किशोरावस्था में ही शादी कर लेती हैं।

11. 15-44 वर्ष की प्रजनन आयुवर्ग में विवाहित महिलाओं का अनुपात लगभग 76 प्रतिशत है।

12. शादी के समय महिलाओं की औसत आयु 19.6 वर्ष तथा पुरुषों की 26.5 वर्ष बैठती है।

13. अधिकांश महिलाओं (लगभग 59 प्रतिशत) की शादी 19 वर्ष से पहले हो जाती है और पुरुषों में लगभग 46.5 प्रतिशत 25-29 वर्ष की आयु में शादी करते हैं।

14. लगभग 21 प्रतिशत औद्योगिक श्रमिक अविवाहित हैं।

15. विवाहित औद्योगिक श्रमिकों और उनके आश्रितों के जीवित बच्चों की औसत संख्या 2.2 निकलती है।

16. औद्योगिक श्रमिकों और उनके आश्रितों में साक्षरता-दर 70.7 प्रतिशत तक है।

17. औद्योगिक श्रमिकों और उनके आश्रितों में बीमारी की व्याप्तता दर लगभग 2 प्रतिशत निकलती है। इस प्रतिशतता में 1.2 प्रतिशत चिरकारी रोगों से ग्रस्त हैं और 1.8 प्रतिशत को छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं।

18. प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में गर्भधारण की घटनाएं 4 प्रतिशत निकलती है।

19. बहुत सी गर्भवती महिलाओं (लगभग 45 प्रतिशत) को प्रसवपूर्व परिचर्या बिलकुल प्रदान नहीं की गई।

20. सर्वेक्षण के समय प्रजनन आयु वर्ग की मुश्किल से 1 प्रतिशत महिलाएं प्रसवोत्तर स्थिति में पाई गई।

21. शिशुओं में 27.3 प्रतिशत पूरी तरह रोगप्रतिरक्षित थे, 63.4 प्रतिशत आंशिक रूप से रोगप्रतिरक्षित थे और 9.3 प्रतिशत को बिल्कुल भी टीके नहीं लगे थे।

22. औद्योगिक श्रमिकों तथा उनके आश्रितों में दम्पती सुरक्षा दर लगभग 42 प्रतिशत बैठती है।

23. बहुत बड़े अनुपात में पात्र दम्पतियों ने 3 अथवा इससे अधिक जीवित बच्चों के पश्चात् पुरुष नसबन्दी आपरेशन करवाया जबकि लगभग 65 प्रतिशत दम्पतियों ने 3 अथवा इससे अधिक जीवित बच्चों के पश्चात् महिला नसबन्दी आपरेशन करवाये।

24. अपने पति के नसबन्दी आपरेशन के समय पत्नी की औसत आयु लगभग 33 वर्ष की थी और जीवित बच्चों की औसत संख्या लगभग 2.5 थी।

25. महिला नसबन्दी के मामलों की औसत आयु कम अर्थात् लगभग 26 वर्ष थी और बच्चों की औसत संख्या लगभग वही थी जैसी कि पुरुष नसबन्दी के मामले में थी।

26. बहुत बड़े अनुपात में लगभग 44.3 प्रतिशत स्वीकारकर्ता 25-29 वर्ष की आयु-वर्ग के थे।

27. आई० यू० डी० निवेशन के समय पत्नी की औसत आयु लगभग 25 वर्ष थी और जीवित बच्चों की औसत संख्या लगभग 1.5 थी।

**राज्यों की राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना सी०जी०एच०एस० डिस्पेंसरियों की स्थापना**

1427. **श्री हरिहर सोरन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए है;

(ख) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य स्थानों में सी० जी० एच० एस०, डिस्पेंसरी/अस्पताल की स्थापना करने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ग) क्या राज्यों की राजधानियों और उन बड़े नगरों तथा कस्बों में जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी कार्यरत हैं, कोई सी० जी० एच० एस० अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी खोली गई हैं अथवा खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा और बिहार के सन्दर्भ में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) किसी नए शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के 7500 अथवा इससे अधिक कर्मचारियों की बुनियादी संख्या का होना आवश्यक है, जबकि किसी ऐसे शहर में, जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं पहले से ही

मौजूद हैं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का नया औषधालय खोलने के लिए तीन किलोमीटर के दायरे में बुनियादी तौर पर 2500 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का रहना जरूरी है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का अस्पताल खोलने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पताल केवल दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। लेकिन, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय राज्यों की राजधानियों/बड़े-बड़े शहरों में खोले गए हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 5 औषधालय पटना (बिहार) में कार्य कर रहे हैं और एक भुवनेश्वर (उड़ीसा) में कार्य कर रहा है।

**पंजाब में हथकरघा बुनकरों के लिए आवास योजना**

1428. **श्री कमल चौधरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हथकरघा बुनकरों अथवा अन्य कामगारों के लिए उनके काम करने के स्थान पर कोई आवास योजना कार्यान्वित की है अथवा कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1988 में निर्मित ऐसे मकानों की संख्या कितनी है तथा इनका ब्यौरा क्या है और वर्ष 1989 में कितने मकान बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत पंजाब में कितने बुनकरों तथा अन्य कामगारों को लाभ प्राप्त होगा ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) से (घ) भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ अर्थात् 1985-86 में समूचे देश में हथकरघा बुनकरों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित "वर्कशेड-सह-आवास-योजना" नामक योजना आरम्भ की। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा राज्य शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों/निगमों/अथवा आवास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेषीकृत एजेन्सियों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का वित्तीय ढांचा नीचे दिया गया है :—

| क्रमांक | एककों का स्वरूप | एकक की लागत रु० में | प्रति एकक केन्द्रीय अर्थसहायता रु० में | प्रति एकक राज्य सहायता रु० में | हुडकों से ऋण रु० में | बुनकरों का अंशदान रु० में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ग्रामीण आवास सह-वर्कशेड | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | — |
| 2. | शहरी आवास-सह-वर्कशेड | 15,000 | 2,500 | 2,500 | 9,700 | 300 |
| 3. | वर्कशेड | 3,000 | 2,500 | 1,500 | — | — |

केन्द्र सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न राज्यों में 20,756 ग्रामीण/शहरी आवास-सह-वर्कशेड/वर्कशेड की स्वीकृति प्रदत्त की। वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्र के योगदान के रूप में 400.00 लाख रुपए के बजट का प्रावधान है तथा राज्य सरकारों को उनसे समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियां रिलीज की जाती हैं।

पंजाब सरकार ने इस योजना में अभी तक भाग नहीं लिया है।

**पश्चिमी दिल्ली में प्लास्टिक की फैक्टरियों द्वारा प्रदूषण**

1430. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी दिल्ली में स्थित त्रिनगर और रामपुरा में प्लास्टिक की कितनी फैक्टरियां हैं; और

(ख) इनमें से ऐसी कितनी फैक्टरियां हैं जो प्रदूषण फैला रही हैं और आवासीय परिसरों में चलाई जा रही हैं तथा इन्हें आवासीय क्षेत्रों से किन्हीं दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) पश्चिम दिल्ली के त्रिनगर और रामपुरा में प्लास्टिक की 16 फैक्टरियां हैं।

(ख) ये सभी 16 उद्योग आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं। ये उद्योग जल का प्रयोग केवल ठण्डा करने और धोने के लिए करते हैं और ये उद्योग प्रदूषण फैलाने वाले नहीं हैं। फिर भी, इन उद्योगों को ठण्डा करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पानी को फिर से प्रयोग में लाने के निदेश दिए गए हैं। चूंकि ये उद्योग प्रदूषण फैलाने वाले नहीं हैं, इसलिए इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से अन्यत्र ले जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

**उपकरण और प्रशिक्षण परियोजनाओं में भारत को सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम**

1431. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने उन्नत तकनीकी उपकरण खरीदने और प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी सहायता दिए जाने की आशा है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार तथा यू० एन० डी० पी० के बीच 14-6-89 को "अधिप्राप्ति सेवाएं—उन्नत तकनीकी उपकरण का प्रावधान" परियोजना, जिसमें कार्यकारी अभिकरण अन्तर्राष्ट्रीय श्रम

संगठन है, पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसका उद्देश्य तकनीकी विशिष्टताओं को तैयार करने के लिए अधिप्राप्ति विशेषज्ञता तथा सेवाएं प्रदान करना तथा विश्व बैंक परियोजना की योजनाओं के अन्तर्गत उन्नत तकनीकी उपकरण परियोजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों के लिए बोली लगाना तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आई० सी० बो०) पद्धतियों तथा कम्प्यूटर एकीकृत अधिप्राप्ति प्रचालन के विनियोग हेतु रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है, उन्नत तकनीकी उपकरण की वास्तविक अधिप्राप्ति रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मन्त्रालय द्वारा परियोजना पूर्ण होने पर की जाएगी। डेढ़ वर्षीय अवधि की यह परियोजना 1 अक्तूबर, 1989 से आरम्भ होनी है।

(ग) 572,300.00 अमरीकी डालर।

**भारतीय पटसन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय**

1432. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक पटसन उत्पादन राज्य में भारतीय पटसन निगम का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निगम का विद्यमान क्षेत्रीय संगठनात्मक ढांचा सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

**नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी में प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय**

1434. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी, डिमानजुडी और अनुगुल को प्रदूषण नियन्त्रण के कुछ उपाय करने का परामर्श दिया था; और

(ख) यदि हां, तो नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी ने प्रदूषण नियन्त्रण के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)** : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी ने डमानजुडी और अंगुल की दोनों यूनिटों के लिए निम्नलिखित प्रदूषण नियन्त्रण उपाय किए हैं :—

(1) तरल बहिस्राव के गुणवत्ता के नियन्त्रण के लिए शोधन संयंत्र लगाए गए हैं।

(2) ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाले धूल के कणों के नियन्त्रण के लिए विद्युत अवक्षेपक (इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स) लगाए गए हैं जिससे फ्लू गैस वायुमण्डल में चला जाता है।

(3) चिमनियों से फ्लोराइड के निस्सरण के नियन्त्रण के लिए यूनिट ने बैगफिल्टरों को लगाने के बाद शुष्क मार्जक (ड्राई स्क्रबर्स) लगाए हैं।

(4) ठोस अपशिष्ट, जैसे कि बक्साइट बेनेफिसियसन प्लांट से निकलने वाला लाल कीचड़ और ताप विद्युत संयंत्र से निकल कर उड़ने वाली राख को तालाबों में डाला जाता है।

**शहरी क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन**

[हिन्दी]

1437. **श्री अख्तर हसन : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में भी जवाहर रोजगार योजना कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है और इसके अन्तर्गत किस प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) से (ग) जबकि सरकार शहरी निर्धनता के उन्मूलन को अधिक महत्व देती है, इस निर्धनता की प्रकृति ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता से एकदम भिन्न है। इस प्रकार, जवाहर रोजगार योजना को इसके विद्यमान स्वरूप में शहरी निर्धनता पर लागू नहीं किया जा सकता है। एक संशोधित योजना का विस्तार एवं रूपात्मकताएं सम्बन्धित विभिन्न विभागों तथा अभिकरणों के परामर्श से तैयार की जानी है। संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातें तथा समयावधि तत्पश्चात् ही निर्धारित की जाएगी।

**गैर-सरकारी आवासीय समितियों को वित्तीय सहायता**

[अनुवाद]

1438. **श्री गुरुदास कामत : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी आवासीय समितियों को आर्थिक सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) और (ख) आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) सहकारी आवास समितियों को सीधे और राज्य स्तरीय सहकारी आवास वित्त समितियों के जरिये अपने सदस्यों के लिए मकानों के निर्माण हेतु पहले ही ऋण सहायता दे रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम, जो शीर्ष आवास सहकारी संघों के लिए धन का मुख्य स्रोत है, इन संघों को शीर्ष समितियों की प्रदत्त पूंजी, आरक्षित निधि और भवन-निर्माण निधि के आधार पर ऋण मुहैया करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने भी जैसाकि राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों के लिए लागू है, आवास के लिए एक पुनर्वित्त योजना हाल ही में तैयार की है। इस योजना में प्राथमिक

स्तर की किराएदारी/स्वामित्व/सह-साझेदारी आवास समितियों और आवास रेहन समिति जो अपने सदस्यों को आवास ऋण देती है और आवास निर्माण समिति जो अपने सदस्यों के लिए मकान बनाती है और ऋण के रूप में व्यय किए गए धन की उनसे वसूली करती है, राज्य स्तरीय सहकारी आवास समिति को आवास हेतु इसकी सीधे ही ऋण देने के सम्बन्ध में पुनः वित्त व्यवस्था की जाएगी।

**औषधियों और टीकों का आयात**

1439. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान बम्बई में विभिन्न व्यापारियों द्वारा आयात किए गए औषधियों और टीकों की कितनी खेपों को फार्म-10 लाइसेंस प्राप्त करने से पहले ही निपटान कर दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**शहरी स्थानीय निकायों के वित्त पोषण के लिए एक बैंक की स्थापना का प्रस्ताव**

1440. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :
**श्री अनन्त प्रसाद सेठी** :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी स्थानीय निकायों का वित्त पोषण करने के लिए एक विशिष्ट बैंक स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या इस विशिष्ट बैंक को चालू वित्त वर्ष के दौरान स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) हाल ही में समाप्त नगरपालिका सम्मेलन में भाग लेने वालों ने स्थानीय निकायों, जिसमें इस प्रयोजनार्थ बैंक भी शामिल हैं, के लिए धनराशि के प्रावधान में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए थे। तथापि, वित्त व्यवस्था करने की प्रकृति, ब्याज की दरें तथा पूंजी उधार लेने की वर्तमान व्यवस्था के प्रति पर्याप्त ध्यान देते हुए विशिष्टिकृत बैंक की उपयुक्तता की जांच की जानी है। किसी विशिष्टिकृत बैंक का प्रस्ताव प्रारम्भिक स्तर पर होने से, यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक इस प्रकार के बैंक की स्थापना की जाएगी ?

**जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र**

1442. **श्री जी० भूपति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के जनजातिय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 1283 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 46 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में 104 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं।

---

**12.00 मध्याह्न**

[हिन्दी]

**श्री जी० भूपति** (पेद्दापल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने के लिए एक मिनट का मौका दीजिए।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

**श्री जी० भूपति** : नहीं, व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

मुझे बोलने का मौका दीजिए। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं दी जाती।

(**व्यवधान**)*

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** (सलेम) : महोदय, श्री जेठ मलानी, संसद सदस्य, अमरीकी कांग्रेस में 'खालिस्तान' की पैरवी कर रहे हैं। वह अमरीका गए और वहां की कांग्रेस में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया। हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण राष्ट्रविरोधी कार्यवाही पर चर्चा करनी चाहिए। (**व्यवधान**) इसकी निन्दा होनी चाहिए। उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए। वह अमरीका में भारत के खिलाफ कार्य नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : एक-एक करके बोलिए।

(**व्यवधान**)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री शांताराम नायक** (पणजी) : महोदय, श्री जेठमलानी अमरीका में भारत विरोधी कांग्रेस सदस्यों से मिलते रहे हैं और उन्होंने भारत को राहत देने से इन्कार करने का एक संशोधन प्रस्तुत करवाया है···(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : नायक जी, सीधी सी बात है, माननीय सदस्य राज्य सभा के सदस्य हैं और आपने कुछ और कहना है तो आप इसे मंत्रालय को भेज सकते हैं। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं···

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : इसे ऊपरी सदन में उठाया जाना चाहिए। हम यहां पर दूसरे सदन के किसी माननीय सदस्य के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते।

**(व्यवधान)**

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : यह एक गम्भीर मामला है। वह देश के कानून से ऊपर नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि एक ऐसा मामला हो सकता है जिसमें आप कतिपय गतिविधियों के सम्बन्ध में पूछ सकते हैं। किन्तु यह सही प्रकार से करना होगा। आप यह बात क्यों नहीं समझते कि वह ऊपरी सदन के माननीय सदस्य हैं और वही इस मामले को देखेगा ?

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**अध्यक्ष महोदय** : आप सब एक साथ क्यों बोल रहे हैं। अब तो आपको कोई रोक नहीं रहा है। आप 5, 10 आदमी बोल कर क्यों गड़बड़ कर रहे हैं।

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस प्रकार क्यों कर रहे हैं ?

**(व्यवधान)**

**कुमारी ममता बनर्जी** (जादवपुर) : महोदय, आप गृह मंत्री से वक्तव्य देने को कहें।

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ मापदण्ड हैं···

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको एक-एक करके अनुमति दे सकता हूं। आप लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हैं ? समस्या क्या है ? न तो आप लोग सुनते हैं और न ही आप यह चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि कुछ मापदण्ड हैं, जिनके अन्तर्गत आप कोई ऐसी बात कह सकते हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

कुछ चीजें हैं जिनके अन्तर्गत आप ऐसा कर सकते हैं, किन्तु इस प्रकार से नहीं।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाए ?

**अध्यक्ष महोदय** : बेशक आप कुछ कतिपय ऐसी गतिविधियों के बारे में पछ सकते हैं जिन्हें आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप फिर वही बात कर रहे हैं । यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं एक-एक करके अनुमति दे सकता हूं ।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : यह 'क' या 'ख' का सवाल नहीं है । स्थिति यह है कि अमरीकी कांग्रेस में इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया गया कि भारत को तब तक सहायता न दी जाए जब तक अमरीकी राष्ट्रपति यह प्रमाणित न कर दे कि भारत ने उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है जिन्होंने सिखों पर ज्यादतियां की हैं और यह प्रस्ताव एक कांग्रेस के एक ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो अमरीका में 'खालिस्तान' का प्रचार कर रहे हैं । और यह सब कुछ ऐसे लोगों के कहने पर किया गया है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं । हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में सरकार का क्या रुख है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप पूछ सकते हैं । आप मुझे लिखकर दे सकते हैं ।

**(व्यवधान)**

**श्री पी० कुलनदईवेलू** (गोबिचेट्टिपालयम्) : महोदय, तमिलनाडु सरकार द्वारा इंजीनियरी कालेजों की मान्यता रद्द करने का प्रयत्न किया गया है·····

**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में आप प्रश्न दे सकते हैं ।

**श्री पी० कुलनदईवेलू** : कानून और व्यवस्था समाप्त हो चुकी है । तमिलनाडु सरकार स्थिति पर काबू रखने में असमर्थ है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यहां से स्थिति पर काबू नहीं रख सकता । यह राज्य का विषय है । मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता । यह राज्य का विषय है । मैं इसे नहीं कर सकता । यह राज्य विधान सभा द्वारा किया जाना होगा ।

**श्री पी० कुलनदईवेलू** : एक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है **(व्यवधान)**

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** (श्रीनगर) : महोदय, पीर दस्तगीर साहिब के पावन अवशेष, श्रीनगर में जनाब साहिब दरगाह से चोरी चले गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लोगों द्वारा अभूतपूर्व हिंसा की गई है और आन्दोलन हुए हैं । सरकार वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह राज्य का विषय है ।

**(व्यवधान)**

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** : इस पर भी रहस्य का पर्दा उसी प्रकार पड़ा हुआ है जिस प्रकार पैगम्बर, मोहम्मद हजरत बल के 1963 में चोरी हुए अवशेषों पर पड़ा था ।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने पद का इस्तेमाल करें। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पूरे मामले की जांच करवाए क्योंकि लोगों का राज्य सरकार से विश्वास उठ चुका है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : बात यह है कि राज्य सरकार एक स्वतन्त्र निकाय है। हम यहां से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके कुछ तरीके होते हैं। यदि वह केन्द्रीय सहायता की मांग करते हैं तो मिलेगी, अन्यथा नहीं।

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** : महोदय, यह एक अत्यन्त नाजुक मामला है। ये अवशेष अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार से नहीं। आप मुझे लिखकर दे सकते हैं।

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** : मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी जांच करे। यह अभूतपूर्व घटना है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं। मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप रुक जाएं। मैंने आपकी बात सुन ली है। आप सरकार को लिख सकते हैं।

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** : मैं आपको भी लिख सकता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप चाहें तो मेरे माध्यम से लिख सकते हैं।

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** : ठीक है।

[हिन्दी]

**श्री राम धन** (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर तालुका में, संवर्दा गांव में 78 हरिजन परिवारों पर जो अमानवीय अत्याचार हुआ है उसके सम्बन्ध में.....

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिख कर दीजिए। यह स्टेट सब्जेक्ट है।

**श्री राम धन** : यह हरिजनों का मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे लिख कर दीजिए, मैं उसका पता करवा दूंगा।

**श्री सैयद शाहबुद्दीन** (किशनगंज) : यह एक मंत्री के घरवालों से सम्बन्धित है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं। किसी मन्त्री के घरवाले होंगे.....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : पहले मुझे सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी और उसके बाद यदि आप चाहें तो मैं उस पर चर्चा की अनुमति दे सकता हूं।

[हिन्दी]

**श्री सैयद शाहबुद्दीन** : यह सैन्ट्रल सब्जेक्ट है।

**अध्यक्ष महोदय** : इसका मतलब यह नहीं कि उसने सबका ठेका ले रखा है।

[अनुवाद]

आप बीच में मन्त्री को क्यों घसीटना चाहते हैं ?

वह अन्य सभी के लिए पूर्णाधिकारी नहीं हैं। वह जिम्मेदार नहीं हैं। जो कोई कानून को तोड़ता है उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि मन्त्री इसको कहता है। नहीं। यह गलत है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

**(व्यवधान)**

**प्रो० पी० जे० कुरियन** (इडुक्की) : महोदय, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली यह है कि क्या एक संसद सदस्य या देश का कोई नागरिक विदेश जाकर···(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह पहले ही कर चुका हूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं ?

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : महोदय, मेरी बात अलग है। दूतावास की जानकारी के बिना वह भारत-विरोधी लाबी से मिल रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रोफेसर, आप इसे उपयुक्त ढंग से दे सकते हैं।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : मैं आपके माध्यम से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मन्त्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा ? मैं पहले ही उसे अनुमति दे चुका हूं।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : दूसरी बात यह है। कल भी मैंने इसे उठाया था, अखबारों की रिपोर्टों के अनुसार बाढ़ से मरने वालों की संख्या 400 से अधिक हो गई है।

**अध्यक्ष महोदय** : हम इस पर चर्चा करेंगे।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : महोदय, केवल चर्चा ही नहीं परन्तु सरकार को तत्काल कुछ सहायता की घोषणा करनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में वे स्वत: ही कर देंगे। इसलिए ही वे हैं।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : अब बस भी कीजिए ।

[अनुवाद]

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : फिर, मुझे प्रधान मन्त्री जी को तत्काल कार्यवाही के लिए धन्यवाद और बधाई देनी चाहिए और मैं आपसे चर्चा के लिए निवेदन करता हूं । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

**श्री बालकवि बैरागी** (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भारत के करीब 5 लाख, 7 लाख कर्मचारी डाकघरों में, देहातों में कई वर्षों से अस्थायी कर्मचारी के तौर पर डाक बांट रहे हैं। वे डाकिये का काम करते हैं । वे बहुत छोटे कर्मचारी हैं । कई वर्षों से आज तक वे अस्थायी हैं । इन छोटे कर्मचारियों को कई वर्षों से स्थायी नहीं किया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिख कर दीजिए ।

**श्री बालकवि बैरागी** : मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह देहातों का मामला है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप 377 में दीजिए, मैं एलाऊ कर दूंगा ।

[अनुवाद]

**कुमारी ममता बनर्जी** : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत गम्भीर है । स्वास्थ्य मंत्री यहां उपस्थित हैं । स्वास्थ्य समवर्ती सूची में है । परसों मेडीकल कालेज अस्पताल की लापरवाही के कारण पश्चिम बंगाल में 14 बच्चे मर गए ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें पड़ताल करके कुछ करने दीजिए ।

**कुमारी ममता बनर्जी** : मैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि वह मामले की जांच करें और सभा में एक वक्तव्य दें ।

[हिन्दी]

**श्री मोहम्मद अयूब खां** (ऊधमपुर) : यह सवाल है कि हर साल वैष्णव देवी 30 लाख से ज्यादा यात्री जाते हैं । पिछले साल वहां पर एक एयर क्रेश हुआ था । एक साल होने के बावजूद भी वहां पर एयर सर्विस को दुबारा चालू नहीं किया गया है । मेरी गुजारिश है कि वहां पर फिर एयर सर्विस को जारी किया जाए । लोगों का यह बहुत बड़ा मुतालबा है ।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सुख राम ।

12.10 म० प०

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**चीनी (1988-89 के उत्पादन के लिए कीमत अवधारण) संशोधन आदेश, 1989**

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (1988-89 के उत्पादन के लिए कीमत अवधारण) संशोधन आदेश, 1989 जो 8 जून, 1989, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 600(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8062/89]**

**केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण; केन्द्रीय भारतीय औषध परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : महोदय, मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8063/89]**

(3) (एक) केन्द्रीय भारतीय औषध परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भारतीय औषध परिषद् के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8064/89]**

---

**12.10½ म० प०**

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

### 67वां प्रतिवेदन

**श्री एम० तम्बि दुराई** (धर्मपुरी) : महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 67वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**12.11 म० प०**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

## सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

### 61वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

**श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** (अलेप्पी) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड सम्बन्धी 61वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

---

## समितियों के लिए निर्वाचन

### (एक) प्राक्कलन समिति

**श्री आशुतोष साहा** (दमदम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से सर्वश्री सुरेश कुरूप, रामाश्रय प्रसाद सिंह, तम्पन थामस, एम० सुब्बा रेड्डी तथा डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी द्वारा इस समिति/लोक सभा से त्याग-पत्र दिए जाने पर उनके स्थान पर प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु इस समिति की शेष अवधि के लिए अपने में से पांच सदस्य निर्वाचित करें।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से सर्वश्री सुरेश कुरूप, रामाश्रय प्रसाद सिंह, तम्पन थामस, एम० सुब्बा रेड्डी तथा डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी द्वारा इस समिति/लोक सभा से त्याग-पत्र दिए जाने पर उनके स्थान पर

प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु इस समिति की शेष अवधि के लिए अपने में से पांच सदस्य निर्वाचित करें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

(दो) **लोक लेखा समिति**

**श्री पी० कुलनदईवेलू** (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से सर्वश्री सैफुद्दीन चौधरी, विजय कुमार राजू तथा एस० जयपाल रेड्डी द्वारा इस समिति/लोक सभा से त्याग-पत्र दिए जाने पर उनके स्थान पर लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु इस समिति की शेष अवधि के लिए अपने में से तीन सदस्य निर्वाचित करें।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 354 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से सर्वश्री सैफुद्दीन चौधरी, विजय कुमार राजू तथा एस० जयपाल रेड्डी द्वारा इस समिति/लोक सभा से त्यागपत्र दिए जाने पर उनके स्थान पर लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु इस समिति की शेष अवधि के लिए अपने में से तीन सदस्य निर्वाचित करें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

## लोक लेखा समिति

### राज्य सभा से सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सिफारिश

**श्री पी० कुलनदईवेलू** (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री पर्वतनेनि उपेन्द्र, वीरेन्द्र वर्मा तथा जसवन्त सिंह द्वारा लोक लेखा समिति से त्याग-पत्र दिये जाने पर उनके स्थान पर इस समिति से सहयुक्त करने हेतु इस समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से तीन सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री पर्वतनेनि उपेन्द्र, वीरेन्द्र वर्मा तथा जसवन्त सिंह द्वारा लोक लेखा समिति से त्याग-पत्र दिए जाने पर उनके स्थान पर इस समिति से सहयुक्त करने हेतु इस समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से

तीन सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

## समिति के लिए निर्वाचन

### (तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

**श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** (अलेप्पी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से सर्वश्री दिनेश गोस्वामी, मोहम्मद महफूज अली खां, बलवन्त सिंह रामूवालिया, अजित कुमार साहा तथा बेजावाड़ा पपी रेड्डी द्वारा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति/लोक सभा से त्याग-पत्र दिए जाने पर उनके स्थान पर इस समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु इस समिति की शेष अवधि के लिए अपने में से पांच सदस्य निर्वाचित करें ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से सर्वश्री दिनेश गोस्वामी, मोहम्मद महफूज अली खां, बलवन्त सिंह रामूवालिया, अजित कुमार साहा तथा बेजावाड़ा पपी रेड्डी द्वारा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति/लोक सभा से त्याग-पत्र दिए जाने पर उनके स्थान पर इस समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु इस समिति की शेष अवधि के लिए अपने में से पांच सदस्य निर्वाचित करें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

## सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

### राज्य सभा से सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सिफारिश

**श्री वक्कम पुरुषोतमन** (अलेप्पी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री टी० आर० बालू, दीपेन घोष तथा कमल मुरारका द्वारा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से त्याग-पत्र दिए जाने पर उनके स्थान पर इस सभा की इस समिति से सहयुक्त करने हेतु इस समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से तीन सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री टी० आर० बालू, दीपेन घोष तथा कमल मुरारका द्वारा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से त्याग-पत्र दिए जाने पर उनके स्थान पर इस सभा की इस समिति से सहयुक्त करने हेतु इस समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से तीन सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

**12.15 म० प०**

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

### धागे की अट्टियों के मूल्य में हाल में हुई अत्यधिक वृद्धि से उत्पन्न स्थिति, जिससे हजारों हथकरघा और पावरलूम कर्मकार बेरोजगार हो गए

**कुमारी ममता बनर्जी** (जादवपुर) : महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय वस्त्र मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं और उनसे इस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करती हूं :—

"धागे की अट्टियों के मूल्य में हाल में हुई अत्यधिक वृद्धि से उत्पन्न स्थिति, जिससे हजारों हथकरघा और विद्युतकरघा कर्मकार बेरोजगार हो गए हैं, तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

**वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : हैंक यार्न के मूल्यों में बढ़ोतरी के रुख से हम चिंतित हैं। इसका कारण यह है कि हैंक यार्न मुख्य रूप से हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग होता है जिस पर लाखों बुनकरों की आजीविका निर्भर है। वर्ष 1987-88 में भयानक सूखे के फलस्वरूप कपास और सूती धागे के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इसके फलस्वरूप 20 और 40 काउंट के हैंक यार्न के मूल्यों में जून, 1987 से जून, 1988 के बीच क्रमशः 42% और 33% की वृद्धि हुई थी। ऐसी आशा थी कि वर्ष 1988-89 में अच्छी फसल होने से मूल्यों में स्थिरता आएगी। तथापि, वर्ष 1988-89 में भी मूल्यों में वृद्धि का रुख ही रहा लेकिन मूल्य नियन्त्रण में थे। जून 1988 और जून 1989 के बीच 20 और 40 काउंट के हैंक यार्न में क्रमशः 6% और 15% की वृद्धि हुई। लेकिन जून 1989 से आगे प्रत्यक्ष गिरावट का रुख लेखने में आया है और हमें आशा है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप आगामी महीनों में इसमें निरन्तर कमी आती रहेगी।

2. माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि सरकार ने बुनकरों को विशेष रूप से सूत की कमी वाले राज्यों में मिल गेट मूल्यों पर सूत उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के अभिकरणों द्वारा यार्न डिपो स्थापित करने की घोषणा की है। मैंने सूत उत्पादकों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी और सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस उद्योग की प्रतिक्रिया सकारात्मक और रचनात्मक रही हैं तथा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हैंक यार्न बाध्यता

को पूरा करने और हैंक यार्न के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए वे भरसक प्रयत्न करेंगे। हमने सूत के मूल्यों की निरंतर समीक्षा करने और हैंक यार्न की उपलब्धता का पता लगाने के लिए एक मानीटरिंग समिति भी गठित की है ताकि सरकार, जहां आवश्यक हो, उपचारात्मक कदम उठा सके। इस बैठक से यह भी मालूम हुआ है कि कुल मिला कर हैंक यार्न की कमी नहीं है और कुछ क्षेत्र में विशेष काउंट के धागे में कभी-कभी मांग और आपूर्ति में ताल-मेल नहीं हो पाता है इस कमी को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा समय से सहयोग देने से दूर किया जा सकता है। दक्षिणी क्षेत्र में 2/17 और 2/18 काउंट के हैंक यार्न की कमी मिलों में बिजली की भारी कटौती के कारण हुई है और अब बिजली की पर्याप्त उपलब्धता से इसमें राहत मिली है। हम स्थिति पर बराबर निगरानी रखे हुए हैं और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हथकरघा बुनकरों के यथार्थ हितों को संरक्षण देने के लिए हम अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करेंगे।

3. माननीय सदस्यों ने हथकरघा और पावरलूम बुनकरों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हैंक यार्न केवल हथकरघा क्षेत्र में ही प्रयोग होता है पावरलूम क्षेत्र में नहीं। वास्तव में 1985 की वस्त्र नीति में स्पष्ट लिखा है कि जहां तक वित्तीय लेवी का सम्बन्ध है यह पावरलूम क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में बराबर-बराबर होनी चाहिए। हैंक यार्न को उत्पाद शुल्क से पूर्णरूप से मुक्त कराने का मूल अभिप्राय हथकरघा क्षेत्र को सहायता देना है। सरकार का यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि इस वित्तीय सहायता का लाभ पावरलूम क्षेत्र को मिले। हम ऐसा महसूस करते हैं कि पावरलूम को उतनी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है जितनी हथकरघा क्षेत्र को है। वास्तविकता तो यह है कि सरकार की कार्रवाई के बिना भी पावरलूम क्षेत्र में तेजी से विकास होता रहा है। यह विकास कभी संगठित क्षेत्र की कीमत पर और कभी हथकरघा क्षेत्र की कीमत पर होता है। वास्तव में सरकार के पास कई अभ्यावेदन आए हैं जिसमें मांग की इस क्षेत्र के अनियंत्रित विकास पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। इसलिए पावरलूम क्षेत्र को किसी भी प्रकार की रियायत देने से पूर्व काफी सावधानी से विचार करना होगा क्योंकि पावरलूम क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा के कारण हथकरघा उत्पादों के बाजार पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

4. जहां तक हथकरघा क्षेत्र का सम्बन्ध है हम इसके महत्व को देखते हुए पूर्ण रूप से जागरुक हैं और वस्त्र उद्योग की अर्थव्यवस्था में इसकी अद्वितीय भूमिका को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विषय पर सरकार की उदारमति है और हथकरघा बुनकरों की हालत में सुधार लाने के लिए किसी भी उपयोगी व व्यवहारिक सुझाव पर विचार करने को तैयार है।

**कुमारी ममता बनर्जी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि आपको भी इस विषय के बारे में काफी चिन्ता है। श्री कुमारमंगलम, श्री राममूर्ति और श्री कुलनदईवेलू सभी तमिलनाडु से संसद सदस्य हैं और वे विशेषकर इस विषय के बारे में बहुत ही चिन्तित हैं। माननीय मंत्री ने स्वयं अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया है कि हैंक यार्न के मूल्यों में बढ़ोतरी के रुख से सरकार भी कुछ चिन्तित है। इसका कारण यह है कि हैंक यार्न का मुख्य रूप से हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग होता है जिन पर लाखों बुनकरों की आजीविका निभर है। अतः माननीय मन्त्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है।

महोदय, आप जानते हैं कि कपड़ा उद्योग देश के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और कुल

औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत उसका योगदान है और मिलों, बिजली करघा और हथकरघा जैसे सभी क्षेत्रों में लगभग 1.2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है और देश की कुल विदेशी मुद्रा की आय का लगभग पांचवां हिस्सा अर्जित करने का स्रोत है। सरकार ने एक नई समिति की पहले ही नियुक्ति कर दी है जोकि अब इसकी विस्तार से जांच करेगी। लेकिन यह सच है कि हैंक यार्न की न केवल तमिलनाडू में बल्कि देश के अन्य भागों में भी कमी है। लेकिन तमिलनाडू में, स्थिति बहुत ही गम्भीर है क्योंकि इससे 20 लाख लोग प्रभावित हैं। इसीलिए आप इस बात की सराहना करेंगे कि यह हैंक यार्न हमेशा ही लघु उद्योग, कृषि उद्योग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम-आधारित उद्योगों का विकास करता है। लेकिन अब बुनकरों की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है। एक परिवार की रोज की आय 4/- रुपए और 12/- रुपए के बीच है। इन बुनकरों के लिए कोई न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं है। वे केवल 4 रुपए से 12 रुपए अर्जित करते हैं। जब सरकार ने इस संसद में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया था तो बुनकरों को केवल 4 रुपए से 12 रुपए के बीच मजदूरी मिल रही थी। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर यह बताया था कि इन लोगों को हथकरघा क्षेत्र से, मिल-मालिकों से पर्याप्त यार्न प्राप्त होगा, लेकिन उन्हें वह नहीं मिल रहा है।

महोदय, भारत में बिजलीकरघा और हथकरघा क्षेत्रों से सम्बन्धित लगभग 1 करोड़ बुनकर हैं जिनमें से लगभग 20 लाख तमिलनाडू में हैं। इसके अतिरिक्त कच्चे माल के रूप में वे हैंक यार्न पर निर्भर हैं। नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत, कताई मिलों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने उत्पादन का कम से कम 4 प्रतिशत हैंक यार्न के रूप में सप्लाई करे। शेष कपड़ा मिलों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कोन यार्न हो सकता है। वर्ष 1987 में, यार्न के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई थी लेकिन केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप के कारण इसमें थोड़ी कमी की गई थी। आज यार्न के मूल्य एक वर्ष की अवधि में लगभग दुगने हो गए हैं और बाजार में हैंक यार्न की कमी से वह इतना महंगा हो रहा है जितना कि पहले कभी नहीं हुआ। इसकी वजह से तमिलनाडू में हथकरघा और बिजलीकरघा के लगभग 15 लाख बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमरीका के सुपर 301 की वजह से सिले-सिलाए कपड़े। फैब्रिक निर्यात बाजार में भारी मंदी आई है जिसके कारण कपड़ा उद्योग में विशेषकर हथकरघा और बिजलीकरघा क्षेत्रों में संकट पैदा हो गया है। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि कताई मिलों ने देखा कि कोन यार्न को बम्बई बाजार में और निर्यात बाजार में बहुत ही अच्छे मूल्य मिल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने हैंक यार्न का निर्माण बन्द कर दिया है।

यहां इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जबकि यार्न के मूल्य बढ़ रहे हैं, कपास के मूल्य में भारी कमी आई है।

इस असामान्य स्थिति से जहां कृषकों को कोई फायदा नहीं होता वहां लाखों हथकरघा और बिजलीकरघा बुनकरों को बेरोजगार कर दिया है। यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्काल कदम न उठाए गए तो ग्रामीण भारत के लोग मर जाएंगे। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी है बुनकरों को यार्न देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से कुछ उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि वे उचित दर दुकानें कहां पर हैं ? जब केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की है कि वह बुनकरों के लिए उचित मूल्य की दुकानें खोलेगी, तो यह देश के लोगों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वह रियायती मूल्य पर उचित मूल्य की दुकानों से पर्याप्त यार्न प्राप्त कर सकें।

वर्ष 1988-89 के केन्द्रीय बजट में पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माताओं को 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उत्पादन शुल्क में राहत दी गई थी। इस शुल्क में कमी के कारण केवल फिलामेंट यार्न के मामले में ही 270 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ था। इस बजट में वस्त्र उद्योग के लिए कुल 600 करोड़ रुपए की रियायतें दी गई थीं। लेकिन ये रियायतें उपभोक्ताओं को आगे नहीं दी गई हैं और कपड़े के मूल्यों में आगे वृद्धि जारी रही।

दूसरा, इन आश्वासनों के बावजूद कि हैंक यार्न पर्याप्त मात्रा में रियायती मूल्यों पर हथकरघा बुनकरों को सप्लाई किया जाएगा, उन्हें यार्न नहीं मिल रहा है। यहां तक कि कपड़ा मिलों के लिए 50 प्रतिशत यार्न का हैंक फार्म में उत्पादन करने की बाध्यता जारी है—लेकिन उत्पादन मुश्किल से 40 प्रतिशत है।

हथकरघा बुनकर यह शिकायत करते हैं कि यार्न के मूल्यों की रुई के सम्बन्धित मूल्यों और यार्न के पिछले वर्ष के मूल्यों से तुलना की जाए तो यह बहुत अधिक है। इतने अधिक मूल्य देना उनकी क्षमता से बाहर है और इसी वजह से वे अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर पाते हैं।

सरकार के अनुसार वर्ष 1987-88 के दौरान सूती यार्न के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। गत वर्ष इसी अवधि के दौरान व्याप्त मूल्यों की तुलना में 25 से 60 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जबकि रुई मूल्य सूचकांक जो मार्च, 1987 में 235.4 था मार्च, 1988 में बढ़कर 335.8 हो गया इस तरह इसमें केवल 42.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यार्न के मूल्य में वृद्धि वर्ष 1987 में गत वर्ष की तुलना में 224 प्रतिशत अधिक थी, जिनका मूल्य 345.40 करोड़ रुपए बैठता है।

यदि सरकार हथकरघा क्षेत्र के संरक्षण के बारे में चिन्तित है, तो उसे रियायती मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में बुनकरों को हैंक यार्न उपलब्ध कराना चाहिए और हथकरघा क्षेत्र के लिए हैंक फार्म में पर्याप्त मात्रा में यार्न उत्पादन करने के लिए मिलों को बाध्य करना चाहिए। इसे यार्न के निर्यात पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाने चाहिए।

पश्चिम बंगाल में भी नादिया जिले में शान्तिपुर जैसे कुछ विशेष स्थान हैं जहां एक लाख लोग इस हथकरघा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वे भी लच्छेदार धागे के कारण पीड़ित हैं। सरकार को इस मामले में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं आपको केवल कुछ बातों का सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि तमिलनाडु के बारे में मेरी जानकारी बहुत थोड़ी है और श्री कुमारमंगलम, श्री कुलनदईवेलू और श्री राममूर्ति जैसे सदस्यों को तमिलनाडु की समस्याओं की अच्छी जानकारी है। किन्तु जो कुछ मुझे मालूम था वह तो मैंने आपको कह दिया। मैं आपको दो तीन बातें कहना चाहता हूं।

केन्द्र को हथकरघा उत्पादकों के और निर्यातकों के हितों को और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् के कुशल कार्यकलाप को ध्यान में रखते हुए हथकरघा विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए संसद में आवश्यक उपाय लाने चाहिए।

केन्द्रीय सरकार को उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश खारिज करने के उपाय करने चाहिए क्योंकि जब सरकार कुछ करना चाहती है, तो मिल के स्वामी उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश मांग रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप बुनकरों को हानि होती है। इसीलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश को खारिज करने के लिए और अमरीका को किए गए निर्यात की समस्या का स्थायी समाधान करने के अतिरिक्त हथकरघा आरक्षण आदेश को लागू करने के

लिए उपाय करे। सहकारी कताई मिलों द्वारा तैयार किया गया पूरा धागा कम दामों पर वितरण करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

मैं राज्य सरकार से भी निवेदन करता हूं कि वह जनता के हित में सूती धागे पर से 2% बिक्री कर और अतिरिक्त 1% लेवी हटा दें।

पहले तो कताई मिलें 40% से अधिक लच्छेदार धागा तैयार करती थीं जो हथकरघा और विद्युतकरघा दोनों में प्रयोग होता था। अब, जबकि कताई मिलों को सूत के धागे के निर्यात में अत्यधिक मूल्य प्राप्त होते हैं, इसलिए अधिकतर मिलों ने लच्छेदार धागे का उत्पादन पूरी तरह रोक दिया है। इस प्रकार उत्पादन न करने के कारण निर्यात तथा कपड़े के देशी उत्पादन के लिए लच्छेदार धागे में बहुत कमी आई है। ज्यादा से ज्यादा, धागे के निर्यात से केवल विदेशी मुद्रा के कुछ करोड़ रुपए प्राप्त होंगे जबकि निर्यात किए जाने वाले कपड़ों से 2000 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। कपड़ों के निर्यात से हमारे देश के प्रमुख नगरों में सम्बद्ध उद्योगों में बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध करने के अतिरिक्त ग्रामीण तथा नगर के लाखों पुरुष, महिलाओं और बच्चों को रोजगार उपलब्ध होता है।

मैं यह बात भी कहना चाहती हूं कि जनता धागे के निर्यात पर रोक लगाने की मांग कर रही है। यदि धागे के निर्यात पर पूर्ण रूप से रोक नहीं है फिर भी प्रत्येक कारखाने को अपने कुल उत्पादन का 50% लच्छेदार धागा तैयार करने का आदेश दिया जाना चाहिए। कारखानों को विस्तृत जानकारी की साप्ताहिक अथवा पाक्षिक घोषणा करने के लिए कहा जाना चाहिए कि प्रत्येक मिल के पास कितने काऊंट धागा है और उसने बाजार में उपयोग के लिए उस अवधि के दौरान कितना धागा निकाला है। धागे के बैंक सभी प्रमुख बुनाई तथा व्यापार केन्द्रों में आरम्भ किए जाने चाहिएं ताकि वे आवश्यक मात्रा अपने भण्डार से ही दे सकें और विलम्ब न हो और न ही धागे का जखीरा किया जा सके। सरकार द्वारा धागे का मूल्य कारखानों और उपभोक्ताओं से सलाह लेकर कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान सरकार को देखना चाहिए कि मूल्यों में वृद्धि तो नहीं हुई है और मूल्यों तथा सप्लाई में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए।

यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। मैं जानती हूं कि सरकार जनता के लिए कुछ करना चाहती है; सरकार ने पहले ही इन लोगों के लिए 800 करोड़ रुपए का आबंटन किया है; सरकार ने एक समिति भी नियुक्त की है; और सरकार ने उचित दर दुकान प्रारम्भ करने की घोषणा की है। किन्तु इसमें कोई कमी है। कार्यान्वयन बहुत ही कम है। इसी कारण इन लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है।

मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप कृपा करके शीघ्र कुछ उपाय कीजिए। यदि कोई सम्भावना है, तो कृपा करके यह मामला राज्य सरकार के साथ भी उठाइए कि राज्य सरकार किस प्रकार की और केन्द्रीय सरकार किस प्रकार की छूट दे सकती है। कृपया यह कार्यवाही शीघ्र कीजिए ताकि हथकरघा क्षेत्र और विद्युत करघा क्षेत्र की रक्षा हो सके और 1 करोड़ 20 लाख लोगों का भी बचाव हो सके।

आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे बड़े-बड़े उद्योग बन्द पड़े हैं, बहुत सारे रुग्ण हुए हैं और कर्मकारों की अधिकतम संख्या भूख से मर रही है। वे बेघर हो गए हैं। कोई भी इनके उद्योगों की देखभाल नहीं करता है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों की देखभाल नहीं करते हैं तो ग्रामीण लोग वस्तुतः नष्ट हो जाएंगे। सरकार के लिए कार्यवाही करने कार्यवाही का यह उपयुक्त समय है।

मैं तमिलनाडु के सभी संसद सदस्यों और उपाध्यक्ष महोदय का आभारी हूं। उन्हें इसकी बहुत चिन्ता है। हमें भी इस सदन के सदस्य होने के नाते बुनकरों के हितों की रक्षा करनी है और देखना है कि बुनकरों को लच्छेदार धागा कम दामों पर उपलब्ध किया जाता है।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** (सलेम) : मैं आभारी हूं कि मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में तत्पर रही हैं और उन्होंने उचित समय पर काम किया है। किन्तु मुझे थोड़ा सा धक्का लगा है क्योंकि पिछली बार जब लच्छेदार धागे के मूल्यों अथवा धागे के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई थी तो मन्त्री महोदय ने भी तेजी से काम किया था और वास्तव में बुनकरों विशेषरूप से तमिलनाडु के बुनकरों की ओर से समझौता किया था और धागे के मूल्य में कमी या अधिकतम सीमा निर्धारित कराई थी। किन्तु इस बार मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि जिस उत्साह और गति से यह काम विगत में किया गया था ऐसा अब प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं निन्दा नहीं करता हूं। किन्तु मुझे थोड़ी अप्रसन्नता हो रही है। बस मैं केवल इतना कह सकता हूं। यह वक्तव्य, दुर्भाग्यवश इतना ही कारखानों के हित में है जितना हो सकता है। वक्तव्य में कहा गया है कि लच्छेदार धागे के मूल्य में 20 और 40 के "काउंट" में 6 और 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। किन्तु वास्तविकता यह है कि 80 के काउंट में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जिन "काउंटस" में यह 2/17 कहलाता है उसमें लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। दूसरे काउन्ट्स में हमने इस एक वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 45 से 50 प्रतिशत वृद्धि पाई है। इसमें भारी वृद्धि हुई है और इस से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह कहना कि केवल 6 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है बहुत कम है और मैं तो कहता हूं कि यह न्यूनोक्ति है।

महोदय, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या मन्त्री महोदय को आंकड़े दिए गए हैं। इस समय पढ़कर सुनाने के बदले मैं यह ध्यानाकर्षण की समाप्ति पर पढ़ूंगा और यदि मन्त्री महोदय हमें समय देने की कृपा करेंगे तो हम उनके पास जाकर उन्हें यह बात स्पष्ट करेंगे। अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पिछली बार अर्थात जून 1987 और जून 1988 के दौरान वृद्धि हुई तो मूल्य वृद्धि का जो कारण बताया गया था वह सूत के मूल्य में वृद्धि था। उस समय हमने मंत्री महोदय और मिल मालिक संगठनों से वाद-विवाद किया था और विस्तारपूर्वक यह स्पष्ट किया था कि सूत के मूल्यों में वृद्धि से धागे के मूल्यों में जो वृद्धि की गयी है वह न्यायोचित नहीं है। हमने विस्तार से स्पष्ट किया था और मन्त्री समझ गए थे और वास्तव में उस समय उन्होंने हमारा पक्ष लिया था। हमने स्पष्ट किया था कि लच्छेदार धागे की एक गठरी के लिए कितनी सूत चाहिए और कितनी वृद्धि हुई और वह अपने लाभ की वृद्धि के लिए हथकरघा और विद्युत से चलने वाले करघे के बुनकरों की कीमत पर सूत के मूल्य में वृद्धि का बहाना कर रहे हैं। तत्पश्चात् मन्त्री समझ गए और उन्होंने हस्तक्षेप किया और उनके प्रभावशाली हस्तक्षेप के कारण मूल्यों में गिरावट आ गई।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि हम लगभग आठवीं लोक सभा की अवधि के अन्तिम चरण पर हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें फिर जनता के पास ही लौटना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मन्त्री मुझ से सहमत होंगे कि मिलों के स्वामी भले ही मतदान न करें, परन्तु हमारे हथकरघा और बिजली से चलने वाले करघों पर काम करने वाले बुनकर मतदान करेंगे।

**श्री पी० कुलनदईवेलू** (गोबिचेट्टिपालयम) : यह तो मतबैंक है।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : निश्चय ही, मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत लोग बुनकरों के हथकरघा तथा विद्युतकरघा बुनाई से सम्बद्ध हैं। इस चरण पर अपने युवा बुनकरों को—कुछ

तो इनमें बूढ़े भी हैं—बेरोजगार होते हुए देखना दुःख की बात है। एक (सुखद) बात यह है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में आजकल ही अर्थात् जून जुलाई और अगस्त में ही बुनाई का काम जोरों पर होता है। किन्तु जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र के दौरे पर गया था तो मैंने देखा कि करघे बेकार पड़े हुए थे, इसलिए नहीं कि बुनकर काम नहीं करना चाहते थे, परन्तु इसलिए कि उनके पास धागा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और जब उनके पास धागा खरीदने के लिए पैसे आए तो उन्हें धागा नहीं मिल रहा था और जब मूल्य निर्धारित किए गए तो उस समय धागा नहीं मिल रहा था। सामान्यतः कारखाने महीने में केवल एक बार मूल्यों की घोषणा करते हैं। किन्तु पिछले तीन महीनों में हमने देखा कि प्रतिमास और कभी-कभी तो हर दो दिन के पश्चात् मूल्यों की घोषणा की गई। इससे यह व्यक्त होता है कि वे बाजार में अतिरिक्त राशि का पूरा-पूरा लाभ उठा रहे थे और लाभ में वृद्धि कर रहे थे। किन्तु किसकी कीमत पर ? सूत का मूल्य धीरे-धीरे घट रहा है। मैं मन्त्री महोदय को आंकड़े भी बता सकता हूं, 1988-89 की अवधि के दौरान सूत की कीमत कहीं-कहीं 50 प्रतिशत घट गई है और कुछ मामलों में लगभग 30% कमी हुई है। किन्तु धागे के मूल्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके बदले धागे के मूल्य बढ़ रहे हैं। वास्तव में यह खेल काफी कपटपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि यह बात रिकार्ड में जाए कि इस षड्यन्त्र में न केवल गैर-सरकारी कारखाने काम कर रहे हैं, किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने भी काम कर रहे हैं। दक्षिण में वे सभी इकट्ठे हो गए हैं। वे क्या करते हैं ? वह उस धागे को खरीदते हैं जो कोन की शक्ल में मिलता है, जो केवल मिलों—जो संगठित क्षेत्र की कपड़ा मिलों के लिए लाभप्रद है। वह उसे बम्बई, उत्तरी राज्यों और विदेशों को भेज देते हैं क्योंकि वहां उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। हालांकि हैंक यार्न के लिए, हथकरघा क्षेत्र में कोई सीमा शुल्क नहीं है लेकिन वही हैंक यार्न जब विद्युतकरघों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर सीका शुल्क लगता है फिर भी हथकरघा क्षेत्र को होने वाली आय कम है। यह जानते हुए मात्र मुनाफे के लिए वह केवल उसी धागे का उत्पादन करते हैं जो विद्युत करघों के काम का हो और केवल कपड़ा मिलों के काम आए। इससे दो क्षेत्रों में ही कमी नहीं आयी है जैसाकि मन्त्री महोदय ने कहा है। आज दक्षिण में विशेषकर सलेम और तमिलनाडु में आपको 80 मांगने से नहीं मिलेगा। आप मांग सकते हैं, उधार ले सकते हैं, चोरी कर सकते हैं लेकिन आपको धागा नहीं मिल सकता। जुलाई के महीने में यह 463 रुपए बंडल के हिसाब से मिल रहा था जबकि पिछले साल इसी महीने यह 330 रुपए बंडल के हिसाब में बिका है। इस तरह हथकरघा और विद्युतकरघों के बुनकर कैसे जीवित रह पायेंगे ?

मैं अब उस बात पर आऊंगा जो विभाजन रेखा माननीय मन्त्री महोदय ने हथकरघा और विद्युतकरघों के बीच खींची है। धागे की कीमतें दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती है। निश्चित तौर पर यह हथकरघा क्षेत्र को ज्यादा बुरी तरह प्रभावित करती है क्योंकि आज के समय में हथकरघा जिसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसको उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है ? इसके अलावा भी हम देखते हैं कि सुपर 301 जो अमेरिका में कपड़े और सिले-सिलाये वस्त्रों के आयात पर असरदार तरीके से रोक लगाता है के कारण विश्व बाजार सिकुड़ता जा रहा है। अमेरिका में इसका बाजार खत्म होता जा रहा है। इस तरह छोटे विद्युत करघे जो निर्यात के लिए कपड़े का निर्माण करते हैं उनके पास आज आर्डर नहीं है और जो कुछ आर्डर उनके पास हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों के सम्बन्ध में इतनी अधिक प्रतियोगिता है और धागे की कीमतें ज्यादा हैं कि वह अपना माल बाजार में बेच ही नहीं पाते हैं।

कुछ विद्युतकरघे हैं जो और कुछ नहीं स्वंचालित करघे हैं जो की संगठित क्षेत्र के हैं और कुछ

विद्युतकरघे है जो और कुछ नहीं ऐसे हथकरघे हैं जिनके साथ मोटर जुड़ी हुई है। यदि जिन हथकरघों के साथ मोटर जुड़ी हुई है को संगठित क्षेत्र के स्वचालित करघों के समान माना जाए तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह वास्तविकता में असमान को समान बनाना है। आखिरकार हम सब चाहते हैं कि हथकरघा उद्योग बना रहे। इसे बचाने के तरीकों में से एक तरीका जिसे बुनकरों ने खोज निकाला है वह है टांगों के इस्तेमाल की जगह मोटर लगाना। इससे बुनाई में करघे के समान रूप से चलने के कारण स्थायित्व आ जाता है। दरअसल करघे उसी रफ्तार से चलते है क्योंकि धागे डालना और करघे के ऊपर के कार्य हाथ से ही करने पड़ते हैं। दरअसल युवा बुनकर समान रफ्तार और दबाव को नहीं रख पाते हैं और यह युवा बुनकरों के लिए एक हल है जिससे कपड़े की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। मन्त्री महोदय इससे अवगत हैं और यहां मन्त्री महोदय कहते हैं कि वह पूर्ण रूप से विद्युतकरघों को हतोत्साहित करेंगे। इस दृष्टिकोण से मुझे धक्का लगा है। क्या कोई और मन्त्री वस्त्र क्षेत्र का इतना जानकार हो सकता है जितना कि श्री राम निवास मिर्धा। वह शुरू से अन्त तक सब कुछ जानते हैं। वह जानते हैं कि कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं और सिले सिलाए वस्त्रों के लिए कपड़े को कैसे काटा जाता है और यहां तक की कहां से निर्यात आर्डर प्राप्त किए जाते हैं। वह बाजार के बारे में सटीक जानकारी रखते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश हम उनका उस तरह से पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए हैं जैसाकि हम चाहते हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारणतया यह कीमतें दक्षिण भारत मिल मालिक एसोसिएशन द्वारा नियन्त्रित की जाती हैं। लेकिन दक्षिण भारत मिल मालिक एसोसिएशन कीमतों में कमी के लिए बातचीत भी करने को तैयार नहीं है। वह मात्र लाभ लेने में रुचि रखते हैं। उन्होंने स्थानीय राज्य सरकारों को अपनी तरफ कर लिया है। मैं यह कहना नहीं चाहता कि कैसे, हरकोई जानता है कि माननीय सरकारों को चुनाव के समय और ज्यादा स्रोत बनाकर कैसे अपनी तरफ किया जाता है। (व्यवधान) सच्चाई यह है कि राज्य सरकार कार्य नहीं कर रही है। यदि केन्द्रीय सरकार ने सख्ती से हस्तक्षेप नहीं किया तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धक्का लगेगा। इसी का मुझे डर है।

मात्र धागे के मूल्य के अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या हैंक यार्न का प्रयोग विद्युत करघों द्वारा किया जा सकता है। हैंक यार्न के सम्बन्ध में जहां उन्होंने शुल्क का भुगतान किया है, वहां उन्हें इसे विद्युत करघों में प्रयोग करने की अनुमति है। यह मात्र हथकरघों के लिए ही आरक्षित नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि हैंक यार्न को छोटे विद्युत करघों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और स्वचालित करघों और छोटे विद्युत करघों में कुछ भेद होना चाहिए। मंत्री महोदय इस समस्या को समझ सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि वे स्वयं समय निकालकर इसका हल खोजेंगे।

ऐसा नहीं है कि हथकरघों को नुकसान नहीं हो रहा है। उनको सबसे पहले हानि उठानी पड़ रही है। लेकिन उनके साथ यह आधी ऊंची जाति के जैसाकि उन्हें कहा जाता है उन्हें संगठित वस्त्र मिलों का उच्चतम स्तर नहीं मिला है। उनको ऊंचा स्तर तक नहीं मिला है जोकि यह दावा कर सके कि वह स्वचालित करघे हैं। लेकिन वह बहुत कुछ हथकरघा क्षेत्र में निम्न स्तर के माने जाते हैं जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी के साथ एक छोटी मोटर लगाकर चला रहे हैं। उनको एकदम संगठित क्षेत्र के साथ रखना उनके साथ अन्याय होगा। यदि आप चाहते हैं कि निर्यात सुनिश्चित किया जा सके तो उन्हें जबर्दस्त प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हर कोई जानता है कि कपड़ों का निर्यात और सरकारी निर्यात इसलिए होता है क्योंकि यह कपड़े.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस समय हम केवल वस्त्र विभाग पर चर्चा कर रहे हैं।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से, इसका धागे की कीमतों से सीधा सम्बन्ध है। मैं छोटे विद्युतकरघों और हलकरघों के आरक्षण की मांग कर रहा हूं। मैं मिल क्षेत्र में स्वचालित करघों की बात नहीं कर रहा हूं उनको वह धागा मिल रहा है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। छोटे विद्युतकरघे कोन धागे को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कच्चे माल के स्रोत के रूप में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वह केवल 'हैंक यार्न' का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली हथकरघे जैसी ही है। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि निर्यात की संभावनाओं की दृष्टि से सारे विद्युतकरघों या हथकरघों, जो निर्यात की किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं, के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण आईटम है। इसे संगठित क्षेत्र को विशेष रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है लेकिन छोटे विद्युतकरघों को कभी उपलब्ध नहीं कराया जाता। इस सम्बन्ध में वस्त्र मंत्रालय को, राज्य सरकारों से सिफारिश करनी चाहिए वरना राज्य सरकारें यह महसूस करेंगी कि उन्हें छूट देने की कोई शक्ति ही प्राप्त नहीं है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वस्त्र का मुख्य स्रोत तमिलनाडु के सलेम, पेरियार और कोयम्बटूर जिले हैं। दुर्भाग्यवश वहां डिजाइन की सुविधाएं नहीं हैं। डिजाइन की सुविधाएं या तो मद्रास, बम्बई या दिल्ली में उपलब्ध हैं। हमारा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय अन्य मामलों पर विचार करते हुए सलेम या इरोड—मुख्यतौर पर सलेम में क्योंकि यह मेरा चुनाव क्षेत्र है—डिजाइन सुविधाएं स्थापित करने पर विचार करें।

मैं इस आशय के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय फौरन इस पर ध्यान देंगे और मिलमालिकों की नहीं सुनेंगे। कृपया याद रखिए कि उनका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है और हमारा उद्देश्य लाखों बुनकरों को बेरोजगारी से बचाना है।

**श्री पी० कुलनदईवेलू** (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान तमिलनाडु के 35 लाख हथकरघा बुनकरों की बुरी दशा की तरफ दिलाना चाहता हूं वह बेरोजगारी के कारण पिछले डेढ़ साल से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नियम 377 के माध्यम से पिछले वर्ष भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुका हूं, जिसका 6 मई, 1988 को उन्होंने उत्तर भी दिया था। आपने कहा था कि हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उनके उत्तर के बाद पिछले एक वर्ष से हथकरघा बुनकरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोई कदम उठाया गया है। पैरा 3 में आपने कहा है कि "हथकरघा उद्योग को राहत देने के उद्देश्य से निम्न योजनाएं चल रही हैं—हैंड यार्न ऑब्लिगेशन स्कीम नई बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना तथा वर्तमान इकाईयों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमों तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के धागा सप्लाई करने वाले निगमों को ऋण सहायता....." आदि आपने इन सब बातों का जिक्र किया है। आपने यह भी कहा है कि राज्य सरकारों को धागा मूल्य निर्धारण समिति की स्थापना करने की भी सलाह दी गई थी। जब आपने यह कहा है कि राज्यों में समिति बनाई जाए, तो क्या वे हथकरघा उद्योग के लिए सही और उपयुक्त मूल्य-निर्धारित कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। पिछले 1½ वर्षों से धागे के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। धागे के मूल्य दो गुने और रेशमी धागे के मूल्य तिगुने हो गए हैं। यह स्थिति है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहां तक संगठित क्षेत्र का सम्बन्ध है, 1985 में आपने जो नई वस्त्र नीति बनाई थी, उसके तहत वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। उस नई नीति के कारण, केवल संगठित क्षेत्र, मिल क्षेत्र सुरक्षित है न कि हथकरघा क्षेत्र। माननीय प्रधानमन्त्री ने यहां एक विधेयक पेश किया है जिसमें हथकरघा क्षेत्र के लिए संगठित क्षेत्र की 22 मदें

आरक्षित की गई थीं। उसका क्या हुआ ? माननीय प्रधानमन्त्री ने हथकरघा उद्योग के लिए जो 22 मदें आरक्षित की थीं, क्या वे उन्हें दी जा रही हैं ? संगठित क्षेत्र, मिल क्षेत्र ने न्यायालय में जाकर स्थगनादेश प्राप्त किया था। उसका क्या हुआ ? पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से यह मामला न्यायालय में लम्बित पड़ा है। हथकरघा बुनकरों को बचाने के लिए मन्त्री महोदय ने क्या कदम उठाए हैं ? आप इतने कानून बना रहे हैं और इतने विधेयक पारित कर रहे हैं। इनके कार्यान्वयन का क्या होगा ? आप इतनी सारी योजनाएं और कार्यक्रम बना रहे हैं। इनके कार्यान्वयन का क्या होगा ? इस तरह अन्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस अन्तर को पूरा नहीं किया जा रहा है। अब यह स्थिति हो गई है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कह रहा हूं कि वह हथकरघा उद्योग की रक्षा के लिए तुरन्त कदम उठाएं क्योंकि तमिलनाडु में 35 लाख बुनकरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नई वस्त्र नीति बनाए जाने के बाद जो स्थिति वहां अब है, मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। इस समय स्थिति कैसी है। 1985-86 में नई वस्त्र नीति के कार्यान्वयन से पूर्व तमिलनाडु में बेरोजगारों की संख्या 70,000 थी। इस नीति के कार्यान्वयन के बाद यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ 27 लाख पहुंच गई है। हथकरघा क्षेत्र में यह स्थिति है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। बेरोजगारों की संख्या 70,000 से बढ़कर 1 करोड़ 27 लाख हो गई है। इस नई वस्त्र नीति का क्या फायदा है ? क्या आपने हथकरघा क्षेत्र के हितों की रक्षा की है ? जहां तक हथकरघा क्षेत्र का सम्बन्ध है उनकी बिलकुल सुरक्षा नहीं की गई है और न ही उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हैंक यार्न केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए ही है। क्या इनका उपयोग केवल हथकरघों में ही किया जाना है ? हथकरघों के नाम पर विद्युतकरघों में इसका उपयोग किया जा रहा है और खुले बाजार में कई किस्म के कपड़े यह कहकर बेचे जा रहे हैं कि यह हथकरघों पर बनाए गए हैं। क्या हथकरघा उद्योग को बचाने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है ? आप केवल संगठित क्षेत्र, विद्युतकरघा क्षेत्र के हितों के लिए कार्य करते हैं न कि हथकरघा क्षेत्र के लिए। जब तक आप अपनी नीति नहीं बदलते, अपना रवैया नहीं बदलते, हथकरघा क्षेत्र की सुरक्षा नहीं की जा सकती।

संगठित क्षेत्र, मिल के कर्मचारियों की तुलना में हथकरघा बुनकरों को कितना पैसा मिलता है ? मिल में हर श्रमिक को 60-70 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, हथकरघा बुनकरों को मात्र 6-7 रुपए ही मिलते हैं। उनके काम करने के घंटों के बारे में आपको क्या जानकारी है ? जबकि मिल में काम करने वाला श्रमिक 8 घंटे ही काम करता है, हथकरघा बुनकर पूरे दिन व्यस्त रहता है और वास्तव में उसका पूरा परिवार काम में लगा रहता है। इसलिए हमें हथकरघा बुनकरों की स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह उन्हें रियायतें देने पर विचार करें। आप पहले उन्हें औपचारिक रूप से 60 दिनों की छूट दे रहे थे फिर इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया और अब यह छूट केवल 15 दिन की मिलती है। आपको उन्हें 60 दिन की रियायत देनी ही चाहिए। साथ ही इसके लिए राज्य सरकारों को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। राज्य सरकारें हथकरघा क्षेत्र की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे रही हैं। उनका काम केवल संगठित और सुसंगठित क्षेत्र, मिलों की रक्षा करना है। दक्षिण भारतीय मिल मालिक एसोसिएशन भी संगठित क्षेत्र और मिलों को ही बचा रहा है, हथकरघा क्षेत्र को नहीं। यहां तक कि उचित दर की दुकानों पर भी हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्य पर धागा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह हथकरघा बुनकरों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए इस सम्बन्ध में तुरन्त कदम उठाएं।

**श्री के० राममूर्ति** (कृष्णागिरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण के रूप में चर्चा की अनुमति दी। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। 'हैंकयार्न' की कमी और मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण हथकरघा बुनकरों को बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मैंने तथा तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों के हथकरघा बुनकरों के प्रतिनिधियों ने वस्त्र मंत्री से कई बार भेंट की और उन्होंने कुछ प्रभावी कदम भी उठाए और कुछ हद तक अब स्थिति में सुधार भी आया है। हथकरघा क्षेत्र कृषि के पश्चात् दूसरे स्थान पर है और इसमें करोड़ों बुनकर लगे हुए हैं। उन्हें इस व्यवसाय में कुछ फायदा नहीं हो रहा है, वे केवल अपनी आजीविका कमाने के लिए ही इस उद्योग में काम कर रहे हैं।

जैसाकि मैंने कहा, कृषि के पश्चात् हथकरघा क्षेत्र जनता को रोजगार के अत्यधिक अवसर उपलब्ध कराता है, लेकिन इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें उचित मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने, उचित दर की दुकानों से कच्चा माल दिलाने आदि के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हर साल यह सभा इस विषय पर चर्चा करती है। मुझे यह नहीं समझ आता कि सरकार इस समस्या का स्थाई रूप से समाधान करने के बारे में क्यों नहीं सोच रही है।

मैं श्री कुलनदईवेलू की इस बात से सहमत हूं कि यद्यपि हथकरघा बुनकरों को रोजगार देने, हैंकयार्न उपलब्ध कराने, मूल्य निर्धारण आदि के सम्बन्ध में इतने विधान बनाए गए हैं किन्तु उनको कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ? मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनका मंत्रालय राज्यों में स्थापित धागा मूल्य निर्धारण समितियों के कार्यकरण की निगरानी कर रहा है और क्या वे नियमित रूप से मिलकर धागे का मूल्य निर्धारित कर रहे हैं।

**1.00 म० प०**

कितनी प्रभावी समितियां बनाई गई हैं और उनमें से कितनी समितियां काम कर रही हैं। विभिन्न कानूनों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मन्त्रालय बिलकुल निगरानी नहीं रख रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं। हमने इस सभा में कई अधिनियम पारित किए हैं विशेष रूप से वह अधिनियम, जिसका श्री कुलनदईवेलू ने जिक्र किया है, अर्थात् हथकरघा क्षेत्र के लिए 22 मदों का आरक्षण किया जाना। उसका क्या हुआ ? हमने कर्मचारी राज्य बीमा (ई० एस० आई०), हथकरघा बुनकरों का भविष्य निधि में अंशदान, और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे कई कानून बनाए हैं, अब हर बात का निर्णय न्यायालय में होता है। वे मामले देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं। वस्त्र मंत्रालय इस स्थिति पर ध्यान क्यों नहीं देता और सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय में पेश कर उन्हें क्यों नहीं निपटाता ? मंत्रालय क्या कर रहा है ? महोदय, मैं तो कहूंगा कि वस्त्र मंत्रालय ऐसा करना ही नहीं चाहता। कम से कम मंत्री महोदय को अब तो भारत सरकार के निदेशों सम्बन्धी अधिनियमों और हथकरघा क्षेत्र में 22 मदों के आरक्षण सम्बन्धी अधिनियमों, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, भविष्य निधि अंशदान और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समूची स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्हें तुरन्त इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में रखना चाहिए क्योंकि इसे लाखों बुनकर प्रभावित हैं। ऐसा करना सम्भव है।

महोदय, दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा यह है कि हम बहुत अधिक रियायत दे रहे हैं और देश में उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को हम बहुत अधिक राजसहायता प्रदान कर रहे हैं लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण हथकरघा बुनकर क्षेत्र को कोई राजसहायता देने की बात हमने कभी नहीं सोची। मैं दूसरे क्षेत्रों को राजसहायता दिए जाने के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन मेरा कहना है कि कम से कम इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी जहां कि लाखों लोग कार्यरत हैं, हमें कुछ राजसहायता देनी चाहिए। कुछ समय पूर्व मुझे बताया गया था कि मन्त्रालय द्वारा एक राजसहायता योजना तैयार की जा रही है। मैं नहीं जानता हूं कि उसका क्या हुआ। माननीय मन्त्री महोदय से भेंट करने के पश्चात् हमारे शिष्टमण्डल ने माननीय प्रधानमन्त्री से भेंट की और उन्होंने विभिन्न राज्यों में हैंक यार्न, वितरण करने के लिए तुरन्त 80 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए लेकिन दुर्भाग्यवश तमिलनाडु इससे वंचित रह गया था। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ। यदि माननीय मन्त्री यह सोचते हैं कि धागा उत्पादन के क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य अग्रणी राज्य है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वहां इसकी कमी क्यों है और वहां धागे की इतनी अधिक कीमत क्यों है। मैं चाहता हूं कि माननीय वस्त्र मन्त्री कम से कम इस बात को महसूस करें तथा तमिलनाडु में इस विशेष स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ डिपो खोलने की आज्ञा दें। वस्तुतः तमिलनाडु में इस उद्योग में 3.5 मिलियन हथकरघा बुनकर कार्यरत हैं और यदि उन्हें निकाल दिया गया तो मुझे इस बात की आशंका है कि आप साउथ इण्डिया मिल ओनर्स एसोसियेशन का पक्ष ले रहे हैं। राज्य सरकार ने अभी तक धागे के मूल्य निर्धारण समिति की बैठक नहीं की गई है और साथ ही वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए तमिलनाडु में कोई डिपो नहीं खोला गया है। इस उद्देश्य के लिए आपने सिर्फ पांच राज्यों को ही क्यों चुना ? मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां भी डिपो नहीं है वहां आपको डिपो खोलनी चाहिए।

अन्य समस्या जिसके बारे में हमारे मित्रों ने चर्चा में भाग लेते समय बताया है वह निर्यात से सम्बन्धित है। अब हमारे हथकरघा वस्त्रों का निर्यात हजारों करोड़ों रुपए का हो रहा है। लेकिन हैंक यार्न की कीमतों में इस प्रकार की अत्यधिक वृद्धि के कारण हमारे निर्यात मे कमी हो रही है। अब वे पहले किए गए अपने वायदों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं और वे हथकरघा द्वारा तैयार किए गए सामानों को निर्यात करने की स्थिति में नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि आप किस प्रकार की राजसहायता या प्रोत्साहन उन्हें देने जा रहे हैं। आपने घोषणा की थी कि 5 प्रतिशत की रियायत उन्हें सूखे के समय भी दी जाएगी लेकिन यह रियायत उन्हें नहीं मिली है। कम से कम अब आपको इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि हथकरघा निर्यातकों को आप किस प्रकार की रियायत दे सकते हैं ताकि उन्हें इस मूल्य वृद्धि और हैंक यार्न की कमी के प्रभाव से बचाया जा सके। कम-से-कम आपको हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद से उनकी मांगों के सम्बन्ध में पूछना चाहिए तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम अथवा सहकारी मिलों द्वारा उनकी पूर्ति करनी चाहिए तथा इस मूल्यवृद्धि के प्रभाव से तथा हैंकयार्न की कमी के प्रभाव से भी उन्हें बचाया जाना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से दो बातें पूछना चाहूंगा। प्रथम, जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं कि यह कमी कैसे उत्पन्न होती है ? अपने वक्तव्य में माननीय मन्त्री ने कहा है, "गत वर्ष सूखे के कारण कपास का उत्पादन कम हुआ है। इस कारण इसके दाम बढ़ गए हैं।" उसी वर्ष आपने कपड़ा मिल मालिकों को अन्य देशों से कपास आयात करने की अनुमति दी है। उसका क्या हुआ।

दूसरी बात जो वे कर रहे हैं वह हैंकयार्न की कमी से सम्बन्धित है। इस वर्ष विशेष रूप से ऐसा हुआ कि कपास के क्षेत्र में हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होने के बावजूद कपास की कीमतें कम

हो रही हैं तथा धागे के भाव चढ़ रहे हैं। जो कारण उन्होंने बताया है वह यह है कि वे इसका निर्यात कर रहे हैं। इस देश में इन कपड़ा मिलों को कम से कम 40 प्रतिशत हैंकयार्न के उत्पादन का दायित्व सौंपा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके मन्त्रालय ने इसकी व्यवस्था की है और इस बात पर ध्यान दिया है कि कितनी मिलों ने इसका उत्पादन किया है। उन मिलों के विरुद्ध जिन्होंने उत्पादन नहीं किया है आपने क्या कार्रवाही की है ? हैंकयार्न को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत रखने में आप क्यों हिचक रहे हैं ? मैं स्पष्ट रूप से यह प्रश्न पूछ रहा हूं। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। यह एक बहुत ही गम्भीर परिस्थिति है जिसका अब हम सामना कर रहे हैं। आप इसका एक स्थायी हल क्यों नहीं ढूंढ़ते हैं ? आपको इन बातों पर विचार करना चाहिए। हथकरघा बुनकरों को हैंकयार्न के वितरण के लिए आप राजसहायता उपलब्ध क्यों नहीं कराते हैं और हथकरघा वस्तुओं के निर्यातकों को संरक्षण प्रदान क्यों नहीं करते हैं। इन हथकरघा निर्यातकों को संरक्षण प्रदान करने का कुछ उपाय आपको अवश्य ढूंढ़ना चाहिए। तीसरे मैं जिस बात में मेरी रुचि है वह यह है कि आप उन सभी राज्यों में जहां हथकरघा क्षेत्र हैं वहां कृपया इनके डिपो खोल दें।

**श्री राम निवास मिर्धा** : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वस्त्र मन्त्रालय का सम्बन्ध है तो माननीय सदस्यों द्वारा इस अध्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मैं उनका आभारी हूं।

यह समय-समय पर तेजी से उभरने वाली परिस्थिति के सम्बन्ध में दिया गया एक तर्कसंगत वक्तव्य था। मैं इस सम्बन्ध में सरकार की नीति दोहराता हूं कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हथकरघा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है तथा सभी मूल्यों पर हमें इसे बनाए रखना है। कृषि के बाद यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण असंगत क्षेत्र है। यह उन लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है जो कि पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और दूसरे वर्गों के हैं तथा सरकार हर समय जिनकी मदद करना चाहती है।

हथकरघा हमारी राष्ट्रीय विरासत का भी एक भाग है तथा हम इसे बनाए रखना चाहते हैं। यह ऐसी विरासत है जो हमें 100 वर्ष पहले मिली थी और कुछ मामलों में तो 1000 वर्ष पुरानी है। अतः प्रत्येक दृष्टिकोण से हर संभावित तरीके से हमने एक नीति के रूप में हथकरघे को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प किया है। माननीय सदस्यगण शायद हमारे द्वारा उठाए गए उन विभिन्न कदमों के बारे में जानते होंगे जोकि हमने हथकरघा क्षेत्र को बनाए रखने के लिए उठाए हैं और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन इस चर्चा में उठाए गए कुछ मुद्दों के बारे में मैं विशेष रूप से कुछ कहना चाहूंगा। हमें एक तो यह बात याद रखनी चाहिए कि विद्युतकरघों का महत्व बहुत बढ़ गया है और कभी-कभी बल्कि अक्सर ही इन दोनों क्षेत्रों के हितों में टकराव उत्पन्न होता है। आप आरक्षण से सम्बन्धित मुद्दे को ही लीजिए जिसका कि माननीय सदस्यों और विशेषकर श्री राममूर्ति ने उल्लेख किया है। अन्य बातों के साथ-साथ आरक्षण आदेश इस आशय से जारी किए गए हैं कि इन किस्मों को सिर्फ हथकरघे द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। विद्युत करघा तथा संगठित क्षेत्रों द्वारा भी इसका प्रतिरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में सरकार ने अनेक उपाय किए हैं तथा सभी बातों की जानकारी रखने वाले श्री राममूर्ति को यह जानना चाहिए कि हम इस बात को पहले ही उच्चतम न्यायालय तक ले जा चुके हैं। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने स्थगन आदेश जारी किए हैं। हमने तुरन्त उच्चतम न्यायालय में अपील की तथा सारे मुकदमे वहां ले आने का अनुरोध किया। अब ये सारे मामले सिर्फ उच्चतम

न्यायालय के पास ही हैं। हम उनके साथ ही इस मामले को निपटा रहे है। छुट्टियां समाप्त हो गई हैं, और वे अपना कार्य पुनः शुरू कर रहे हैं तथा हम अभी भी इस मामले का शीघ्र निर्णय किए जाने का दबाव उन पर डाल रहे हैं क्योंकि इससे अनेक हथकरघा बुनकर प्रभावित होते है।

अतः हम जो भी कानून बनाते हैं उसे लागू करने के प्रति हम बहुत ध्यान देते हैं। आरक्षण आदेश के अन्तर्गत इसे कार्यान्वित करने वाले तन्त्र राज्य सरकारों के पास है। हम उन्हें धनराशि प्रदान करते हैं...(व्यवधान), इसे कार्यान्वित करने वाली एजेंसी की स्थापना में हम उनकी सहायता करते हैं। कुछ जगहों पर वे इसकी स्थापना कर रहे हैं और कुछ स्थानों पर वे इस काम में ढीले पड़ गए हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि सरकार इस सन्दर्भ में कुछ अधिक कार्य नहीं कर रही है। हम इसके प्रति बहुत सजग हैं और इस महत्वपूर्ण निकाय की रक्षा के लिए हम वह सभी कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं।

उठाए गए अन्य दूसरे मुद्दों के अतिरिक्त सबसे प्रमुख बात उचित दामों में धागे की उपलब्धता से सम्बन्धित है। उन पर वास्तविक नियन्त्रण नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि शायद बुनकर समुदाय भी यह नहीं चाहते हैं। प्रशासनिक रूप से हर सम्भव प्रयास हमने किया है। औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से हमने यह सुनिश्चित किया है कि धागों के लिए बुनकरों से मिलों द्वारा उचित मूल्य लिए जाएं। यह कहना सही नहीं है कि सरकार संगठित क्षेत्र अर्थात् मिलों का पक्ष ले रही है। यह कथन भी सही नहीं है कि 1985 की वस्त्र नीति में संगठित क्षेत्र का पक्ष लिया गया। दूसरे लोगों के साथ श्री कुलनदईवेलू द्वारा जैसा उल्लेख किया गया था वह सही नहीं है। बल्कि वास्तविक तथ्य तो यह है कि 1985 की वस्त्र नीति लागू करने के पश्चात् संगठित क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हो गई है। प्रत्येक वर्ष इसे बनाए रखा जाता है। कुल उत्पादन में हथकरघे के योगदान में वृद्धि होती जा रही है। देश में कपड़ों के कुल उत्पादन में विद्युत करघों के योगदान में वृद्धि होती जा रही है। उत्पादन में कमी के कारण नुकसान वाला निकाय सिर्फ संगठित मिल क्षेत्र है। अतः हमारी नीति सोच-विचार कर हथकरघा और कुछ हद तक विद्युत करघे के पक्ष में बनाई गई है और इसका उद्देश्य इन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बनाए रखने का है और जिनका हमारे देश में वस्त्र उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है तथा रोजगार की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हैं।

हमने इस सम्बन्ध में बहुत कदम उठाए हैं—श्री कुलनदईवेलू जानना चाहते हैं कि जब से मैंने उन्हें वह पत्र लिखा मैंने क्या किया है। जैसाकि श्री राममूर्ति जी ने कहा कि प्रधानमन्त्री द्वारा रुचि लिए जाने के कारण 80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की गई थी, यह भी किए गए उपायों में से एक है क्योंकि जब स्थिति गम्भीर हो रही थी तो हमने प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम विभिन्न स्थानों पर डिपो खोलेगा और इसके लिए हमें कुछ राजसहायता देनी चाहिए। (व्यवधान) राजसहायता इस प्रकार दी गई है; परिवहन लागत वितरण, पूंजी पर ब्याज आदि का 5% सहायता के रूप में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को दिया जाएगा और बुनकर समितियों अथवा स्वयं बुनकरों को यह नहीं दिया जाएगा।

मैं कल लखनऊ में था। मैं आज सुबह ही आया हूं। लखनऊ में एन० एच० डी० सी० मुख्यालय में मैंने जिन विषयों पर चर्चा की उनमें से एक विषय योजना की प्रगति का है। हम राज्य-सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए हैं। हमने उनसे यह निवेदन किया है कि वे हमें बताएं कि वे इन केन्द्रों को कहां पर स्थापित करना चाहते हैं और हम देखेंगे कि वे जल्दी से जल्दी स्थापित हों

एक प्रश्न पूछा गया है कि ये केन्द्र पर्याप्त संख्या में स्थापित क्यों नहीं किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने यह मानदंड अपनाया है कि इन केन्द्रों को ऐसे राज्यों में स्थापित किया जाए जहां पर धागे का उत्पादन कम है। दूसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने इस दिशा में इस प्रकार पहल की है अर्थात् कुछ ही दिन पहले, मैंने राज्य स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें, राज्य निगमों, राज्य सहकारी मिलों, सहकारी क्षेत्र में राज्य के शीर्षस्थ निकायों, एस० आई० एम० ए० तथा इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी और सभी प्रतिनिधि वहां उपस्थित हुए थे। इस बैठक में हमने कुछेक निर्णय लिए।

**श्री पी० कुलनवेलू** : उस बैठक में बुनकरों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया था। **(व्यवधान)**

**श्री राम निवास मिर्धा** : उनको बुलाया गया था। उनमें से कुछ वहां पर उपस्थित थे। राज्य के शीर्षस्थ निकायों और राज्य निगमों के प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित थे। सौभाग्य से वहां बुनकरों के प्रतिनिधि भी थे। मैं उनमें से सभी के नाम बता सकता हूं। तमिलनाडु के अनेक व्यक्ति जो पहले "सी० ओ० ओ० पी० टी० ई० एक्स" से जुड़े हुए थे, वहां अनौपचारिक रूप से उपस्थित थे। यहां अनेक निकाय हैं और सभी को बैठक में बुलाना संभव नहीं था। राज्य-सरकारों को विश्वास में लेना होगा और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपनी यहां के बुनकरों के विचारों को सामने रखें। इसके बावजूद उनमें से कुछ व्यक्तिगत रूप से आए और हमने उन्हें आमंत्रित किया···**(व्यवधान)**

**कुमारी ममता बनर्जी** : राज्य-सरकारें इस बारे में गम्भीर नहीं हैं··· **(व्यवधान)**

**श्री राम निवास मिर्धा** : यही सारी समस्या है और राज्य-सरकारों के बदले हम यह नहीं कर सकते···**(व्यवधान)**

**कुमारी ममता बनर्जी** : यदि वे इसे गम्भीरता से नहीं ले रही हैं तो फिर आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस पर कार्रवाई करेगी···**(व्यवधान)**

**श्री के० राममूर्ति** : आपने बताया है कि तमिलनाडु राज्य में धागे का अतिरिक्त उत्पादन होता है। तब, क्या समस्या है ?

**श्री राम निवास मिर्धा** : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैंने अपने बयान में कहा है, यदि आप इसे ध्यान से पढ़ें तो पायेंगे कि कुछेक काउन्ट बेमेल हैं। मिल एवं सहकारी समितियों का यह कहना है कि उन्हें कोई अग्रिम सूचना द्वारा यह नहीं बताया गया था कि कौन सी सहकारी समिति और राज्य निगम को कितने काउन्टों की आवश्यकता होगी। अब उन्होंने एक निगरानी समिति का गठन किया है। हमने उनसे कहा है कि वे अपेक्षित काउन्ट का एक त्रैमासिक ब्यौरा हमें दें और हम यह देखेंगे कि मिल चाहें वे निजी क्षेत्र में हों अथवा सहकारी क्षेत्र में अथवा राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में हों, सभी इसका पालन करें। अतः यह बेमेल भी एक महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के अलावा अन्य मिल-मालिकों का यह कहना है कि कितने काउन्ट उठा लिए जायेंगे, इस बारे में उन्हें कोई अग्रिम सूचना नहीं मिली है। हमने एक महत्वपूर्ण कार्य कर लिया है। शीघ्र ही एक बैठक बुलाई जायेगी और राज्यों की सहकारी समितियों और शीर्षस्थ निगमों को एक खास किस्म की अपनी जरूरतों का ब्यौरा देने के लिए कहा जायेगा और तब हम उन्हें कहेंगे कि वे अपेक्षित काउन्टों का उत्पादन करें। कुल मिलाकर इसकी कमी नहीं है। माल

उपलब्ध है। घटिया और उत्तम दोनों किस्मों के कुछेक माल के बारे में कुछ कठिनाई है। अतः हमने ऐसा किया है जिससे उत्पादन व आवश्यकता में विसंगति को दूर किया जा सके।

दूसरा पहलू जिस पर हम गम्भीर हैं वह है "हैंकयार्न (सूत की लच्छियों) की मांग"। कताई उद्योग का मत है कि इसकी कोई कमी नहीं है और ये सभी जगह उपलब्ध हैं। उन्होंने बिना बिके ऐसे सूत की सूची से आंकड़े दिए हैं। अतः हम पुनः यह देखेंगे कि अपेक्षित किस्म की लच्छियां उपलब्ध हैं अथवा नहीं। हम पुनः किस्म एवं इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ दिनों पहले बुलाई गई बैठक में हमने कुछेक निर्णय लिए हैं जैसे हैंकयार्न (सूत की लच्छियों) सम्बन्धी मांग के बारे में एक निगरानी समिति बनाई जाएगी, तथा इसके मूल्यों पर नजर रखी जाएगी—क्योंकि हम हर सप्ताह मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। हमने उनसे कहा है कि कम से कम एक महीने अथवा एक निश्चित अवधि के लिए वे अपने मूल्य वहां रखें जिससे परस्पर सम्पर्क बना रहे और तीसरे जहां कहीं कठिनाई हो; वहां निगम को आगे आना चाहिए और एक क्षेत्र विशेष से माल खरीदकर उन्हें दूसरे क्षेत्र में भेजना चाहिए। अतः बहुत तेजी से बदलती हुई स्थिति के लिए प्रायः हर माह हम कुछ निश्चित कदम अथवा सुधारात्मक उपाय कर रहे हैं।

विद्युत-करघों को क्षेत्रों में विभाजित करना वास्तव में एक कठिन बात है। जैसाकि श्री कुमार-मंगलम ने बताया था, विद्युतकरघा-विद्युतकरघा है। यह कहना बहुत कठिन है कि कौन से विद्युतकरघे अनुसूचित जातियों के हैं और कौन से ब्राह्मणों के तथा अन्य विद्युतकरघे है। ये उस समिति के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं जिसका गठन वस्त्र-नीति के पुनरीक्षण हेतु किया गया है। और मैं विश्वास करता हूं कि यह किया गया है क्योंकि समय-समय पर हमें ये सुझाव प्राप्त हुए हैं कि विद्युतकरघों के खोले जाने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। हमसे प्रायः यह मांग की जाती रही है कि विद्युतकरघे विशेष रूप से तीव्र गति के स्वचालित किस्म के विद्युतकरघे निजी क्षेत्र में नहीं लगाए जाने चाहिए। परन्तु इस पर हम कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। यह बहुत ही कठिन समस्या है। हम नहीं चाहते कि नियंत्रण हो। हमारी वर्तमान योजना अधिक से अधिक उदार नीतियां बनाना है। अतः हम कतिपय वस्तुओं पर रोक नहीं लगा सकते। कतिपय क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को अभी सुदृढ़ किया जाना है। उदाहरण के तौर पर, निर्यात क्षेत्र को लीजिए। हमारे निर्यात क्षेत्र की एक विशेष बात यह है कि हमारे विद्युतकरघों से किसी विशेष प्रकार का कई हजारों गज कपड़ा तैयार किया जा सकता है जो कि बाहर नहीं हो सकता। हमारे निर्यात क्षेत्र के लिए अपेक्षित तीव्र विद्युतकरघों अथवा नये विद्युतकरघों पर यदि हम कानूनी रूप से रोक लगा दें तो मैं सोचता हूं कि यह अंततः हमें घाटा होगा। खैर, पूरा मामला आबिद हुसैन समिति के सामने है जोकि तीनों ही क्षेत्र अर्थात् संगठित क्षेत्र, विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्रों का अध्ययन कर रही है। हम उनकी सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं जिससे हम पूरे मामले की पुनरीक्षा कर सकें। 1985 की वस्त्र समिति ने संतोषजनक रूप से कार्य किया है। इसके कार्यों से विद्युतकरघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र को लाभ पहुंचा है जिससे उनकी कुल उत्पादन प्रतिशतता बढ़ गई, है। मैं सोचता हूं कि इसी प्रकार हम हरसंभव उपाय करेंगे।

अभी तक विद्युतकरघा क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित था। उन्हें विद्युतकरघों की स्थापना हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती थी। उन्हें कार्यचालन पूंजी के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा था। इन दोनों सुविधाओं अर्थात् कार्यचालन पूंजी और विद्युतकरघों की स्थापना हेतु धनराशि के बारे में हमने आई० डी० बी० आई० से सम्पर्क किया है। ये दोनों विचार स्वीकार कर लिए गए हैं और वे इस कार्य के के लिए हमारी सहायता करेंगे।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : उनका पंजीकरण होने की आवश्यकता है···(**व्यवधान**)

**श्री राम निवास मिर्धा** : पंजीकरण एक अलग मामला है। मुझे आशा है आप मुझे यह बताने के लिए विवश नहीं करेंगे कि विद्युत-करघा-क्षेत्रों का विकास कैसे हुआ। यह एक निजी क्षेत्र था। यह वह क्षेत्र है जो शुरू से ही अबैध है। अतः 1985 की कपड़ा नीति के अनुसार कम से कम इनका पंजीकरण तो होना ही चाहिए और हमें उनके ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगानी चाहिए। परन्तु हम इस बात से सहमत हैं कि यह वह क्षेत्र है जो कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्पादन देता है। हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। हम इसकी उपेक्षा करना भी नहीं चाहते। हमने उचित लाइनों पर विद्युतकरघों के विकास की योजनायें बनाई हैं और नए विद्युतकरघों की स्थापना के लिए तथा डिजाइन केन्द्रों और कार्यचालन पूंजी के लिए पैसा दिया है। हमारी नीति है कि हम हर संभव तरीके से विद्युतकरघा क्षेत्र का उचित और नियमित विकास करें जिसमें डिजाइन इत्यादि सभी बातें शामिल हैं। निर्यात भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हथकरघा से हमारे निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। हमें इसमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका काफी मुश्किलें उत्पन्न कर रहा है। उन्होंने हथकरघों पर कुछेक प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। हमने इस मामले को उनके साथ उठाया है। हमें आशा है कि हम इसका समाधान संतोषजनक रूप से कर सकेंगे।

जहां तक निर्यात के लिए प्रोत्साहन का सम्बन्ध है वे काफी अधिक हैं। हथकरघा और अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष रूप से नकद मुआवजा प्रोत्साहन देने के लिए एक बहुत ही सुसंगठित तरीका है। और जब कभी भी हमें सुझाव प्राप्त होते हैं, हम उन सुझावों पर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं।

**श्री पी० कुलनदईवेलू** : 60 दिनों के लिए दी गई "छूट" का क्या हुआ ?

**श्री राम निवास मिर्धा** : जैसेकि हमने अनेक बार यह चर्चा की है कि "छूट" एक दोधारी वस्तु है। ज्यादातर राज्यों का यह कहना है कि "छूट" का उपयोग उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है और इसे एक खास तरीके से युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में अनेक बार अध्ययन किया गया है। उनके आधार पर ही हमने एकमुश्त विपणन सहायता दी है जिसमें केवल छूट हीं नहीं बल्कि अनेक अन्य बातें भी शामिल हैं। केवल छूट से समस्या हल नहीं होगी। छूट से आप वर्ष में दो बार बेच सकते हैं और उसके बाद पूरे वर्ष बेकार पड़े रहोगे। शेष वर्ष में सम्पूर्ण कार्य ठप्प हो जाएगा। इसलिए हमने राज्यों से पूछा है कि क्या वे एक विशेष मात्रा में छूट चाहते हैं या विपणन अथवा डिजायन सम्बन्धी सहायता चाहते हैं। यह सब सहायता हैं। छूट उन्हीं में से एक है। हम छूट को रोकना नहीं चाहते हैं। हमने उन्हें एकमुश्त विपणन तथा विकास, जिसमें छूट भी सम्मिलित है, चयन करने के लिए दिए हैं और हमें यह सुनिश्चित करना है कि सहायता के दूसरे मानदण्ड भी अपनाए जाएं।

**कुमारी ममता बनर्जी** : हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए उचित मूल्य के बारे में क्या विचार है···

(**व्यवधान**)

**श्री राम निवास मिर्धा** : तमिलनाडु में इसका उत्पादन आवश्यकता से अधिक रहा है। तमिलनाडु में उत्पादन बेमेल रहा है वहां कमी नहीं है। हम इसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि बेमेल की समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम दूसरे राज्य से मंगा लेंगे।

**श्री के० राममूर्ति** : रियायती दर से हैंक यार्न के वितरण के बारे में क्या विचार है। अनेक बार आपने योजनायें बनायी हैं। उन योजनाओं का क्या हुआ ?

**श्री राम निवास मिर्धा** : हथकरघा क्षेत्र को सहायता देने के लिए अन्य उपाय भी हैं। हम ऋण समेत विपणन और डिजायन सहायता दे रहे हैं। आखिरकार, यह सब राजसहायता है। प्रत्यक्ष राज-सहायता के बजाय हम सम्पूर्ण कार्य को राजसहायता देना चाहते हैं।

---

1.25 मं० प०

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) सूक्ष्म तरंग काम्पलैक्स स्थापित किए जाने के लिए पश्चिम दिनाजपुर में रायगंज में एक सूक्ष्म तरंग टावर के निर्माण का कार्य पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

**डा० गुलाम यजदानी** (रायगंज) : महोदय, सूक्ष्म तरंग काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल में पश्चिम दिनाजपुर जिले में रायगंज कस्बे में एक ऊंचा टावर बनाने का काम शुरू हुआ। परन्तु इसके पूरा होने से पहले ही यह टावर विगत मार्च में एक तूफान में गिर गया। इसका निर्माण कार्य एक अकुशल ठेकेदार को देने के कारण ऐसा हुआ। टावर के नुकसान के बाद सभी समान को उड़ीसा ले जाने का आदेश दिया गया, स्थानीय जनता और जन संगठनों के विरोध के बावजूद ऐसा किया गया। इस मामले की तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया परन्तु कोई प्रभाव नहीं हुआ।

सामान को स्थान्तरित करने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल में अविकसित क्षेत्र में आवश्यक और उपयोगी विकास कार्य नहीं हो पाएगा।

इसलिए मैं संचार मन्त्री महोदय का इस मामले की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि रायगंज में टावर के निर्माण का आदेश दें ताकि रायगंज में सूक्ष्म तरंग काम्पलैक्स स्थापित किया जा सके।

### (दो) उड़ीसा में कालाहांड़ी जिले को "उद्योगविहीन जिला" घोषित किए जाने की आवश्यकता

**श्री जगन्नाथ पटनायक** (कालाहांडी) : महोदय, केन्द्रीय पिछड़े जिलों में औद्योगिक प्रगति के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने के बारे में राष्ट्रीय नीति लागू करने, बेहतर सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए तथा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार सूखा से प्रभावित उड़ीसा के कालाहांडी जिले को 'उद्योगविहीन जिला' घोषित किया जाना चाहिए। चीनी, कागज, कताई तथा वनस्पति तेल के कारखाने की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए इनके लिए मूल-भूत सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं।

(तीन) **वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए महाराष्ट्र सरकार को तुरन्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री शरद दिघे** (बम्बई उत्तर मध्य) : कम दबाव वाला क्षेत्र पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने से 24 जुलाई, 1989 को आए भयंकर तूफान और भारी वर्षा के कारण महाराष्ट्र के बारह जिलों में अत्यधिक नुकसान हुआ और अनेक लोगों की जानें गयीं।

महाराष्ट्र में लातूर जिले को छोड़कर सभी जिलों में लगातार वर्षा हुई जिससे नदियों और नालों का जल स्तर बढ़ गया। बताया गया है कि अनेक मकान गिर जाने से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गयी।

सिन्धु दुर्ग, रत्नागिरि, रैगड़ और ठाणे अर्थात् चारों तटीय जिलों तथा कोल्हापुर और पुणे जिले के सभी भागों में भारी वर्षा और तूफान का प्रभाव पड़ा है।

बोरघाट में भूमि खिसकने से बम्बई और पुणे के बीच यातायात बन्द रहा। लोनावाला से पुणे जाने वाली लोकल ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गए जिसके फलस्वरूप अनेक लोगों की जानें गयीं।

अत्यधिक जान-माल की हानि की आशंका है। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बचाव और राहत कार्यों के लिए महाराष्ट्र सरकार को सहायता प्रदान करे।

(चार) **शहरी क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता**

**कुमारी ममता बनर्जी** (जादवपुर) : महोदय, मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण जनता की हालत में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूं कि सरकार को शहरी क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। रोजगार कार्यालयों के अनुसार इस समय देश में दो करोड़ से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवक हैं और उनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार को स्वयं-सेवी संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों से कहना चाहिए कि वे रोजगार के वैकल्पिक अवसर पैदा किए बिना अन्धाधुन्ध मशीनीकरण न करें।

(पांच) **राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप न करने और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनदेखी न करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों को निदेश दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री पी० सेलवेन्द्रन** (पेरियाकुलम) : महोदय, मद्रास के अन्ना विश्वविद्यालय के उपकुलपति की अध्यक्षता में गठित एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने तमिलनाडु के विभिन्न इन्जीनियरिंग कालेजों के कार्यकरण के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि उन्हें तमिलनाडु के विश्वविद्यालय से असम्बद्ध कर दिया जाए। पता चला है कि राज्य सरकार के दबाव के कारण विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए उप-समिति का गठन किया है और उसके निर्णय के आधार पर इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय हैं तथा उनसे उनकी समितियों की रिपोर्टों के अनुसार कार्य करने की आशा की जाती है। इन कालेजों के कार्यों तथा छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में झूठे प्रचार के कारण भावी और वर्तमान छात्रों के दिमाग में अनुचित भय पैदा हो गया है। इसका इन संस्थाओं के अध्यापन और प्रशासनिक स्टाफ के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ा है। सामान्य स्थिति में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को, जिसके अधिकार और कार्य व्यापक हैं, भेजी जानी चाहिए थी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सुझावों की समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जांच कराए बिना एकतरफा कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देश दे कि राज्य के विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता में हस्तक्षेप न करें तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनदेखी न करें और इन संस्थाओं के हजारों छात्रों के भविष्य की रक्षा करें।

**(छः) सर सुन्दरलाल अस्पताल और आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी का विस्तार किए जाने की आवश्यकता**

**[हिन्दी]**

**श्री उमाकान्त मिश्र** (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित वक्तव्य सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं :—

"काशी-हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी का सर सुन्दर लाल अस्पताल और चिकित्सा विज्ञान संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार तथा उत्तरी मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का एकमात्र चिकित्सा केन्द्र है। इन क्षेत्रों के रोगी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलौर आदि स्थानों पर नहीं जा सकते हैं। इनका वाराणसी का यही अस्पताल और संस्थान सहारा है। इस अस्पताल और संस्थान में डाक्टर और चिकित्सक तो अच्छे हैं, किन्तु पर्याप्त शैय्याओं, विशेष कक्षों तथा अन्य आधुनिक साधनों की कमी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निवेदन है कि—

सर सुन्दर लाल अस्पताल से सम्बन्धित एक पांच सौ शैय्याओं और सौ विशेष कक्षों का अस्पताल वाराणसी शहर के बाहर स्थापित किया जाए। सर सुन्दर लाल अस्पताल में सौ और विशेष कक्ष (स्पेशल वार्ड) बनाए जाएं, विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान को दिल्ली के संस्थान के स्तर पर आधुनिकतम संयंत्र और साधन मुहैया कराए जाएं तथा वित्तीय अनुदान बढ़ाया जाए। एक कैंसर संस्थान भी स्थापित किए जाए, अस्पताल तथा संस्थान में काम करने वाले अच्छे डाक्टरों, सर्जनों, विशेषज्ञों को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाए तथा यहां पर प्रत्येक गम्भीर से गम्भीर महिला और पुरुष रोगों की आधुनिकतम चिकित्सा की वही व्यवस्था की जाए जैसी दिल्ली, बम्बई आदि स्थानों पर है।"

**[अनुवाद]**

**1.33 म० प०**

**तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.35 म० प० के लिए स्थगित हुई।**

2.38 म० प०

**मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.38 म० प० पर पुनः समवेत हुई।**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री भजन लाल अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

## देश में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा किए गए राहत उपायों के बारे में वक्तव्य

[हिन्दी]

**कृषि मंत्री (श्री भजन लाल)** : महोदय, मैं बाढ़ की वर्तमान स्थिति और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक वक्तव्य देने के लिए सदन की आज्ञा चाहता हूं। मुझे इस बात का पूरा अहसास है कि भारी वर्षा और अचानक बाढ़ आने से लोगों को हुई कठिनाइयों के बारे में माननीय सदस्यों को चिन्ता है।

2. भारतीय मौसम विज्ञान के मौसमी पूर्वानुमान के अनुसार यह आशा थी कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून जून से सितम्बर, 1989 के दौरान वर्षा सामान्य के मुकाबले 102 प्रतिशत होगी तथा इसमें 4 प्रतिशत का अन्तर हो सकता है। जून, 1989 के अन्त तक देश भर में कुल वर्षा सामान्य के 106 प्रतिशत के बराबर रही हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ कमी रही। 19 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 35 मौसम वैज्ञानिक उप प्रभागों में से 27 में अधिक या सामान्य वर्षा हुई और इस अवधि के दौरान देश के 67 प्रतिशत जिलों में अधिक या सामान्य वर्षा हुई।

3. लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश के अधिकतर भागों में वर्षा में निश्चित वृद्धि हुई है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग में कम दबाव का एक निश्चित क्षेत्र बना हुआ था जो 22 जुलाई की शाम तक अधिक दबाव वाला क्षेत्र बन चुका था और 23 जुलाई को सुबह तक यह कलिंगापट्नम में आन्ध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती भाग को पार कर चुका था। पश्चिमीउत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए यह 25 जुलाई, 1989 को मोन्ट आबू के निकट पहुंच गया। इसके उत्तर पश्चिमी दिशा में और आगे बढ़ने की सम्भावना है। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और कुछ हद तक उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में दूर-दूर तक वर्षा हुई है। भूमि वाले क्षेत्र में इसके और आगे बढ़ने से गुजरात तथा राजस्थान में भी अधिक वर्षा हुई है।

4.1 महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और कोंकन क्षेत्रों के चौदह जिलों में भारी वर्षा होने की सूचना मिली है। पुणे और बम्बई के बीच रेल की पटरियों के कुछ भागों में दरार पड़ने से क्षति पहुंची है जिससे संचार व्यवस्था में बाधा पड़ गई है। भारी वर्षा के साथ-साथ प्रति घण्टा 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली थीं जिससे सार्वजनिक सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। कल अर्ध-रात्रि तक प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में 332 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

4.2 आंध्र प्रदेश में 13 जिले जिनमें पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुन्टुर के 4 तटवर्ती जिले भी शामिल हैं, भारी वर्षा से प्रभावित हुए हैं। इस क्षेत्र में 23-7-1989 को 20 से० मी० तक वर्षा हुई है और बाढ़ें भी आई हैं। कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी जिलों में बुदामेरु, तम्मिलेरु, आदि जैसी नदियों में तेज और अचानक बाढ़ें आई हैं। इससे कुछ कस्बे भी बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। पश्चिमी गोदावरी का एलुरु मुख्यालय का शहर 3 फुट जल में डूब गया है।

4.3 इन जिलों और निजामाबाद में फसलों को भारी हानि पहुंचने की खबर मिली है। राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के दलों का गठन किया जा चुका है जो क्षति का मूल्यांकन और अपेक्षित राहत उपायों का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में कल चले गए हैं।

4.4 केरल में पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई भारी वर्षा के परिणामस्वरूप कोट्टायम, इदुकी, एलिप्पी, पालघाट, पाथानामथिटा और वेनाड़ जिलों में काफी क्षति हुई है। इदुकी जिले में बहुत से लैण्ड-स्लाईड्स के कारण 21 व्यक्तियों को मृत्यु हो गई और 4000 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से 1500 मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2500 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

4.5 बताया गया है कि कर्नाटक में भी अधिकतर नदियों में बाढ़ आई हुई है। इस सम्बन्ध में सही ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

4.6 तमिलनाडु में, पिछले कुछ दिनों के दौरान व्यापक वर्षा हुई है हरन्तु क्षति के बारे में अभी राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। गुजरात के जिला बलसाद में नवसारी शहर में भी कुछ निचले इलाकों से बाढ़ के कारण कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।

5.1 भारी वर्षा और बाढ़ के फलस्वरूप संचार व्यवस्था में रुकावट आई है। विजयवाड़ा और काजीपेट के बीच हसनपरती, गारला, मोटुम्मरी में और विजयवाड़ा के निकट भी दरार पड़ने के कारण रेल की कुछ पटरियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। विजयवाड़ा और वाल्टेयर के बीच एलुरु और दन्दलुरू के पास रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचा है। पूना-बम्बई क्षेत्र में भी लोनावाला के पास रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। यह आशा की जाती है कि विजयवाड़ा-काजीपेट पटरियां शीघ्र ही ठीक कर दी जाएंगी और विजयवाड़ा तथा वाल्टेयर और बम्बई तथा पुणे के बीच रेल की पटरियों को पुनः ठीक करने में अभी कुछ और समय लगेगा।

5.2 सड़क मार्ग से संचार व्यवस्था में रुकावट आने और बिजली जैसे बुनियादी ढ़ांचे को क्षति पहुंचने की सूचना भी मिली है।

5.3 राज्य सरकार द्वारा पूरा मूल्यांकन अभी किया जाना है तथा अधिक ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

6. जहां कहीं राज्य सरकारों ने मांग की वहां सेना, नौ-सेना और वायुसेना की सहायता सुलभ कराई गई है। राज्य सरकारों ने राहत शिविर भी खोल दिए हैं और दल गठित करने के लिए तथा अस्थायी आवास स्वास्थ्य सुविधाओं आदि जैसी सुविधाएं देने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

7. उत्तर-पूर्वी राज्यों में असम और अरुणाचल प्रदेश में जहां जून के मध्य में भारी वर्षा हुई थी और जमीन खिसक गई थी, अब स्थिति सुधर रही है, हालांकि जल-ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के

कारण कुछेक नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और बिहार के 2 जिलों से भी बाढ़ से नुकसान होने की सूचना मिली है।

8. वर्तमान वर्षा ऋतु में अब तक आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मुझे यह बताते हुए हार्दिक दुःख हो रहा है कि अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 124, अरुणाचल प्रदेश में 24, असम में 4, केरल में 65, महाराष्ट्र में 332 और उत्तर प्रदेश में 37, अर्थात् कुल 586 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में कुछ मछुवारों के लापता होने की खबर भी है जिसके विषय में सही विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

9. प्रभावित राज्यों को आपातिक राहत उपाय करने के लिए 204.25 करोड़ रुपए की मार्जिन धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इन्हें निर्देश दिया जा चुका है कि ये जहां जरूरत हो वहां पैसा खर्च करके लोगों को राहत दें। जिन लोगों की बाढ़ के कारण मृत्यु हुई है उनके परिवारों को प्रधान मंत्री जो अपने राहत कोष से 10000 रुपए प्रति परिवार की दर से सहायता दे रहे हैं। भारत सरकार स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए है और कृषि और सहकारिता विभाग का आपत्ति प्रबन्ध दल स्थिति का जायजा लेने के लिए लगातार अपनी बैठकें कर रहा है ताकि बिना समय नष्ट किए राहत पहुंचाई जा सके। मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि राज्य सरकारों से केन्द्रीय सहायता के लिए ज्ञापन जैसे ही प्राप्त होंगे उन पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करके राज्यों को हर सम्भव सहायता दी जाएगी, जैसाकि हम हमेशा ही देते रहे हैं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : हम बाढ़ पूर्ण चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि इससे गम्भीर विपदाएं उत्पन्न हुई हैं जिससे जान और माल की बहुत अधिक हानि हुई है।

[हिन्दी]

**श्री भजन लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमें पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आप इस पर डिसकशन करा सकते हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा। आप कल को छोड़कर किसी और दिन जब मुनासिब समझें, चर्चा करवा सकते हैं।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर सम्पूर्ण सभा द्वारा चर्चा की जाएगी। माननीय मंत्री महोदय ने भी इसका उल्लेख किया है। बी० ए० सी० द्वारा प्रस्तुत करने के पश्चात् हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

**प्रो० पी० जे० कुरियन** (इदुक्की) : बाढ़ राहत कार्य के लिए 204 पदों की स्वीकृति दी गई है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम नियम 193 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : मैं इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्यों को आवंटित की गई राहत राशि के विषय में जानना चाहूंगा और यह भी अनुरोध करूंगा कि सचिवों की रिपोर्ट की इन्तजार किए बिना, वे धनराशि स्वीकृत कर सकते हैं। उनके पास इसकी सूची है।

[हिन्दी]

**श्री भजन लाल** : जैसाकि मैंने अभी आपको बताया है कि इन राज्यों में 205 करोड़ रुपये भेज दिये गये हैं और हमने राज्य सरकारों को यह निर्देश भी दिये हैं कि वह लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए फौरी कार्यवाही करें। हमने 340 करोड़ रुपये फौरी सहायता देने के लिए अलग से रखे हुए हैं ताकि जहां कहीं फौरी सहायता देने की आवश्यकता हो वहां वह दी जा सके। (**व्यवधान**)*

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : इस पर चर्चा कब की जाएगी ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : बी० ए० सी० के निर्णय के पश्चात् मैं आपको सूचित करूंगा।

---

2.49 म० प०

## नियम 193 के अधीन चर्चा

**भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 2)—संघ सरकार— रक्षा सेवाएं (थलसेना और आयुध फैक्टियां) के पैरा 11 और 12**

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम लोग नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त अब उत्तर देंगे।

**रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। उन्होंने उन सभी मुद्दे को उठाया है जिन्हें उठाया जाना आवश्यक था और अब वास्तव में मेरे कहने लायक ज्यादा कुछ नहीं बचा है। इसके अतिरिक्त, मेरे मित्र श्री चिदम्बरम् ने तीन फर्मों को की गई अदायगी के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही छानबीन की विस्तृत जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने आसूचना एजेंसियों द्वारा विभिन्न देशों में अपने कार्य पूरा करने में उठायी गई कठिनाईयों का भी उल्लेख किया है जहां बैंकों के लेनदेन को बतलाने में गोपनीयता बर्ती जाती है। लेकिन यह चर्चा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। विशिष्ट परिचर्चा पर आने से पहले, मैं इस बात पर खेद व्यक्त करना चाहता हूं कि विपक्ष की सीटें रिक्त हैं। मैं 25 सालों से ज्यादा समय से संसद का सदस्य रहा हूं लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी जो इस सभा में पिछले सप्ताह या 10

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिनों से देखी गई है। ऐसी स्थिति में हमारे विपक्षी मित्रों ने सभा से त्यागपत्र देकर जाना उचित समझा जबकि मेरे विचार से यह समय देश के इतिहास के लिए अनेक मामलों में महत्वपूर्ण समय है। हम आन्तरिक और बाह्य, दोनों तरफ से समस्याओं से घिरे हैं अतः ऐसी स्थिति में हमें आपसी राजनीति को त्याग कर देश के हित को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। लेकिन महोदय, मेरे विचार से हमारे विपक्ष के दोस्तों ने वही रवैया अपनाया है जिसे उन्होंने बोफोर्स के मामले पर अपनाया था। सभा को याद होगा कि जरा सरकार ने विपक्ष की मांग पर एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने का निर्णय लिया, तो कुछ प्रश्न उठाए गए, निदेश पद से सम्बन्धित कुछ मुद्दे उठाए गए, जिनसे हम लोग बहुत हद तक सहमत हो गए थे। मेरे मित्र श्री श्रीपति मिश्र ने इसका जिक्र किया था। लेकिन अन्ततः हमारे मित्र संयुक्त संसदीय समिति में सम्मिलित नहीं हुए। वे लोग शुरू से ही बहुत जोर-शोर के साथ शक जाहिर कर रहे थे, लांछन लगा रहे थे, सन्देह व्यक्त कर रहे थे और बोफोर्स के मामले पर अनिश्चितता की स्थिति बना रहे थे। लेकिन जब भी यह मामला चर्चा के लिए उठाया गया था जब भी समिति में सम्मिलित होकर जांच करने का समय आया, जब भी सच्चाई को जानने और उसे देश के समक्ष प्रस्तुत करने का मौका आया, तो हमारे विपक्ष के मित्र इससे दूर हट गए। इसलिए, उनका हमेशा यही रवैया रहा है अतः यह जानना कठिन नहीं है कि वह अचानक क्यों पीछे हठ गए। तथापि, अपने ही प्रस्ताव को प्रस्तुत न करने का कारण बताना मुश्किल है। हम लोगों ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया और उन्हें चर्चा के लिए बाध्य नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि हम उनसे जबरन चर्चा कराना चाहते थे। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और सरकार उस पर चर्चा के लिए सहज तैयार थी। तब उन्होंने वही किया जिसे मैं कहूंगा कि उन्होंने स्वयं अड़ंगे लगाए हैं। यह एक नया वाक्यांश है जिसे मैंने बनाया है। आप अपने प्रस्ताव पर कैसे अड़ंगे लगा सकते है? आप प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए और फिर आप बोलने से पीछे हट गए। हमने ऐसा ही देखा है और मैं जोर देकर कहता हूं कि इस विषय पर चर्चा के लिए पहल उन लोगों द्वारा ही की गयी थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने सभा में जो अव्यवस्थित स्थिति देखी है वह संसद के इतिहास में एक काले-धब्बे के रूप में हमेशा विद्यमान रहेगी। महोदय, सच्चाई तो यह है कि आपका माइक्रोफोन छीन लेना भी एक काले-धब्बे के रूप में हमेंशा याद रहेगा। इसे भुलाया नहीं जा सकता है, परम्परा को कायम रखने का यह तरीका नहीं है; और संसद इस तरह से कार्य नहीं करती और वे अलंघनीय कार्य कैसे कर सकते हैं। सौभाग्यवश सभा की कार्यवाही को देश भर में टी० वी० पर दिखाए जाने की व्यवस्था नहीं है अन्यथा जनता ने भी यह दुःखद नजारा देखा होता कि किस प्रकार जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सभा से त्यागपत्र देकर अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाया है।

जैसाकि मैंने कहा है कि, हम चर्चा के लिए हमेशा इच्छुक रहे हैं; हम चर्चा के लिए हमेशा से तैयार रहे हैं और हम हमेशा नए सूत्रों पर गौर करने के लिए तैयार रहे हैं। हम इससे कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। हमने इसके लिए कभी भी अनिच्छा जाहिर नहीं की है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें कुछ भी छिपाना नहीं है। और किसी भी स्तर पर, आप याद करें हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी उचित आग्रह को हमने टाला नहीं है? सच तो यह है कि हम उनसे हमेशा एक कदम आगे रहे हैं और इस मामले में भी जब नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की गयी तो हम आगे आये। हमने सीधे "हां" कहा।

जैसेकि कल हमारे मित्र श्री चिदम्बरम् कह रहे थे, अगर हम मनाही कर देते तो शायद इस विषय पर चर्चा की ज्यादा सम्भावना थी। लेकिन क्योंकि हम इस पर आसानी से चर्चा के लिए तैयार हो गये वे तुरन्त पीछे हट गये।

अब जब, महोदय, हम यह कहते हैं कि लोकतन्त्र ने हमारे देश में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। लोग अब ग्राम-सभा स्तर पर, अनेक सहकारी संस्थाओं में स्थानीय निकायों में चुनावों के अभ्यस्त हो गए हैं। और आज प्रधान मंत्री ने इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाया है। और यह सभी संस्थाएं वह हैं जो लोकतन्त्र का आधार स्तम्भ हैं। अब जब प्रत्येक गांव के लोगों को यह पता चला है कि विपक्ष के सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है तो क्या उन्हें दुःख नहीं होगा? संसद के कार्य के बारे में उनका क्या विचारधारा होगी? उनका यह रवैया लोगों को क्या सबक सिखाएगा? मुझे कोई शक नहीं है कि वे इस सम्बन्ध में यह निर्णय करेंगे कि ऐसे लोगों को संसद का प्रतिनिधि चुनकर उन्हें भेजना क्या एक उचित कदम था। आखिरकार, यह कोई मामूली विषय नहीं था कि उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के पहले, उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे उठाए। और बाद में उस विषय पर चर्चा करने के बदले, वे त्यागपत्र देकर चले गए। इसका क्या मतलब है? क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे राष्ट्रीय विवादों या राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के बारे में संसद की क्षमता में अपना विश्वास खो चुके हैं? या क्या वे यह समझते हैं कि संसद ऐसा स्थान नहीं है जहां इन मामलों को सुलझाया जा सके। और हमारे लोकतन्त्र में लोगों को वे क्या सिखाना चाहते हैं?

चुनावों के बाद एक बार फिर हमारे मित्र यहां कम संख्या में आएंगे। और फिर उन्हें इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मतभेद अवश्य होंगे। यदि अल्पसंख्यक बहुमत के विचार से सहमत नहीं होगा तो संसद का कार्य कैसे चलेगा? क्या हर बार वाक् आउट किया जाएगा और त्यागपत्र दिया जाएगा? कुछ भी हो यह तो मूल समस्या है।

इस देश में संसद में बहुमत का शासन होता है। यही तो लोकतन्त्र है। हमें उन्हें मनाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमने विपक्ष को समझाने का यथासम्भव प्रयास किया है और यह हमारे लिए न्यायसंगत भी है तथा यह हमारा कर्त्तव्य भी है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। किन्तु यदि हम संसद को नष्ट करने वाली या कम से कम लोगों के मन से इसके महत्व को समाप्त करने वाली उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं तो क्या अल्पसंख्यक लोग हमें अपनी बात मनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। मुझे इसी बात की अधिक चिन्ता है क्योंकि वाक आउट करना बहुत आसान काम है। किन्तु इन मामलों का निर्णय कहां होगा? क्या इनका निर्णय गलियों में किया जाएगा?

**3.00 म० प०**

यदि हम इस पर सदन में वाद-विवाद और चर्चा नहीं कर सकते हैं तो इसका विकल्प यह है कि हम गलियों में इस पर चर्चा करें। क्या इस मामले में संसद की कोई भूमिका नहीं है? क्या हमारे विपक्षी मित्र यही सन्देश देना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो क्या संसद की इससे अधिक बदनामी हो सकती है? यह ऐसा मूल प्रश्न है जिस पर लोगों को निर्णय लेना है।

मैं समझता हूं कि उनके वाक आउट करने का एक कारण यह है कि यही ऐसी नकारात्मक धारणा है जो उन्हें एक सूत्र में बांध सकती है। यह भी ऐसी ही नकारात्मक धारणा थी जिसने उन्हें एकत्रित कर दिया और उन्होंने अवसर का लाभ उठाकर वाक आउट कर दिया। किन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि नकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें संसद में वापिस नहीं ला सकता। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि देश उनसे सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा रखता है। उनके पास ऐसे कार्यक्रम होने चाहिएं जिन्हें वे सब मिलकर बनाएं; उनकी नीति ऐसी होनी चाहिए जो सबको स्वीकार्य हो और उनका कोई

ऐसा नेता होना चाहिए जिसे सब नेता मानने को तैयार हों। उनके पास इन सब में से एक भी बात मौजूद नहीं है। इसलिए क्या वे एक साथ वाक आउट करने के बाद अकेले-अकेले वापिस आएंगे और उनमें से कितने लोग वापिस आ पाएंगे, इसका हमें पता नहीं है। किन्तु इस बीच उन्होंने संसद की गरिमा भंग की है।

उन्होंने यही तो किया है। इसे उनकी एक चाल कहा जा सकता है। मैं कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। लोगों ने यहां यह कहा है कि यह कार्य गैर-जिम्मेदारी का कार्य है, यह उनकी चाल है आदि-आदि। मैं इनमें से किसी भी वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। क्यों मैं यह मानता हूं कि हमारा मतदाता बहुत ही परिपक्व है और मेरा विश्वास है कि चाल को समझेंगे और मैं नहीं समझता कि वे हमारे विपक्षी मित्रों के इस उद्देश्य को समझने में नाकामयाब होंगे कि वे बाहर क्यों गए, वे हमेशा शोर-शराबा क्यों करते रहते हैं और उन्होंने उस समय संसद से बाहर जाना क्यों उचित समझा जबकि संसद में कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाए जाने थे। मुझे विश्वास है कि उन्हें पंचायती राज्य विधेयक और अन्य मामलों पर बहुत कुछ कहना था फिर भी उन्होंने बाहर जाना उचित समझा। यह राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य को पूरा करने के लिए कितना संगत है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमारी जनता को विचार करना है। ये ऐसे मामले हैं जिन पर केवल हमें ही निर्णय लेना है, यह एक ऐसा मामला है जिसका, अन्ततोगत्वा निर्णय जनता करेगी और यह निर्णय कुछ ही महीने में लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों सहित अनेक सदस्य बोले। उन्होंने विभिन्न पक्षों पर बात की। दुर्भाग्य से मुझे किसी भी तरह रिकार्ड के लिए तर्कों को दोहराना पड़ेगा जो इस बहस में दिए गए थे और मुझे उन अन्य तर्कों को भी कहना पड़ेगा जिन्हें मेरे विपक्षी मित्रों ने उठाया था।

इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय उच्च संविधानिक कार्यालय है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है। हम सभी यह जानते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिष्ठित सरकारी कर्मचारी होता है। विचाराधी मामला नियंत्रक-महालेखा परीक्षक नहीं बल्कि उस की रिपोर्ट है। हमें तटस्थता और बिना जोश में आए रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए। यदि इस रिपोर्ट में बोफोर्स सौदे के उन पक्षों पर नए ढंग से प्रकाश डाला गया है जिन पर कि सदन में हम अनेक बार वाद-विवाद और चर्चा कर चुके हैं और यदि इसने इस सौदे में किसी नए आयाम का पता लगाया है तो हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए।

मेरा अनुभव यह है कि जब से मैं इस मंत्रालय में आया हूं तब से ही मैं इस सदन में बोफोर्स सौदे पर हुए वाद-विवाद में भाग लेता रहा हूं। इसके लिए बहुत समय नष्ट हो चुका है और संयुक्त संसदीय समिति भी इस पर विचार कर चुकी है। यदि आप इस पर लगे समय को जोड़ें तो आप पाएंगे कि ऐसे कुछ ही मामले हैं जिन पर सदन में इतनी बारीकी से चर्चा हुई है। इसलिए मैं इस रिपोर्ट को इस दृष्टि से देखना चाहूंगा और उस ड्रामे से कतई प्रभावित नहीं हूं जो मेरे विपक्षी मित्र इस रिपोर्ट के लिए करना चाहते हैं। एक बात है—प्रारम्भ में मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा— कि यह तोप के तकनीकी चयन का प्रश्न है। कुछ मित्र इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं और इसका सम्बन्ध सामान्य कर्मचारी गुणवत्ता आवश्यकता (जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट) से है।

जहां तक जनरल स्टॉफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट का सम्बन्ध है—संयुक्त संसदीय समिति ने भी यही प्रश्न पूछा था—कि जनरल स्टॉफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? जनरल स्टॉफ

क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट न होने का कारण सीधा है । यदि हम देश में ही किसी हथियार को बनाते हैं और उसका विकास करते हैं तो हमारे पास जी० एस० क्यू० आर० होता है । वे इसकी आवश्यकताएं निर्धारित करते हैं और उसके बाद विकास कार्य शुरू होता है । यदि हम किसी ऐसे हथियार को खरीदने के लिए बाहर जाते हैं जिसका पहले ही विनिर्माण और विकास हो चुका हो तब आपको इसके विभिन्न विकल्पों को देखना है तथा उनके गुणों की तुलना करनी है तथा व्यापार सम्बन्धी शर्तें देखनी हैं और उसके बाद अंतरिम निर्णय पर पहुंचना है कि हमने बहुत से हथियारों पर विचार किया तथा उनमें से एक का चयन किया ।

इसलिए, यदि हम किसी हथियार का आयात करते हैं तो जी० एस० क्यू० आर० की कोई आवश्यकता नहीं है । यह इसका सीधा सा उत्तर है । इस बात के स्पष्ट अनुदेश हैं कि आयात किए जाने वाले हथियार के लिए जी० एस० क्यू० आर० की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए, इस मामले में भ्रांति होनी ही नहीं चाहिए । संयुक्त संसदीय समिति ने इसका अध्ययन किया है और इन अनुदेशों में से कुछ को संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के 53वें पृष्ठ पर उद्धृत किया है । मुझे इस सम्बन्ध में आलोचना का कोई विधिमान्य आधार नजर नहीं आता है और यह कोई नई बात भी नहीं है ।

इसके बाद दूसरा प्रश्न यह उठाया गया था कि विनिर्माताओं के दावों का सत्यापन किए जाने और इस विषय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है । संयुक्त संसदीय समिति ने इस पक्ष पर भी विचार किया और यह स्वीकार किया कि इस प्रकार पुनर्विचार करने में अनेक वर्ष लग सकते हैं । जैसा कि स्पष्ट है, इस तोप के चयन की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुई थी । जहां तक मुझे स्मरण है । यह प्रक्रिया वर्ष 1979 में शुरू हुई थी और वर्ष 1986 में समाप्त हुई थी । इसलिए ऐसा नहीं है कि यह मामला जल्दबाजी में निपटाया गया था; ऐसा नहीं है कि इसे गुप्त रूप से किया गया हो यह भी नहीं है कि यह कार्य पागलपन में पूरा किया गया हो । यह समझबूझ कर किया गया कार्य था और सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही इस पर निर्णय लिया गया था । इसमें कई वर्ष भी लग गए । इसलिए, ऐसे मामलों के लिए निश्चित समय रखा जाता है क्योंकि यह रक्षा तैयारी का मामला है । जहां तक बोफोर्स तोप का सम्बन्ध है महत्वपूर्ण समस्या इसकी मारक दूरी थी । गोलाबारूद की बढ़ाई गई दूरी से क्या यह तोप लगभग 30 कि० मी० की दूरी तक मार कर सकती हैं ? यह वह मुद्दा था जो सदन के समक्ष भी उठा था । शायद मेरे कुछ मित्रों को याद हो, मैं स्वयं संसद सदस्यों के साथ उस स्थान पर गया था जहां उन्होंने तोप के चलाए जाने का प्रदर्शन देखा था । उन्होंने स्वयं तोप चलती देखी थी । दूसरे सदन के श्री जसवंत सिंह वहां उपस्थित थे और उन्होंने इसे चलाया था । ऐसा लगता था कि ऐसे मामलों में उन्हें कुछ अनुभव था । उन्होंने स्वयं तोप चलायी थी । वर्ष 1971 के मशहूर जनरल अरोड़ा, जिन्हें आप सभी जानते हैं और हम सभी उनका सम्मान करते हैं, वह भी वहां थे । उन दोनों ने न केवल उस तोप के कार्य-निष्पादन और उसकी मारक दूरी को देखा और दोनों संतुष्ट थे बल्कि दूरदर्शन पर भी निष्पक्ष रूप से इसका अनुमोदन किया था । मैं यह मानता हूं कि इन महानुभावों ने अपनी भावनाओं और अपने विचार को छुपायान हीं । उन्होंने तुरन्त ही कहा था, "यह एक अच्छी तोप है और हम इसके कार्य-निष्पादन से संतुष्ट हैं ।" अथवा इसी से मिलते-जुलते शब्द कहे थे, मुझे ठीक से उनके शब्द याद नहीं हैं । इस समय मैंने इन दोनों महानुभावों का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि वे दोनों इस विषय के जानकार हैं और जब प्रो० रंगा ने भी कहा, "बहुत अच्छा"; यह इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने इन मामलों में अनुभव रखने वाले इन व्यक्तियों के विचार को महत्व दिया था । अब अगर देश के दो सर्वोत्तम लेखा परीक्षक गए होते और वे देखते कि तोप किस प्रकार चल रही थी तो क्या वे अधिक बुद्धिमान हो गए होते । यदि

उन्होंने तोप चलती हुई नहीं देखी थीं बल्कि कमरों में बैठे रहकर ही उन्होंने अपनी कुछेक धारणायें बना ली थीं तोक्या हमें उनके विचारों को उन संसद सदस्यों की अपेक्षा अधिक महत्व देना चाहिए जो स्वयं वहां गये थे और तोपों को चलता हुआ देखा था। ये कांग्रेसी संसद सदस्य नहीं हैं। अतः नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में की गई टीका-टिप्पणियों को महत्व देते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मैं इस रिपोर्ट की निन्दा नहीं कर रहा हूं। उन्होंने अपना कर्त्तव्य किया है। मैं इसे इसी पर छोड़ता हूं। अन्त में उन्हें संसद में ही अपनी रिपर्ट देनी होती है। अतः नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियों का मूल्यांकन एवं उन पर अपना निर्णय देते समय संसद को सही निर्णय लेना चाहिए। अतः जहां तक तोप की मारक क्षमता का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उस दौरे के बाद यह मामला निबट गया था। मैं नहीं समझता कि तब वह प्रश्न उठा था और यहां तक कि तोप की गुणवत्ता जैसे सामान्य प्रश्न पर भी सदन में सहमति दे दी गई थी कि वह एक अच्छी तोप है। सभी ने ही इस बात की प्रशंसा की थी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह विचार अथवा यह निष्कर्ष तब से सेना के अनुभव के आधार पर बनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इसके अलावा, जब भी मैं उस स्थान पर गया, जहां पर इस तोप का प्रदर्शन किया जा रहा था, तो मैंने तोप चलाने वाले व्यक्तियों और अधिकारियों से उनके अनुभव के बारे में पूछा था और यहां पर मैंने थलसेनाध्यक्ष से भी पूछा था। मैं अपनी संतुष्टि के लिए तोप के बारे में उनके विचार जानने की कोशिश करता रहा हूं और मैं यह कह सकता हूं कि यद्यपि यह सही है कि यह एक अत्याधुनिक तोप है परन्तु फिर भी क्षेत्र और जलवायु सम्बन्धी कठिन स्थितियों में भी इसकी कार्य-क्षमता बहुत अच्छी है। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि इससे हमारी रक्षा-क्षमता बढ़ी है और काफी ऊंचाई पर भी इसकी मारक क्षमता है तथा इसका कार्य-निष्पादन काफी अच्छा रहा है। सेना इस तोप-प्रणाली के विभिन्न मानदंडों के कार्य-निष्पादन से पूरी तरह संतुष्ट है।

अब मैं इसे यहीं पर नही छोड़ूंगा। यदि पक्ष अथवा विपक्ष के कोई मित्र तोप देखना चाहते हैं, तो मैं उन्हें कहूंगा कि वे आयें और इसे देखें। यदि वे मित्र, जो सदन से बाहर चले गए हैं अथवा जिन्होंने सभा से इस्तीफा दे दिया है, यदि वे इस तोप को देखना चाहते हैं तो मैं उनको भी इसके लिए आमंत्रित करता हूं। यह उदारता नहीं है। यह मेरी जानकारी है जिससे मैं यह कह रहा हूं कि वे सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। अतः मैं नहीं समझता कि उनमें से कोई भी इस प्रस्ताव से फायदा उठायेगा। वे सच्चाई जानना ही नहीं चाहते हैं। वे सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। यह मेरी शिकायत है। यदि यह सब सच्चाई होती और वे इस पर बहस करने के इच्छुक हों, तब मेरा उनसे कोई झगड़ा नही है। मैं विचारों में अन्तर को समझ सकता हूं और मैं बहस की सरगर्मियों का आनन्द ले रहा हूं। मैं बहस से कभी दूर नहीं गया हूं। परन्तु वे सच जानना नहीं चाहते और सारी समस्या ही यही है।

महोदय, तत्पश्चात् दूसरा प्रश्न जो प्राथमिकताओं के उलट जाने से सम्बन्धित था, और जिसका जवाब भी कुछ सीमा तक दे दिया गया है। संयुक्त संसदीय समिति ने यह बात नोट की थी। पहले 'सोफमा तोप' को प्राथमिकता दी गई थी और बाद में स्वीडिश तोप 'बोफोर्स' को प्राथमिकता दी गई। अतः यहां प्रश्न उठता है। भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल सुन्दरजी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। मैंने उनको अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए सुना है। संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में एक उद्धरण है जिसके कुछ भाग का उल्लेख किया गया है। मैंने पिछले किसी वाद-विवाद में इसका उल्लेख किया था। मैं प्रतिवेदन में से पढ़ना नहीं चाहता परन्तु मोटे तौर पर फ्रांसीसी प्रणाली—सोफमा प्रणाली में

दो बातों को महत्व दिया जा रहा था। एक था खींची जाने वाली होवित्जर तोप की तुलना में अपने आप चलने वाली होवित्जर तोप के आयात की सम्भावना। यही अन्तर है, एक को खींचना पड़ता है और दूसरी 'सैल्फ-प्रोपैल्ड' है। पहले इसका आयात किया जाना था लेकिन बाद में इस निर्णय को बदला गया और वर्ष 1986 में यह निर्णय लिया गया कि 'सैल्फ प्रोपैल्ड होवित्जर' का आयात न किया जाए। इस प्रकार, इन कारणों को छोड़ दिया गया। एक बात तो यह है। दूसरी, जिसका उल्लेख पहले वाद-विवाद में हुआ है वह है हमारे पड़ोसी देश द्वारा 'फायर लोकेटिंग रडार' को अपने सैनिक बेड़े में शामिल किया जाना, जिसे कि पहले भावी सम्भावना के रूप में माना गया था, लेकिन वास्तव में 1986 में उन्होंने इसे शामिल कर लिया। जनरल सुन्दरजी ने हमें स्पष्ट रूप से बताया, "उन्होंने इसे हमारी आशाओं से पहले ही शामिल कर लिया है।" उन्होंने यह आशा की थी कि इसे बाद में शामिल किया जाएगा लेकिन इसे बहुत जल्दी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार उसकी मारक क्षमता और स्थान बदलने की तत्परता की क्षमता पर भी विचार किए जाने की जरूरत थी।

यह मारक क्षमता और स्थान बदलने की तत्परता सम्बन्धी क्षमता क्या चीज है ? मैंने इसे भी समझने का प्रयास किया है। अगर आपके पास कोई तोप है और आप इससे दुश्मन के क्षेत्र में मार करते हैं और उनके पास उनकी तोप की परिष्कृत रडार-प्रणाली है तो वह बीच में ही गोले को पकड़ लेगी और उसे वहीं रोककर दोबारा मार करेगी। अतः दो बातें आवश्यक हो जाती हैं। आपको दो अथवा तीन बार जल्दी से तोप चलानी होती है। दुश्मन के कम्प्यूटर में आपकी तोप की स्थिति का पता लगे और वह उस पर गोला दागे, इससे पहले ही आपकी तोप का स्थान बदल जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जनरल मुझसे सहमत होंगे कि मारक क्षमता और स्थान बदलने की तत्परता का अभिप्राय यही होता है। एक बार जब इसे महत्वपूर्ण समझा गया तब फिर आप इस बात को भली-भांति समझ सकते हैं कि बोफोर्स तोप को तकनीकी रूप से प्राथमिकता क्यों दी गयी। ये वे सारे तथ्य हैं जो जनरल सुन्दरजी ने इस प्रकार से स्पष्ट किए हैं तथा मैं इससे तथा जिन सदस्यों ने उन्हें सुना है, उनसे सहमत हूं तथा निश्चित रूप से संयुक्त संसदीय समिति से भी सहमत हूं जिसने इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया है।

आगे बढ़ने से पहले मैं संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें लेखा-परीक्षा और जो लेखा सेवाओं के एक वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् सचिव (व्यय) ने स्वयं इस प्रश्न पर कहा था। वह वित्त मन्त्रालय की ओर से वार्ता समिति के भी सदस्य थे। यह महत्वपूर्ण है। यह श्री गणपति जी हैं। हममें से कई उन्हें जानते हैं। उन्होंने मेरे साथ भी काम किया है। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह उल्लिखित है। मैं इसे उद्धृत करता हूं :

> "मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि हमने सम्भवतः सबसे अच्छा सौदा किया है। तकनीकी या वित्तीय अथवा वाणिज्यिक—जिस दृष्टिकोण से भी आप इसे देखें—बोफोर्स सौदे में सोफमा सौदे की अपेक्षा निश्चित ही फायदा था।"

पूर्व के वाद-विवादों में इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। इस बहस में भी मेरे अनेक मित्रों ने पहले इसका उल्लेख किया है। अतः इस विषय पर और चर्चा करके मैं आपका समय नष्ट करना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इन पर चर्चा कर ली गयी है। वास्तव में अब एक वर्ष से अधिक समय से इसकी जानकारी जनता को है। लोग इसके बारे में जान चुके हैं। इस सम्बन्ध में अखबारों में भी लेख छपे हैं। इस विषय के इस पहलू के सम्बन्ध में जो नयी बात मैं आपको बता सकता हूं वह सेना को दे दिए जाने के पश्चात् इस तोप के प्रदर्शन से सम्बन्धित है।

मैं समझता हूं कि यह एक नयी बात है और आपके लाभ के लिए तथा स्वयं अपने लाभ के लिए भी मैंने इसका पता लगाने का प्रयत्न किया है। मैंने पहले भी यही जानकारी दी है।

अब मैं वित्तीय मूल्यांकन से सम्बद्ध लेखा परीक्षा की बात करता हूं। लेखा परीक्षकों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि स्वीडन की पेशकश के साथ जो क्रेडिट मिलना था उसका 58 प्रतिशत जर्मन मार्क में भुगतान करना था जोकि सामान्य नीति के हिसाब से अलग था। मैं यह कहना चाहूंगा कि वार्ता समिति ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि स्वीडिश सप्लायर द्वारा जर्मन मार्क में क्रेडिट के भुगतान की पेशकश गलत थी और कुल मिला कर फ्रेंच क्रेडिट की पेशकश अधिक अच्छी है। तो भी इसमें निर्णायक बात यह थी कि लाइसेंस उत्पादन के लिए कुल मिलाकर बोफोर्स क्रेडिट की पेशकश 3.1 बिलियन क्रोनर्स के भुगतान की थी। अतः फ्रेंच प्रस्ताव की अपेक्षा स्विडिश प्रस्ताव के अन्तर्गत यह सौदा अधिक क्रेडिट का था। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में इन सारी बातों की चर्चा विस्तार-पूर्वक की गयी है। लेखा परीक्षकों ने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि वार्ता समिति में आर्थिक मामलों के अपर सचिव भी सम्मिलित हैं। यह वह विभाग है जो क्रेडिट सम्बन्धी नीति तैयार करता है तथा जो विदेशी विनिमय के मामलों से सम्बद्ध है। इसकी सिफारिशों की जांच वित्त सचिव द्वारा की गयी थी, जोकि इस विभाग में सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो विदेशी विनिमय तथा क्रेडिट सम्बन्धी मामलों को देखते हैं और स्वयं वित्त मंत्री ने भी इसमें कोई त्रुटि नहीं पायी।

**अनेक माननीय सदस्य** : तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। उन्होंने इसमें कोई कमी नहीं पायी। नीति से हटने की यह बात इस परिस्थिति में उपयुक्त नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार बोफोर्स सौदे के इस पहलू को जानती थी तथा इस सौदे को मंजूर किए जाने के कारण अच्छी तरह बता दिए गए हैं। कुछ भी गुप्त रूप में नहीं किया गया है। सारी बातें स्पष्ट रूप से तय की गयी हैं। दुर्भाग्यवश लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बगैर कारण स्पष्ट किए ही इन टिप्पणियों को एक-पक्षीय ढंग से उजागर किया गया है।

फिर एक अन्य पहलू भी है जिसके सन्दर्भ में लेखापरीक्षा इस वार्ता की प्रक्रिया को गलत बताती है और वह इस आधार पर कि कम आदमियों द्वारा बोफोर्स तोप को चलाने के फायदे को नहीं आंका गया था। यहां 'फायदा' शब्द पर ध्यान दीजिए और 'नुकसान' पर नहीं। फायदे आंके नहीं गए थे। बोफोर्स तोप के लिए कम आदमियों के फायदे को नहीं आंका गया था। संयुक्त संसदीय समिति ने इस मसले पर विचार किया तथा इसके सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष दिए। अब जब कि बोफोर्स तोप खरीदने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया तो कम आदमियों द्वारा इस तोप को चलाने के वित्तीय फायदों तथा फौजी कारवाही सम्बन्धी फायदों के बारे में विचार किया गया था लेकिन इसकी मात्रा नहीं बताई गई थी तथा खरीद के लिए आशय पत्र देते समय कम आदमियों के इसके फायदे को ध्यान में रखे बगैर बोफोर्स की पेशकश फ्रेंच पेशकश से 98 करोड़ रुपए सस्ती थी। मैं इस बात को दुहराना चाहता हूं कि आशय पत्र देते समय इसे ध्यान में रखे बगैर दोनों प्रस्तावों के बीच 98 करोड़ रुपए का अन्तर था। अतः आशय पत्र बोफोर्स को दिया गया था। 10 फरवरी और 11 मार्च के बीच वार्ता समिति ने बोफोर्स से 200 करोड़ रुपए की रियायत प्राप्त कर ली थी। फिर यह हुआ था कि फ्रेंच कम्पनी ने अपने अन्तिम प्रयास में मूल्य 100 करोड़ रुपए कम कर दिए। फिर आगे वार्ताएं हुई थीं। अतः बोफोर्स ने दस तोपें मुफ्त में दे दीं। अन्ततः बोफोर्स का सौदा सस्ता था। यहां फायदे की मात्रा का प्रश्न बहुत प्रासगिक बन जाता

है। इसके इस तथ्य को नहीं बदला जा सकता कि बोफोर्स सौदा सस्ता था लेकिन यदि इसके फायदे देखे जाएं तो यह और भी सस्ता पड़ेगा। यह एक तथ्य है। यह बात इसके पक्ष में जाती है। ···(**व्यवधान**) खर्च आवर्ती भी है और वस्तुतः संयुक्त संसदीय समिति ने 1400 तोपों की लागत के सम्बन्ध में भी जांच की तथा समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बचत 125 करोड़ रुपए की थी तथा इसके अनुरूप 400 तोपों के सन्दर्भ में जोकि हमने बोफोर्स से खरीदीं, बचत 36 करोड़ रुपए की हुई थी। इस प्रकार ये सारी बातें हुई। अतः आशय पत्र देते समय यह अन्तर 134 करोड़ रुपए का हो जाता है, और फ्रांस द्वारा अन्तिम रूप से रियायत दिए जाने के बाद भी अन्ततः यह अन्तर 45 करोड़ रुपए का हो जाता है। इस प्रकार इनमें इतने का अन्तर है।

यदि तकनीकी दृष्टि से आप दोनों तोपों का मूल्यांकन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, तो भी प्राथमिकता बोफोर्स को दी जाएगी। लेकिन यदि एक क्षण के लिए आप कहते हैं कि दोनों तोप बराबरी के स्तर की हैं और सिर्फ बोफोर्स को 45 करोड़ रुपए के कारण यदि हमने फ्रेंच तोप का चुनाव किया होता तो लेखापरीक्षा कभी हमें नहीं बख्शता।

वास्तव में प्रधानमन्त्री जी ने इस बात को कहा था तथा लेखापरीक्षा ने भी इसका उल्लेख किया है कि फायदे की मात्रा की बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः प्रश्न यह है कि यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा इस बात का सही जिक्र किया गया है कि इस फायदे की मात्रा पर ध्यान देना बेहतर होता और जब इस पर ध्यान दिया भी जाए तो भी फैसला बोफोर्स के ही पक्ष में है। अतः सरकार द्वारा लिए गए मौलिक निर्णय को शक्ति ही मिलती है, यह कमजोर नहीं होता है। मैं इसी बात का उल्लेख करना चाहता हूं।

फिर, वित्त मन्त्रालय के विशेष दायित्व का प्रश्न उठता है। मूल्य सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में, वाणिज्य सम्बन्धी मामलों में, क्रेडिट प्रावधानों के प्रश्न पर वित्त मन्त्रालय की अवश्य ही विशेष जिम्मेदारी होती है। इस मामले में, जहां तक मुझे याद है, वार्ता समिति में वित्त मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित किए गए थे। शायद ये व्यय सचिव और अपर सचिव थे जोकि वित्त विभाग अर्थात् विदेशी विनिमय सम्बन्धी क्रेडिट आदि के प्रभारी थे। ये दो वरिष्ठ अधिकारी वार्ता में पूरी तरह सम्मिलित थे। रक्षा मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री को यह मामला तत्कालीन वित्त मंत्री के अनुमोदन के बाद ही भेजा गया।

**कुमारी ममता बनर्जी** (जादवपुर) : उस समय वित्त मंत्री कौन थे ?

**एक माननीय सदस्य** : उन्होंने पलायन कर दिया है।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : चाहे वह सदन के भीतर हैं या नहीं, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह दायित्व से बच नहीं सकते।

दो बातें हैं। वास्तव में, मुझे खेद है कि वह यहां नहीं हैं। मैंने ये बातें तब कही थीं जब वह यहां पर थे। मैंने संयुक्त दायित्व की बात कही थी और मैंने वित्त मंत्री के रूप में उनके दायित्व की बात कही थी और आज मैं उसमें सी० सी० पी० ए० के सदस्य के रूप में एक पहलू और जोड़ना चाहता हूं क्योंकि सी० सी० पी० ए० भी इस निर्णय में शामिल था। इसलिए, सी० सी० पी० ए० के एक सदस्य के रूप में वित्त मंत्री के रूप में तथा दल के एक सदस्य के रूप में वह उसमें शामिल थे और उत्तरदायी हैं।

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पौन्नानी) : सी० सी० पी० ए० क्या है ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : राजनैतिक मामलों सम्बन्धी केबिनेट समिति । मैं बाद में बताऊंगा कि वह किस प्रकार से शामिल थे । ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने बोफोर्स तोपें खरीदने के लिए विशेष रूप से अनुमति दी । जब वह रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने तोप की गुणवत्ता के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया । हो सकता है कि वित्त मंत्री के रूप में उन्हें तकनीकी पहलुओं की जानकारी न हो किन्तु रक्षा मंत्री के रूप में यदि उन्हें कोई सन्देह था तो उन्हें स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था । वित्त मन्त्री के रूप में भी वह स्पष्टीकरण मांग सकते थे । इसलिए, मैं तो यही कह सकता हूं कि वह बोफोर्स तोपों की खरीद भी परिस्थितियों को मुझ से बेहतर स्पष्ट कर सकने की स्थिति में हैं । श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह को यह स्पष्ट करना होगा कि वह वित्त मन्त्री श्री वी० पी० सिंह की आलोचना क्यों कर रहे हैं ?

**श्री जी० एम० बनातवाला** : ये आयाम ही काफी है, कृपया अब और न जोड़ें ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : महोदय, मैं एक ऐसे विषय पर बोल रहा था जो मेरे विचार से काफी लम्बे अर्से से चली आ रही बहस का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । इस तमाम बहस की बड़ी बारीकी से छान-बीन करनी होगी और मेरे विचार से यहां बैठे मित्रों को पिछली बहस का स्मरण होगा । उन्हें दो बातें देखनी होंगी; पहली जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में मैं बोला हूं उनमें कोई नई बात नहीं है । मैंने हाल ही में उनका उल्लेख किया है । मेरे बहुत से मित्रों ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट देखी है । इसलिए, इसमें कोई नई बात नहीं है । उन्होंने ऐसी बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिनके बारे में सबको जानकारी है, जिनपर बहस हो चुकी है और जिनके सम्बन्ध में संसद कुछ निष्कर्षों पर पहुंच चुकी है; संयुक्त संसदीय समिति कुछ निर्णयों पर पहुंच चुकी है किन्तु उनमें नया कुछ नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि यदि आप संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट से इसकी तुलना करें, हालांकि यह तुलना सम्भव नहीं है, तो आप पाएंगे कि वह एक अधिक व्यापक और बड़ा दस्तावेज है; और इसे बड़ा होना भी चाहिए और मैं इसके लिए नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को दोष नहीं दे रहा हूं; मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट काफी बड़ी है । पहले खण्ड में 240 पृष्ठ हैं । उसके बाद साक्ष्य, बैठकों के कार्यवृत्त और कानूनी सलाह के सैंकड़ों पृष्ठ हैं । सम्पूर्ण सौदे और सौदे के सभी पहलुओं की भी विस्तार से लेखा परीक्षा हुई है । यदि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तो इसमें लोगों के मन के शक दर्ज हैं; इसमें प्रश्न दर्ज हैं; इसमें उत्तर, स्पष्टीकरण और साक्ष्य दर्ज हैं । उसमें हर चीज दर्ज है तथा और जिन निष्कर्षों पर वह पहुंचे हैं वह उसी सामग्री पर आधारित हैं । यह कोई एक-तरफा निष्कर्ष नहीं है । यह निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित है । इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि उसकी तुलना में नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सौदे के केवल वही तत्व दर्ज हैं जिन्हें लेखापरीक्षक ने गलत समझा । लेखा-परीक्षक के लिए यह स्वाभाविक है कि वह उस बात का उल्लेख करे जो उनके विचार से आलोचना के योग्य है और उसके पश्चात् वह उन पहलुओं को उजागर करते हैं । हम सभी को विभिन्न संगठनों का अनुभव है और ठीक इसी प्रकार से लेखापरीक्षक कार्य करता है । इसलिए कुछ मामलों में उन्होंने वही हवाला दिया है जो मन्त्रालय ने उन्हें कहा है; इस मामले में भी उन्होंने वही कहा है जो सरकार ने कहा है किन्तु कमोबेश रूप से उन्होंने त्रुटियों को उजागर किया है और कई जगह उन्होंने सरकार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण ही दिया है । इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने यह सम्पूर्ण मामला 18 पृष्ठों में निपटाया है । इन 18 पृष्ठों में उन्होंने विभिन्न मुद्दों को केवल छुआ ही है ।

मैं तकनीकी पहलुओं के बारे में संयुक्त संसदीय समिति को दी गई जानकारी के बारे में याद

कर रहा था। यह प्रारम्भिक जानकारी मात्र थी। मुझे याद है कि सेना द्वारा इसे पांच घण्टे तक प्रस्तुत किया गया। यह केवल इस बात का आभास मात्र है कि संयुक्त संसदीय समिति ने किस विस्तार से इस सौदे के सभी पहलुओं की छानबीन की। इसलिए मुझे इस बात की कोई हैरानी नहीं है कि लेखा परीक्षा ने इन प्रश्नों की छानबीन नहीं की है और यह सौदे के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में असमर्थ रहा है। जैसाकि मैंने अभी कहा कि शायद लेखा परीक्षा का स्वरूप ही यही होता है कि वह संसद या संसदीय समिति की जानकारी के लिए कुछ मुद्दों को उजागर कर देते हैं। क्योंकि ससदीय समिति भी इसकी छानबीन करती है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भी इसकी जांच करता है। इसलिए, वह केवल यही कहते हैं कि यह कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी छानबीन की जानी चाहिए—ऐसा नहीं है कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हों। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का तो यह काम ही है। इसके पश्चात् लोक लेखा समिति इसे अपने हाथ में लेती है और सरकार को बुलाती है, साक्ष्य लेती है और अन्त में कतिपय निष्कर्षों पर पहुंचती है। हम सभी यह बात जानते हैं। इसलिए, लेखापरीक्षा विभाग किस प्रकार से कार्य करता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम सभी जानते हैं। प्रथा यह है कि वह पूरे सौदे को उस विस्तार से नहीं देखते जितना संयुक्त संसदीय समिति देखती है। उनका अधिकांश कार्य नेमी किस्म का होता है। यह एक ऐसा अन्तर है जिसे समझना होगा। वास्तव में इसे समझा गया है और मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम एक असाधारण स्थिति में हैं। स्थिति असाधारण हो गयी क्योंकि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को साधारणतया लोक लेखा समिति को भेजे जाने की बजाए उसे विपक्ष ने सीधे ही बिना उस पर चर्चा के सभा में चर्चा का एक प्रस्ताव कर दिया। कृपया याद रखिए यह रिपोर्ट अन्तिम रूप में नहीं है; इसकी लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जानी थी। लेकिन उनके जोर देने पर इसे प्रस्तुत किया गया। क्योंकि इसे प्रस्तुत किया जाना था, इसलिए प्रत्यक्ष तौर पर हमने कहा, "नहीं, लोगों को शक होगा कि हमने कुछ छुपाया है।" हमने कहा "ठीक है, हमें इस पर विचार करना चाहिए।" अब हम इस पर विचार कर रहे हैं। हमें टिप्पणियों को भी देखना होगा। हमें इस पर टीका-टिप्पणी करनी होगी। हम इसे नकार नहीं सकते।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** (अमृतसर) : हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन उन्होंने छुपाया है।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : वह मात्र छिपे ही नहीं, गायब भी हो गए हैं। और इसमें जो दूसरी दुश्वारियां विपक्ष ने पैदा की है, वह यह है कि उन्होंने ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ही उनका निष्कर्ष है और इसलिए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मुद्दे से निपटने के लिए मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा—आंध्र प्रदेश सरकार के बारे में, पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में, कर्नाटक सरकार और अन्य सरकारों के बारे में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट। क्या वह सारी सरकारें, जिनके बारे में नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने प्रतिकूल रिपोर्ट दी है, यह मत स्वीकार करेंगी जो विपक्ष के मेरे उन साथियों का है जो अब यहां नहीं है कि तब सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए ? इस तरह उन्होंने हमें एक बात कही है जिसे वह स्वयं के शासित राज्यों में सहन नहीं कर पायेंगे। प्रत्यक्ष तौर पर यह मत अस्वीकार्य है।

फिर विपक्ष ने कहा, ठीक है अब नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट आ गयी है इसलिए हम संसद से इस्तीफा देते हैं।" यह तीसरी कठिनाई है जो इन्होंने पैदा की है। सर्वप्रथम, उन्होंने इस पर चर्चा ही नहीं की और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस मामले में मैं समझता हूं उन्होंने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ अन्याय किया है। यदि गुणों के आधार पर वह इस पर चर्चा करते तो सरकार

के दृष्टिकोण पर, उनके दृष्टिकोण पर और गुणों के आधार पर चर्चा की जा सकती थी। हम राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति की कठिनाईयों और उतार-चढ़ाव के हम आदि हैं और हम एक दूसरे को उत्तर दे पाते। लेकिन उन्होंने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को बेकार में, बिना किसी कारण विवाद का विषय बना दिया। वह गुणों के आधार पर इस रिपोर्ट पर चर्चा कर सकते थे और फिर शायद इस्तीफा देकर जा सकते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यह किया है उससे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उच्च पद बिना किसी कारण राजनैतिक विवाद का विषय बन गया है। इस सब के लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इस विषय को जिस तरीके से उन्होंने निपटाने की कोशिश की है जैसाकि मैंने अभी कहा, उन्होंने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के उच्च पद को हानि पहुंचाई है और इसके लिए वह हम पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यह सब सच्चाईयां हैं जो मैंने अभी बताई हैं।

इस चर्चा से लेखापरीक्षा की भूमिका को समझने का अवसर मिला है; और कई मित्रों ने इसे समझा है। मैं साधारणतया इससे दूर रहता हूं लेकिन इसे अब नकारा नहीं जा सकता क्योंकि अब यह चर्चा का विषय बन गया है। मैं समझता हूं कि इस विषय की गहराई में जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा के कार्यों के नियम क्या हैं? लेखा परीक्षा के कार्यों के नियम हैं कि वह विशेष दृष्टिकोण से वित्तीय लेन-देन को देखें जोकि विशेषकर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम में दिए हुए हैं। मेरे मित्र श्री पांजा ने कल अधिनियम के कुछ हिस्से पढ़े थे और मैं कहूंगा और सदन इससे सहमत होगा कि लेखा परीक्षा को उन क्षेत्रों पर मत व्यक्त नहीं करना चाहिए जो विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में हों। और ना ही लेखा-परीक्षा की नीतियों पर शक करना चाहिए। निर्णय और नीतियां सरकार के अधिकार क्षेत्र हैं; और जहां तक नीतियों का सम्बन्ध है, कार्यपालिका सीधी लोगों के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी है। सारे कार्य में यह एक बहुत ही अहम बात है। यह प्रत्यक्ष में स्पष्ट है इसलिए मैं लेखा परीक्षा की भूमिका के सम्बन्ध और उसके प्रतिवेदन के आशय के बारे में फैली कुछ गलतफहमियों को दूर करूंगा। लेखा परीक्षा का सही और सच्चा कार्य है सरकार की वित्तीय लेनदारियों की जांच करना और संसद की जानकारी उन पहलुओं को लाना, जिसको संसद ज्यादा बारीकी से जांचना चाहें।

यह सच है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है लेकिन सभी मामलों में यह संसद के अधीन है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक वह कार्य करते हैं जो कानून के अन्तर्गत संसद निर्धारित करती है तथा मैं इनका जिक्र कर चुका हूं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। जैसाकि आप सभी जानते हैं, उनकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत होती है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान दिलाया गया था कि स्पष्ट शब्दों में कानून ने उनके लिए एक सीमित भूमिका जो खर्चों की लेखापरीक्षा और उनके पता लगाने से सम्बन्धित है, निर्धारित की है। मैं इसे दुबारा दोहराता हूं, इसे कल उद्धृत किया गया था, लेकिन यह सारी बात स्पष्ट कर देता है। मैं उद्धृत करता हूं:

> "खातों में भुगतान किए गए दिखाया गया धन, क्या वह कानूनी तौर पर उपलब्ध था या उस कार्य के लिए जिसके लिए उनका उपयोग हुआ या जिसके लिए इस्तेमाल किया गया और क्या यह व्यय उस प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है जो इन्हें नियंत्रित करता है।"

क्या यह भूमिका लेखापरीक्षा अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि हथियारों के चुनावों पर अपनी राय दें विशेष रूप से जब वह चुनाव राष्ट्र के वरिष्ठतम सेना अधिकारियों द्वारा किया गया हो या क्या वह नीतियों पर पुनः निरीक्षित निर्णयों का अधिकार देती है या रक्षा के उन मामलों में, जिस

पर कार्यपालिका या संसद के सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लिया गया हो, राय देने का अधिकार प्रदान करती है ।

यह महत्वपूर्ण मसले हैं और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लेखापरीक्षा का कार्य कानून द्वारा संविधान द्वारा उसे जो भूमिका दी गई है उसे पूरा करने के लिए हुआ है और इसलिए उनकी रिपोर्ट संक्षिप्त होते हैं, वह कुछ विशेष पहलुओं पर केन्द्रित होती है और यह पहलू चुनींदा होते हैं और इनका स्वरूप आलोचनात्मक होता है। यह इनकी भूमिका है और यही लेखापरीक्षा की सही भूमिका मानी जाती है । और इसलिए उन्हें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ नहीं माना जा सकता क्योंकि यह लेखा पुस्तकों को देखते हैं और यह इंगित कराते हैं कि गलती कहां-कहां है ।

उदाहरण के लिए, सरकार में आपके पास काफी बड़ी विशेषज्ञता होती है । रक्षा मंत्रालय में आपके पास न केवल रक्षा मन्त्रालय का सारा स्टाफ होता है अपितु रक्षा कर्मी भी होते हैं ? सेना में स्वयं आपके पास काफी बड़ा संगठन है । इसलिए जब कोई ऐसा विषय आता है उस समय हमें विभिन्न पदों और उनके कार्यों और उनकी भूमिकाओं के अन्तर को नहीं भूल जाना चाहिए । मैं यह जरूर कहूंगा कि लेखा परीक्षा का मुख्य कार्य अपने अधिकारियों की मदद से सरकारी फाइलों की जांच करना है । उनके कुछ अधिकारी लेखा परीक्षा में भी ज्यादा वरिष्ठ नहीं हैं और निश्चित तौर पर हथियारों की खरीद या फिर तकनीकी चुनाव या फिर आधुनिक शल्य चिकित्सा के उपकरण या आधुनिक संयंत्र और मशीनरी जैसे विषय के मामलों में न तो वह प्रशिक्षित हैं और ना ही ऐसे मामलों से निबटने में सक्षम हैं। प्रत्येक क्षेत्र एक विशेषज्ञ का क्षेत्र है; और इसलिए जब लेखा परीक्षा ने कुछ खराबियों, कमियों की तरफ ध्यान दिलाया तब लोक लेखा समिति ने सम्बन्धित मन्त्रालय से पूछा, देखिए लेखा परीक्षा में क्या दिया है आपको इस बारे में क्या कहना है ? इन सबको ध्यान में रखते हुए एक निष्कर्ष निकलता है । इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे और उसे समझा जाये; यदि कोई लेखा परीक्षा को विशेषज्ञ क्षेत्र पर लागू करने की गलती करता है और फिर उसकी टिप्पणियों और निर्णयों को स्वीकारने की दूसरी गलती करता है तो आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं जो संविधान और कानून, जिसके अन्तर्गत लेखा परीक्षा की जाती है, ने उसकी परिकल्पना भी नहीं की थी । इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इनमें फर्क किया जाये ।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि लेखापरीक्षा उच्चतम न्यायालय की एक पीठ नहीं है; मेरा आशय अपने मित्रों से है जिन्होंने सोचा कि यह कोई उच्चतम न्यायालय की पीठ है जो अपना निर्णय दे रही है और इसकी कोई अपील नहीं है; यह अन्तिम निर्णय है, यह कोई अदालती जांच नहीं है । कृपया याद रखिए यह कोई जांच आयोग भी नहीं है । वह अपने कार्यों को करते समय कानूनी प्रक्रिया के अनुसार नहीं चलते हैं । लेखापरीक्षा से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह सारे लेन-देन की पूर्णरूप से जांच करेंगे । यह लेखापरीक्षा में जरूरी नहीं है कि वह उन विचारों को भी ध्यान में रखे, जांचें जो सरकार द्वारा किसी निर्णय विशेष को लेते वक्त ध्यान में रखे जाते हैं । यह कार्य लोक लेखा समिति का है, ताकि नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का । इस पर केवल लोक लेखा समिति ही विचार कर सकती है, लेखा रिपोर्ट में उन लेन-देन का लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है जिन पर कोई शक नहीं होता । दूसरे शब्दों में यदि कोई सही लेन-देन हुआ है तब लेखा-परीक्षा में उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती । यदि कोई गलत लेन-देन हुआ है तो इस पर लेखापरीक्षा टिप्पणी करती है क्योंकि यही लेखापरीक्षा का कार्य है । अतः, यह एक सामान्य बात है कि सरकार लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत करती है और

उस पर उचित विचार के बाद, संसद स्वयं अथवा अपनी समितियों के माध्यम से अन्तिम निर्णय पर पहुंचती है। अत: नियन्त्रक महालेखापरीक्षक संसद के सहायक के रूप में कार्य करता है। इस मामले में अन्य विशेष पहलू जिन पर हमें ध्यान देना होगा, उसके बारे में वास्तविकता यह है कि संसद की ओर से, बोफोर्स के लेनदेन के लिए संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है। जहां तक मुझे याद है, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो प्रो० रंगा इसके बारे में सही बताएंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि संसद ने इस प्रकार की कोई जांच समिति पहले कभी बनाई हो।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुंटूर) : कभी नहीं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : कभी नहीं। इस प्रकार, संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना की गई थी। इसने बहुत से विषयों पर गौर किया और फिर दोबारा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक ने इन पर गौर किया है। उन्होंने साथ-साथ कार्य किया था। मैंने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जहां पर एक ही जैसे विषयों पर दोनों ने गौर किया है। संयुक्त संसदीय समिति ने न केवल इन मामलों की ओर ध्यान दिया है बल्कि उनकी जांच भी की है। इसके बाद संसद ने यहां उन्हीं विषयों पर चर्चा की है। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही है और संसद कुछ निष्कर्षों पर पहुंची है।

अब यह एक बहुत ही विचित्र स्थिति है, यदि मैं ऐसा कहता हूं, और मेरे अनुसार जब तक कि इन तीनों क्षेत्रों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई नई बात नहीं आती है, जिनके बारे में पहले ही जांच हो चुकी है और जिन पर संसद ने निर्णय ले लिया है, इन विषयों पर फिर से कार्यवाही शुरू करने का कोई मामला नहीं बनता है। इस पर फिर से कार्यवाही करने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करना व्यर्थ होगा।

अत: इससे यह सबक मिलता है कि हमें इस पर विषय को और आगे नहीं ले जाना चाहिए। उच्च पदों पर कार्य करने वालों पर भी भारी उत्तरदायित्व होता है। संसद का भी काफी भारी उत्तर-दायित्व होता है और संसद को भी संवैधानिक पद के प्रति उचित शिष्टाचार दिखाना चाहिए और जो उच्च पदों पर हैं, उन्हें संसदीय संस्थाओं के प्रति आदर दिखाना चाहिए। उन्हें अपनी भूमिकाओं के मूल्यांकन में बुद्धिमत्ता दिखानी चाहिए। इस अनुभव विशेष से यही सबक मिलता है।

मैं इसे दोहराना चाहता हूं कि लेखापरीक्षा की स्वतन्त्रता पर कोई सन्देह नहीं करता है। स्वतन्त्रता, कार्यपालिका के सामने सुनिश्चित करनी होगी न कि संसद के सामने। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। निश्चित रूप से लेखापरीक्षा स्वतन्त्र होनी चाहिए, यह कार्यपालिका से स्वतन्त्र होनी चाहिए। अन्ततः जैसाकि मैंने पहले कहा था, संसदीय समिति से रिपोर्ट संसद को आती है जोकि उन पर निर्णय लेती है। अत: यह संसद से अलग नहीं है।

वास्तव में, कुछ मित्रों को याद होगा—बहुत से मित्रों को याद होगा—जब संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था और मैं सभा के सामने आया था, विपक्ष के बहुत से मित्र, जोकि आज यहां पर नहीं हैं, उन्होंने सुझाव दिया था "कृपया रिपोर्ट में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सम्मिलित कीजिए।" मेरे विचार में भाटिया जी को याद होगा—और उन्होंने कहा था, "आप एक प्रस्ताव ला रहे हैं। उस प्रस्ताव में आप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और महान्यायवादी को संयुक्त संसदीय समिति की सहायता करने के लिए कहें।" जैसाकि आपको मालूम होगा, मैंने लगभग सभी सुझाव स्वीकार कर लिए थे। यह उन सुझावों में से एक है जिन्हें मैंने स्वीकार किया था। मैंने इन्हें एकदम स्वीकार कर

लिया था। मैंने कहा था, "ठीक है।" मैंने सोचा था कि एक बार यदि संसद एक समिति का गठन करती है, तो शायद नियंत्रक-महालेखापरीक्षक स्वतः ही इसकी सहायता करेगा। यह मेरा सरल मत था। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति के गठन के प्रस्ताव में इसे स्पष्टतया रखने में बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं थी और जैसाकि मैंने पहले कहा था, यदि आप दोनों रिपोर्टों को देखें, वह सामग्री जिसके आधार पर संयुक्त संसदीय समिति अपने निष्कर्ष पर पहुंची है, वह सामग्री उससे कहीं अधिक है जिस पर सम्भवतः नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने जांच की है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने निश्चित रूप से उस सामग्री की जांच की है शायद जो सभी सामग्री के बारे में उनसे जांच करने के लिए कहा गया था लेकिन प्रश्नों, उत्तरों और मौखिक साक्ष्य और तोपों को चलाकर देखने आदि की जांच नहीं की, जिनकी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों ने जांच की थी। अतः इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सत्यापन करने के भाग की भी जांच की थी और यही अन्तर है क्योंकि लेखापरीक्षा ने मेरे विचार में स्वयं इस अवसर के लिए मना किया था। यदि उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से और सक्रिय रूप से सहयोग दिया होता, तब उन्हें इसमें सम्मिलित मामलों की पूरी व्यापक तौर से जानकारी प्राप्त करने का अवसर बहुत पहले मिल गया होता और पूर्ण रिकार्ड बिना किसी बाधा के मिल गया होता तथा तब कोई यह नहीं कह पाता कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा किए गए काम में इस प्रकार सम्मिलित हुए बिना संयुक्त संसदीय समिति के वास्तविक निष्कर्ष तथा कई अवसरों पर कई घण्टों के लिए संसदीय वाद-विवाद के परिणामों के प्रति लेखापरीक्षा की टिप्पणियां विपरीत प्रतीत होती हैं, रक्षा मन्त्रालय के उत्तरों का तो कहना ही क्या है।

अतः यह बहुत ही खेद का विषय है कि लेखापरीक्षा ने स्वयं इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगाया था कि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। यह बात सही है, जैसाकि मैंने पहले कहा था कि स्थिति असाधारण थी। इससे पूर्व किसी अवसर पर संयुक्त संसदीय समिति गठित नहीं की गई थी। सामान्य तौर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की बोफोर्स सम्बन्धी रिपोर्ट संसद की एक अन्य संयुक्त समिति के पास भेजी गई होती, अर्थात् उसे लोक लेखा समिति के पास भेजा गया होता। सामान्य तौर पर रक्षा मन्त्रालय ने लोक लेखा समिति को स्थिति के बारे में ठीक उसी प्रकार बताया होता जिस तरीके से इसने संयुक्त संसदीय समिति को स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण दिया था। और सामान्य तरीके से लोक-लेखा समिति भी निसन्देह उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचती जिन पर संयुक्त संसदीय समिति पहुंची है। अन्तर केवल इतना था कि इसे अनुवर्ती आधार पर शुरू करने की बजाए अर्थात् सबसे पहले नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की समीक्षा की जाती तथा उसके बाद संसदीय समिति द्वारा समीक्षा की जाती, या ऐसा कहा जाए कि दोनों क्रियाकलापों को एक साथ मिला दिया गया था और यह निर्णय लिया गया कि उन्हें साथ-साथ शुरू किया जाए। जैसाकि मैंने कहा यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती गई थी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस क्रियाकलाप में सम्बद्ध रहेंगे और इसमें रचनात्मक भूमिका निभाएंगे।

मेरा व्यक्तिगत मत है कि जब कभी संसद किसी मामले की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त करने की बात पर राजी होती है, तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लिए इसमें सहायता करना उचित होगा। ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं और इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे मामले पर, जिसमें संयुक्त संसदीय समिति ने जांच की है और रिपोर्ट दी है, उसी मामले को लोक लेखा समिति के पास फिर से जांच के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। इससे इस प्रकार की असुविधाजनक स्थिति से बचा जा सकेगा। यह स्थिति तब पैदा हो सकती है जब संसद की दो संयुक्त समितियों ने अलग-अलग निष्कर्ष दिए हों, चाहे उससे मामले कितने भी छोटे क्यों न हों। इसीलिए संसद को लेखा-

परीक्षा की प्रत्येक आलोचना को पूरी शक्ति से अस्वीकार कर देना चाहिए जोकि संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्षों के विपरीत है तथा उसी विषय को संसद द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से किसी सुझाव का खण्डन करती है कि हथियार प्रणाली से तकनीकी चयन में किसी प्रकार की कमियां थीं। इसके विपरीत, यह कार्यवाही उचित रूप से राष्ट्र के सर्व हितों में शुरू की गई थी। इसी तरह, बातचीत को बड़ी कुशलता और सावधानी से जारी रखा गया और उसके परिणामस्वरूप काफी बचत हुई है। अन्त में अपनी पसन्द की हथियार प्रणाली यथासम्भव सस्ते मूल्य पर खरीदी गई थी।

मैं, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप पैदा हुए विपक्षी बैंचों से निरर्थक सुझावों का भी पुरजोर खण्डन करता हूं। मैं आज के विपक्षी बैंचों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं बल्कि जो पहले विपक्ष में थे। हाल ही में उन्होंने यह घोषणा की थी वे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की उद्घोषणाओं की वजह से संसद की कार्यवाहियों में आगे हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनमे केवल कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, जैसाकि मैंने कहा था, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार के कुछ निर्णय थे। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने तो संसद को केवल रिपोर्ट दी है। यह एक ऐसी रिपोर्ट है जिस पर संसद द्वारा समीक्षा की जानी है। तब उद्घोषणा किए जाने का प्रश्न कहां उठता है? और जैसाकि मैंने पहले कहा है, इस सौदे के वित्तीय पहलुओं पर, केवल नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ही टिप्पणी करने के लिए सक्षम हैं। वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दे दी गयी थी। यह बात देखनी होगी क्योंकि आशय पत्र-जारी करने से पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वह फाइल देखी थी। मैं उस मुद्दे पर जोर देता हूं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि देश इसे क्यों नहीं जाने। और महोदय इसीलिए जब मेरे मित्रों ने यह मुद्दा उठाया तो क्योंकि वे यह जानते थे कि यह बात सामने आयेगी, अतः वे इसे छोड़कर चल दिए और चर्चा नहीं होने दी। क्या यही कारण है? चूंकि जैसे मैंने आरम्भ में कहा था, मुझे वास्तव में उनके जाने का कारण समझ में नहीं आया है और वे वित्त मंत्री की जिम्मेदारी के बारे में चुप क्यों थे। वे चुप कैसे हो सकते हैं? अतः इस तरह की मांगें एकदम रद्द कर दिए जाने के काबिल हैं।

महोदय, इस रिपोर्ट में कुछ अन्य मुद्दे भी उठाये गए हैं, और इन मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचार नहीं किया गया है। इसलिए यदि आप अनुमति दें तो मैं उनका संक्षेप में जिक्र करूंगा। एक या दो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं लेकिन कई छोटे मुद्दे हैं।

अब पहला मुद्दा लेखापरीक्षा द्वारा की गई एक टिप्पणी है कि कुछ किस्म के आयुधों के सम्बन्ध में न्यूनतम स्वीकृत मापदंडों में ढील दी गई थी। अब यह टिप्पणी गलत प्रभाव पैदा करती है। सच तो यह है कि कुछ आयुध 24 किलोमीटर की एक-न्यूनतम मारक दूरी प्राप्त करने के लिए खरीदे जाने थे। यह पेशकश की गई थी। यह तोपें खरीदी गई थीं। लेकिन आयुध को खरीदते वक्त सेना तथा सरकार ने सोचा था कि हम कोई सस्ता आयुध खरीदेंगे अर्थात् वह आयुध जिसकी मारक दूरी कम हो और यह मिली जुली तोपें सेना को स्वीकार्य की थी। इस तरह हमने अपने चार करोड़ रुपये बचाये। अतः यह इस ठेके को इस प्रकार से अन्तिम रूप देने का एक साधारण प्रश्न था ताकि हम कुछ बचत कर सकें।

**4.000 म० प०**

परन्तु यह सेना की 24 किलोमीटर मारक क्षमता वाले आयुध की आवश्यकता की कीमत पर

नहीं किया गया था। इसलिए, यह एक बहुत स्पष्ट बात है और मैं नहीं समझता कि इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता है।

दूसरा मुद्दा यह है, उन्होंने कहा था कि प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपनी राय जाहिर की थी कि प्रतिरक्षा-अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित, उपकरण का मूल्यांकन करने के लिए और अधिक राऊंड फायर करने की जरूरत थी। अब जब आप एक नई प्रणाली विकसित कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको कई राऊंड फायर करने पड़ेंगे। जब आप एक ऐसी प्रणाली को खरीदते हैं जो पहले ही विकसित की जा चुकी है तो फिर आपको इतने अधिक राऊंड फायर करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में लेखा-परीक्षा ने इस बात की उपेक्षा की है कि रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहाकार, जोकि प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव भी हैं सौदे के सम्बन्ध में बात-चीत करने वाली समिति के सदस्य थे और उनकी सलाह से यह निर्णय लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोफोर्स तोप में दोष थे तथा इसके लिए इ० एम० इ० के द्वारा और अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता हो सकती है तथा इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेखा परीक्षा को यह स्पष्ट किया गया था कि अन्तिम तकनीकी मूल्यांकन में इस तर्क को सही नहीं पाया गया कि इस प्रणाली में दोष हैं और इसके लिए किसी भी अतिरिक्त इ० एम० इ० देखभाल की जरूरत नहीं है। अब जबकि तोपें लगा दी गई हैं, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इन्हें किसी अतिरिक्त इ० एम० इ० कवर की व्यवस्था किए बगैर लगाया गया है। चूंकि मामला चर्चा के लिए आया है तो यह अच्छा होगा कि बजाय इसके कि किसी के मन में कोई संदेह रह जाये, मुझे इन मुद्दों को स्पष्ट करना चाहिए।

लेखा परीक्षा द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा यह है कि विचार-विमर्श के बाद सी० सी० पी० ए० की स्वीकृति नहीं ली गई और नहीं कोई औपचारिक स्वीकृति ही जारी की गई थी। यहीं पर सी० सी० पी० ए० की बात आती है। लेखा-परीक्षा को यह समझाया गया कि सी० सी० पी० ए० की फिर से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी और इस सम्बन्ध में सी० सी० पी० ए० की स्वीकृति स्पष्ट और साफ-साफ थी। इस सौदे की लागत 1600 करोड़ रुपए थी। इस बात का सेहरा विचार-विमर्श करने वाले दल को जाता है कि सी० सी० पी० ए० की स्वीकृति और बातचीत को अन्तिम रूप देने के लगभग दो वर्षों के बीच तथा इस अवधि में रुपए के मूल्य में कमी आने के बावजूद यह सौदा अन्तिम रूप से 1427 करोड़ रुपये में तय हो गया।

लेखा परीक्षा ने बताया है कि कुछ मदों की डिलीव । में विलंब रहा है। यह सच है कि इन सप्लाईयों में कुछ विलंब हुआ है। इतने बड़े आयाम वाले कार्यक्रम में ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं है। दुसरा पहलू यह भी है कि कुछ मदों की सप्लाई नियत समय से पहले भी हुई है। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्वयं इन तोपों की सप्लाई है। जहां तक देर से आने वाली उस सप्लाई की बात है जिसका जक्र लेखापरीक्षा ने भी किया है—वह इन तोपों को खींचने वाली गाड़ियों की डिलीवरी में विलंब का होना है। मैं चाहता हूं कि सभा इस बात की सराहना करे कि इन तोपों के आपूर्तिकर्ता ने ये खींचने वाली गाड़ियां पहले ही स्वीडन की सेना से ऋण पर उपलब्ध करा दी हैं ताकि तोपों को लगाने में कोई कठिनाई नहीं हो। खैर, परिसमापन नुकसान के जो भी दावे समय-समय पर किए गए हैं, उनका फर्म ने जवाब दिया है। यदि आवश्यक हुआ तो उन पर चर्चा की और उन्हें निपटाया है। जैसे कि स्वय रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि इनमें से कई दावों की भरपाई भी की गई है। इसलिए मुझे यहां इस टिप्पणी का प्रयोजन समझ नहीं आता है कुछ अन्य भुगतानों में भी शुरू में लंबी प्रक्रिया

सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण विलम्ब हुआ था। तबसे हमने प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया है तथा इनमें सुधार किया है ताकि सम्बन्धी दोषों की वजह से भुगतान में विलम्ब नहीं हो।

लेखा परीक्षा की यह टिप्पणी कि योजनाओं के विपरीत सेना को अक्टूबर 1986 तक जारी किए गए उपकरण एक रेजीमेंट के लिए भी पूरे नहीं थे सही नहीं है क्योंकि ये सब लेखा परीक्षा का शायद यह मतलब था कि सारे अस्त्र अक्टूबर तक भी नहीं मिल पायेंगे। वास्तव में इनकी सूची उस समय तैयार की गयी थी जब करार को अन्तिम रूप दिया गया था। लेखा परीक्षा ने बोफोर्स द्वारा सौदे की 1985 की अपनी आरम्भिक पेशकश के डिलीवरी कार्यक्रम की तुलना अन्तिम सौदे में दिये डिलीवरी कार्यक्रम से की है। ये दो डिलीवरी कार्यक्रम निस्संदेह निस्संदेह कुछ भिन्न हैं। फिर भी यह निष्कर्ष कि बाद वाला पहले वाले खराब है, ठीक नहीं है। कई मायनों में डिलीवरी का जो कार्यक्रम करार में दिया गया है, वह मूल डिलीवरी कार्यक्रम से अधिक अच्छा है। यही कारण है कि जो डिलीवरी कार्यक्रम अन्ततः निर्धारित किया गया के परिणामस्वरूप 12 तोपों की अरम्भिक खेप की सप्लाई के लिए डिलीवरी कार्यक्रम में प्रगति हुई। जिसकी वजह से प्रशिक्षण भी काफी पहले शुरू हो गया और परिणामस्वरूप ये तोपें जल्दी लगाई जा सकीं।

मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि ऐसे मामलों पर सम्पूर्णतः विचार होना चाहिए। यदि इनका एक छोटा पहलू ही लिया जाये तो पूरी छवि ही धूमिल हो सकती है···(**व्यवधान**)

**श्री ए० चार्ल्स** (त्रिवेन्द्रम) : परन्तु क्या इन बातों पर गौर करने का कर्तव्य लेखा-परीक्षा का है?

**श्री कृष्ण चंद पंत** : खैर, इसे स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य हो गया है।

**श्री राम प्यारे पनिका** (रोबर्ट्सगंज) : परन्तु महोदय, यह मुद्दा स्पष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि यह भ्रमित करने वाली बात है कि क्या यह नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कर्त्तव्य था या नहीं।

**श्री कृष्ण चंद पंत** : मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की क्या भूमिका है, क्या मापदंड हैं, और उनका क्या अधिकार क्षेत्र है। मैंने इस पर कहा है। लेकिन महोदय, माननीय सदस्य देर से आए हैं।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैरा में भारतीय ऐजेन्टों को प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास की प्रयोगशालाओं और डी० जी० ए० एफ० एम० एस० अर्थात् चिकित्सा सेवा द्वारा की गयीं खरीदों के सिलसिले में किये गए कमिशन के भुगतान की बात कही गई है। ये खरीद उनकी ओर से पूर्ती और निपटान महानिदेशालय द्वारा की गई जोकि वाणिज्य मंत्रालय में पूर्ती विभाग के तहत काम करता है···(**व्यवधान**)

**श्री अजय मुशरान** (जबलपुर) : क्या आप अब पैरा 12 की बात कर रहे हैं?

**श्री कृष्ण चंद पंत** : जी हां।

**श्री अजय मुशरान** : पैरा 12 बोफोर्स तोप से संबद्ध नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया हस्तक्षेप नहीं करें। उन्हें समाप्त करने दें।

**श्री कृष्ण चंद पंत** : जी हां, मैं जानता हूं यह नहीं है। मैं सहमत हूं। मैं यह कहने जा रहा

हूं। परन्तु मैं इसका जानबूझ कर जिक्र कर रहा हूं क्योंकि प्रो० दंडवते ने अपने प्रस्ताव में पैरा 11 और 12 का जिक्र किया है; दूसरे, क्योंकि कुछ समाचारपत्रों ने इसका जिक्र किया है; और तीसरे क्योंकि भ्रम पैदा किया गया है जिसे दूर किया जाना चाहिए। यही कारण है कि मैं इसका जिक्र कर रहा हूं।

अत: मैं कह रहा था कि ये खरीददारियां, उनकी ओर से पूर्ती तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा जोकि वाणिज्य मंत्रालय में पूर्ती विभाग के तहत काम करता है तथा विदेश में भारतीय सप्लाई मिशन जोकि पूर्ती विभाग की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, द्वारा की गयीं। यहां इस अन्तर को नोट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पैरा का बोफोर्स सौदे से कोई सरोकार नहीं है। मैं इसे दोहराता हूं कि इस पैरा का बोफोर्स सौदे से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इसे इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि बोफोर्स सौदे सम्बन्धी पैरे से इस पैरे की अगली स्थिति होने की वजह से कुछ विद्वतापूर्ण संपादकीयों सहित कई जगह वर्जनीय भ्रम पैदा हो गया है। रक्षा मंत्रालय सरकार के सभी विभागों के लिए खरीद नहीं कर सकता, खरीद नीति निर्धारित नहीं कर सकता तथा एजेंटों की नियुक्ति या उनसे कमीशन की धनराशि के भुगतान सम्बन्धी नीति निर्धारित नहीं कर सकता। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय तथा अन्य खरीद संगठनों की स्थापना की गयी है जो सरकार की मुख्य खरीद एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। वे रक्षा मंत्रालय की ओर से बहुत बड़ी मात्रा में असैनिक सामग्री मंगाते हैं। यह कल्पनातीत है कि यदि सी० पी० डब्लू० डी० के लिए मंगाए गए पेंट पर कमीशन का भुगतान किया गया है तो एम० ई० एस० के लिए मंगाये गए 'पेंट' पर ऐसे कमीशन का भुगतान न करने के लिए कहा जाये। आप इस बात पर ध्यान दीजिए। डी० जी० ए० एफ० एम० एस० के लिए खरीदे गए चिकित्सा यंत्रों के लिए कमीशन का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए जबकि डी० जी० एच० एस० के लिए खरीदे गये यंत्रों के सम्बन्ध में ऐसा हुआ हो।

लेखा-परीक्षक को यह सामान्य बात बता दी गयी थी कि रक्षा मंत्रालय की ओर से डी० जी० एस० एण्ड डी० या भारतीय आपूर्ति मिशनों द्वारा, जो डी० जी० एस० एण्ड डी० की प्रक्रिया का पालन करते हैं, की गयी खरीदें रक्षा विभाग के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

यह स्पष्ट है कि यदि फिर भी लेखा परीक्षक इस बात पर आगे चर्चा करना चाहता था तो ऐसा आपूर्ति विभाग से किया जाना चाहिए था···(**व्यवधान**)

**श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या आप मुझे एक स्पष्टीकरण की अनुमति देंगे ? प्रश्न यह है कि विभिन्न विभागों द्वारा भुगतान किए जाने वाले कमीशन में कुछ तो समरूपता होनी चाहिए। यदि रक्षा विभाग आपूर्ति महानिदेशालय से अधिक कमीशन का भुगतान करता है तो उनमें समन्वय नहीं है।

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : मैं यह समझता हूं। इस समन्वय के लिए आपूर्ति विभाग है। आपूर्ति विभाग वास्तव में मुख्य एजेंसी है जिसके अधीन पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय है। यदि यह बात लेखा-परीक्षक के दिमाग में है तो मैं इस प्रश्न को समझ सकता हूं। उन्हें यह मामला आपूर्ति विभाग को भेज देना चाहिए था और इसे आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए था।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : लेखा-परीक्षक से यह भूल हो गयी।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : इस भूल को इस तरह प्रस्तुत किया गया है जिससे आगे शंका हो सकती

है। मैंने जो तथ्य बताये हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सामूहिक त्यागपत्र का कारण बताने के लिए विपक्षी दलों की ओर से जारी वक्तव्यों में कोई सार नहीं है। बोफोर्स सौदे के गम्भीर आरोप का, जिसकी विपक्ष बात कर रहा है, उल्लेख कहां है? मैंने सभा का काफी समय लिया है और आपके धैर्य की भी आजमाइश की है क्योंकि मैं आपको लेखा-परीक्षक की बातें समझाना चाहता था। आक्षेप कहां है? नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के तथ्य विगत वर्ष भी थे परन्तु हमारे साथियों के लिए चूंकि चुनाव दूर थे इसलिए उन्होंने लोक सभा नहीं छोड़नी चाही। मुझे इससे वास्तव में आश्चर्य और कष्ट हुआ कि जो व्यक्ति बहुत दिनों से संसद में थे वे ही संसदीय फैसले या नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा में बाधा डाल सकते हैं। क्या उनका यही मत है कि लोकतन्त्र में चुनी हुई सरकार का अस्तित्व नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिका है? इस प्रकार के सिद्धान्त से संसदीय लोकतन्त्र का, जहां उचित रूप से चुनी हुई सरकार के भाग्य का फैसला लेखा-परीक्षक पर छोड़ा जा सकता है, उपहास होगा। इस सबमें जनता की इच्छा कहां है? कार्यपालिका की तुलना में संसद की मुख्य जिम्मेदारी का क्या होगा? अन्ततः नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वह भाग कहां है जिसमें प्रधानमन्त्री पर आरोप लगाया गया है? इसमें, प्रधान मंत्री के किसी कार्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं है। प्रधान मंत्री ने, सभी सम्बन्धित एजेंसियों अर्थात् थलसेना मुख्यालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकारी स्तर पर बारीकी से जांच करने के बाद, अपनी स्वीकृति दी। सभी एजेंसियों की सर्वसम्मत सिफारिश रक्षा मंत्रालय के आन्तरिक वित्त विभाग की जांच के पश्चात् वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गयी। यह भली-भांति मालूम है कि वित्त मंत्रालय आमे विस्तृत जांच करता है तथा वित्त मंत्री के समक्ष व्यापक टिप्पणी प्रस्तुत करता है जो जल्दबाजी में नहीं बल्कि मामले पर व्यापक विचार करने के पश्चात् स्वीकृति देता है। प्रधान मंत्री को वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त सभी सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों की सर्वसम्मत सिफारिश का अनुमोदन करने में किस प्रकार दोषी माना जा सकता है?

**श्री राम प्यारे पनिका**: तत्कालीन वित्त मंत्री कौन था?

[हिन्दी]

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**: आप देर में आये हैं, बहुत देर में आये हैं पनिका जी।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय**: पनिका जी, आप देर से आये हैं। यही समस्या है। आप देर से आये हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**: यह भी नोट किया जाए कि अन्तिम प्रस्ताव में कीमत सी० सी० पी० ए० द्वारा स्वीकृति पहले की की कीमत से कम थी। यह आश्चर्य की बात है कि कोई भी समझदार व्यक्ति नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में प्रधान मंत्री स्तर पर की गयी किसी कार्यवाही की जरा सी भी आलोचना खैसे समझ सकता है। यह आरोप, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, असंगत है और इससे विपक्षी दलों के सदस्यों की स्थिति का खोखलापन स्पष्ट हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी दलों के सदस्य जानते थे कि यह तथ्य रिपोर्ट की चर्चा से स्पष्ट हो जायेगा इसलिए उन्होंने चर्चा न होने देने के लिए भरसक प्रयास किये और यह जानकर कि अन्त में वे अपने प्रयास में असफल हो जायेंगे तो उन्होंने भाग जाने का ही सहारा लिया।

4.15 म० प०

## अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1989-90

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल)** : महोदय, मेरा सुझाव है कि यदि सम्मानित सभा सहमत हो तो हम मद संख्या 13 को कुछ देर के लिए स्थगित करके मद संख्या 14 पर विचार करें क्योंकि कार्य सूची में दूसरे महत्वपूर्ण मामले भी हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आशा करता हूं कि सभा इस सुझाव को मानेगी ।

अब हम 1989-90 के लिए पंजाब राज्य के बजट के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेंगे ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ-2 में मांग संख्या 1 से 30 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।"

मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ? यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं ।

## लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1989-90 के लिए अनुदानों की मांगें (पंजाब)

| मांग संख्या | मांग का नाम | 27-3-1989 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि | | सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| | | राजस्व रु० | पूंजी रु० | राजस्व रु० | पूंजी रु० |
| 1. | कृषि तथा वन | 49,54,30,000 | 12,72,33,000 | 49,54,30,000 | 12,72,33,000 |
| 2. | पशुपालन तथा मछली पालन | 16,71,31,000 | 1,31,25,000 | 16,71,30,000 | 1,31,25,000 |
| 3. | सहकारिता | 7,46,06,000 | 27,29,50,000 | 7,46,07,000 | 27,29,50,000 |
| 4. | रक्षा सेवाएं कल्याण | 1,74,84,000 | 10,00,000 | 1,74,83,000 | 10,00,000 |
| 5. | शिक्षा | 227,84,06,000 | 24,43,000 | 227,84,07,000 | 24,42,000 |
| 6. | निर्वाचन | 56,24,000 | — | 56,23,000 | — |
| 7. | उत्पाद शुल्क तथा कराधान | 5,94,61,000 | — | 5,94,61,000 | — |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | वित्त | 104,70,32,000 | 3,79,00,000 | 104,70,32,000 | 3,79,00,000 |
| 9. | खाद्य तथा आपूर्ति | 1,75,75,000 | 500,34,47,000 | 1,75,75,000 | — |
| 10. | सामान्य प्रशासन | 7,67,24,000 | — | 7,67,24,000 | — |
| 11. | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | 72,86,04,000 | — | 72,86,03,000 | — |
| 12. | गृह मामले तथा न्याय | 104,64,17,000 | 17,00,00,000 | 104,64,18,000 | 17,00,00,000 |
| 13. | उद्योग | 6,85,18,000 | 10,58,43,000 | 6,85,19,000 | 10,58,43,000 |
| 14. | सूचना तथा लोक सम्पर्क | 2,34,00,000 | — | 2,34,01,000 | — |
| 15. | सिंचाई तथा बिजली | 65,11,60,000 | 339,03,85,000 | 65,11,61,000 | 339,03,84,000 |
| 16. | श्रम तथा रोजगार | 2,23,63,000 | — | 2,23,63,000 | — |
| 17. | स्थानीय सरकार, आवास तथा शहरी विकास | 14,00,57,000 | 10,78,25,000 | 14,00,57,000 | 10,78,25,000 |
| 18. | कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार | 47,64,000 | — | 47,65,000 | — |
| 19. | योजना | 11,92,79,000 | — | 11,92,79,000 | — |
| 20. | कार्यक्रम कार्यान्वयन | 50,000 | — | 50,000 | — |
| 21. | लोक निर्माण कार्य | 76,90,34,000 | 39,73,35,000 | 76,90,33,000 | 39,73,36,000 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | राजस्व तथा पुनर्वास | 22,26,39,000 | — | 22,26,39,000 | — |
| 23. | ग्रामीण विकास तथा पंचायतें | 21,37,63,000 | 35,00,000 | 21,37,63,000 | 35,00,000 |
| 24. | विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 18,00,000 | 1,30,13,000 | 18,00,000 | 1,30,13,000 |
| 25. | सामाजिक तथा महिला कल्याण और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण | 26,09,75,000 | 64,68,000 | 26,09,75,000 | 64,69,000 |
| 26. | राज्य विधान मण्डल | 1,08,16,000 | — | 1,08,16,000 | — |
| 27. | तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण | 9,71,16,000 | 15,85,000 | 9,71,15,000 | 15,84,000 |
| 28. | पर्यटन तथा सांस्कृतिक मामले | 98,62,000 | 83,75,000 | 98,61,000 | 83,75,000 |
| 29. | परिवहन | 45,80,06,000 | 10,20,50,000 | 45,80,06,000 | 10,20,50,000 |
| 30. | चौकसी | 93,97,000 | — | 93,97,000 | — |

**वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी)** : जैसाकि सभा को मालूम है कि वर्ष 1989-90 के लिए पंजाब सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदानों की मांगें 17 मार्च, 1989 को सभा पटल पर रखी गयी थीं। बजट पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भी सदस्यों में परिचालित किया गया था। बजट पर सामान्य चर्चा तथा लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा के बाद सभा ने 1989-90 के पहले छः महीनों के लिए राज्य के व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदानों को स्वीकृति दे दी थी।

अब मेरा सभा से अनुरोध है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए शेष मांगों को स्वीकृति दी जाये।

**4.16 म० प०**

**[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]**

**श्री आर० एस० स्पैरो** (जालन्धर) : सभापति महोदय, पंजाब के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों का प्रश्न आवश्यक और अनिवार्य है। हम जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों से पंजाब में क्या हो रहा है। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम वहां सामान्य जन जीवन सुनिश्चित करें तथा पर्याप्त वित्त व्यवस्था और अनुदानों की मांगों को पारित किए बिना यह सम्भव नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जो सरकारें चलाने के लिए अनिवार्य हैं मुझे यह देखकर बड़ी खुशी है कि वित्त मंत्री ने इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया है।

इस सन्दर्भ में मुझे एक बात से दुख होता है। हम पंजाब पर चर्चा कर रहे हैं, जो कुछ हालात में अशांति क्षेत्र रहा है, तथा विपक्षी सदस्य भी पंजाब के बारे में जानकारी हासिल करते और उस पर चर्चा करने में रुचि लिया करते थे जोकि वास्तव में भारत की जनता के लिये चिंता का विषय है। यह जानते हुए कि हम पंजाब के बारे में चर्चा कर रहे है—यह कार्य सूची के अनुसार है—वे इसके बारे में सब कुछ भूल गये तथा केवल नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ही नही बल्कि प्रत्येक बात को छोड़कर वे मैदान से भाग गये। मेरे विचार से यह अनुचित है। यह आपके युद्ध के मैदान में जाने की तरह है, आपके पास हथियार हैं परन्तु आपने युद्ध के मैदान में सामान्य कार्यवाही की और प्रत्येक चीज छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग गए। यह उचित नहीं है।

यह न तो पंजाब के लिए ही हितकार है और न ही भारत के लिए। बल्कि मैं इस अवसर पर इस स्थिति को और भी गम्भीर नजरिए से देखता हूं। ऐसा कोई कारण नही है जहां विवादास्पद मामले पर चर्चा नहीं की जाए। वे कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं अचानक आप कहते हैं कि "हम बहिष्कार करेंगे और हम त्यागपत्र दे देंगे", इसका मतलब है कि आप पंजाब के मामले में चर्चा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। वे लोग देश के इस ज्वलंत प्रश्न पर चर्चा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। अगर ऐसी प्रकृति है तो मुझे इसके बारे में तकलीफ होती है। इस बारे में मैं जितना कम बोलूं उतना ही अच्छा होगा। जहां तक मांग का सम्बन्ध है, यह बहुत आवश्यक है कि इसकी व्याख्या कैसे की गयी है और हम सभी को यह जानना चाहिए कि धन के अभाव में पंजाब की स्थिति को सामान्य नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा राज्य है जहां अभूतपूर्व तरीके का विक्षोभ व्याप्त है। मैं प्रारम्भ में आपके माध्यम से वित्त मंत्री को एक विशेष अनुरोध करने में भी नहीं हिचकिचाऊंगा। वित्तीय पहलू से भी इस स्थिति में हमें पंजाब पर खुले विचार रखने चाहिएं, और हमें वहां उतना धन

देना चाहिए जितना हम दे सकते हैं जिससे की वहां की स्थिति लाभकर हो सके। मैं प्रधान मंत्री को अपने विशेष कोष से पंजाब को धन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं, जोकि कठिनाई की स्थिति से गुजर रहा है। यह मुआवजे का प्रश्न हो सकता है और साथ ही इससे अन्य पहलुओं को भी शामिल किया जा सकता है। अतः महोदय, आपके माध्यम से मैं खुले रूप से अनुरोध करता हूं कि सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त जिसका हम अनुरक्षण कर रहे हैं, जैसे भी सम्भव हो सके, इसकी सहायता के लिए विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब में इस समय राज्यपाल की सरकार के अतिरिक्त कोई सरकार नहीं है और इसके लिए सरकार को हमारी आवश्यकता है। विधान मंडल अस्तित्व में नहीं है। इसलिए, यह हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय खामियों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। वहां पर अनेक तरह की समस्या उठ रही है, सीमा प्रश्न और अनेक तरह के मुआवजे की अदायगी का प्रश्न है। सशस्त्र बल जो स्थिति को नियन्त्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, मेरे विचार से, वे इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके पास पहले दर्जे के वाहन नहीं हैं, जिससे वे कार्य-वाही कर सकें। उनके पास पहले दर्जे के शस्त्र होने चाहिएं जिससे कि वे उन लोगों का मुकाबला कर सकें जो अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। उनकी संचार व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और उसे नियन्त्रित करते हैं अपने कर्त्तव्यों के निर्वाहन के लिए उन्हें सर्वोच्च और पूरी तरह सुसज्जित होनी चाहिए। इस विषय के लिए, पंजाब में अनेक कार्य करने हैं, जहां पर आज अभूतपूर्व विक्षोभ उत्पन्न हो गया है। जहां तक विभिन्न अनुदानों और मांगों का सम्बन्ध है, वह हमारे विधेयक द्वारा प्रयोज्य हैं, जैसाकि हमारे माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरी बात, जिसे हमें ध्यान देकर यह निश्चित करना है कि समाज में गरीब वर्ग के लोगों की कैसे देखभाल होती है।

जैसाकि हम जानते हैं, पंजाब में दस या सैकड़ों में नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में मजदूर पंजाब के बाहर से अन्य राज्यों से यहां आते हैं। यह एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रत्येक क्षेत्र से, छोटे स्तर पर, मध्यम स्तर पर और बड़े स्तर पर भरपूर उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त, जैसाकि आप जानते हैं कि कृषि पर आधारित उद्योग भी अच्छी तरह से समृद्ध है। आज मैं कह सकता हूं कि केन्द्र के अनुदान और कृषि क्षेत्र में हमारे प्रयत्नों के कारण हम पिछले रेकार्डों को तोड़ रहे हैं। यह आसान काम नहीं है। इसलिए हम इसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम आर्थिक दृष्टिकोण से सन्तुष्ट किया जा सके। हम नौजवानों को भी सही रास्ते पर ला सकते हैं जो गलतियां करते हैं और कुछ हद तक गलत रास्ते पर अग्रसर हो जाते हैं। अगर वहां भरपूर रोजगार और धन उपलब्ध हो, तो हम उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है तो यह एक अन्तराष्ट्रीय मामला है। आप यूरोप के किसी भी बड़े स्टोर में जाएं, अमरीका में या रूस में, आप वहां ऊनी स्टॉक पाएंगे जिस पर 'कशमीर वूल' लिखा होता है, जिसका मतलब है कि यह पंजाब के लुधियाना का उत्पादन है। इतना ही नहीं। आज कृषि उद्योगों पर आधारित पैदावार, यहां तक की सामान्य टमाटर और अन्य ऐसी ही चीजें, आसानी से और अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करती है और यह पैसा देश में काम आता है। इसका मतलब है कि हमें पंजाब की अर्थव्यवस्था को वहां की अच्छी परम्परागत शैली और पंजाब की जनशक्ति के आधार पर उन्नत करना होगा। वे ऐसा करने को तैयार हैं। इसके लिए, सर्वप्रथम धन लगाना होगा। किसी तरह का जोखिम, उन्नति के लिए किसी भी तरीके के विचार के लिए धन आवश्यक है और, ऐसी स्थिति में, मैं सम्पूर्ण भारतवर्ष के लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि वह जैसे भी हो, पंजाब की इस कठिनाई के स्थिति में आर्थिक सहायता करें। ऐसी स्थिति में हमें आपकी

जरूरत है। हम पंजाब के बड़े और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल, स्वर्ण मन्दिर के संदर्भ में बात करते हैं और कहते हैं कि उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं। स्वर्ण मन्दिर अनेक तरह से अपवित्र हो गया है। मैं इस संदर्भ में उसका वर्णन नहीं करना चाहता। परन्तु इसके लिए हमें योजना बनानी चाहिए और वहां विभिन्न प्रयोजनों से तथा जीवन को इतना सुन्दरतम बनाने के प्रयोजन से, जैसे कि पहले पंजाब में प्रत्येक जगह ऐसी बात मिलती थी, वहां चारों तरफ सुन्दर गलीयारे स्थापित करने की उनकी योजनाएं अभी तक वैसे ही पड़ी हैं। स्वर्ण मन्दिर के सम्बन्ध में, धन की कमी के कारण वह योजना काम नहीं कर रही है। नित्यचर्या और धार्मिक कृत्यों और बजट इत्यादि को पारित करने और उसका पालन करने के अतिरिक्त ऐसे अनेक मार्ग हैं जिसे हमें प्रशस्त करना है। पंजाब को अभी भी नवयुवकों की आवश्यकता है। इधर-उधर कुछ धन के लालच में वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे "उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान करने का आग्रह करूंगा। उन्हें विभिन्न तरह की परियोजनाओं में काम पर लगाने से वे उस तरह की हेरा-फेरी और दूसरे गलत कार्यों को छोड़ देंगे।" जहां तक सद्भावना का सम्बन्ध है, तो मैं पंजाब के हिन्दू, सिख, हरिजन, क्रिश्चियन, बौद्ध, मुस्लिम आदि सभी को धन्यवाद देता हूं। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है तो वहां आज तक साम्प्रदायिक दंगा नहीं हो पाया, वहां कोई साम्प्रदायिक दंगे की स्थिति नहीं है। भारत के अन्य स्थानों पर मुझे जहां-तहां कुछ गलत बातें देखने को मिलती हैं, लेकिन पंजाब में नहीं। अपराधी के हाथों जो भी किया जा रहा है, उसके बारे में हम सभी समझते हैं और अनुभव करते हैं। इसके बारे में कोई दो-मत नहीं है। लेकिन जहां तक पंजाब के लोगों का सम्बन्ध है, तो जैसाकि कुछ उदाहरणों से जाहिर होता है कि वहां के प्रत्येक व्यक्ति, विभिन्न समुदायों और धर्म के लोग एक-दूसरे के लिए लड़ते हैं और जान देने को तैयार रहते हैं। उसके लिए हमें गर्व होना चाहिए और किसी तरह की लड़ाई लड़ना इनके लिए सिद्धांत की बात है। सिद्धांत यह कहता है कि जब भी आपको सफलता का अन्दाज लगे आपको उसके होने तक भी इन्तजार नहीं करनी चाहिए और तब कहना चाहिए "हां, हमने लड़ाई जीत ली है।" आपको न केवल मैदान जीतना है अपितु आपको अपने उत्तरदायित्व को भी व्यापक बनाना है। आपको अपनी भारत माता के लिए अपना नाम और महत्ता को बढ़ानी चाहिए। यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि भारत माता के लिए किया जाना चाहिए। मेरे दस गुरुओं ने भारत माता के लिए सब कुछ हर तरह से न्योछावर कर दिया। अतः उसको दोहराना उचित नहीं है। ऐसा ही सवाल हमारे हिन्दू, मुस्लिम और अन्य भाइयों के लिए है। मैं ईद-उल-फितर में उपस्थित हुआ हूं। मैं ईद-उल-जुहा में उपस्थित हुआ था। उनमें से हजारों लोग समान भाषा में और समान रीति-रिवाज से बोलते हैं। ऐसे क्यों ? यह इसलिए क्योंकि वे लोग सांस्कृतिक, जातीय, वंशानुगत और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक ही समुदाय के लोग हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है उनमें कोई भेदभाव नहीं है। आज कोई व्यक्ति अपने इच्छानुसार कहीं भी पूजा कर सकता है। इसमें कोई हानि नही है। यह उनकी अपनी इच्छा है। आपको अपने आपको खुश रखना चाहिए। मनुष्य जाति का स्वभाव ही ऐसा है। किसी को भी अपने ईश्वर को मानने की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। यह सभी ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की पूजा के लिए सभी को समान अधिकार है। अतः, मैं आपको इस समेकित मांगों और विनियोग विधेयक को हमें तत्परता से उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इसके लिए आपकी प्रत्येक दिशा में सफलता की कामना करता हूं। मैं इसका सम्पूर्ण लाभ के लिए पूर्णतया समर्थन करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर)** : सभापति महोदय, मैं अनुदानों की इन मांगों का

समर्थन करता हूं। मेरे वरिष्ठ साथी जनरल स्पैरो ने इस बारे में विस्तारपूर्वक कहा है, मैं उनके कथन में कुछ और जोड़ना चाहूंगा। बोफोर्स और फेयरफैक्स से इस देश की एकता को खतरा नहीं है। आंतरिक शत्रु के कारण इस देश की एकता को खतरा हो रहा है। आप जब भी इस पर गौर करते हैं तो आपको पता लगता है कि पृथकतावादी शक्तियां उभर रही हैं और सरकार के अधिकार को चुनौती दे रही हैं। एक तरफ हम झारखण्ड आन्दोलन देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम गोरखालैंड आन्दोलन है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न गुट भूमिकाएं अदा कर रहे हैं जैसे त्रिपुरा में टी० एन० वी०, असम में यू० एल० एफ० ए०, मणिपुर में एन० एस० सी० एन० है। और हम यह भी देख रहे हैं कि काश्मीर में अशांति फैली हुई है, वहां विदेशी हाथ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। इसी प्रकार, मेरा पंजाब राज्य जोकि देश में अग्रणी राज्य रहा है, जो भारत सरकार के भण्डारों को अनाज से भरता रहा है, जो अत्यधिक विकसित राज्य है और जिसने पहले स्वतन्त्रता संग्राम अथवा इस देश के निर्माण और दुश्मन के खिलाफ लड़ाईयां लड़ने में अपनी भूमिका अदा की है, दुर्भाग्य से वही पंजाब राज्य भी इसी स्थिति से गुजर रहा है।

महोदय, ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से पंजाब में यह स्थिति है। पहला कारण तो यह है कि कट्टरपंथी खालिस्तान की मांग करने लगे। फिर अपराधियों ने भी इसमें भूमिका निभाई है और वे इनके साथ मिल गए हैं और इससे आज पंजाब में एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। महोदय मैं कहता हूं कि पंजाब में हो रही हत्याओं में से 90 प्रतिशत हत्याएं उन अपराधियों द्वारा की जा रही हैं जो लोगों से धन ले रहे हैं। उन्होंने वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर दी है। हमारे अपने बच्चे गुमराह हो गए हैं और विदेशी शक्तियों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं और वे पंजाब में समस्याएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक तरफ तो राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तियों और दूसरी तरफ राष्ट्र-विरोधी शक्तियों के बीच लड़ाई चल रही है। पंजाब में दूसरी मुख्य पार्टी अर्थात् अकाली पार्टी यह निर्णय नहीं ले पाई है कि वह देशभक्त या राष्ट्रवादी शक्तियों की तरफ है या राष्ट्र-विरोधी शक्तियों के साथ है। उनकी चुप्पी तथा उनके कार्य पंजाब में उग्रवादियों तथा आतंकवादियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम पंजाब में इस दुखद स्थिति का इस समय सामना कर रहे हैं।

जहां तक हमारी पार्टी और सरकार का सम्बन्ध है, हम पंजाब की समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राजीव गांधी के भारत के प्रधान मंत्री बनने के साथ ही उन्होंने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया और हमने देखा कि श्री राजीव गांधी और श्री लोंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ और हमने सोचा कि समस्या समाप्त हो गई। लेकिन यही स्थिति फिर उभरी और कुछ अकाली गुट इस समझौते से सहमत नहीं हुए और उन्होंने स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया। इसके बाद, हमने पंजाब में चुनाव कराए और श्री बरनाला मुख्य मंत्री बने। अकाली पार्टी को बहुत अधिक बहुमत मिला और उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन, राजीव-लोंगोवाल समझौते का विरोध कर रहे इन अकाली गुटों ने श्री बरनाला का विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने उनके साथ सहयोग नहीं किया। इसके फलस्वरूप, स्थिति बिगड़ गई और आतंकवादियों तथा उग्रवादियों ने इस स्थिति का लाभ उठाया।

फिर, एक और स्थिति उत्पन्न हुई। पांच ग्रन्थियों ने दोनों अकाली दलों पर रोक लगा दी और एक एकीकृत अकाली दल गठित किया जो श्री बरनाला को मान्य नहीं था और उन्होंने इसका विरोध किया। तब उन्हें श्री दर्शन सिंह ने बाहर निकाल दिया जो अकाल तख्त के मुखिया थे। श्री मनीचहल

नेतृत्व वाले एक अन्य उग्रवादी गुट ने श्री दर्शन सिंह को हटा दिया। और इसके साथ ही हमने देखा कि जब अकाली गुट बरनाला गुट का समर्थन कर रहे थे तब उग्रवादियों ने स्वर्ण मन्दिर पर कब्जा कर लिया। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर थी। तब पंजाब में राष्ट्रपति-शासन लागू कर दिया गया। उस समय पंजाब से अनेक लोग बाहर जाने लगे। उद्योगपतियों ने पंजाब को छोड़ दिया और गांवों से अनेक लोग नगरों में आ गए और नगरों में से लोग पंजाब को छोड़ने लगे। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि देश के अन्दर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवर्जन शुरू हुआ।

अब लोग कहते हैं : बरनाला सरकार और राष्ट्रपति-शासन में क्या अन्तर है ? हत्याएं जारी हैं; उग्रवादी कार्यरत हैं और लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। इस प्रकार पंजाब में राष्ट्रपति-शासन से क्या अन्तर आया है ? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसे इस प्रकार स्पष्ट करूंगा। अब स्थिति में इस दृष्टिकोण से परिवर्तन है कि पहले उग्रवादियों और आतंकवादियों का श्री भिंडरावाला के नेतृत्व में खालिस्तान का लक्ष्य था। वे एक नेता के नेतृत्व में लड़ रहे थे। वह नेता अब नहीं है और पंजाब के लोगों ने खालिस्तान की मांग को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया है। आतंकवादी पूर्ण रूप से अलग-थलग पड़ गए हैं। यह एक बड़ा अन्तर है जो वहां पर उभरा है।

दूसरा अन्तर यह है कि स्थिति में सुधार हुआ है और अधिक उद्योग पंजाब में स्थापित हुए हैं। अब वहां निवेश करने का वातावरण है और अनेक फैक्ट्रियां स्थापित हुई हैं, ज्यादातर लघु क्षेत्र में लगी हैं और कुछ बड़े क्षेत्र में भी लगी हैं। पंजाब में जमीन के मूल्यों में वृद्धि हुई है। वहां पर हर कोई अपने मकान तथा जमीन बेच रहा था और राज्य से बाहर जा रहा था, परन्तु अब लोगों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है और उद्योग भी लगाए जा रहे हैं। जमीन का मूल्य भी बढ़ गया है। केन्द्रीय राजस्व में वृद्धि हुई है। पिछले दिनों जब मैं अमृतसर में था तब मुझे बताया गया कि जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क एक वर्ष में चार से पांच करोड़ रुपए होता था वह अब बढ़कर 20 करोड़ रुपए तक हो गया है। इससे आप पंजाब में राष्ट्रपति-शासन के प्रति लोगों के विश्वास का अच्छी तरह से अन्दाज लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, वहां पर ये सब बातें हैं। मैं चाहूंगा कि विशेषकर पंजाब समस्या को सुलझाने के मामले में सरकार को आगे कार्यवाही करनी चाहिए।

सरकार ने अब तक जो कुछ किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लोंगोवाल-राजीव समझौता किया गया, जोधपुर के बन्दी रिहा किए गए, फिर समाधान ढूंढने तथा विभिन्न पार्टियों से बात करने के लिए एक मंत्रि मण्डलीय उप-समिति भी वहां गई हालांकि अकाली दलों ने इसमें भाग नहीं लिया।

पंजाब में काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। वहां और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है क्योंकि आखिरकार वहां बेरोजगारी की समस्या भी है। ये सभी युवक, जो नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते, वे ये कार्य करने लगते हैं। आज एक किसान का पुत्र शिक्षित होने पर खेतों में कार्य करना नहीं चाहता। वह जमीन पर हल नहीं चलाना चाहता है। वह नौकरी चाहता है और इतनी अधिक नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए वह उग्रवादियों और आतंकवादी तत्वों का शिकार हो जाता है। इसलिए सरकार को पंजाब में और अधिक निवेश करके इन कृषकों की सहायता करनी चाहिए।

आज यद्यपि पंजाब कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और इसने केन्द्रीय भण्डार में 56 लाख टन गेहूं का योगदान किया है तथापि इस स्थिति में कृषि लाभप्रद नहीं है। उपकरणों के मूल्य बढ़ गए हैं, दवाओं, ट्रैक्टरों के मूल्य और सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं; परिणाम यह हुआ है कि

आज पंजाब में कृषि पहले की तरह लाभप्रद नहीं है। पंजाब में असंतोष का एक कारण यह भी है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि कृषकों को उचित मूल्य मिले और उन्हें खाद तथा उपकरण सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हों।

मैं दो बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मैंने देखा है कि जो लोग उग्रवादियों के शिकार हुए हैं यद्यपि सरकार उन्हें कुछ धनराशि दे रही है और नौकरियां देने का प्रस्ताव भी किया है लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह बताएंगे कि कितने परिवारों को नौकरियां दी गई हैं। जहां तक मुझे पता है, पंजाब सरकार की घोषणा के अनुसार तो 10% लोगों को भी नौकरियां नहीं मिली हैं। जिन परिवारों के सभी कमाने वाले सदस्य मारे जा चुके हैं और कमाने वाला एक भी सदस्य परिवार में जीवित नहीं है, हम ऐसे परिवारों के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि यह सुनिश्चित करें कि ऐसे परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाए।

दूसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि हथियार डालने के लिए तैयार लड़कों के लिए आम माफी घोषित कर दी जाए। क्योंकि ये लड़के दुर्भाग्य से उनके शिकार हो गए और अस्त्र उठा लिए तथा पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर दी। मैं समझता हूं कि सरकार पहल करे और निर्भीकता-पूर्वक यह कहे कि ऐसे सभी लड़के जो सामान्य जीवन जीना चाहते हैं अपने हथियार डाल दें और उन्हें माफ कर दिया जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री केयूर भूषण** (रायपुर) : सभापति महोदय, पंजाब की समस्या के साथ जुड़कर हम जो सदन में चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ-साथ हमें उस स्थिति पर भी थोड़ी मन में जो भावना आती है, उसे प्रकट करने का हमें मौका मिला है। मैं पंजाब की समस्या को न केवल पंजाब तक सीमित मानता हूं, यह पूरे राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है। वहां जो कुछ अभी हो रहा है, हम अनेक प्रयत्न करने के बाद भी उसे अपने राष्ट्र की धारा के साथ नहीं जोड़ पाए हैं। यह केवल कुछ थोड़े से सिरफिरों के दिमाग की उपज है और यह इतने तक ही सीमित नहीं है। यह पूर्णरूप से देश को तोड़ने का जो प्रयत्न हो रहा है, उसका ही यह एक कारण है और यह रूप तब से सामने आया है, जब से भारत की स्थिति दुनिया के सामने एक शान्ति की ताकत के रूप में उभरी है। हमारा प्रयत्न गांधी जी के साये से चल रहा था कि हम स्वतन्त्रता के बाद, अगर हमें स्वतन्त्रता मिली तो हम दुनिया को फिर से संघर्ष की तरफ जाने से रोकेंगे। इस शांति के अभियान में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसके लिए हम चाहते थे कि हमारा भारत शक्तिशाली हो। हमारे इस प्रयास के सम्बन्ध में दुनिया की वे ताकतें जो कि यह समझ रही थीं कि अगर उनसे भी अधिक अगर भारत शांति के रूप में उभरेगा और शक्तिशाली भारत के रूप में तो फिर उनके साम्राज्य डगमगाने लगे थे जोकि साम्राज्यवाद को फैलाए रखना चाहते थे। हमारे शांति प्रयासों के फलस्वरूप उन देशों के साम्राज्य समाप्त प्राण होने लगे थे। फिर भी वे दुनिया में साम्राज्य फैलाने का प्रयत्न कर रहे थे। वे देश यह महसूस कर रहे थे कि वे अपनी ताकत को, अपने साधनों को आगे बढ़ाते जाएं, तभी वे आगे बढ़ते जाएंगे। वे यह समझ रहे थे कि शांति से मुकाबला करना उनके लिए कठिन होगा। इसीलिए वे इस प्रयत्न में रहे कि हम ऐसे देश को मजबूत न होने दें जोकि शांति के दूत के रूप में आगे बढ़ रहा है। इससे दुनिया में फिर एक वातावरण बनेगा जिससे कि वे अन्य देशों को गुलाम बना सकेंगे।

ऐसे समय में भारत उनकी आंखों के सामने था और उसकी विशेषताएं उनके सामने थीं। भारत सभी धर्मों की फुलवाड़ी है और अनेक भाषाओं का गुच्छा है। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया के सभी धर्म फल-फूल रहे हैं और जिसमें अनेक भाषाएं विकसित हो रही हैं। इसलिए उन्हें यही दिखा कि अगर हम इसे दबाने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि यहां पर जो अलग-अलग धर्म हैं, अलग धर्मों के मानने वाले हैं, इनके अन्दर फूट पड़ जाए और इससे भारत को तोड़ने का प्रयत्न हो सके।

एक लम्बे समय से साम्राज्यवादी देशों की यह योजना चली आ रही है। जब से हमारा आजादी का आन्दोलन चल रहा था तब से उनकी यह योजना चली आ रही है। हमारी भारतीय संस्कृति हजारों साल से एक दूसरे धर्म की रक्षा करते हुए सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। हमारे यहां अलग-अलग जातियों और अलग-अलग धर्मों के संगठन हैं। आज उनके द्वारा कुछ शक्तियां भारत में एक दूसरे के विरुद्ध द्वेष फैलाने के काम में प्रयत्नशील है। जब हमारे यहां आजादी का आन्दोलन चल रहा था उस वक्त भी हमने उनके इस प्रयास को बहुत कुछ रोकने में सफलता हासिल की थी। उस वक्त भी हमने इस बात को देखा था कि धर्म के नाम पर कुछ लोगों को उकसाया गया। उस वक्त हमारे राष्ट्रीय नेता जो सर्व धर्म समभाव के पोषक थे, गांधी जी ने अपने अन्तिम समय तक उनके इस सफल न होने देने का प्रयत्न किया। उस समय हमारे यहां और भी बहुत से नेता थे। हमारे यहां मौलाना आजाद थे। लेकिन इन ताकतों ने देश में साम्प्रदायवाद को फैलाने में सफलता हासिल की और देश के टुकड़े किए। उन्होंने यह सोचा था कि हम यह चाहते हैं कि हम आजादी के बाद दुनिया में शान्ति फैलायेंगे और उनके मंसूबो को सफल नहीं होने देंगे। इसीलिए उन्होंने यह समझा कि अगर भारत के टुकड़े कर दिए जाएं तो फिर भारत से यह सम्भव नही हो पाएगा। मगर उनको इस प्रयत्न में महात्मा गांधी के होने से बहुत देर से और बहुत आंशिक सफलता मिली क्योंकि महात्मा गांधी एक ऊंचे दिल और दिमाग के आदमी थे।

भारतीय संस्कृति में पले हुए लोग जो टुकड़ों में बंटे हुए है, इनके दिल कल फिर जुड़ सकते हैं और उसका नतीजा शायद यह निकले कि भारत का फिर एक शक्ति के रूप में एक खण्ड के रूप में उदय हो और शांति का उदय हो। तो इस डर से उन्होंने महात्मा गांधी को दुश्मन नम्बर एक समझा और षडयंत्र करके धर्मांधता के नाम पर भारत में ही लोगों को उकसाकर उनकी हत्या करवा दी और उनकी आत्मा का असर इतना पड़ा कि हम उस राष्ट्रीयता से विचलित नहीं हुए और आगे बढ़ते रहे। हमें पं० जवाहरलाल नेहरू का वही नेतृत्व मिला और फिर हम दुनिया में शांति का प्रयत्न करते रहे। उस शांति के बल पर जब हम दुनिया में ताकत के रूप में सामने आए तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वही साम्राज्यवादी ताकतें फिर हिन्दुस्तान को तोड़ने के लिए वैसा ही धर्मांधता का उन्माद फैलाकर खालिस्तान के रूप में सामने आई और मजहबी वतावरण बनाकर देश को तोड़ने का प्रयत्न किया। न केवल देश की धरती को तोड़ने का प्रयत्न किया, बल्कि भारतीय समाज को भिन्न-भिन्न करने का प्रयत्न किया। मगर हम उस परीक्षा में खरे उतरे और बड़े से बड़ा बलिदान देने के बाद, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जो समझ हममें पैदा हुई, जो उस गुलाम भारत में नहीं थीं, हमारे पास राष्ट्रीय नेता बहुत ऊंचे थे मगर जन-मानस उतने तक नही पहुंच पाया था, उसके जरिए हम इस परीक्षा में खरे उतरे। आज जनमानस बिल्कुल राष्ट्रीय स्वरूप में है, हममें किसी तरीके से जातीय उन्माद अलगांव की भावना नही है, उसका पूरा परिणाम हम पंजाब के अन्दर देख रहे हैं, हिन्दुस्तान के हर कोने में देख रहे हैं। वहां पर सभी धर्मों के लोग किस तरह से राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ रहे है। आज

जितना षडयंत्र हो रहा है जिससे कि हमारे जनमानस को उद्वेलित किया जाए, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज हिन्दुस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे तक, सभी जगह यही हालत है।

उस समय जब हमारे देश का निर्माण हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम हो रहा था, जिस तरह से गांधी जी की हत्या की गई, उसी तरह से उसी ताकत ने जो हमारे देश को तोड़कर दुनिया को कमजोर करना चाहती थी, इन्दिरा जी की हत्या करवा दी। मगर भारत का सौभाग्य है कि हमारा नेतृत्व फिर उसी गति से आगे बढ़ा और राजीव गांधी के नेतृत्व में वही शक्तियां दुनिया में हमारे साथ हैं और विश्व शांति कायम करने के लिए हम बराबर प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी नम्बरदारी, नेतृत्व अगर कोई कर रहा है तो वह राजीव जी कर रहे हैं। भारत की ताकत के साथ-साथ दुनिया को बचाने और शांति लाने का बराबर प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन उसके विरोध में इस तरह का खेल खेला जा रहा है।

यह सब कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि पंजाब समस्या को हम साधारण रूप में न लें। अगर हम पंजाब समस्या को थोड़ा सा सुधरते हुए देखते हैं, तो दुनिया के दूसरे कोने में फिर वही सांप्रदायिकता उभारने का प्रयत्न होता है, इससे जोड़कर अगर हम इस समस्या को देखें, तब इस समस्या की गंभीरता का असली पता लगता है। आज हम देख रहे हैं कि पंजाब का आम नागरिक राष्ट्रीय धारा से जुड़ा हुआ है और पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है, मगर जैसे ही कोई समाधान नजर आता है वैसे ही सांप्रदायिक उन्मादों से स्थिति खराब करने का प्रयत्न शुरू हो जाता है। हमारे विपक्ष के नेता चले गए हैं, मगर वे उस तरफ नही देख पा रहे हैं, उसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि के नाम से जो एक नया बखेड़ा खड़ा करने का प्रयत्न हो रहा है यह सब उन्हीं लोगों का प्रयत्न है और जानबूझकर इसको चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस ओर हमारा नेतृत्व, राजीव जी का नेतृत्व पूरी तरह से सजग है और इसको हल करने के लिए दोनों समाज को लेकर आगे बढ़ रहा है, इसमें उनको अवश्य सफलता मिलेगी। साम्राज्यवादियों की स्वतन्त्र भारत में कभी चल नहीं सकती।

देश को तोड़ने का जो प्रयत्न वे करेंगे, वह नही हो सकता क्योंकि ऐसा विश्वास हम लोगों का राजीव जी के नेतृत्व में है। ये लोग छोटा-मोटा बवंडर खड़ा करने का प्रयत्न करते हैं। राजीव जी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में हैं और आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें वे सफल होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आज भी पंजाब में जो आतंकवाद दिखाई दे रहा है, उसके पीछे भी एक षडयंत्र है। राष्ट्रीय एकता को मानने वाली ताकतें हमारे बीच में से राजनीतिक कारणों को बताने के लिए बाहर चली गई हैं, लेकिन समाजवादी दृष्टिकोण रखने वाली जो पार्टियां हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि आज जो कांग्रेस राष्ट्रीय एकता के लिए आगे बढ़ रही है उसके लिए पंजाब में शांति लाना बहुत ही आवश्यक है। पंजाब की जनता जो शांति के लिए आगे बढ़ना चाहती है, उसमें हम पूरी तरह से योगदान दें। आज आर्थिक दृष्टि से पंजाब को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है क्योंकि उसने सिद्ध कर दिया है कि वह रक्षा पंक्ति में और देश भक्ति में सबसे आगे है। देश भक्ति का क्षेत्र ऐसा है जहां साम्प्रदायिकता की लड़ाई नहीं बल्कि साम्राज्यवाद के खिलाफ टक्कर ले रहे हैं। किसी भी कीमत पर साम्प्रदायिकता वहां नहीं हो रही है। इस षडयंत्र का मुकाबला सिख और गैर-सिख मिलकर कर रहे हैं। अगर वही स्थिति दूसरी जगह में होती तो शायद हम पिछड़ जाते। लेकिन पूरी कुर्बानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर वहां किसी अनजान व्यक्ति की, सम्पादक की या किसी समाचार भेजने वाले की हत्या होती है तो ये सबके सब देश की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलन्द करने के

लिए कुर्बानी दे रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए हम पूरी तरह से प्रयत्न करें। जितनी भी उन्हें आवश्यकता हो, वह पूरी करें। वहां के पुलिस प्रशासन को, वहां के शासन को या जो आगे आने वाली ताकतें हैं उन्हें मजबूत करने के लिए जो सहायता चाहिए, वह पूरी सहायता दें। जो समय उनको देना चाहते हैं, वह पूरा दें। पंजाब उद्योग में सबसे आगे है लेकिन उसे और आगे बढ़ाना है। वह सरहद प्रान्त है। सरहद में फौज के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता होती है वहीं से लेते हैं। बाकी जमीन जो बचती है, वहां उस जमीन पर रहने वाले आ जाते हैं लेकिन उनके पास जमीन कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में उद्योग बहुत ही आवश्यक हैं। उसके लिए धन मुहैया करने में कमी न करें। कृषि के साथ-साथ उनका जीवन उद्योगों में भी है। अब तो ऐसा अवसर आ गया है कि दूसरे उद्योगपति भी उस तरफ ध्यान दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हर समय यह खतरा सामने रहता है कि हम पंजाब के उद्योगों को किस तरह से विकसित करें। शासन का पूरा ध्यान उद्योगों को विकसित करने की तरफ जाना चाहिए ताकि कृषि के साथ-साथ उनको उद्योगों का भी सहारा मिल सके। लघु उद्योगों में भी वे बहुत आगे हैं। हर गांव में आप छोटी-छोटी इंडस्ट्री देख सकते हैं। वहां का जो कृषि मजदूर है वह खेती के साथ-साथ उद्योग में भी आगे बढ़ता है और उसके विकास के लिए योगदान देता है। एक भ्रम वहां पर पैदा हो गया है। उस भ्रम को भी दूर करने का प्रयत्न करें।

**5.00 म० प०**

लोगों को यह भ्रम है कि जब से देश के टुकड़े हुए, धर्म के नाम पर एक देश बना पाकिस्तान, तो लोगों को यह लगने लगा कि किसी धर्म की रक्षा के लिए एक अलग देश की जरूरत है, मगर यह सारे विचार गलत सिद्ध हुए और उसका परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। अगर हम यह समझें कि एक ही धर्म हो और उसी पर आधारित देश बने तो झगड़े नहीं होंगे और उस देश के टुकड़े नहीं होंगे तो ऐसी बात नहीं है। वहां पर भी झगड़े होते है और उस देश का भी टूटन हुआ है और उसका विकास नहीं हो सकता। मगर उसके विपरीत भारत एक ऐसा देश है जिसमें सब धर्मों को फलने-फूलने का अवसर मिला। वह इसलिए मिला क्योंकि भारत एक राष्ट्र के रूप में सामने आया है और राष्ट्र में सब धर्मों का विकास भी होता है। इस चीज को हम उन्हें बताएं कि अगर सिखिज्म का विकास हुआ है तो भारत की वजह से हुआ है। भारत रहेगा तो सिख धर्म रहेगा, हिन्दू धर्म रहेगा और मुस्लिम धर्म रहेगा और उनका विकास होगा। अगर भारत टूटन जाता है तो किसी धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। मैं यहां तक दावा करने को तैयार हूं कि भारत के रहने से दुनिया में सब धर्म फले फूलेंगे। क्योंकि भारत ही है जिसने इस्लाम की रक्षा की, भारत ही है जिसने ईसाईयत की रक्षा की, भारत ही है जिसने हिन्दुओं की रक्षा की, भारत ही है जिसने पारसियों की रक्षा की और जैन धर्म की रक्षा की। भारत के रहते दुनिया के धर्मों का विकास होगा।

**श्री जगन्नाथ पटनायक** (कालाहांडी) : सभापति महोदय, आज पंजाब की सारी जनता को मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि वहां पर जो लड़ाई है वह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। आज हिन्दुस्थान दुनिया में शांति की शक्ति के रूप में उभर रहा है इसलिए साम्राज्यवाद शक्तियों ने उसको पीछे धकेलने के लिए इस षडयन्त्र को यहां फैलाने की कोशिश की है। उसी के साथ पंजाब की जनता लड़ रही है। अगर वहां पर साम्प्रदायिक सदभाव मजबूत नहीं होता तो अभी पंजाब में जो मोगा की दुखद घटना हुई है, उन लोगों की नीति के अनुसार धर्म के नाम पर, हिन्दू-सिखों को लड़ाने के लिए कम्यूनिल टेंशन पैदा हो जाता। कुछ राजनीतिक शक्तियों ने उसका

फायदा उठाने के लिए रिलीजन फैंडामेंटल के नाम पर बन्द का आह्वान किया। लेकिन पंजाब में कहीं भी हिन्दुओं और सिखों में कोई झगड़ा नहीं हुआ। यह साबित करता है कि वहां पर साम्प्रदायिक तनाव नहीं है। जो वहां पर खालिस्तान को एक मुद्दा बनाया गया था और बाहर की शक्तियां उसको समर्थन दे रही थीं। आज पंजाब की जनता ने राजीव गांधी के नेतृत्व में और हिन्दुस्तान की देशभक्त जनता ने उसको उभरने नहीं दिया और कनाडा आदि देशों से बातचीत करके वहां के कानूनों में बदलाव लाया गया जिससे वह आन्दोलन आज खत्म हो गया है। आज खालिस्तान को हिन्दुओं और सिखों ने मिलाकर रिजेक्ट कर दिया है'''पंजाब में आज जो टैररिस्टस एक्टीविटीज चल रही हैं वह कुछ उन फ्रस्ट्रेटिड आदमियों की वजह से हैं, जिन्हें बाहर के देशों से सहायता मिलती है, वे ही ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया में जो नई स्थिति बनी है, पाकिस्तान में जिस तरह से पौलिटिकल डैवलपमैंट हुआ है, उसके बाद प्रेजीडैंट रूल में पंजाब के अन्दर जो ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन उभर रही है, उससे लोगों का कांफीडैंस गवर्नमैंट में बढ़ता जा रहा है। पंजाब की पुलिस में जो नया मौरेल पैदा हुआ है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पंजाब में चन्द दिनों में टैररिस्टस मूवमैंट बिल्कुल खत्म हो जायेगा क्योंकि वहां तेजी से गांव के लोगों में मासिव रैसिस्टैंस की भावना पैदा होती जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वह पंजाब की यंगर जैनरेशन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदले जो नासमझी के कारण, इमोशनल तौर पर इस मूवमैंट में आ गए थे, लेकिन आज वे महसूस करने लगें हैं कि उन्होंने गलती की इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके प्रति अपना रवैया बदले, उन्हें माफ कर दे। वहां जो लोग टैररिस्टस का शिकार हुए हैं, उनकी फैमिली के कम से कम एक व्यक्ति को, जो भी इलैजिबिल हो, जौब गारन्टी सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अनएम्पलायमैंट भी पंजाब की यंगर जैनरेशन में फ्रस्ट्रेशन का एक बड़ा कारण है। उसे दूर करने के लिये पंजाब में बड़े पैमाने पर एम्पलायमैंट औपोरटयूनिटीज क्रिएट करनी होंगी। पंजाब में खेती करने वाले किसानों को भरपूर पानी और बिजली का बन्दोबस्त करना होगा। देश की इकौनौमी को स्टैगनैंट करने के लिए, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज लेकर, पंजाब के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार पंजाब में अनएम्पलायमैंट दूर करने, पंजाब की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और पंजाब की एग्रीकल्चरल ग्रोथ के बारे में संजीदगी से विचार करके कुछ ठोस कदम उठायेगी, मैं पंजाब विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं।

**डा० गौरी शंकर राजहंस** (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं एक विशेष अभिप्राय से पंजाब बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक एप्रोप्रिएशन का सम्बन्ध है, इस बजट में जिन-जिन मदों में पैसा मांगा गया है, वह पैसा मिलना ही चाहिए, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। आज यदि कोई पंजाब के बारे में बातें करता है तो उसका दिल भर आता है। उग्रवादियों की इतनी गतिविधियां होने के बावजूद आज भी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लाखों लोग पंजाब में काम कर रहे हैं। भूख की मार उन्हें पंजाब में जाकर नौकरी करने के लिए विवश करती है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में हजारों बिहारी पंजाब में मारे गए हैं, जिनमें मेरी कान्सटीटूऐंसी के भी लोग शामिल हैं, फिर भी लोग भारी संख्या में पंजाब में काम करने के लिए आ रहे हैं। इस समय पंजाब में प्रेजीडैंट रूल है, सरकार को चाहिए कि पंजाब में बिहार, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा आदि प्रान्तों से आए तमाम मजदूरों का एक-एक लाख रुपए का लाइफ इन्श्योरैंस कर दे। उनके नाम पते एक केन्द्रीय रजिस्टर में दर्ज होने चाहिए जिससे यह पता रहे कि कौन कहां काम करता है। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताता हूं कि मुझे अपनी कांस्टीटूऐंसी में आज भी सैंकड़ों पत्र ऐसे मिलते हैं जिनमें लिखा रहता है कि उनका लड़का पिछले तीन-चार सालों से पंजाब में है, अपने घर वापस नहीं आया है। आप

पता लगाएं कि कहीं वह उग्रवादियों के हाथों मारा तो नहीं गया। मेरे पास इस तरह का कोई साधन उपलब्ध नहीं है जिससे मैं यह पता कर सकूं कि कौन कहां काम कर रहा है, इस समय किस हालत में है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले मजदूरों की एक विशेषता है कि वे महत्वपूर्ण पर्व-त्यौहारों पर अपने गांव अवश्य जाते हैं, अपने घर अवश्य जाते हैं। अपने घर जरूर जाते हैं। थोड़ी-सी कमाई करेंगे, तो वे दशहरे के मौके पर या दीवाली में या होली में घर अवश्य जाएंगे। यदि तीन-तीन, चार-चार साल कोई वापस नहीं आता है और कोई पैसा भी घर नहीं भेजता है, तो घर वालों को चिन्ता होना स्वाभाविक है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश होगी कि कोई ऐसा उपाय करें जैसे कि इन लोगों का कम्पलसरी लाइफ इन्श्योरेंस हो जाए। भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए, तो उस हालत में उनके परिवार के लोगों को उचित मुआवजा मिल सके। वैसे पंजाब सरकार एक राज्य सरकार थी, उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी चूंकि पंजाब केन्द्र के अण्डर है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जब तक आदमी बुरे दिन नहीं देखता है, बुरी परिस्थिति नहीं देखता है, तब तक वह समझ नहीं पाता है कि हम कितने समृद्धिशाली हैं, कितने ऐश में हैं। पंजाब के लोग यह महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि गरीबी क्या है। फसल लग जाए और फसल पकने को हो, खड़ी फसल खेत में हो और बाढ़ आ जाए, झोंपड़ी बने और नदी उसे बहाकर ले जाए, फिर बीज गिराया जाए और फसल लगे और फिर बाढ़ उसे बहाकर ले जाए। आज एक शाम किसी तरह खाना चल जाए, अगली शाम क्या खाएंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। गरीबी को यदि अपनी सबसे गिरी हुई अवस्था में देखना है, तो उत्तरी बिहार में देखिए।

सभापति महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उत्तरी बिहार में कुछ लोगों की टोलियां बनाकर भेजें जिससे वे इस बात को महसूस कर सकें कि उनके यहां काम करने वाले जो मजदूर आए हैं, उनकी हालत कितनी दयनीय है और उन्होंने कितनी मेहनत करके पंजाब के लोगों को समृद्धिशाली किया है। एक बात और जब वे यह देखेंगे और समझेंगे कि दूसरे कितनी कठिनाई में हैं, तब उन्हें अपनी समृद्धि का पता चलेगा, वैसे उन्हें अपनी समृद्धि का पता नहीं चलेगा।

महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं—यूरोप और पश्चिम के देशों में ऐसा होता है कि यदि किसी खास रीजन का आदमी दूसरे रीजन में जाकर वहां समृद्धि पैदा करता है, उनके एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट और, इण्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट में सहयोग देता है, तो उस रीजन की सरकार उन मजदूरों के घर पर जाकर उनकी हालत सुधारने में मदद करती है। अभी उत्तरी बिहार में जहां से कि ये मजदूर आए हैं, बाढ़ से लोग पीड़ित हैं और अनगिनत लोग भूकम्प में पीड़ित हुए हैं। अगर पंजाब के लोग कष्टकर वहां जाएं, ऐसे लोग जिनके खेतों में ये मजदूर काम करते हैं, वहां जाएं और उनकी हालत सुधारने में थोड़ा सा योगदान करें, उनकी झोंपड़ी को बनाने में थोड़ा सा सहयोग करें, तो मैं समझता हूं कि वह उनका एक बहुत ही पुनीत कर्तव्य होगा और इससे टैररिस्ट एक्टिविटीज से लोगों का ध्यान हट जाएगा। लोग चैन से जीना सीख लेंगे। यह कार्य चाहे सरकार द्वारा किया जाए या बड़े-बड़े किसानों के द्वारा किया जाए।

महोदय, पंजाब के बारे में और बातों के अलावा कई माननीय सदस्यों ने कई तरह की बातें और कही हैं जैसे अनएम्पलॉयमेंट बहुत है, उद्योग लगने चाहिए जिससे कि यूनिवर्सिटी और कालेज से निकलने वाले लोग टैररिस्ट्स एक्टिविटीज में नहीं लगें। मैं स्वयं महसूस करता हूं कि उद्योग लगने चाहिए लेकिन साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि क्या उनसे गरीबों को रोजगार मिलता है या नहीं। आज

से 3-4 महीने पहले टी० वी० प्रोग्राम बहुत अच्छे होते थे। पिछले एक-डेढ़ महीने से वे सारे प्रोग्राम खत्म हो गए और एक-आध प्रोग्राम यदि दिखाए भी जाते हैं तो बहुत ही घटिया किस्म के। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस देश में टी० वी० एक बहुत ही सशक्त मीडिया है और पंजाब में तो घर-घर में टी० वी० उपलब्ध है। पंजाब में जो ऐलीमेंट हैं, उन पर असर डालने के लिए इफैक्टिव टी० वी० प्रोग्राम बनाए जाएं और कुछ नहीं तो इस देश की जनता को धन्यवाद तो देना ही होगा कि मुट्ठीभर लोगों ने प्रयास किया कि हिन्दू-सिख रायट हो जाए लेकिन वे रायट नहीं हुए। जो इफैक्टिव प्रोग्राम पहले आते थे, उसी तरह के इफैक्टिव प्रोग्राम एक बार फिर से शुरू किए जाएं।

अन्त में मैं कहूंगा कि पंजाब की समस्या केवल पंजाबियों की ही समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है और राजीव जी की सरकार इसका सही अर्थों में समाधान खोजने का प्रयास कर रही है। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम उनके हाथ मजबूत करें जिससे पंजाब की समृद्धि पूरे देश की समृद्धि हो। अभी पंजाब के लोगों ने इस हालत में भी कितना अधिक अनाज देश को दिया। यदि वहां पर शान्ति हो जाए तो अकेले पंजाब से न केवल पूरा देश खा सकता है बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इस समय हमें फारेन एक्सचेंज की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। कभी पंजाब समृद्धि का केन्द्र माना जाता था। हम उम्मीद करते हैं कि फिर से वह शान्ति और समृद्धि का केन्द्र हो जाएगा और जिन लोगों ने पंजाब की समृद्धि में योगदान दिया है, पंजाब उन लोगों को भी देखेगा।

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं एप्रोप्रियेशन बिल के सम्बन्ध में अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे राष्ट्र में पंजाब की समस्या ने एक बार फिर चुनौती प्रस्तुत की है और चुनौती का मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार पूर्ण तौर से कोशिश कर रही है। उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, सब मिल करके पूर्ण कोशिश कर रहे हैं परन्तु हम अभी तक आतंकवाद का मुकाबला करने में पूर्ण तौर से कामयाब नहीं हुए हैं। हमारी जो पुलिस फोर्स है, वह भी बड़े हौसले के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रही है। अब जो सूचनाएं आ रही हैं, वे सूचनाएं यह आ रही हैं कि पुलिस और आतंकवादी—दोनों का मुकाबला हो रहा है और उसमें आतंकवादियों के बड़े-बड़े जो नेता हैं, वे मारे जा रहे हैं और पुलिस भी इसकी शिकार हो रही है परन्तु इसके बारे में यह देखने की आवश्यकता है कि हम इस प्रकार के आतंकवाद को किस प्रकार समाप्त करें। इसको समाप्त करने के लिए हम कितना भी बल का प्रयोग करें, कितनी भी शक्ति का प्रयोग करें, उनसे इस समस्या का पूर्ण तौर पर निदान नहीं हो सकता और इसके निदान के लिए जरूरत है कि जो राजीव-लोंगोवाल समझौता हुआ था—वहीं एक उसका निदान है, वही एक उसका उपाय है और वही उसका एक हल है।

राजीव-लोंगोवाल समझौते को सभी पार्टियां मानने के लिए तैयार हैं, परन्तु अकाली दल मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इस स्थिति को हरियाणा की देवीलाल सरकार भी मानने को तैयार नहीं है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार की स्थिति बन जाए जिससे देवीलाल भी इस बात को स्वीकार कर लें कि राजीव-लोंगोवाल समझौते के अनुसार वह भी कुछ झुक जाएं और अकाली दल भी कुछ झुक जाए और झुककर कोई समझौता हो। समझौता किस प्रकार किया जाए, किन से बात की जाए ? आतंकवादियों से बात की नहीं जा सकती, कांस्टीट्यूशन के अन्दर अगर वे बात करना चाहें तो उनसे बात की जा सकती है; यह भी हमारी गवर्नमैंट मानने के लिए तैयार है, हम अकाली दल के नेताओं से भी बात करने के लिए तैयार हैं, परन्तु बातचीत करने के लिए इस प्रकार का अभी तक

कोई वातावरण नहीं बना है। यह उपाय करने की आवश्यकता है कि हमारे देश की सभी पार्टियां एकत्रित होकर इस राष्ट्रीय मसले को हल करने का प्रयास करें।

इस सबके उपरान्त भी हमारे पंजाब की उन्नति हुई है, तरक्की हुई है। विकास के क्षेत्र में, 20-सूत्री कार्यक्रम में भारत में वह प्रथम है। कृषि उत्पादन में प्रथम रहा है, औद्योगिक उत्पादन में भी सारे देश में यह प्रदेश आगे है। इस प्रकार के तनाव और आतंकवाद की गतिविधियों के होते हुए भी काम जिस प्रकार से चलना चाहिए, वह साधारण ढंग से चल रहा है। जनता अपना रोजाना का कार्य बराबर कर रही है। यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। अभी स्थिति यह भी नहीं है कितना माइग्रेट करे। उस स्थिति को भी जनता ने अभी नहीं अपनाया है। बराबर आतंकवाद भी चल रहा है, कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है और एक अच्छी स्थिति बनी हुई है।

मोगा किलिंग्स में जो साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया गया है, वह साम्प्रदायिक तनाव भी सम्भव नहीं हुआ है। मैं इसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस मामले में हमारा बहुत सहयोग किया है जिससे हिन्दू और सिखों में किसी प्रकार का तनाव नहीं हो। स्थिति यह बनी हुई है कि साम्प्रदायिक तनाव किसी प्रकार का पैदा न हो। जनता भी इसके लिए मजबूत है और सारी पार्टियां भी इसके लिए सहयोग दे रही हैं और एक बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। खालिस्तान की मांग को हम किसी भी तरीके से मंजूर नहीं कर सकते हैं। जो रैंज्यूलेशन आनन्दपुर साहब में प्रस्तुत हुआ है, उसको हम मंजूर नहीं कर सकते हैं। आनन्दपुर प्रस्ताव के बारे में हमारी गवर्नमैंट ने शुरू में कुछ कमजोर नीति दिखाई, जिसके कारण उनके हौसले बढ़े। जब आनन्दपुर साहब प्रस्ताव पास किया गया उसी समय यदि हम विरोध करते तो खालिस्तान की मांग ही नहीं बढ़ती। परन्तु उस समय हमने सख्त कदम नहीं उठाया। उस समय जो प्रस्ताव आनन्दपुर साहब में स्वीकृत हुआ, उस समय जनता पार्टी का राज्य था और उसी के राज्य में यह प्रस्ताव पास हुआ और समय जो विरोध किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। इसीलिए यह स्थिति बनी है। अब हमारी सरकार आनन्दपुर साहब प्रस्ताव को किस तरह मान सकती है? इससे हमारे राष्ट्र के टुकड़े होते हैं, खालिस्तान बनता है और हमारे राष्ट्र की एकता को बाधा पहुंचती है। हम आनन्दपुर प्रस्ताव को किसी भी सूरत में मान नहीं सकते।

अनइम्पलायमेंट के बारे में हमारे साथियों ने बहुत कुछ कहा। यह बेरोजगारी की समस्या यूं तो सारे देश में है लेकिन पंजाब में इस समस्या की तरफ हमें खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां हमने आतंकवाद का मुकाबला करना है। इसके लिए केन्द्र सरकार को अधिक से अधिक इनवैस्टमेंट करना चाहिए। मन्त्री महोदय हमें स्पष्ट रूप से यह बतायें कि इस पर पहले कितना खर्चा किया गया है और अब वह और कितना खर्च करने जा रहे हैं? हमें ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिससे वहां के नवयुवक आतंकवाद की तरफ आकर्षित न हो सकें। देखने में आया है कि नौकरी आदि न मिलने की वजह से ही वे लूटमार और चोरी-डकैती करनी शुरू कर देते हैं। इनसे उनको जो लाभ होता वह अस्थाई होता है, लेकिन वह यह समझने लग जाते हैं कि यह कार्य बहुत अच्छा है और इसमें हमें बहुत लाभ होता है। ऐसे में हमें उनके दिमागों में परिवर्तन करना चाहिए और यह परिवर्तन उनको सर्विस देकर ही किया जा सकता है।

श्री भाटिया जी ने जो सुझाव दिए मैं उन सबका समर्थन करता हूं। जो नौजवान गलत कार्यों में फंस गये हैं और जिनका खालिस्तान बनाने का कोई इरादा नहीं है ऐसे में अगर वह हथियार छोड़

कराने के लिए तैयार हैं तो उनके हथियार जमा किए जाने चाहिएं। ऐसा करने के बाद आप उनको नौकरी देने का प्रबन्ध करें जिससे वह फिर से कोई गलत रास्ता न पकड़ सकें। इस सुझाव पर केन्द्रीय सरकार अवश्य गौर करे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें इस आतंकवाद की समस्या को हल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें राष्ट्र की एकता को मजबूत करना है और जो शक्तियां राष्ट्र की एकता को नुकसान पहुंचाती हैं उन शक्तियों का कड़ाई के साथ व मजबूती के साथ मुकाबला करना है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री एल० ढोम्बी सिंह** (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं पंजाब बजट का समर्थन करता हूं। यह अत्यन्त दुःख की बात है कि देश के इतने विकसित राज्य में अभी भी अशान्ति है; और इसलिए इस राज्य के बजट और वित्तीय प्रस्तावों पर इस सदन में चर्चा करनी है और इन्हें पारित करना है।

उस राज्य की कठिन एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कृषि, उद्योग और खेल जैसे अन्य क्षेत्रों में पंजाब अभी भी देश के अन्य भागों से आगे है। हमें पंजाब की जनता से बहुत कुछ सीखना है। पंजाब समस्या के बहुत से पहलू हैं। राजनीतिक तथा विद्रोह सम्बन्धी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। पंजाब का विद्रोह एक प्रकार से अनोखा है। मेरा सम्बन्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र से है और विशेषकर मणिपुर राज्य के उस भाग से जो नागालैंड और मिजोरम के निकट है जहां विशेष प्रकार का विद्रोह हुआ है। देश ने, पुलिस दल ने और सभी उपलब्ध एजन्सियों ने इसके समाधान के उपाय किए हैं, परन्तु पूरी तरह से इसका समाधान नहीं हुआ है, किन्तु कुछ समाधान सम्भव हुआ है।

हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने सम्भवतः पंजाब राज्य की स्थिति को गलत समझा है। सम्भवतः वे ऐसा ही नाटक करना चाहते हैं जैसाकि 1971 में बंगलादेश में हुआ।

वहां की स्थिति बिल्कुल अलग है। वे एक समुदाय को दूसरे के साथ और एक समुदाय के एक भाग को दूसरे के साथ लड़ाना चाहते थे। सम्भवतः यह इस स्थिति की बहुत गलत आकलन है और अभी भी नई सरकार बनने और नए प्रधान मंत्री की नियुक्ति और ऐसे वक्तव्यों के बावजूद—जो किसी हद तक उत्साहजनक हैं—कि वे अब बागियों को प्रशिक्षण नहीं देंगे और पंजाब में खालिस्तान समर्थकों को धन और शस्त्र नहीं भेजेंगे, और भी पूरे साक्ष्य के साथ यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान अभी भी किसी न किसी प्रकार से इस मामले से सम्बद्ध है और वे अपने भागीदारी के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है। इसके बावजूद हम आशा करते है कि निश्चय ही इसका समाधान शीघ्र होगा।

अपने क्षेत्र के थोड़े से अनुभव से मैं कह सकता हूं कि विद्रोह की समस्या और आतंकवाद की समस्या का समाधान सक्रिय राजनीतिज्ञों के आतंकवादियों से अलग होने से होगा। मैं नहीं जानता हूं कि आज राजनीतिज्ञ इनसे कितने जुड़े हुए हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम; ऐसे राजनीतिक दलों का नाम जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं यदि वे सभी नहीं फिर भी थोड़े से नेता सम्बद्ध हैं और उन अपराधियों अथवा आतंकवादियों के साथ काम करते हैं जिन्हें आपराधिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और जिससे अमानुषिक गतिविधियां हो सकती हैं। अतः मैं अकाली दल

जैसे सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि खालिस्तान के सम्बन्ध में उनके विचार क्या हैं जो अभी तक वे स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए हैं। वे सदन में कुछ और सार्वजनिक मंचों पर कुछ कहते हैं और दूसरी ओर वास्तव में आतंकवादियों और भूमिगत लोगों विशेषकर खालिस्तान समर्थकों से मिले हुए होते हैं। इस बात को रोका जाना चाहिए।

जब मुझे इससे पूर्व कुछ वाद-विवादों में पंजाब पर बोलने का अवसर मिला तो मैंने कहा था कि पुलिस कार्यवाही आवश्यक है और वह भी उचित प्रशिक्षण और उचित लक्ष्य के साथ। किन्तु यह समाधान का एक साधन है। यह एक साधन है और इस उद्देश्य से मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार को खोज और पूछताछ जारी रखनी चाहिए, क्योंकि वे अनुभव से सीखते हैं। पुलिस कर्मी भी अनुभव से सीखते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस की कार्यवाही के दौरान कम से कम निर्दोष व्यक्तियों को परेशान न किया जाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मेरे अनुभव से सेना और फिर पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों ने कार्यवाही से, अपने अनुभव से सीखा है और उन्हें अपने अनुभव से लाभ हुआ। इसी प्रकार पंजाब में भी पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि पुलिस ने अच्छा और प्रभावशाली काम किया है और वे अब स्थिति को नियन्त्रण में रख सकते हैं और निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा है। वे जनता की परेशानी को कम कर सकते हैं। वे अपने लक्ष्य—आतंकवादियों का बहिष्कार अथवा आतंकवादियों को पकड़ने अथवा वास्तविक रूप से भूमिगत गतिविधियों से सम्बद्ध लोगों को पकड़ने के लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। अतः इस काम में उन्हें निर्दोष लोगों की परेशानी को कम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि वर्तमान राज्यपाल श्री रे के नेतृत्व में पंजाब सरकार ऐसा कर रही है और मैं समझता हूं कि स्थिति में सुधार होगा; और यह काम जारी रहना चाहिए।

मैं और एक पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं कि पंजाब की अपनी कुछ विशेषताए हैं, जैसे कृषि, और फिर वहां के लोगों का औद्योगिक गतिविधियों, खेल-कूद के प्रति प्यार और सबसे बढ़कर शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने की इच्छा। जहां कहीं भी शिक्षित युवा बेरोजगार हैं वे आसानी से आतंकवादियों और विद्रोही गतिविधियों के चुंगल में फस जाते हैं। अतः इन युवकों को, और ऐसे अशिक्षित युवा वर्ग को भी जो औद्योगिक काम कर सकते हैं आतंकवादियों के प्रलोभन से दूर रखने के लिए, इन्हें उद्योगों और कृषि में उचित काम उपलब्ध कराना है। शेष देश में भी यही स्थिति है। मेरे क्षेत्र का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए जहां शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। इससे सरकार के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि ये युवक अच्छे या बुरे कारणों, पर्याप्त या अपर्याप्त कारणों से शस्त्र उठा लेते हैं। उदाहरणतः त्रिपुरा में विद्रोहियों की समस्या का समाधान तब हो सका जबकि हमारे सक्रिय राजनीतिज्ञों ने अपने आपको भूमिगत लोगों के साथ सम्बद्ध नहीं किया और हमारी सरकार ईमानदारी से न केवल चिल्लाने से किन्तु ईमानदारी से पुनर्वास कार्यक्रमों द्वारा टी० एन० वी० समस्या का समाधान कर रही है। नागालैंड और मिजोरम की भी यही स्थिति है।

पंजाब में कुछ युवक ऐसे होंगे जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इन गतिगिधियों में अभी-अभी शामिल हुए। इन्हें क्षमा दान दिया जाना चाहिए। जिन्हें क्षमा किया गया है उनका उचित पुनर्वास किया जाना चाहिए और इससे विद्रोही समस्या में काफी सहायता मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार इस प्रणाली को काम में लाए।

इन शब्दों के साथ मैं पंजाब बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि शीघ्र ही

पंजाब में शान्ति हो ताकि फिर से पंजाब में सामान्य प्रशासन, विधानमण्डल और जनता की सामान्य गतिविधियां आरम्भ हों।

[हिन्दी]

**श्री अजीज कुरेशी** (सतना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया है। मैं पंजाब से सम्बन्धित मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति जी, पिछले कई सालों से हर साल लोक सभा के जरिए हम पंजाब के बजट को पास करते आए हैं और मेरे लिए यकीनन ही कोई खुशी की बात नहीं है। हम चाहते हैं, जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा ऐसा ख्याल है कि देश की अधिकांश जनता चाहती है, हर अमन पसन्द हिन्दुस्तानी चाहता है कि यह बजट बजाय लोकसभा पास करे, वह दिन जल्दी आए जब पंजाब के चुने हुए नुमाइन्दे इस बजट को हर साल पास किया करें। हम सबकी दुआ है, प्रार्थना है कि भगवान वह दिन, अल्ला-ताला वह दिन जल्दी लेकर आए।

यहां पर बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं उन बातों को दाहरा कर आपका और सदन का समय खराब नहीं करूंगा। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जैसाकि अभी कहा गया है, कि पुलिस का रोल उग्रवादियों के प्रति किस तरह होना चाहिए? इस सम्बन्ध में मेरे साथियों ने अपने विचार यहां प्रकट किए। मेरा ऐसा ख्याल है कि पंजाब की पुलिस को और जो लोग वहां पुलिस की बागडोर अपने हाथ में सम्भाले हुए हैं, जब उग्रवादियों से डील करें, उग्रवादियों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करें, एन्काउन्टर या दूसरे प्रशासन के मामले हों, उनको डील करें, तो उनके दिमाग में एक बात साफ होनी चाहिए कि पंजाब की समस्या में उग्रवादी और आम मुजरिम इन दोनों में एक बुनियादी अन्तर है। चोरों, डाकुओं, गुंडों से डील करना एक अलग बात है मगर उग्रवादियों से डील करना उससे बिल्कुल एक अलग बात है। इस बनियादी फर्क को सामने रखकर अगर हम इस समस्या को डील करने की कोशिश करें तो यकीनन नुमायां असरात हमारे सामने आएंगे।

सभापति जी, उग्रवाद और फिरकापरस्ती आज पंजाब में अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है और यह लड़ाई पंजाब की ही नहीं बल्कि सारे देश की उग्रवादी ताकतों, फिरकापरस्त ताकतों की आखिरी लड़ाई है। क्योंकि आज पंजाब की जनता ने इस बात का फैसला कर लिया है कि उसे पंजाब के कौने-कौने में उग्रवाद का मुकाबला करना होगा। वहां एक कल्चर, एक नयी तारीख उभर रही है और उस तारीख के निर्माण में, उसके इतिहास के लिखे जाने में हर हिन्दुस्तानी को अपना योगदान यकीनों तौर पर देना होगा।

सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा, जैसाकि अवाम में कहा गया कि सरकार के द्वारा उग्रवादियों के प्रति कुछ अमेनेस्टी दिखानी है, यकीनन यह बहुत अच्छा सुझाव है और मेरे ख्याल से सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना होगा।

सभापति जी, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। जिसमें रूस और अफगानिस्तान की समस्या का जिक्र किया गया था। यह एक विदेशी के द्वारा लिखा गया था जिसमें कहा गया है कि रूस ने जितनी धनराशि वहां लड़ाई पर खर्च की, टैंकों और गोलाबारी पर खर्च की, अगर उतनी धनराशि की वह दवाईयां, कम्बल, गल्ला और दूसरी कंज्युमर चीजें अफगानिस्तान में पहुंचा देता तो रूस की

वहां बहुत ज्यादा पापुलेरिटी होती और अफगानिस्तान में उसके असरात बहुत अच्छे होते। मेरा ख्याल है पंजाब के बारे में भी हम ऐसी नीति अपना लें कि पुलिस के साथ-साथ अगर हम एक साइक्लोजिकल एटमास्फिअर भी वहां बनाने की कोशिश करें तो शायद उग्रवाद का सफाया हम जल्दी कर पायेंगे।

सभापति जी, एक खास बात और है जिसके लिए हमें एजूकेट करना है, पब्लिक ओपिनियन बनानी है वह यह है कि वहां के लोगों को यह बताना है कि मजहब या धर्म कभी भी दुनिया के किसी हिस्से में लोगों को एक बनाने वाले, लोगों को एक करने वाले कभी नहीं रहे। रिलीजन डेज नेवर बीन ए रेलिंग फोर्स। मैं जब यह कहता हूं तो मेरे सामने दुनिया की सारी तारीख है। संसार के सारे अरब मुल्कों का धर्म एक है, लेंगुएज एक है, कल्चर एक है, जबान एक है, क्लाईमेट एक है लेकिन इन सबके बावजूद, ये सब बातें भी दुनिया के अरब मुल्कों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर पायीं। सबकी लड़ाई एक-दूसरे के साथ होती रही। जब मैं यह कहता हूं तो मेरे सामने ईरान, इराक की लड़ाई है जिसने दुनिया में जितनी तबाही मचाई है उसको यहां कहने की आवश्यकता नहीं है। हिन्दुस्तान और नेपाल दोनों मुल्कों के सम्बन्ध हमारे सामने हैं। हिन्दुस्तान में करोड़ों हिन्दु रहते हैं, नेपाल का सरकारी मजहब हिन्दुइज्म है। लेकिन जब हमारे ऊपर चीन ने हमला किया, पाकिस्तान ने दो बार आक्रमण किए तो नेपाल ने कभी भी भारत के पक्ष में एक शब्द नहीं कहा, न कभी उसको सपोर्ट किया। बल्कि उससे भी हटकर चीन से हमारी लड़ाई के बाद उसने चीन से समझौता किया, पाकिस्तान से लड़ाईयों के बाद उसके दूसरे एग्रीमेंट हुए। यह हमारे सामने हैं।

पंजाब के अन्दर जो हमारे सिख भाई हैं, जो नौजवान लोग हैं उनके मन के अन्दर हमें इन भावनाओं को जगाना होगा कि धर्म के नाम पर संसार की कोई समस्या हल नहीं हो पायी। यह केवल मानव की आर्थिक और मानसिक जरूरियात को पूरा करने से होगी। तब जाकर नए समाज की स्थापना, नई सुबह का इस्तकबाल हम किसी देश में, किसी मुल्क में, किसी सूबे में कर पाएंगे। मैं जब यह कहता हूं तब मुझे खलील जिबरान की एक बात याद आती है, उन्होंने कहा है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सूरज की रोशनी में आंखों को मून्द कर, आखें बन्द करके सो जाते हैं और रात के घटाटोप अन्धेरे में जागते रहते हैं और जागकर नए वक्त का इन्तजार करते हैं। तो इस दुनिया में आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो फिरकापरस्ती के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति-पाति के नाम पर हिन्दुस्तान के करोड़ों अवाम को सूरज की रोशनी में आंखें मून्दने वाला रास्ता दिखाते हैं और रात के अन्धेरे में उनको जगाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की जनता उन लोगों के गुमराह करने के रास्ते में नहीं आएगी, उस रास्ते को बरदाश्त नहीं करेगी और और नई तारीख मुल्क में लिखी जाएगी और सिर्फ आर्थिक नीतियों की बुनियाद पर नया हिन्दुस्तान जन्म लेगा, नया पंजाब हमारे सामने आएगा, उसके आगे हम सब लोग मिलकर उसका इस्तकबाल करेंगे। मैं उस आने वाली सुबह की कामना करते हुए, दुआएं करते हुए इन मांगों का समर्थन करता हूं और साथ ही भारत के प्रधानमन्त्री राजीव गांधी पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब के अधिकारियों के प्रति पूरी श्रद्धा प्रकट करता हूं, जिन्होंने पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ समस्या को हल करने की कोशिश की है।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** (बारामूला) : चेयरमैन साहब, मैं चन्द मिनटों में इस विषय पर अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। मुझे मालूम है कि वक्त नहीं है। हमारे सामने पंजाब का बजट है और मैं न सिर्फ इस बजट की ताईद करता हूं, हिमायत करता हूं, बल्कि यह कहने जा रहा हूं कि पंजाब की मुश्किलात के लिए इससे दुगना बजट बनाया जाए तो उसकी भी हिमायत करूंगा।

पंजाब में हालात खराब हैं, लेकिन दहशतगर्दी के बावजूद, टेररिजम के बावजूद हिन्दू भाइयों में और सिक्ख भाइयों में अन्दर की शक्ति कमजोर नहीं हुई है। हमारे सामने पंजाब की हाल की तारीख है जहां कई मौके मिले जिनमें सिक्ख भाइयों ने अपने हिन्दू भाइयों के लिए कुर्बानी की, इसी तरह से हिन्दू भाइयों ने सिक्ख भाइयों के लिए कुर्बानी पेश की। मुझे इस विषय के साथ इत्तेफाक है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, चाहे वह पंजाब में हों, जम्मू कश्मीर में हों या कहीं हों, इसलिए दहशतगर्दी का मुकाबला करने की मरकजी सरकार ने बड़ी कोशिश की है और सारी पोलीटिकल पार्टीज का यह उसूल होना चाहिए कि दहशतगर्दी का आतंकवाद का, कम्युनलिजम का सारे मुल्क को डटकर मुकाबला करना है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि पंजाब की बहुत सी सियासी जमातें हैं, जिनको अंग्रेजी में पोसीटिकिंग कहते हैं इस तरह का रवैया अपनाया है और इसी वजह से पंजाब का आतंकवाद और दरशतगर्दी रोकी नहीं जा सकी और इसके कुछ शोले जम्मू कश्मीर तक भी फैली हैं। हालांकि मैं यह मानता हूं कि जम्मू कश्मीर अब भी सारे देश में पुरअमन रियासत है, इक्का-दुक्का वाकयात होते हैं, वे भी उन लोगों द्वारा जिनको जनता ने शिकस्त दी है, रिजेक्ट कर दिया है, वे किसी बहाने से ताकत पाना चाहते हैं।

हाल में आपने देखा कि एक जियारत में घुसकर वहां होलीरेलिक को तीसरी मंजिल में रखा, ताकि लोग उठें, उन्होंने कोशिश की। आज जीरो आवर में हमारे साथी ने यह बात कही, बड़ी गलत बात कही कि वह होलीरेलिक नकली है, यह गलत बात है। अभी तीन दिन पहले दूरदर्शन के नेशनल प्रोग्राम में रेडियो कश्मीर—श्रीनगर से ऐलान हो गया, हजारों लोगों ने होली रेलिक देखी। मैं कहने जारहा था कि जो सियासतदान जम्मू कश्मीर में बगैर वोट के सत्ता पर झपटने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिलेगी। लोगों ने अपनी मर्जी से कांग्रेस आई और नेशनल कांफ्रेंस के इत्तेहाद को कुबूल किया है। वह एक इलैक्टेड हुकूमत है जो वोट से आई है, उसको वोट से ही हटाया जा सकता है। एक महल्ले में मौलवी फारूक रहते हैं। वे उस महल्ले में गड़बड़ करवाते रहते हैं। असल में जो फंडामेंटलिस्ट हैं चाहे वे लोग हैं जिनको ताकत वोट से नहीं मिलेगी लेकिन वे गड़बड़ करना चाहते हैं और नौजवानों को उकसाना चाहते हैं। मेरी एक फरियाद होगी कि पंजाब या जम्मू-कश्मीर में जहां भी बेरोजगार नौजवान हैं, वहां एक भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए क्योंकि इन बेकार नौजवानों को सियासतदां अन्दर से उकसाते हैं अपनी सियासतगिरी के लिए इसीलिए खराबी पैदा हो रही है। जम्मू-कश्मीर के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, मरकजी सरकार को नोटिस लेना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला रियासत की वहदत हैं, उसकी एक इलामत हैं। जहां तक देशभक्ति और नेशनेलिज्म का ताल्लुक है फारूक अब्दुल्ला से बेहतर लीडर और नहीं हो सकता। इसलिए, वहां जो कुछ हो रहा है, उसका मरकजी सरकार को नोटिस लेना चाहिए कि कैसे दहशतगर्दी के छोटे-मोटे वारदात हो रहे हैं। हालांकि अभी अमनो-आमान है। जीरो-आवर में कहा गया कि ला एण्ड आर्डर का मसला है। कोई भी मसला हो लेकिन इक्तसादी मसला है, सनतों की कमी का मसला है, ट्रांसपोर्ट और बिजली की कमी का मसला है जिसके लिए वहां के सियासतदां अपनी सियासतगिरी के लिए नौजवानों को उकसाना चाहते हैं। मरकजी सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि चाहे पंजाब का फण्ड हो बेरोजगारी दूर करने के लिए या इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट के लिए, लेकिन जम्मू-कश्मीर पर भी नजर रखनी चाहिए। वहां पर अमनो-आमान तो है लेकिन सियासतगर फसादात करने की कोशिश करते हैं। वे बड़ी साजिश में लगे हैं और आइने हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन हरकतों को मजम्मत करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जम्मू-कश्मीर की तरक्की के लिए, पंजाब की इक्तसादी समस्या को खत्म करने के लिए कोई सियासी हल ढूंढने का प्रयत्न करें।

[ پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولا) : چیرمین صاحب میں چند منٹوں میں اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وقت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے پنجاب کا بجٹ ہے اور میں نہ صرف اس بجٹ کی تائید کرتا ہوں، حمایت کرتا ہوں بلکہ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ پنجاب کی مشکلات کے لیے اس سے دگنا بجٹ بنایا جائے تو اس کی بھی حمایت کروں گا۔

پنجاب میں حالات خراب ہیں لیکن دہشت گردی کے باوجود ٹیررازم کے باوجود ہندو بھائیوں میں اور سکھ بھائیوں میں اندر کی شانتی کمزور نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے پنجاب کی حال کی تاریخ ہے جہاں کئی موقع ملے جن میں سکھ بھائیوں نے اپنے ہندو بھائیوں کے لیے قربانی کی اس طرح سے ہندو بھائیوں نے سکھ بھائیوں کے لیے قربانی پیش کی۔ مجھے اس موضوع کے ساتھ اتفاق ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا چاہے وہ پنجاب میں ہو، جموں و کشمیر میں ہوں یا کہیں اور ہوں اسلئے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی مرکزی سرکار نے بڑی کوشش کی ہے اور ساری پالیٹیکل پارٹیز کا یہ اصول ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کا آتنک واد کا کمیونزم کا سارے ملک کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے لیکن میں پھر بھی مانتا ہوں کہ پنجاب کی بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو انگریزی میں پالیٹیکنگ کہتے ہیں اس طرح کا رویہ اپنایا ہے اور اسی وجہ سے پنجاب کا آتنک واد اور دہشت گردی روکی نہیں جا سکی اور اس کے کچھ گولے جموں کشمیر تک بھی پھیلی ہیں۔ حالانکہ میں یہ مانتا ہوں کہ جموں کشمیر میں اب بھی سارے

دلیلیں ہیں پرامن ریاست ہے اکا دکا واقعات ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ذریعہ جن کو جنتا نے شکست دی ہے ریجیکٹ کر دیا ہے وہ کسی بہانے سے طاقت پانا چاہتے ہیں۔

حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ زیارت گاہ میں گھس کر وہاں سے ہولی ریلک کو تیسری منزل میں رکھا تا کہ لوگ اٹھیں انہوں نے کوشش کی۔ آج زیر داد میں ہمارے ساتھی نے یہ بات کہی بڑی غلط بات کہی کہ وہ ہولی ریلک نقلی ہے یہ غلط بات ہے۔ ابھی تین دن پہلے دوردرشن کے نیشنل پروگرام میں ریڈیو کشمیر سری نگر سے اعلان ہو گیا ہزاروں لوگوں نے ہولی ریلک دیکھی۔ میں کہنے جا رہا تھا کہ جو سیاست دان جموں کشمیر میں بغیر ووٹ کے ستا پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے کانگریس آئی اور نیشنل کانفرنس کے اتحاد کو قبول کیا ہے۔ وہ ایک الیکٹڈ حکومت ہے جو ووٹ سے آئی ہے اسکو ووٹ سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ ایک محلے میں مولوی فاروق رہتے ہیں۔ وہ اس محلے میں گڑبڑ کراتے رہتے ہیں۔ اصل میں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں چاہے وہ لوگ ہیں جن کو طاقت ووٹ سے نہیں ملے گی لیکن وہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں اور نوجوانوں کو اکسانا چاہتے ہیں۔ میری یہ ایک فریاد ہو گی کہ پنجاب یا جموں کشمیر میں جہاں بھی بے روزگار نوجوان ہیں وہاں ایک بھی بے روزگار نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ان بے کار نوجوانوں کو سیاست دان اندر سے اکساتے ہیں اپنی سیاست گری کے لیے اسلیے خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ جموں و کشمیر کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں مرکزی سرکار کو نوٹس لینا چاہیے۔ فاروق عبداللہ ریاست کی وحدت ہیں اسکی ایک

علامت ہیں۔ جہاں تک دیش بھگتی اور نیشنلزم کا تعلق ہے فاروق عبداللہ سے بہتر لیڈر اور نہیں ہو سکتا۔ اسلیے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کارکردگی سرکار کو نوٹس لینا چاہیئے کہ کیسے دہشت گردی کے چھوٹے موٹے واردات ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی امن وامان ہے۔ زیرو آور میں کہا گیا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو لیکن اقتصادی مسئلہ ہے صنعتوں کی کمی کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ اور بجلی کی کمی کا مسئلہ ہے جس کے لیے وہاں کے سیاست دان اپنی سیاست گری کے لیے نوجوانوں کو اکسانا چاہتے ہیں۔ مرکزی سرکار سے درخواست کروں گا کہ چاہے پنجاب کا فنڈ ہو بے روزگاری دور کرنے کے لیے یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے لیکن جموں وکشمیر پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ وہاں پر امن وامان تو ہے لیکن سیاست گر فسادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بڑی سازش میں لگے ہیں اور آئین حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان حرکتوں کی مذمت کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جموں وکشمیر کی ترقی کے لیے پنجاب کی اقتصادی سمیا کو ختم کرنے کے لیے کوئی سیاسی حل ڈھونڈنے کا پرتین کریں۔

**श्री मोहम्मद अयूब खां** (ऊधमपुर) : चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूं कि आपने इस मामले पर ख्यालात इजहार करने की इजाजत दी। जातितौर पर मुझे खुशी नहीं कि पंजाब का बजट हम पास कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि वह दिन जल्द आए जब पंजाब के लोग खुद अपना बजट पास करें। जो सूरतेहाल पैदा हो गई है, उससे हमें निपटना है। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता जा रहा है, ये जो आतंकवाद है, यह तशदुद आमेज हरकात हैं इनकी सूरत भी बदलती जा रही है। नक्सलबाड़ी तहरीक शुरू हो गई, इस्टर्न रीजन में भी तहरीकें शुरू हो गई, उसके बाद पंजाब में और अब कश्मीर में इस किस्म की (एक्टीविटीज) हरकात शुरू हो गई हैं और हमें बहुत से तजुर्बात हासिल हुए हैं कि किस तरह इस किस्म के वाक्यात में हमें नबरूदद-आजमा होना है।

5.54 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरी गुजारिश होगी कि हमें वक्तन-फक्तन रिव्यू करना चाहिए कि किस तरह हम टैरोरीज्म का मुकाबला एक इमेजिनेटिव तरीके से करें। टैरोरीज्म सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं है बल्कि तमाम दुनिया में एक फिनोमिना है। हमें भी अपनी अपने हालात के मुताबिक इससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इस बात का कोई शक-शुबहा नहीं कि आज हिन्दुस्तान के तमाम लोगों ने फिरकापरस्ती और फंडामेंटेलिज्म को रद्द कर दिया है। ख्वाह काश्मीर हो, पंजाब हो या हिन्दुस्तान का कोई दूसरा हिस्सा हो, सूरत यह है कि जम्मू-काश्मीर भी पंजाब के बिल्कुल साथ मिलता है इसलिए जो खतरात आज पंजाब को हैं वही खतरा आज जम्मू-काश्मीर को भी लाहक हो रहा है। जैसे मेरे साथी सोज साहब ने कहा। आज वहां पर भी फिरकापरस्त हमारी कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाते हुए वहां के नौजवानों को उकसाना चाहते हैं ताकि वहां आतंकवाद शुरू हो जाये। मैं केन्द्रीय सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि हमारी प्राब्लम्स को हमदर्दाना तौर पर देखें, वही असली प्राब्लम्स हैं। हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन जो स्पेशल केटेगरी स्टेट्स के साथ रवैया रखा गया है वह हमारे साथ नहीं है। मसलन हमें सत्तर फीसदी लोन दिया जाता है और तीस फीसदी ग्रांट दी जाती है, जबकि बाकी विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को नब्बे फीसदी ग्रांट दी जाती है और दस फीसदी लोन दिया जाता है। आज एक तरफ हम फिरकापरस्त ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं और वहां हमारे बम विस्फोट होते हैं तो दूसरी तरफ हमारे सामने एक मसतमा है कि हमारे बजट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का गैप हो रहा है जिससे हम निपट नहीं सकते। इसलिए केन्द्र सरकार हमारी मदद करे। आपको कंसाइनमेंट लेवी और दूसरी चीजों को देखना है कि उसका असर जम्मू-काश्मीर पर क्या होगा। हमारे मींस आफ कम्यूनिकेशन्स को देख लीजिए, हमारे रास्ते दस-दस दिन बन्द हो जाते हैं। इसलिए हम महज रिफ्रैशन से आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते। पंजाब में आपने नये कारखाने खोले और वहां के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया, हमें इस बात की खुशी है। लेकिन हमारे यहां पब्लिक सैक्टर के लिए 76 हजार करोड़ रुपया दिया है और उसका .01 पर्सेंट का खर्च हमारे यहां हो रहा है। इसलिए हमारे पब्लिक सैक्टर में रोजगार का जरिया नही है। मैं यह बात महज चुनाव के लिए नहीं कहता, अपने वोटरों के लिए नहीं कहता कि वह खुश हो जायेंगे। यह इनसानी मसला है जम्मू-काश्मीर का और वहां पर एक तरफ लद्दाख के लोग चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ जम्मू के लोग चिल्ला रहे हैं और काश्मीर के लोगों के अपने मसाइल हैं। मैं केन्द्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह इन मसाइलों को हमदर्दी से देखे और उनका हल निकाले और एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाये जिससे पंजाब के हालात के साथ-साथ काश्मीर के हालात भी बेहतर हों।

[شری محمد ایوب خاں (ادھم پور) : چیرمین صاحب

میں آپ کا بہت شکر گذار ہوں کہ آپ نے اس معاملے پر خیالات کا اظہار کرنے کی اجازت دی۔ ذاتی طور پر مجھے خوشی نہیں کہ پنجاب کا بجٹ ہم پاس کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ وہ دن جلد آئے جب پنجاب کے لوگ خود اپنا

بجٹ پاس کریں۔ جو صورت حال پیدا ہوگئی ہے اس سے ہمیں نپٹنا ہے۔ جوں جوں وقت گذرتا جا رہا ہے یہ جو آتنک واد ہے یہ تشدد آمیز حرکت ہیں ان کی صورت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ نکسلوادی تحریک شروع ہوگی ایسٹرن ریجن میں بھی تحریکیں شروع ہوگئی اس کے بعد پنجاب میں اور اب کشمیر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز حرکات شروع ہوگئی ہیں اور ہمیں بہت سے تجربات حاصل ہوئے ہیں کہ کس طرح اس قسم کے واقعات سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے۔

..... (ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھا سین ہوگئے۔) ......

میری گذارش ہوگی کہ ہمیں وقتاً فوقتاً ریویو کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم ٹیرازم کا مقابلہ ایک ایفیکٹیو طریقے سے کریں۔ ٹیرازم صرف ہندوستان میں نہیں ہے بلکہ تمام دنیا میں ایک فنومنا ہے۔ ہمیں بھی اپنے اپنے حالات کے مطابق اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا کوئی شک وشبہ نہیں کہ آج ہندوستان کے تمام لوگوں نے فرقہ پرستی اور فنڈامینٹلزم کو رد کردیا ہے۔ خواہ کشمیر ہو پنجاب ہو یا ہندوستان کا کوئی دوسرا حصہ ہو صورت یہ ہے کہ جموں کشمیر بھی پنجاب کے بالکل سا تھ ملتا ہے اسلیے جو خطرات آج پنجاب کو ہیں وہی خطرہ آج جموں کشمیر کو بھی لاحق ہو رہا ہے۔ جیسے میرے ساتھی سوز صاحب نے کہا۔ آج وہاں پر بھی فرقہ پرستی ہماری کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کے نوجوانوں کو اکسانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں آتنک واد شروع ہو جائے۔ میں مرکزی سرکار سے درخواست کروں گا کہ ہماری پرابلمس کو ہمدردانہ طور پر دیکھیں وہی اصلی پرابلمس ہیں۔ ہمیں خصوصی ریاست کا درجہ دیا گیا ہے لیکن جو اسپیشل کیٹیگری اسٹیٹس کے

...

ساتھ رویہ رکھا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ مثلاً ہمیں ستر فیصدی لون دیا جاتا ہے اور تیس فیصدی گرانٹ دی جاتی ہے جبکہ باقی مخصوص درجے والی ریاستوں کو تو ّے فیصدی گرانٹ دی جاتی ہے اور دس فیصدی لون دیا جاتا ہے۔ آج ایک طرف ہم فرقہ پرست طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور وہاں ہمارے بم وسپھوٹ ہوتے ہیں تو دوسری طرف ہمارے سامنے یہ مسلم ہے کہ ہمارے بجٹ میں ۱۰۰ کروڑ سے زیادہ کا گیپ ہو رہا ہے جس سے ہم پنٹ نہیں سکتے۔ اسلیے کیندر سرکار ہماری مدد کرے۔ آپ کو کنسٹا نٹینٹ لیوی اور دوسری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس کا اثر جموں کشمیر پر کیا ہوگا۔ ہمارے مینس آف کمیونیکیشن کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے راستے دس دس دن بند ہو جاتے ہیں اسلیے ہم محض ریپریشن سے آتنک واد کو ختم نہیں کر سکتے۔ پنجاب میں آپ نے نئے کارخانے کھولے اور وہاں کے نوجوانوں کو روزگار مہیا کرایا ہمیں اس بات کی خوشی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پبلک سیکٹر کے لیے ۷۶ ہزار کروڑ روپیہ دیا ہے اور اس کا ۱۰۰ پرسنیٹ کا خرچ ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اسلیے ہمارے پبلک سیکٹر میں روزگار کا ذریعہ نہیں ہے۔ میں یہ بات محض چناؤ کے لیے نہیں کہتا اپنے ووٹروں کے لیے نہیں کہتا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ انسانی مسئلہ ہے جموں کشمیر کا اور وہاں پر ایک طرف لداخ کے لوگ چلا رہے ہیں دوسری طرف جموں کے لوگ چلا رہے ہیں اور کشمیر کے لوگوں کے اپنے مسائل ہیں۔ میں کیندر سرکار سے گذارش کروں گا کہ وہ ان مسائلوں کو ہمدردی سے دیکھے اور ان کا حل نکالے اور ایک ٹائم باونڈ کاریہ کرم بنائے جس سے پنجاب کے حالات کے ساتھ ساتھ کشمیر کے حالات بھی بہتر ہوں۔

[अनुवाद]

**श्री बी० के० गढ़वी** : महोदय, सभा का समय बढ़ा दिया जाना चाहिए जिससे कि हम पंजाब बजट पर चर्चा समाप्त कर सकें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या इसके लिए आधे घंटे का समय काफी है ?

**श्री बी० के० गढ़वी** : 10-15 मिनट का समय ही काफी है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि इसे हम जल्द समाप्त करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पौन्नानी) : हम इसे कल समाप्त कर सकते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में सभा श्री गढ़वी के सुझाव को स्वीकार करेगी। सभा की अवधी आधे घंटे के लिए बढ़ायी जाती है।

अब श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए पंजाब बजट को समर्थन करता हूं।

महोदय, यह खुशी की बात नहीं है कि लोक सभा को पंजाब का बजट बार-बार पारित करना पड़ता है। वास्तव में, इस चर्चा में सम्मिलित होना भी हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। बल्कि यह एक विडम्बना है—हम इसे विडम्बना क्यों कहते हैं ?—कि संसार के सबसे बड़े लोकतन्त्र अर्थात् यानी हमारे देश में पंजाब सबसे ज्यादा सम्पन्न राज्य है। हम पंजाब के उन लोगों को **6.00 म० प०** प्रणाम करते हैं जिन्होने विभिन्न युद्धों में, देश की सीमा की रक्षा करने और इसे मजबूत करने के लिए, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में भी पंजाब सबसे आगे रहा था। स्वाधीनता के उपरांत भी, पंजाब हरित क्रांति, में आगे रहा है। पंजाब के किसानों की कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में अनेक लोगों को अनाज मिल रहा है। पंजाब में अभी भी अशांति व्याप्त है। हां, वहां अब आशा की किरण नजर आई है। दो दिन पहले ही, पंजाब के राज्यपाल श्री एस० एस० रे ने दूरदर्शन पर श्री एम० जी० अकबर को दिए गए एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के अन्य भागों के साथ ही साथ पंजाब में भी लोक-सभा के चुनाव होंगे, जो तीन-चार महीनों में होने वाले हैं। वह पंजाब विधान-सभा के चुनाव के लिए भी आश्वस्त हैं। हम इस वक्तव्य का स्वागत करते हैं। वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और जब स्थिति में सुधार होता है : तब फिर कुछ जगहों पर हिंसा भड़क उठती है। जब यहां सभी लोगों द्वारा संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है, तब विपक्षी सदस्य अपने उत्तरदायित्व से भाग रहे हैं और वे देश के विभिन्न भागों में विशेषकर पंजाब में मुद्दों को और भी जटिल बना रहे हैं।

महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं बजट का समर्थन करता हूं। बेरोजगारी की समस्या आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है अत: इसका प्रभावी ढंग से निपटारा किया जाना चाहिए। अत: पंजाब में बेरोजगारी समस्या से निपटने के लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रगतिशील

भूमि सुधारों को लागू किए बिना हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब विशेष-रूप से कृषि प्रधान राज्य है। कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के बावजूद भारत सरकार इसकी अर्थव्यवस्था को सही दिशा प्रदान कर रही है। अत: जब तक प्रगतिशील भूमि सुधारों को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता तब तक धन कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान नहीं किया जा सकेगा।

**श्री बी० के० गढ़वी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनरल स्पैरों के भाषण से उनकी वेदना का अंदाजा लगा सकता हूं, जिन्होंने इस चर्चा पर शुरू की संसद-सदस्य के नाते और देश की रक्षा में जनरल स्पैरो का योगदान इतिहास में अंकित है। कोई भी व्यक्ति जो लोकतन्त्र की संकल्पना के लिए और संसदीय प्रणाली के लिए समर्पित है वह अनुभव करता है कि जिन लोगों ने संविधान की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की शपथ ली थी वे ही अब अपनी सीटों से त्याग-पत्र देकर लोकतन्त्र की जड़े खोद रहे हैं। यह खुद ही दर्शाता है कि लोकतन्त्र की महत्ता बनाए रखने के बारे में वे कैसी खोखली बातें कर रहे हैं। यह पूर्णतया उनकी वास्तविक प्रवृति और सच्चाई को देर्शाती हैं कि वे फासिष्ट हैं। उन्हें लोकतन्त्र में कोई विश्वास नहीं है, उन्हें संसद में और संसदीय प्रणाली में कोई विश्वास नहीं है। संसदीय लोकतन्त्र संविधान का एक अभिन्न अंग है। अत: जो संसदीय लोकतन्त्र से दूर हट रहे हैं वह संविधान से भी दूर भाग रहे हैं। अत:, मैं जनरल स्पैरो के भाषण की वेदना को समझ सकता हूं जिन्होंने सच ही कहा है कि विपक्ष ने लोकतन्त्र के विकास और देश की संसदीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्वस्थ भूमिका अदा नहीं की है। इस समय उस पर टिप्पणी करने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस देश के लोग काफी समझदार हैं और उन्होंने समय-समय पर अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय दिया है और भविष्य में भी देंगे।

जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, मैं उन सभी ग्यारह सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। यह हम सभी के लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि यहां पंजाब के बजट पर चर्चा करने आए हैं। हम चाहते हैं कि जैसा कि श्री अजीज कुरेशी और अन्य मित्रों ने कहा है कि इस बजट को पारित किए जाने का उचित स्थान पंजाब विधान सभा है और हम यह भी आशा करेंगे कि पंजाब का स्थिति इतनी अनुकूल होगी जिससे विधान सभा अपने सही स्वरूप में बजट पारित करेगी। लेकिन हम अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व की अनदेखी नहीं कर सकते और इसीलिए हमने इस सभा में बजट को पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया है। आज पंजाब में व्याप्त स्थिति के बावजूद मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पंजाब में प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हुई है चाहे वह लघु उद्योग, मझौले और बड़े उद्योग हों, चाहे कृषि या कृषि पर आधारित उद्योग, शिक्षा या पशु चिकित्सा का क्षेत्र हो। यदि आप तुलना करते हैं तो शायद आप पायेंगे की सभी क्षेत्रों में समय के अनुरूप ज्यादा प्रतिशत प्रगति हुई है और यह इस बात का द्योतक है कि यद्यपि आतंकवाद पर पूर्णतया नियन्त्रण नहीं हो पाया है तथापि यह दर्शाता है कि आतंकवादी अलग-थलग पड़ गए हैं और उन्हें वहां के लोगों का कोई समर्थन नहीं है। इसीलिए दूसरे क्षेत्रों में प्रगति हुई है।

लेकिन पंजाब की वर्तमान स्थिति से हम खुश नहीं हैं। कोई की देशभक्त, देश के किसी भी भाग में व्याप्त अशांति से खुश नहीं हो सकता है। मैं श्री अयूब खां को आश्वासन देता हूं कि हम अपने देश के सभी राज्यों और प्रत्येक भाग को अपने शरीर का अंग समझते हैं। इसलिए एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जहां भी युक्तियुक्त सहायता की आवश्यकता होती है हम प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि देश का विकास भारत के सभी क्षेत्रों

के विकास और प्रगति पर निर्भर करता है। यह दूसरी बात है कि भौगोलिक स्थिति के कारण या किसी विशेष क्षेत्र के कारण एक विशेष प्रकार का विकास नहीं किया जा सकता है। यदि आप कोई ऐसी वस्तु मैदानी इलाकों में चाहते हैं जोकि पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध होती है तो यह नहीं हो पाएगी। भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन साथ ही मैं उन्हें यह भी आश्वासन देना चाहूंगा कि जहां तक जम्मू और कश्मीर का भी सम्बन्ध है, भारत सरकार बहुत ज्यादा इच्छुक है कि जम्मू और कश्मीर एक बहुत अच्छे राज्य के रूप में तरक्की करे। आखिरकार यह देश की शान है। इसे भुलाया नहीं जा सकता।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : धन्यवाद।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : आप सौभाग्यशाली हैं कि आप अपना बजट पारित कर रहे हैं।

**श्री बी० के० गढ़वी** : लेकिन आप को अपने आप को बधाई देनी चाहिए, जब श्री भाटिया कहते हैं कि आस-पास की कठिनाईयों के बावजूद आप अपने बजट को पारित करने में सक्षम रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पंजाब की स्थिति जम्मू-कश्मीर तथा अन्य पड़ोसी राज्यों में नहीं फैल पाई है। लेकिन इसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सभी माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। एक विषय पर अर्थात् पंजाब की राजनीतिक स्थिति और वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बल डाला है। हाल ही में, हमने पंजाब के बारे में विस्तृत चर्चा की है और गृह मन्त्री और अन्य लोग, जिन्होंने इसमें भाग लिया सभी लोगों के साथ इस पर गहन चर्चा हुई अतः मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां आतंकवादी गतिविधियों के बावजूद यहां स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं रही। कुछ छिट-पुट घटनाओं को कभी-कभी बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है या कभी-कभी घिनौने किस्म की घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन साथ ही कुल मिलाकर सारा वातावरण उस समय से अधिक अनुकूल है जब वहां राज्य सरकार का शासन था।

जहां तक हथियारों के पकड़े जाने का सवाल है, जहां तक आतंकवादियों की गिरफ्तारी का सम्बन्ध है और जहां तक आतंकवादियों से मुठभेड़ का प्रश्न है हमारे बहादुर पुलिस अधिकारी अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। आतंकवादियों के साथ संघर्ष और मुठभेड़ में वे अपना जीवन न्योछावर कर रहे हैं।

जहां तक पुलिस बल और उनके हथियारों के आधुनिकीकरण की बात है तो ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए एक योजना बनाई गई है। मैं यहां इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझता हूं। लेकिन मैं आपको यह आश्वासन दूंगा कि इस सन्दर्भ में भी पंजाब को केन्द्र सरकार द्वारा प्रर्याप्त धन-राशि मिल रही है तथा हम शस्त्रों तथा संचार आदि के क्षेत्र में पुलिस बल में सुधार ला रहे हैं।

महोदय, श्री स्पैरो ने इस बात का उल्लेख किया कि केन्द्र सरकार को पंजाब राज्य की अधिक सहायता करनी चाहिए। मुझे उनसे कहना है कि जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है तो इस वर्ष पंजाब को 560 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही हम इस राज्य में कानून और व्यवस्था तन्त्र को मजबूत बनाने के लिए 85 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं। जहां तक स्वर्ण मन्दिर परिसर का सम्बन्ध है, हम इसके लिए पहले ही 70 करोड़ रुपए दे चुके हैं। जहां तक बाढ़ की स्थिति का सम्बन्ध है हमने 150 करोड़ रुपए के अधितम व्यय की स्वीकृति दे दी है।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : वहां हुए फसल ऋण नुकसान के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

**श्री बी० के० गढ़वी** : मैं आपकी बात समझता हूं। जहां तक गत वर्ष के बाढ़ का सम्बन्ध है तो हम लोगों ने पहले ही 150 करोड़ रुपए के अधिकतम व्यय की स्वीकृति दे दी है। पंजाब सरकार के अधिकारियों ने मुझसे बात की थी। इस मामले में मैंने अपने अधिकारियों को छानबीन करने को कहा है और हम देखते हैं कि इस सम्बन्ध में हम क्या कर सकते हैं। श्री भाटिया ने आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को दी गई सहायता के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा जानना चाहा है। मैं अब तक के आंकड़ों को प्रस्तुत करूंगा। नवम्बर, 84 के दंगों द्वारा प्रभावित परिवारों सहित आतंकवादियों द्वारा प्रभावित 1400 परिवारों को रोजगार प्रदान किए गए हैं।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : कुल कितने में से ?

**श्री बी० के० गढ़वी** : अभी हमारे पास कुल योग उपलब्ध नहीं है। मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं। यदि आप चाहते हैं तो बाद में मैं इसे आपको दे सकता हूं। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि आतंकवादियों द्वारा प्रभावित लोगों को बिना किसी औपचारिक परीक्षण के प्राथमिकता के आधार पर तथा यदि वे न्यूनतम योग्यता पूरी करते हों तो राज्य सरकार द्वारा रोजगार प्रदान किया गया है। हम कोई औपचारिक परीक्षा नहीं लेते हैं। फिर सीमावर्ती जिलों के नवयुवकों को प्राथमिकता के आधार पर यदि वे न्यूनतम योग्यतायें पूरी करते हों तो उन्हें भी नौकरी दी जाती है। इस प्रकार से हम सीमावर्ती तथा प्रभावित जिलों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में विशेषरूप से युवाओं के लिए इस समस्या के सम्बन्ध में चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के असन्तोष का तथा पथ-भ्रष्ट होकर उनके द्वारा हिंसा किए जाने के लिए यह एक कारण भी उत्तरदायी है। मैं इससे सहमत हो सकता हूं कि निराशा के कारण वे ऐसा कर रहे हैं लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत **बेकारी हटाओ कार्यक्रम** लाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। पूरा राष्ट्र यह चाहता है कि इस देश से बेकारी समाप्त हो जाए। इसके लिए हमारी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। **बेकारी हटाओ** कार्यक्रम के सन्दर्भ में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हम 2000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं, "नहीं, इस देश से बेकारी समाप्त नहीं की जानी चाहिए।" विपक्ष का यह कहना है। हम कहते हैं कि लोगों को पंचायतों द्वारा अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करना चाहिए क्योंकि जिसे चोट लगती है वही जानता है कि दर्द क्या होता है लेकिन ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

महोदय, 20 वर्ष पहले इन्दिरा जी ने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया तथा प्रिविपर्सों का उन्मूलन किया। आपको याद होगा कि उस वक्त एक गहरा षडयंत्र रचा गया था। अब जब हमने **गरीबी हटाओ** कार्यक्रम शुरू किया है, फिर एक गहरा षडयंत्र रचा गया है। एक बार फिर वही योजना और वही चालबाजी की जा रही है। उन्हें इस प्रयास में असफल होना चाहिए। उस समय वे बुरी तरह असफल हो गए थे—मेरे कहने का अर्थ है कि उस समय रचा गया षडयंत्र असफल हो गया था। वे नहीं

चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोले जायें तथा गरीब लोगों को बैंकों से लाभ हो। 8000 बैंक शाखाओं से बढ़कर अब इस देश में 57,000 शाखायें खोली गई हैं। उनकी यह आशंका कि बैंक विफल हो जायेंगे और बैंक दिवालिया हो जायेंगे तथा अन्य सभी आशंकायें गलत साबित हो गयीं थीं। आज भी उनकी आशंकायें गलत साबित हुई। यह आज बनाई गई योजना नहीं है बल्कि यह 20 वर्ष पूर्व शुरू की गई योजना का एक भाग है जबकि इन्दिरा जी ने सोचा था कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए जायें।

इन्दिरा जी चाहती थी कि गरीब लोग उन्नति करें। उस वक्त षडयंत्र रचा गया था। यह उसका ही एक भाग है। इसके बारे में हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

**श्री अजीज कुरेशी** : उनकी वही दशा होने जा रही है।

**श्री बी० के० गढ़वी** : शायद उससे भी खराब, क्योंकि उस समय षडयंत्र के जो नेता थे उनमें कुछ ईमानदारी थी लेकिन इन लोगों में कुछ भी नहीं है। ये उस ईमानदारी और नैतिकता से पूर्णतया वंचित हैं। अतः इनकी दशा और खराब होगी।

श्री राजहंस ने उन व्यक्तियों का उल्लेख किया जोकि बिहार से पंजाब जाते हैं और वहां मारे जाते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि जो भी आतंकवादियों द्वारा वहां मारे जाते हैं चाहे वह व्यक्ति पंजाब का हो अथवा बाहर का, 20,000 रुपए बतौर मुआवजा उनके लिए दिया जाता है। श्री राजहंस ने इस बात का उल्लेख किया कि कभी-कभी पंजाब जाने वाले प्रवासी श्रमिक के ठौर ठिकाने का पता नहीं लगा पाते थे। मैं उन्हें कहता हूं कि इस बात के लिए वे पंजाब सरकार को पत्र लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति के ठौर ठिकानों का पता लगाने का यही एक साधन है और वे उन्हें जवाब देंगे, यदि वह व्यक्ति पंजाब में होगा तो वे उन्हें जवाब भेजेंगे। अतः यह कहना गलत है कि किसी श्रमिक के ठौर ठिकाने का पता लगाने के लिए कोई तन्त्र नही है अथवा उस व्यक्ति की खोज नहीं की जा सकती है। पंजाब सरकार सभी आवश्यक कारवाही करेगी।

श्री भाटिया तथा अन्य सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि सभी को क्षमा देने के लिए एक योजना होनी चाहिए। निश्चय ही इस सुझाव को मैं गृह मन्त्रालय को उनके विचारार्थ भेज दूंगा। आखिर यह हमारी नीति रही है कि जो लोग हिंसा का त्याग कर देते हैं और संविधान के अन्तर्गत कारवाही करते हैं, उनका हमारे साथ वार्ता के लिए स्वागत है। हम पंजाब समस्या का समाधान चाहते हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने से पंजाब समस्या का समाधान नहीं है। इसमें विकट जटिलता है। हमें यह आशा करनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों को भी सुबुद्धि आए तथा वे सीमा पार से हिंसात्मक गतिविधियों को भड़काने वाली हरकतें बन्द कर दें। मुझे विश्वास है कि उन्हें यह बात समझ में आएगी क्योंकि हमारे पड़ोसी देश अर्थात् पाकिस्तान की वर्तमान सरकार और वहां की प्रधान मन्त्री अपने पिता के मरणोपरांत फासिस्टवादी दौर से गुजर चुकी है।

इस चर्चा में बहुत अधिक मुद्दों को नहीं उठाया गया है। इन कुछ विस्तृत राजनीतिक अवलोकनों के साथ जैसाकि मैंने कहा—क्योंकि सदस्यों ने सिर्फ व्यापक उद्देश्यों की चर्चा की—मैं इन अनुदानों की मांगों को सभा में प्रस्तुत करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं वर्ष 1989-90 के लिए अनुदानों की मांगें, (पंजाब) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूचि के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 30 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा के सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

**6.18 म० प०**

## पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1989

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मन्त्री महोदय विनियोग विधेयक को पुरःस्थापित करने का आग्रह कर सकते हैं।

**वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कि वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री बी० के० गढ़वी** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मन्त्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

**श्री बी० के० गढ़वी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनिमोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से

कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए**

**श्री बी० के० गढ़वी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

6.20 म० प०

## भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक

**वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लघु सैक्टर में उद्योग के संप्रवर्तन, वित्तपोषण और विकास के लिए तथा लघु सैक्टर में उद्योग के संप्रवर्तन, वित्तपोषण या विकास में लगी संस्थाओं के कृत्यों का समन्वय करने के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना करने के लिए और उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : मन्त्री महोदय अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

---

6.20½ म० प०

## सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष को आज निम्नलिखित सरस्यों से इस आशय के पत्र प्राप्त हुए है कि उन्होंने लोक सभा में अपने स्थानों से त्यागपत्र दे दिया है :

(1) श्री कटूरी नारायण स्वामी
(2) श्री जी० भूपति
(3) श्री मतिलाल हंदसा
(4) श्री गदाधर साहा
(5) श्री विद्याचरण शुक्ल
(6) श्री एच० एम० पटेल
(7) श्री एस० पलाकोंड्रायुडू
(8) श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
(9) श्री शांभाजीराव ककाडे
(10) श्री शांतिलाल पटेल

अध्यक्ष ने उनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिए हैं और वे तुरन्त प्रभावी हो गए हैं।

अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.21 म० प०

**तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 27 जुलाई, 1989/5 श्रावण, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

---

दी स्टील स्लेट मैन्यु० कं० (प्रैस विभाग) अजमेरी गेट, दिल्ली-6